अष्टम माला, खंड 51, अंक 1 Friday, 13th October, 1989

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 51 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 53, चौदहवां सत्र-दूसरा भाग, 1989/1911 (शक)

अंक 3, शुक्रवार, 13 अक्तूबर, 1989/21 आश्विन, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	10—15 और 138
राज्य सभा से सन्देश	15—16
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	17—37
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि	
श्री ब्रजमोहन महन्ती	17
श्री सुख राम	18
श्री जी० एम० बनातवाला	22
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	24
श्री हरीश रावत	25
श्रीमती किशोरी सिंह	27
नियम 377 के अधीन मामले	37—41
(एक) उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड में, विशेष रूप से बांदा जिले में पेयजल समस्या हल किए जाने की आवश्यकता	
श्री भीष्म देव दुबे	37
(दो) आवश्यक वस्तुओं में वृद्धि को रोके जाने और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री जगन्नाथ पटनायक	38
(तीन) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री कम्मोदी लाल जाटव	38
(चार) मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से सिहोर, भोपाल और देवास जिलों में पेय जल की समस्या दूर किए जाने हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के० एन० प्रधान	38
(पांच) तापी नदी पर बने हटनूर-बीयर को पानी की सप्लाई सुनिश्चित किए जाने हेतु नवाथा और खरियागुटी बांधों के निर्माण की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय एन० पाटिल	39

विषय	पृष्ठ
(छः) गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामस्वरूप राम	39
(सात) बीड़ी कामगारों की दशा सुधारे जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री अजीज कुरेशी	39
(आठ) जम्मू से ऊधमपुर तक रेल लाइन का विस्तार किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला	40
(नौ) चार प्रमुख महानगरों के बेरोजगार युवकों को नेहरू रोजगार योजना के लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
कुमारी ममता बनर्जी	40
(दस) बिहार में वैशाली क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु वैशाली के लिए पर्याप्त रेल/सड़क सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती किशोरी सिंह	40
राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों का चित्तलोन-कोट्टपुरम खंड) विधेयक	41—44
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राजेश पायलट	41
श्री ए० चार्ल्स	42
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राजेश पायलट	44
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक	44—49
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	44
श्रीमती प्रभावती गुप्त	45
श्री माणिकराव होडल्या गावित	45
श्री के० प्रधानी	46
श्री सैयद शाहबुद्दीन	47
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	49

विषय	पृष्ठ
नागालैंड विश्वविद्यालय विधेयक	50—63
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एल० पी० शाही	50
श्री सैयद शाहबुद्दीन	51
प्रो० एन० जी० रंगा	52
श्री आशुतोष लाहा	54
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	55
श्री एन० टोम्बी सिंह	57
कुमारी ममता बनर्जी	59
प्रो० सैफुद्दीन सोज	59
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एल० पी० शाही	63
नियम 193 के अधीन चर्चाएं	63—138
(एक) देश में साम्प्रदायिक स्थिति	63—68 और 92—138
श्री शांताराम नायक	63
कुमारी ममता बनर्जी	64
श्री जुझार सिंह	66
श्री बालकवि बैरागी	93
श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर)	98
श्री राम प्यारे पनिका	103
श्री बृजमोहन महन्ती	106
श्री दिग्विजय सिंह	112
श्री अजीज कुरेशी	116
सरदार बूटा सिंह	128
(दो) सेंट किट्स में बैंक खाता रखे जाने के बारे में वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री द्वारा 12 अक्तूबर, 1989 को दिया गया वक्तव्य	68—92
श्री टी० बशीर	68
कुमारी ममता बनर्जी	72
श्री सैयद शाहबुद्दीन	74

विषय	पृष्ठ
श्री शांताराम नायक	76
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	80
श्री आशुतोष लाहा	81
डा० गौरी शंकर राजहंस	84
श्री एडुआर्डो फैलीरो	85
लोक लेखा समिति	92
185वां, 186वां और 187वां प्रतिवेदन	
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	138
23वां प्रतिवेदन	
रक्षा स्थापनाओं में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों आदि को उच्च वेतनमान दिए जाने के बारे में कार्यान्वयन की तिथि बदले जाने के सरकार के प्रस्ताव के अनुमोदन के बारे में संकल्प	138—139
विदाई सम्बन्धी उल्लेख	139—152
श्री एच० के० एल० भगत	139
श्री जी० एम० बनातवाला	141
श्री बालकवि बैरागी	143
श्री केयूर भूषण	144
श्री उत्तम राठौड़	144
प्रो० नारायण चन्द पराशर	146
कुमारी ममता बनर्जी	147
श्री राजीव गांधी	147

लोक सभा

शुक्रवार, 13 अक्तूबर, 1989/21 आश्विन, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, आप जानते हैं कि श्री वी० पी० सिंह ने कहा है कि उनका अथवा उनके परिवार के सदस्यों के कोई विदेशी खाते नहीं हैं । मन्त्री जी को इस बारे में अपना पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अजेय सिंह की सम्पत्ति के मामले की कोई जांच की है अथवा नहीं ? यह बहुत ही गम्भीर मामला है··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फाइनेन्स मिनिस्ट्री को लिखकर दें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : आप सरकार से कहिए कि इस पर हमारी तरफ से एक चर्चा की जाए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति को सुन सकता हूं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए साहब, मेरी बात सुनिए । आप सुनेंगे तो पता लगेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर डिस्कशन चाहते हैं तो लिखकर दीजिए ।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

यदि समय रहा तो हम इसे कर सकेंगे। समय निकाल लीजिए। मैं नहीं जानता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं, आप ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : कई सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं और सरकार उसके लिए तैयार है। हम मध्याह्न पश्चात् इस पर चर्चा कर सकते हैं।···(व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए मैंने नोटिस दे दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो गया, अब क्या तकलीफ है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज (कारामूला) : स्पीकर साहब, मैं दो कागज टेबल पर रखना चाहता हूं। दो पोस्टर बड़े इम्पार्टेन्ट हैं, बड़ी आलंकित सिचुएशन है। साम्प्रदायिकता विरोधी कमिटी की जो चेयरमैन हैं श्रीमती सुभद्रा जोशी और मि० गोयल, उन्होंने मेरी तवज्जह दिलाई है और मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। वहां बड़े-बड़े आदम-कद पोस्टर लगे हुए हैं। उसमें लिखा है कि "हिन्दू राष्ट्र की राजधानी में आपका हार्दिक स्वागत।" हिन्दुओं से अपील करके राम जन्म भूमि की तरफ·····

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

हर काम का एक तरीका होता है।

[हिन्दी]

कितनी भी ओबजेक्शनेबल बात क्यों न हो, उसको ठीक ढंग से पेश करो जिससे उसका हल हो।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं तो यही अर्ज कर रहा था···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आप इसे दे सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमें प्रजातन्त्र को नष्ट करने वाले प्रयासों को रोकना है। वे गृह युद्ध की परिस्थितियां बना रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। कम्युनलिज्म और डैमोक्रेसी साथ-साथ तो नहीं चल सकते।

[अनुवाद]

प्रजातन्त्र और साम्प्रदायिकतता एक साथ नहीं रह सकते । वे एक दूसरे के विपरीत हैं । हिंसा और प्रजातन्त्र साथ-साथ नहीं रह सकते । यह बहुत साधारण बात है ।

[हिन्दी]

आप इसको प्रोपर तरीके से दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा ।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम चाहते हैं कि सरकार इन घटनाओं पर ध्यान दे । (व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं इन्हें टेबल पर रख रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : टेबल पर नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अध्यक्ष महोदय, रेलवे स्टेशन पर इस पोस्टर को पेस्ट किया जाएगा ।

[अनुवाद]

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, गृह मन्त्री यहीं पर ही होंगे । मैं उनका दुःख और पीड़ा समझती हूं । परन्तु हम चर्चा कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा था ।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : महोदय, जम्मू और कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिति है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह आज इस डिस्कशन में आ रहा है ।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : अनन्तनाग, श्रीनगर और सोपोर में कई व्यक्ति मारे गए हैं । मैं यहां निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु पर दुःख प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हुआ हूं । राज्य में आतंकवाद से ही कश्मीर में लोगों की हत्या हो रही है । मैं यहां उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस सबसे महान मंच पर जो, सबसे बड़ा है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस सदन में ऐसा नहीं कर सकते । आप विदूषक की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री काबुली ने जो कुछ कहा है, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है ।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(व्यवधान)*

[इस समय श्री अब्दुल रशीद काबुली आकर सभा-पटल के नजदीक जमीन पर बैठ गए]

अध्यक्ष महोदय : काबुली, क्या आप सदन से बाहर जाएंगे।

(व्यवधान)*

श्री सैफुद्दीन सोज : जम्मू-कश्मीर में विधिवत निर्वाचित सरकार है। यह राज्य का विषय है और वहां की सरकार इस पर ध्यान देगी। उस सरकार को कोई बर्खास्त नहीं कर सकता। इसका निर्णय केवल जम्मू और कश्मीर की जनता ही करेगी। इन सभी मामलों पर निर्णय जनता के वोट से किया जाएगा। हम जनता के पास जाएंगे और वे ही इसका निर्णय करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इधर देखिए।

[हिन्दी]

आप एक मिनट चुप करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री काबुली, क्या आप सभा से बाहर जाएंगे ? मुझे आपको सदन से उठकर बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं माननीय सदस्य से यह अपील करना चाहती हूं कि इस सभा में देश में सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा की जा रही है। माननीय गृह मन्त्री, जिनसे वे वक्तव्य देने की मांग कर रहे हैं, इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे। मन्त्री महोदय इस वाद-विवाद में भाग लेंगे। उचित यही होगा कि आप अपनी बारी आने पर ही वाद-विवाद में भाग लें। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप चर्चा के समय अपनी शिकायतें पेश कर सकते हैं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन सज्जन का व्यवहार असहनीय है। यह निंदनीय है। उन्होंने लोकतन्त्र की सभी सीमाओं का उल्लंघन किया हैं। आप अपनी बात कह सकते हैं किंतु अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने के नाते आप मुझे आदेश नहीं दे सकते। मैं इस तरह अनुमति देने नहीं जा रहा हूं। क्या आप सदन से बाहर जाएंगे या मैं सदन से बाहर जाने के लिए आपका नाम पुकारूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। मुझे यह बात पसन्द नहीं है। यह अपमानजनक है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनके एक भी शब्द को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

[तत्पश्चात् श्री अब्दुल रशीद काबुली सभा-भवन से बाहर चले गए]

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मि० स्पीकर सर, आपने मुझे इजाजत दी है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज हिंदुस्तान के तमाम अखबारों ने बोफोर्स मामले के बारे में बहुत सारी नई जानकारी शाया की है जिससे इस मामले के बारे में नए शुबहात पैदा हो गए हैं, देशवासियों के दिल में। मेरी यह गुजारिश है कि उसके बारे में एक डिस्कशन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : किसके बारे में ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : बोफोर्स डील के बारे में। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई बड़ी बात हुई है ? शाहबुद्दीन जी, देखिए, आप लिखकर दीजिए। पहले भी मैंने 55-56 घण्टे बहस कराई है, अब भी मुझे बहस कराने में कोई तकलीफ नहीं है लेकिन अगर टाइम नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। समय होने पर, यदि सदन आज की कार्यवाही के बाद इस पर चर्चा करने का इच्छुक हो तब हम बोफोर्स पर चर्चा कर सकते हैं। यदि सदन इच्छुक हो तो इसमें कठिनाई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह सदन चर्चा ही के लिए है और किसी भी विषय पर चर्चा करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगा हुआ है।

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश (अंबाला) : स्पीकर सर, आप जानते हैं कि देवी लाल आपकी कांस्टीट्यूऐंसी में···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या जानते हैं ?

चौधरी राम प्रकाश : जब वह कांग्रेस में था तो अच्छा आदमी था लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं यह एलाऊ नहीं करूंगा।

[अनुवाद]

ऐसे किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जो इस सभा का सदस्य नहीं है और यहां उपस्थित नहीं है।

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश : आप गुड़गावां के बारे में जानते हैं, गुड़गावां की पंचायतों की सारी जमीनें·····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी का नाम लेने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश : उसके बावजूद शिवालिक पहाड़ियों की जो जमीनें बची हुई हैं, उन पर भी 10-15 हजार बुलडोजर लगा रखे हैं···(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : आप गवर्नर को लिखिएगा ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट का मामला है । मैंने एक को एलाऊ नहीं किया तो दूसरे को एलाऊ कैसे कर दूं ।

(**व्यवधान**)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा । नहीं । इसकी अनुमति नहीं है ।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश : ऐसे आदमी को, ऐसे चीफ मिनिस्टर को आप डिसमिस क्यों नहीं करते, आप मुझे बताइए । (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : यह काम तो गवर्नर का है, आप गवर्नर को रिप्रैजेन्ट करिए । समझे कि नहीं । यह तो मुझे भी पता है कि इस तरीके से कराया जाता है । यह गलत है, कहां बताइए, फिर बात करें । मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं ।

(**व्यवधान**)

चौधरी राम प्रकाश : आप मेरे पुराने साथी हैं, आप मेरे पुराने गुरु हैं, आप मेरे पुराने उस्ताद हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप से हमदर्दी तो मुझे बहुत है ।

(**व्यवधान**)

चौधरी राम प्रकाश : एक दफा आपको याद है, डिफैक्शन हो रही थी । (**व्यवधान**) आपने आर्डर दिया, आपने हुक्म दिया, इसलिए मैंने तकरीर दी थी । इस वास्ते मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इनको फ्लॉरड डिसमिस कर दीजिए और फटाफट डिसमिस कर दीजिए···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ हमदर्दी रख सकता हूं और रखता हूं । इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूं ।

(**व्यवधान**)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : अध्यक्ष जी, राम प्रकाश जी ने हरियाणा के बारे में बातें कही हैं, लेकिन एक बहुत ही असंवैधानिक बात अभी घटने वाली है । उसके लिए हरियाणा के जनता दल के प्रधान से नोटिस भी दे दिया है । यह अखबारों में भी आया है । उन्होंने यह कह दिया है कि आइंदा हरियाणा के अन्दर उन लोगों की भरती की जाएगी, चाहे कोई भी नौकरी हो, चपरासी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

से लेकर एस० पी० तक, जिनकी दरख्वास्तों पर जनता दल के जिले के प्रधान की सिफारिश होगी। यह अखबारों में आया है। इससे बड़ी असंवैधानिक बात और क्या हो सकती है। आप खुद देखें। प्रजातन्त्र में जो पार्टी पावर में आती है, वह ताकत में आने के बाद सभी के लिए सरकार है, लेकिन वहां पर इस किस्म की इजाजत दी जाएगी तो मैं कहता हूं कि इसका सीधा मतलब यह है कि वह करप्शन करना चाहते हैं। जिले का जनता दल का प्रधान पैसा लेगा और जिसकी दरख्वास्त पर सिफारिश करेगा, वही लड़के भर्ती हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्टेट सब्जैक्ट को डिसकस नहीं करवा सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : हम संविधान के अनुसार यहां बैठे हैं···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

यह सर्वथा असंवैधानिक है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : इस मुद्दे पर विचार करने का काम इस सदन का है। यह एकदम असंवैधानिक, अस्वीकार्य, समर्थन न करने योग्य और अलोकतांत्रिक है। यदि ऐसा है तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, यदि कानून का कुछ अर्थ है तो···**(व्यवधान)**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : शाहबुद्दीन जी, आप अपनी बात क्यों नहीं कहते ? आपको क्या कहना है ? **(व्यवधान)**

श्री सैयद शाहबुद्दीन : माननीय सदस्य ने इस ओर ठीक ही ध्यान दिलाया है और मैं सोचता हूं कि कार्मिक विभाग को इस मामले की जांच करनी चाहिए। मुझे यही कहना है। यदि यह सच है तो यह मामला उठाया जाना चाहिए था और कार्मिक विभाग को इसकी जांच करानी चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : लेकिन यह पूर्णतया असंवैधानिक है और यह संविधान का उल्लंघन करने जैसा है। अतः यह एक बहुत गंभीर मामला है और समूचे सदन तथा सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए यहां पर पहले भी कहा गया था। वैसे भी सारी बातें है। पैसा देकर किसी को बदलवाना, इस्तीफा दिलवाना, ये बातें मुझे जंचती नहीं थीं कि ऐसा कोई कर सकता है। मैंने हाऊस में भी उस दिन कहा था कि मुझे जंचती नहीं है कि कोई आदमी इस्तीफा दिलवाने के लिए पैसे दे सकता है।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यह असम्पशन है। बगैर रूलिंग पार्टी के अथोराइजेशन से कोई दरख्वास्त नहीं दी जाएगी, इससे बड़ी, और गलत बात क्या हो सकती है।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह भी गलत है।

[अनुवाद]

मैं एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज में रह रहा हूं, जिस पर मुझे गर्व है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : जो बात मैंने कही है, वह प्रेम में आई है और सभी माननीय सदस्यों ने भी पढ़ा है। ओपनली पब्लिक मीटिंग में कहा गया है कि जो बेरोजगार हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : कार्मिक विभाग को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सभा का सेवक तथा जनता के अधिकारों का रक्षक होने के नाते, मैं सोचता हूं कि यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इन पर इसलिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ये लोकतन्त्र की जड़ों को काटने वाली हैं। दूसरे, मैं इन बातों की निंदा करता हूं और मैंने उस दिन पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहा था, और मैं जानता था कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसके क्या प्रभाव होंगे, कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि पैसा लेकर किसी व्यक्ति का काम किया जाएगा अथवा किसी व्यक्ति को पैसा देकर यह कहा जा सकता है कि वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे···

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : घूस ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह ऐसी बात है, जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन यदि कोई यह कह सकता है कि इस व्यक्ति या उस व्यक्ति द्वारा कुछ पैसा दिया गया है, तो इससे न तो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है जिसने पैसा लिया है और न ही उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिसने पैसा दिया है। दोनों तरह से ही यह अपमानजनक है। यह लोकतांत्रिक समाज की जड़ें काटने वाली बात है। मुझे समझ नहीं आता कि इस बारे में क्या किया जाए। यह सरकार तथा प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे कुछ कार्यवाही करें। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आपकी इस समस्या के प्रति कुछ मानदन्डों के बारे में सोचना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम नहीं है। यह राज्य के संवैधानिक प्रमुख अर्थात् राज्यपाल और गृह मन्त्रालय का काम है।

प्रो० के० के० तिवारी : गृह मन्त्रालय को इस संबंध में कुछ करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : कार्मिक विभाग को इस मामले पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश : मैं जर्मनी, यू० एस० ए० और अन्य जगहों पर गया हूं, एक हर जगह पर लोग यही बात करते हैं कि···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को यह सब कहने की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं, नहीं आप ऐसी बातें नहीं कह सकते। मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक शब्द कहने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैं व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक बात का आश्वासन दे सकता हूं कि मैं चर्चा की अनुमति हमेशा दूंगा। जैसा श्री शाहबुद्दीन ने अभी कहा कि बोफोर्स के संबंध में चर्चा की अनुमति दी जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने पहले भी इस पर चर्चा करवाई है। मेरे विचार से यह 54 घण्टे से अधिक अवधि का वाद-विवाद था। हमने पहले ही ऐसा किया है। यदि समय हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यही एक ऐसा मन्च है जहां आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। विपक्ष अपनी बात कह सकता है क्योंकि आखिरकार अगले चुनाव तक या कोई परिवर्तन होने तक बहुमत की बात मानी जाएगी। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप अपनी राय दूसरों पर नहीं थोप सकते हैं। बहुमत केवल इस देश की जनता ही निर्धारित कर सकती और जनता ने सदा इस देश के हित के लिए काम किया है। वे जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। कुछ लोग इस बात की डींग मारते हैं कि वे ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। यह असंभव है। ऐसा सोचना मूर्खता है। जनता अपनी सूझबूझ से और देश के सर्वोच्च हित के लिए निर्णय लेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें इन्हें कायम रखना चाहिए। परंपरा को बनाए रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, चर्चा बिना किसी बाधा के होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : यह तो समय की कमी पर निर्भर है। इसके कारण हम चर्चा करने की स्थिति में नहीं भी हो सकते हैं। किंतु, सरकार एक ऐसा वक्तव्य दे सकती है जिसमें सरकार के दृष्टिकोण से स्थिति स्पष्ट की जाए। कम से कम ऐसा वक्तव्य तो दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा कर सकते हैं। हम देर तक बैठ सकते हैं। क्या हम काम नहीं कर सकते हैं ? हम रात में जाकर खेतों में पानी देते हैं। इसकी कोई चिन्ता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, रोहतक के अन्दर सभी लोगों ने महाभारत देखी। द्रोपदी के जिस्म से साड़ी उतरी नहीं, लेकिन रोहतक के अन्दर 3 लड़कियों को बिलकुल नेकेड कर दिया गया, लोगों ने आकर उनके ऊपर वस्त्र डाले। ऐसी हालत में करप्शन और क्राइम बढ़ रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गवर्नर से बात करिए, उनको दीजिए ।

(व्यवधान)

चौधरी राम प्रकाश : गवर्नर द्वारा हमारी कोई सेफ्टी नहीं हो पा रही है, मेरे को गोली तक मारी गई है, कोई सेफ्टी हम लोगों की वहां पर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : हां शर्मा जी आप कुछ कहना चाहते है ?

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : राज्यपाल क्या करें । वे अपने आपको असहाय पाते हैं । वह नहीं सुनते हैं । उन्हें संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देने का शिष्टाचार तक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह उनकी जिम्मेदारी है । मैं राज्यपाल को मजबूर नहीं कर सकता हूं ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : हम कहां जाएं ?

अध्यक्ष महोदय : आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं । उन्हें अधिकार है ।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे ।

11.26 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों आदि को बढ़े हुए वेतनमान देने के बारे में 1983 के सी० ए० संदर्भ संख्या 9 तथा 10 में 12 अगस्त, 1985 का माध्यस्थम् बोर्ड पंचाट (संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र)

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : मैं अपने सहयोगी, श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से रक्षा स्थापनाओं में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों, नक्शानवीसों, भंडार अनुरक्षण कर्मचारियों तथा असैनिक मोटर चालकों को बढ़े हुए वेतनमान देने के बारे में 1983 के सी० ए० संदर्भ संख्या 9 तथा 10 में 12 अगस्त, 1985 के माध्यस्थम् बोर्ड पंचाट (संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र) की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा संयुक्त परामर्शी तन्त्र के के लिए स्कीम के पैरा 21 के अनुसार पंचाट में किए गए परिवर्तनों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8348/89]

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु) सोसाइटी थंजावूर का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु) सोसायटी, थंजावूर के वर्ष 1988-

89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु) सोसायटी थांजवूर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8349/89]

श्री अनन्था ग्रामीण बैंक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन; अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं अपने सहयोगी श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं—

(एक) श्री अनन्था ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8324/89]

(दो) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8325/89]

(तीन) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8323/89]

(चार) अकोला ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8322/89]

(पांच) मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8333/89]

(छह) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8332/89]

(सात) सूरत-भड़ौच ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8343/89

(आठ) जूनागढ़-अमरेली ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8355/89]

(नौ) मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8334/89]

(दस) पंचमहल-बदोदरा ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8338/89]

(ग्यारह) बुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8339/89]

(बारह) सीवन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8336/89]

(तेरह) गुरुदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8331/89]

(चौदह) एटा ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8337/89]

(पन्द्रह) अम्बाला-कुरुक्षेत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8319/89]

(सोलह) मांडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8317/89]

(सत्रह) दमोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8327/89]

(अठारह) डेंकनाल ग्राम्या बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8320/89]

(उन्नीस) शाहजहानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8328/89]

(बीस) भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31, मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8318/89]

(इक्कीस) उत्तरी मालाबार ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8321/89]

(बाईस) का बैंक नांगक्यूंडोंग री खासी जैतिया बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8329/89]

(तेईस) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8326/89]

(चौबीस) काकाथिया ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8342/89]

(पच्चीस) चन्द्रपुर-गदचिरोली ग्रामीण बैंक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8341/89]

(छब्बीस) शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8340/89]

राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति का प्रतिवेदन—भाग 3 आदि

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के वर्ष 1988-89 के प्रतिवेदन—भाग 3 (अध्याय 1 से 15) तथा (अध्याय 16 से 18) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8350/89]

आठवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं आठवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(एक) विवरण संख्या 17—तीसरा सत्र, 1985

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8351/89]

(दो) विवरण संख्या 22 — चौथा सत्र, 1985

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8352/89]

(तीन) विवरण संख्या 24— पांचवां सत्र, 1986

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8353/89]

(चार) विवरण संख्या 22—छठा सत्र, 1986

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8354/89]

(पांच) विवरण संख्या 19—सातवां सत्र, 1986

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8355/89]

(छह) विवरण संख्या 19 आठवां सत्र, 1987

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8356/89]

(सात) विवरण संख्या 15—आठवां सत्र, 1987 का दूसरा भाग

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8357/89]

(आठ) विवरण संख्या 14—नौवां सत्र, 1987

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8358/89]

(नौ) विवरण संख्या 12—दसवां सत्र, 1988

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8359/89]

(दस) विवरण संख्या 8—ग्यारहवां सत्र, 1988

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8360/89]

(ग्यारह) विवरण संख्या 5—बारहवां सत्र, 1988

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8361/89]

(बारह) विवरण संख्या 4—तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8362/89]

(तेरह) विवरण संख्या 1 – चौदहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8363/89]

भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड, बदोदरा के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की समीक्षा और केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा **उद्योग मन्त्रालय** में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति--

(एक) भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड, बदोदरा के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड, बदोदरा का वर्ष 1988-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8364/89]

(2) (एक) केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8365/89]

11.28 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 11 अक्तूबर, 1989 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 जुलाई, 1989 को हुई उसकी बैठक में पारित किए गए साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1989 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 12 अक्तूबर,

1989 को हुई अपनी बैठक में पोत परिवहन अभिकर्त्ता (अनुज्ञापन) विधेयक, 1987 के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि यह सभा लोक सभा को इस बात की सिफारिश करती है कि लोक सभा, लोक सभा के दो सदस्यों के पोत परिवहन अभिकर्ता (अनुज्ञापन) विधेयक, 1987 संबंधी संयुक्त समिति में, सर्वश्री सत्येन्द्र नारायण सिंह और श्री पी० नामग्याल के त्याग-पत्र के कारण रिक्त हुए स्थानों पर दो सदस्य नियुक्त करने और इस प्रकार लोक सभा द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों के नामों की जानकारी संयुक्त समिति को दे।"

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 12 अक्तूबर, 1989 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 18 अगस्त, 1989 को अपनी बैठक में भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 1988 में लोक सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई है :

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1—

"उनतालीसवें" के स्थान पर "चालीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड 1

2. पैरा 1, पंक्ति 4—

"1988" के स्थान पर "1989" प्रतिस्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी-अभी श्री काबुली साहब ने यहां पर अनुशासनहीनता का प्रदर्शन किया है। श्री काबुली नेशनल कान्फ्रेंस से चुनकर आए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के अनुशासन के खिलाफ काम किया है।

अध्यक्ष महोदय : उनकी पार्टी का कोई आदमी कहेगा तो बात करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनहीनता की कार्यवाही करनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह अब उस दल के सदस्य नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे अब नेशनल कान्फ्रेंस के सदस्य नहीं हैं। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेते हैं। श्री नहंसी।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : टाइम नहीं है।

श्रीमती प्रभावती गुप्त : बहुत से माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं। यह आज की बर्निंग प्राब्लम है। बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : टाइम नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप क्या कर रही हैं ? मेरे पास समय नहीं है। यदि समय है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : ध्यानाकर्षण को नियम 193 के अधीन चर्चा में भी बदला जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि समय नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)*

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री महंती के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। श्री महंती, आप बोलिए।

11.30 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : मैं खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :

"आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती की बात के सिवाय कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री महंती, आप बोलिए ।

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : महोदया, कुछेक आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में मुझे भी उतनी ही चिन्ता है जितनी माननीय सदस्यों को है और मैं सदन को उन विभिन्न उपायों के बारे में अवगत कराना चाहूंगा जो मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए हैं । तथापि, मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि यद्यपि हाल ही के सप्ताहों में चीनी जैसी कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है लेकिन कुल मिलाकर स्थिति इतनी गंभीर नहीं है जितनी कि बताई जा रही है ।

माननीय सदस्य अवगत ही हैं कि अप्रैल अथवा मध्य मई से सितम्बर तक के कमी वाले मौसम के दौरान आवश्यक वस्तुओं के दामों में सामान्यतया मौसमी वृद्धि होती है । तथापि, अगस्त के मध्य अथवा सितम्बर से शुरू से मूल्यों में गिरावट आनी शुरू हो जाती है । 1989 में कुछ सप्ताहों तक मौसमी गिरावट आने में विलम्ब हुआ है और 23 सितम्बर, 1989 को समाप्त तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आयी है ।

आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक का विश्लेषण करने से विदित होता है कि यद्यपि अनाजों और दालों सहित खाद्यान्नों के सूचकांक 23 सितम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार एक वर्ष की अवधि की तुलना में 6.1 प्रतिशत ऊंचे थे, चीनी, खाण्डसारी और गुड़ के थोक मूल्य सूचकांक 20.7 प्रतिशत तक ऊंचे थे जबकि खाद्य तेलों का सूचकांक 6.8 प्रतिशत तक अधिक था । हाल ही के सप्ताहों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में देखी गई वृद्धि अंशतः मौसमी है और चीनी तथा चाय जैसी वस्तुओं के मूल्यों में अधिकतर वृद्धि कुछ हद तक उत्पादन में गिरावट होने के कारण हुई है ।

सरकार मूल्य स्थिति पर गहरी निगरानी रख रही है और उसने विशेषतया चावल, चीनी और खाद्य तेलों की आपूर्तियों में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए हैं । चीनी के मामले में सरकार ने 3.32 लाख मीटरी टन के सामान्य आवंटन के अलावा अक्तूबर के महीने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से त्यौहारों के लिए एक लाख मीटरी टन का अतिरिक्त कोटा निर्मुक्त किया है । मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे को भी बढ़ाकर 6 लाख मीटरी टन कर दिया गया था । अतः अक्तूबर, 1989 मास के लिए कुल निर्मुक्तियां 10.32 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गई । इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्मुक्तियों को सामान्य स्तर पर बनाए रखा है और मुक्त बिक्री की चीनी की निर्मुक्तियों को पिछले वर्षों को तदनुरूपी अवधि की तुलना में उच्चतर स्तर पर बनाए रखा है, लेकिन उत्पादन में गिरावट के समाचारों के बाद निस्संदेह कमी को मनोवृत्ति पैदा हुई है । यद्यपि प्रारम्भ में सरकार विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों की दृष्टि में चीनी का आयात करने से बचना चाहती थी, लेकिन विश्वास पैदा करने तथा अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 3 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय किया । चीनी मिलों ने सितम्बर के प्रथम सप्ताह में चीनी के निकासी मूल्य को बढ़ाकर 1000-1100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया । इसी की वजह से चीनी के खुदरा मूल्य में इतने अधिक ऊंचे स्तर तक वृद्धि हो गई । सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप, चीनी उद्योग ने चीनी के निकासी मूल्य को घटाकर 775 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया । माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि उस समय जब कमियों की मनोवृत्ति थी और मूल्य तेजी के साथ चढ़ रहे थे तब

सरकार के हस्तक्षेप से चीनी के मूल्यों में गिरावट आई और हमें विश्वास है कि यह प्रवृत्ति बनी रहेगी।

खाद्य तेलों के मामले में सरकार ने सूझबूझ के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने तथा आयातों को कम करने की नीति का अनुसरण किया। तेल वर्ष 1988-89 के दौरान कुल केवल 2.70 लाख मीटरी टन आयातित तेलों को आमद हुई जबकि वर्ष 1987-88 के दौरान 18.19 लाख मीटरी टन की आमद हुई थी। अतः सरकार ने किसानों के लिए लाभकारी और उपभोक्ताओं के लिए भी उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तिलहनों की एक समन्वित नीति की घोषणा की थी। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को बाजार दखल कार्रवाई का कार्य सौंपा गया था। वर्ष के अधिकांश भाग में मूंगफली के तेल के मूल्य सामान्यतया उपयुक्त स्तर पर स्थिर बने रहे और केवल हाल ही के सप्ताहों में इसके मूल्य चढ़ने शुरू हुए हैं। जैसे ही मूंगफली के तेल के मूल्यों में वृद्धि होनी शुरू हुई, तब एक लाख मीटरी टन पामोलीन का आयात किया गया और इसकी अधिकांश मात्रा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बेचा जा रहा है। खाद्य तेलों के मूल्यों को नीचे लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को भी बाजार दखल कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। गुजरात में मूंगफली की नई फसल की आमद शुरू हो जाने से मूंगफली के मूल्यों में नरमी आने के संकेत दिख रहे हैं। जहां तक सरसों के तेल का संबंध है, इसके मूल्य पिछले वर्ष के मूल्यों की तुलना में सामान्यतया कम रहे हैं।

गेहूं और चावल के मूल्यों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। 23-9-1989 को समाप्त वर्ष में चावल के थोक मूल्य केवल 5.5 प्रतिशत तक ही बढ़े। यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष साधारण किस्म के धान का समर्थन मूल्य 6.6 प्रतिशत बढ़ाया गया था, बढ़िया किस्मों के धान का समर्थन मूल्य 10.41 प्रतिशत तथा उत्तम किस्मों के धान का समर्थन मूल्य 14 प्रतिशत बढ़ाया गया था। गेहूं के मूल्य में 23-9-1989 तक पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि की तुलना में 0.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए चावल की समूची उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने 5 लाख मीठरी टन चावल का आयात करने का ठेका किया है।

दालों के बारे में सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन निजी व्यापारियों द्वारा आयात करने की अनुमति देना जारी रखा। नेफेड के पास 30-9-1989 तक लगभग 2.63 लाख मीटरी टन की मात्रा के ऐसे आयात दर्ज किए गए थे।

अतः यह देखा जाएगा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप और बाजार में शीघ्र ही खरीफ की भरपूर फसल की संभावित आमद की दृष्टि से मूल्यों में पहले ही गिरावट दिखाई पड़ने लगी है। सरकार को विश्वास है कि उसके द्वारा किए गए उपायों की दृष्टि में, न केवल आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होंगी बल्कि आगामी महीनों में इनके मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति को भी बनाए रखा जाएगा।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैंने मंत्री महोदय की बात ध्यानपूर्वक सुनी है। मैं अपना अन्तिम मुद्दा सबसे पहले उठाना चाहूंगा ताकि उन्हें मेरी बात का उत्तर देने का समय मिल जाए। चीनी मिल एसोसिएशन के साथ एक समझौता हुआ था कि वे सात रुपए पिचहत्तर पैसे प्रति किलो की दर से चीनी बेचेंगे। किंतु देश भर में चीनी 14 रुपए प्रति किलो से अधिक के हिसाब से बेची जा रही है।

इसके कारण आम आदमी को सैंकड़ों-करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप के पास वह राशि वसूल करने और आम आदमी को वापस देने भी कोई प्रणाली है ?

अपने वक्तव्य में आपने कहा है कि मूल्यों में वृद्धि सामयिक वृद्धि के कारण हुई है। मैं आपके सामने थोक मूल्य सूचकांक रखता हूं। यदि आप 1988 और 1989 के पहले 8 महीनों का थोक मूल्य सूचकांक देखें तो इसमें 5.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह सामयिक वृद्धि हुई है ? अब हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देखते हैं। यदि आप वर्ष 1988 और 1989 के प्रथम 5 महीने लें तो आप देखेंगे कि वृद्धि 7.4 प्रतिशत है। आप केवल यह कह कर मामला समाप्त नहीं कर सकते कि यह सामयिक वृद्धि है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि यद्यपि अकाल भी है, और भण्डार भी हैं, फिर भी सरकार ने आयात का सहारा लिया है, और इसके बावजूद मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। यह अर्थ व्यवस्था का अत्यन्त चिन्ताजनक तथ्य है।

11.37 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि सरकार को उचित वित्तीय नीति अपनानी है ताकि मूल्यों को नियंत्रित किया जाए और इसमें स्थिरता आए। इसने यह सलाह भी दी है कि प्रति वर्ष जो 11,000 करोड़ रुपए की घाटे की अर्थव्यवस्था है, उसको नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। रुपए का मूल्य प्रति वर्ष घटता जा रहा है। आज रुपये का मूल्य 11.93 पैसे है। अतः यह एक बहुत ही गंभीर बात है। इसे मात्र त्यौहारों का मौसम कह कर या ऐसा ही कुछ कह कर टाला नहीं जा सकता। इस बारे में हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह नौकरशाही दबाव, नौकरशाही हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कौन नहीं जानता कि चीनी खुले बाजार में 14 रुपए प्रति किलो बेची जा रही थी ? लेकिन, जब हमने इसे गंभीरतापूर्वक लिया और जब मामला प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया गया तभी प्रधानमंत्री ने इस संबंध में पहल की और आवश्यक कदम उठाए गए। जब संसद का अन्तिम सत्र समाप्त होने को था, तब मैंने स्वयं प्रधानमंत्री को इस बारे में बताया था। अतएव मेरा अनुरोध है कि जब नौकरशाही से उन बेईमान व्यापारियों को सहयोग मिल रहा है। जो घोटालों में लगे हुए हैं या जो लोगों का शोषण करके मुनाफा कमा रहे हैं, आप उससे कैसे इन्कार कर सकते हैं ?

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, आपने व्यापारियों के साथ करार किया, लेकिन राष्ट्र में चीनी कहीं भी नौ रुपये प्रति किलो नहीं बिक रही है। मैंने आपको पुरी से तार भेजा था जिसकी एक प्रति राज्य के आपूर्ति मंत्री को भी प्रेषित की गई थी। महोदय, आप जानते हैं कि पुरी में चीनी दस रुपए प्रति किलो बिक रही है। नागरिक पूर्ति विभाग ने भी मुझे बताया कि मद्रास से लेवी चीनी लाने की लागत उन्हें दस रुपए प्रति किलो पड़ेगी। अतः नौ रुपये प्रति किलो चीनी बेचना स्वप्न मात्र है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी कीमत चौदह रुपए से कम हुई है।

आपने त्यौहारों के कोटे के अन्तर्गत एक लाख टन चीनी भेजी है। लेकिन क्या उस चीनी के वितरण के लिए आपने कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं ? ग्रामीण लोगों को उनके वैधानिक अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। यदि आप सम्पूर्ण भारत के आंकडे लें तो आप पायेंगे कि त्यौहारों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति चीनी के वितरण का क्या अनुपात है।

अब मैं तेल क्षेत्र के बारे में कहूंगा। जहां तक तेल का सम्बन्ध है, बाजार में तेल उपलब्ध नहीं

है। इसमें से अधिकांश तेल काले बाजार में बेचा जा रहा है। इसे काले बाजार में जाने से रोकने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सतर्कता है लेकिन आप इसमें सुधार कर सकते हैं। निर्धन आदमी के जीवन के लिए यह बहुत आवश्यक है। मेरा निवेदन यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है और वितरण के स्तर पर भी कुछ खामियां हैं। दरअसल में लोगों को इससे वंचित किया गया है। अतः यह स्थिति है और इस विषय पर भी मैंने आपको तार दिया था।

अब मैं चावल के बारे में कहूंगा। आपका स्पष्टीकरण बहुत रोचक है। आपका कहना है कि वसूली मूल्य में वृद्धि हुई है। लेकिन बाजार मूल्य और वसूली मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कन्ट्रोल चावल का मूल्य 2.89 प्रति किलो था और बिना कन्ट्रोल का चावल 5 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा था। कन्ट्रोल मूल्य को 2.89 से बढ़ाकर 3 रुपए 35 पैसे कर दिया गया है। जबकि बिना कन्ट्रोल का चावल 5 रुपए से बढ़कर 5 रुपये 50 पैसे हो गया है। अतः आपके वसूली मूल्य और बाजार मूल्य में वृद्धि में कैसी समरूपता है? अतः यह तर्क आपके पक्ष में नहीं है।

अब मैं मूंगफली के तेल को लेता हूं। यह बाजार में 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है।

फिर, महोदय जहां तक मोटे चावल की स्थिति है यह बहुत खराब है। यह गरीबों का भोजन है। सुख राम जी कृपया उनकी मदद करने पर विचार कीजिए। आपकी पृष्ठभूमि भी साधारण आदमी की रही है और मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है कि आपको इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। उनका क्या होगा? प्रत्येक राजनैतिक दल और सरकार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और यह सुअवसर है और कुछ नौकरशाह और बेईमान व्यापारी इस स्थिति का पूरा लाभ उठायेंगे और लोगों का शोषण करेंगे।

अब मैं मिट्टी के तेल को लेता हूं। महोदय पुरी और कटक में सितंबर के माह में 15 दिन तक मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं था। महोदय, मैं देश के गरीब लोगों की वकालत कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि क्या आप समाज के ऊंचे तबके से ताल्लुक रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य लोग हैं, जो मेरी समस्या की वकालत कर सकते हैं।

श्री बृज मोहन महन्ती : यदि आप मेरा समर्थन नहीं करते तो मैं असहाय हूं। अतः महोदय, कटक और पुरी में सितम्बर माह में 15 दिन तक मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं था। इतने समय में तो विश्व बदल सकता है। दूसरी बात मैं मोटे चावल के बारे में करना चाहूंगा। आपने दिल्ली और उड़ीसा में घटिया चावल का वितरण किया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आप घटिया चावल भेज रहे हैं जो कि 3 रुपए 80 पैसे प्रति किलो पड़ता है। मैंने आपको निवेदन किया है कि आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उड़ीसा में मोटे चावल का वितरण करना चाहिए।

महोदय, भारत के बारे में सोचते वक्त हमें निर्धनतम व्यक्तियों के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने आस-पास के लोगों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें राष्ट्र के निर्धनतम लोगों के विषय में विचार करना चाहिए।

अब मैं राष्ट्र में उपभोक्ता आन्दोलन के विषय में बताऊंगा। राष्ट्र में आपका उपभोक्ता आन्दोलन बहुत ही कमजोर है और इसी कारण बेईमान व्यापारी इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि शुगर मिल्स एसोसियेशन ने चीनी का फैक्ट्री बाह्य मूल्य 775 रुपए प्रति

क्विंटल तय किया है। इसका आशय यह है कि खुदरा व्यापारियों को इसके मात्र 1.25 रुपए प्रति किलो ही बचते हैं। फिर परिवहन, भाड़ा खर्चे आदि खर्चे भी हैं। क्या आपने जांच की है कि क्या यह मुनाफा उनके लिए पर्याप्त है ? आपने 1 रुपए 25 पैसे प्रति किलो की अनुमति दी है और खुदरा व्यापारियों को मिलों से चीनी उठा कर उसे बाजार तक ले जाना होता है और उन्हें परिवहन तक खर्चे, भाड़ा खर्चे आदि भी उठाना पड़ता है। इसीलिए उन्हें 9 रुपए प्रति किलो बेचने पर हिचकिचाहट है। महोदय, मैं आपसे एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं, क्या आप हमें आश्वासन दे सकते हैं कि समूचे राष्ट्र में चीनी 9 रुपए प्रति किलो बेची जाएगी और पर्याप्त मात्रा में लोगों को चावल की सप्लाई की जाएगी ? एक विशेष कदम जो आपको उठाना चाहिए वह यह है कि आपको खाद्य तेल की सप्लाई बढ़ानी चाहिए। आपको काले बाजारियों और भ्रष्ट व्यापारियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सभी कालाबाजरियों को नजदीक के खंभे पर फांसी दे दी जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें फांसी की सजा दें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन्हें गिरफ्तार करें और उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।

महोदय, मेरा आखिरी मुद्दा यह है कि आप कृपया करके आयकर अधिकारियों को यह कहें कि जिन अधिकारियों ने लोगों का शोषण करके, भ्रष्ट तरीके अपनाकर धन इकट्ठा किया है वह धन उन्हें वापिस दिया जाना चाहिए। किसी भी तरह उन्हें धन वापिस मिलना चाहिए। महोदय, ऐसा होना चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, शुरूआत में ही मैं सरकार की आत्मसंतोष की प्रवृत्ति का सख्त विरोध करता हूं। महोदय यह हैरानी की बात है कि सरकार ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि कीमतों में वृद्धि हुई है साथ ही यह भी कहा गया है कि स्थिति विस्फोटक नहीं है। मुद्रास्फीति के दबाव में सरकार की आत्मतुष्टि का यह दृष्टिकोण है। सारी स्थिति को दो कारकों में बताया गया है (1) मौसमी उतार-चढ़ाव और (2) चीनी आदि के उत्पादन में कमी। महोदय, सबसे पहले तो इस दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है और इस दृष्टिकोण के बदले बगैर ज्यादा आशा नहीं की जा सकती। इस अजीब और चौंका देने वाली स्थिति को देखिए। वर्तमान मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में संपूर्ण सुधार के संदर्भ में है। स्थिति यह है कि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। 1988-89 में घरेलू उत्पादों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसी तरह हमने पाया कि संपूर्ण औद्योगिक विकास की दर की 8.8 प्रतिशत होने की आशा है जबकि 1987-88 में इसमें 7.3 प्रतिशत गिरावट हुई थी। इसी तरह कृषि में भी चहुंमुखी विकास हुआ है। इस संपूर्ण विकास के रहते हुए भी कीमतों में वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि हमारी प्रबंध व्यवस्था में खामियां हैं। इस सदन के सम्मुख मैं इस तथ्य से संबंधित ऐसे कितने उदाहरण रखूं कि प्रबंध में कमी के कारण ही ऐसी स्थिति बनी है। महोदय, चीनी की ही बात लीजिए। बजट के समय हम इस आशा में थे कि इस बार रिकार्ड उत्पादन होगा। हमें चीनी के निर्यात के बारे में बताया गया है लेकिन अब हम पाते हैं कि लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई थी यह कब पता चला कि लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई है ? मुझे विश्वास है यदि मैं गलत नहीं हूं तो मार्च, 1989 में ही यह स्पष्ट हो गया था कि जहां तक चीनी का प्रश्न है 10.2 मिलियन टन चीनी के लक्ष्य में 10 प्रतिशत की कमी थी। फिर भी सरकार को संतोष था और निर्यात की बातें की जाती रहीं। फिर भी उस समय विशेष में चीनी के आयात के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया जबकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें सबसे कम थीं। अतः यह स्थिति है। अतः मैं आरोप लगाता हूं कि कीमतों में वृद्धि सरकार द्वारा की गई है और यह वृद्धि प्रबंध व्यवस्था में कमी के कारण हुई है। चीनी का ही प्रश्न लीजिए।

सरकार को हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि चीनी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 517 डालर की दर से उस समय खरीदा गया है, जबकि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 460 डालर की दर से उपलब्ध है इसका इतनी बड़ी मात्रा में ज्यादा भुगतान का अर्थ क्या है ? यह कितने करोड़ों रुपये निकलता है ? क्या मैं कहूं कि कम से कम 25 करोड़ रुपए ? इस बारे में क्या सुझाव है ? इस सुझाव के बारे में हमें बताया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी यह कहा है कि आयात लागतों में यह वृद्धि मौजूदा मुद्रास्फीतीय प्रवृत्तियों के लिए भी उत्तरदायी है। निःसंदेह हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने इस स्थिति पर तत्काल ध्यान दिया। उन्होंने इस पर मंत्रियों तथा अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने उनकी खिंचाई की और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी नौकरशाही का कार्य कैसा रहा है ? मैं स्वयं एक तथ्य का साक्षी हूं जिसमें एक स्वतंत्रता सेनानी टेलीफोन पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त के कार्यालय से बात कर रहा था और उन्हें उन दुकानों की संख्या, तथा पते बता रहा था जिनके पास स्टाक था लेकिन उन्होंने इसे बेचने से मना कर दिया था तो क्या आप जानते हैं कि उसे टेलीफोन पर क्या उत्तर मिला ?

[हिन्दी]

"साहब बिजी हैं, साहब के पास बात करने की फुरसत नहीं है। फिर कभी बात करना।"

[अनुवाद]

मैं वहां पर मौजूद था और यह सब सुन रहा था। प्रधानमंत्री द्वारा अधिकारियों की खिंचाई करने के बावजूद हमारे यहां 'साहब' हैं और स्वतंत्रता सेनानी, अपनी आदत के मुताबिक, कह रहा था, "साहब भारत को 15 अगस्त, 1947 को छोड़ कर चले गए थे। यह 'साहब' कहां है ?" लेकिन स्थिति यही थी। इस प्रकार ऐसे आत्मसंतोष का रवैया अब भी है और नौकरशाही द्वारा सतर्कता बरतने की जरूरत है। सरकार को हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के लिए इतने अधिक मूल्य की अदायगी क्यों की गई है। फिर, चीनी और चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जाएगा। इसके लिए अनेक कारण हैं। सरकार इस संपूर्ण स्थिति को यह कह कर समाप्त न करे कि कुछ क्षेत्रों में उत्पादन की कमी थी। यदि ऐसा ही है तो आप प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं ? हमारी प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। इस संबंध में क्या किया जा रहा है ? सतर्कता तथा उचित निगरानी की आवश्यकता है और यहीं पर सारी कमी है। इसके अनेक कारण हैं, भाग और पूर्ति की स्थिति, धन के वितरण में अनियंत्रित विस्तार आयात की लागतों में वृद्धि, बढ़े हुए बजट प्रभार, बाह्य ऋण अदायगी में वृद्धि और ऐसे ही अनेक कारण हैं। आपकी आर्थिक नीति में इन सब की समीक्षा की जानी चाहिए।

मौजूदा स्थिति के लिए आपकी त्रुटिपूर्ण आर्थिक नीति उत्तरदायी है और मुझे आशा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मांग के मुताबिक भी सरकार अपनी आर्थिक नीति पर गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार करेगी।

महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा खर्च के मुद्दे पर गौर कीजिए। इनमें अत्यधिक वृद्धि हो रही है। शुद्धि के अध्यधीन, मैं कहता हूं कि 1988-89 के दौरान खर्च 8,602 करोड़ रुपए का हुआ। इस विशेष मुद्दे पर क्या किया जा रहा है ? इस संबंध में एक वक्तव्य में कहा गया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्थिति चिन्ताजनक नहीं है और यह केवल मौसमी वृद्धि है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने आपकी आर्थिक नीति के संबंध में आपको सावधान किया है। प्रश्न चावल की पर्याप्त उपलब्धता का

है। केरल में अधिक तर लोग चावल खाते हैं। इसलिए वहां पर चावल की पर्याप्त सप्लाई होनी चाहिए। अन्यथा हमें ऐसी स्थिति का ही सामना करना पड़ेगा। यह सच है कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली त्रुटिपूर्ण है और सप्लाई अनियमित है।

12.00 मध्याह्न

इस पर उचित ध्यान देने की जरूरत है। सरकार कहती है कि इसके लिए उपाय किए गए हैं। उदाहरण के लिए, वे चीनी के आयात की बात करते हैं। मैं इस आयात के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये उपाय सही समय पर किए जाएं। यह स्पष्ट था कि चीनी की कमी होगी। फिर भी सरकार की तरफ से आत्मसंतोष का रवैया अपनाया गया।

इसलिए मैं कहता हूं कि इन मुद्रास्फीतीय दबावों के कारण गरीब, साधारण आदमी, असंगठित श्रमिकों के जीवन स्तर में गिरावट आती है। इसलिए सारे मुद्दे को मामूली मानकर रद्द करने संबंधी संतुष्टि का यह रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए।

चीनी, खांडसारी गुड़ श्रेणी में अधिकतम वृद्धि हुई है अर्थात वर्ष के दौरान 28% तथा गत तीन माह में 17% वृद्धि हुई है। मैं अनुरोध करता हूं कि यहां पर उठाए गए इन विभिन्न मुद्दों पर सरकार उचित स्पष्टीकरण दे। सरकार को एक उचित निगरानी प्रणाली भी कायम करनी चाहिए जो मूल्यों के संदर्भ में एक सतत निगरानी प्रणाली हो। अन्यथा ऐसी स्थिति तो आदमी द्वारा तथा सरकार द्वारा उत्पन्न की गई है, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी तरह काम कर रही है।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि चिन्ता का विषय है। इस बात को केंद्रीय सरकार भी मानती है कि यह चिन्ता का विषय है। मैं समझता हूं कि सरकार ने समय पर कदम नहीं उठाए चीनी के इम्पोर्ट करने के बारे में और उसके कारण यह स्थिति पैदा हुई। यह बतलाया जाता है, जैसा कि जवाब दिया गया है, कि एक रयूमर फैला दी गई, कुछ लाभ उठाने वाली शक्तियों ने और उन्होंने यह रयूमर फैलाई कि चीनी की कमी है चीनी की कमी की इस रयूमर से यह प्रभाव पड़ा और उससे कीमतों में वृद्धि हो गई। आपके अनुसार यह रयूमर गलत है, तो मैं जानना चाहता हूं, आपको चीनी इम्पोर्ट करने की क्या आवश्यकता थी? आप इस रयूमर के कारण तीन लाख टन चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह रयूमर नहीं हैं, जो फैला दी गई, वास्तव में चीनी की कमी थी। इसका असर पड़ा और चीनी की कीमतों में वृद्धि हुई।

दूसरी बात यह है कि शुगर फैक्ट्रीज ने एक्स फैक्ट्री प्राइस बढ़ा दी और एक हजार रुपए तक बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्यों नहीं केंद्रीय सरकार ने इस पर नियन्त्रण रखा। शुगर फैक्ट्रीज में अभी जो कीमतें निर्धारित की गई हैं वह 7 रुपये 75 पैं० हैं, तीन-चार महीने पहले यह पांच रुपए और साढ़े 5 रुपए प्रति किलो का भाव था। मैं यह कहना चाहता हूं कि शुगर मिल्स से जो कांट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, वह 7.75 क्यों हुआ। इससे कम क्यों नहीं हुआ। इस बारे में आपसे जानकारी चाहता हूं। कहने का अर्थ यह है कि न तो न्यूराक्रेसी पर नियन्त्रण है और शुगर मिल्स भाव बढ़ा देती हैं, उन पर किसी भी तरीके से नियन्त्रण नहीं है। यह आपकी बात समझ में आती यदि किसानों को इससे लाभ होता, हमारे देश में 75 प्रतिशत किसान हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं। अगर लाभ मिला है तो शुगर मिल्स को मिला है, होर्डर्स को मिला है और जनता को इससे नुकसान हुआ है। इस स्थिति के बारे में सरकार

एक्सप्लेन करे, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रधान मंत्री जी ने स्थिति को संभाला और अधिकारियों से बातचीत की। आपने 10.32 लाख टन रिलीज किया है; इसका प्रभाव भी पड़ा है, कीमतों में कमी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह कमी 7 रुपए तक लाई जानी चाहिए, क्योंकि पहले साढ़े 5 रुपए थी, तो अब 7 रुपए किलो तो हो ही जानी चाहिए, इससे अधिक इसकी कीमत नहीं रहने देनी चाहिए। इसकी कीमत 9 रुपए रहने पर हमें संतोष नहीं हो सकता, इसको कम करने का प्रयास करना बहुत आवश्यक है, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तीन लाख टन इंपोर्ट भी किया जा रहा है जो 20 अक्तूबर तक यहां पहुंच जाएगा, इसके अलावा भी जो भी आवश्यक कार्यवाही हो वह की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कीमतों में वृद्धि क्यों हुई है, इसको भी देखना चाहिए। चाय की कीमत में 75 परसेंट वृद्धि हुई है। जैसा कि बताया गया कि 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है, 75 परसेंट कीमतों में वृद्धि हुई है, अभी कीमतों में कुछ कमी भी हुई है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं जैसा कि स्पष्ट है कि इसका प्रोडक्शन कम हुआ है, आपके जबाव में यह स्पष्ट है, इसके बारे में यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि चाय का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और अभी जो एग्रीमेंट किए हुए हैं, उनको भी कैंसिल करने की कोशिश करनी चाहिए और इस तरह का अटमासफियर पैदा करें ताकि हमारे देश में चाय की कमी न होने पाए, इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जी० डी० पी० 10 परसेंट राइस हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 25 परसेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 8.6 परसेंट राइस हुआ। 1987-88 में 10.6 परसेंट की वृद्धि हुई थी, उस वक्त अकाल की परिस्थिति थी, उस वजह से कीमतों में वृद्धि हुई थी, लेकिन अब जो 8.6 परसेंट की वृद्धि हो रही है, इसका क्या कारण है, अब तो अकाल नहीं है। सिर्फ यह कहना कि यह सीजनल राइस है, तो इस सीजनल राइस पर भी नियंत्रण क्यों नहीं किया जाता। किसानों को इससे बड़ा दुख होता है कि जब वे अपना उत्पादन बाजार में बेचने जाता है तो उसको उसकी कीमत कम मिलती और जब उन्हीं चीजों को वह बाजार से खरीदने जाता है तो उसकी कीमत उसको बहुत अधिक देनी पड़ती है। 10 से 30 परसेंट तक सीजनल राइस है, इस पर अवश्य नियंत्रण किया जाना चाहिए। इस प्रकार की पालिसी अडाप्ट की जानी चाहिए जिससे सीजनल राइस को रोका जा सके।

इन्फ्लेशन के साथ-साथ रुपए की कीमत में भी कमी हो रही है। अब रुपए कीमत मात्र 11 पैसे रह गई है, यह भी चिंता का विषय है। इस संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैंने जो प्रश्न उठाए हैं, उनका जवाब मै माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं। इन कीमतों पर नियंत्रण किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए। अगर किसी चीज की कमी है तो उस कमी को जल्दी दूर किया जाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और मजबूत किया जाए।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर जो चिंता व्यक्त की है, मैं भी अपने आपको उससे संबद्ध करता हूं। मैं समझता हूं कि सिविल सप्लाई विभाग की जनता का मित्र होना चाहिए, आज अपने आपको जनता का शत्रु साबित कर रहा है। आम आदमी को चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुएं बहुत अधिक कीमतों पर मिल रही हैं, जिससे वह पीड़ित है। इतना पीड़ित वह पहले कभी नहीं रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने बयान में कहा है कि एक प्रकार का भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैल गई कि चीनी की कमी हुई है, स्टाक कम हो गया है, इसके कारण बाजार मूल्यों में वृद्धि हुई। यह स्थिति कोई एक दिन में तो नहीं बन गई, इसको बनाने में भी 6-7 महीने लगे होंगे। 6-7 महीने से शासन स्तर पर इस मामले में विचार-विमर्श चल रहा था। यह निर्णय लिया गया था कि चीनी को इम्पोर्ट करके स्टाक पोजीशन करके स्टाक पोजीशन को सुधारा जाए ताकि बाजार में अचानक मूल्य वृद्धि न हो। जब 6-7 महीने से विचार-विमर्श चल रहा था तो इतना समय कैसे व्यतीत हुआ। केवल नेगोशिएशन में ही 6-7 महीने लग गए। जैसा कि माननीय सदस्य श्री बनातवाला साहब ने कहा उसका परिणाम यह रहा कि देश को अनावश्यक रूप से करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ। न केवल देश को नुकसान हुआ बल्कि सामान्य व्यक्ति को भी इन दो महीनों के अन्दर अनावश्यक रूप से बढ़ी हुई दरों पर चीनी खरीदनी पड़ी है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है। यदि हम यह कह दें कि चीनी के मूल्य घटा दिए हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं है। उ० प्र० सरकार ने कहा कि हम साढ़े आठ रुपए का भाव कर देंगे। यदि उस स्तर पर भाव ले आते हैं तो तब भी देश की जनता को संतुष्टि करने वाला जवाब देना होगा कि जब इस बात को एंटीसिपेट कर लिया था कि चीनी के दामों में वृद्धि हो सकती है, उसके लिए बातचीत शुरू कर दी है तो आवश्यक रूप से विलम्ब क्यों हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदारी व्यक्ति को पकड़कर लोगों के सामने नहीं लाएंगे तो यकीन मानिए लोग इस बात को भूलने वाले नहीं हैं, सामान्य गांव का व्यक्ति भी भूलने वाला नहीं है। पिछड़े साढ़े चार वर्षों में विपक्ष के द्वारा कुछ भी कहा गया हो, लेकिन सामान्य व्यक्ति कांग्रेस के साथ था। लेकिन आज सामान्य व्यक्ति चीनी, चाय, पाटा, दाल और चावल के दामों में वृद्धि के कारण तिलमिला रहा है। कहीं पर कोई नियन्त्रण नहीं है। माननीय प्रधानमन्त्री जी की पहल के बाद चीनी इम्पोर्ट की और इम्पोर्ट करने के बाद मार्किट में उसकी उपलब्धता बढ़ाई गई। चीनी के जितने उत्पादक हैं उनसे बातचीत करके उपलब्धता बढ़ाने की चेष्टा की गई और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टीम लाइन करने की चेष्टा की गई। इसके लिए माननीय प्रधानमन्त्री जी व मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। चीनी की जमाखोरी विक्रेताओं द्वारा की जा रही है, लेकिन मैंने किसी भी अखबार में यह नहीं पढ़ा कि किसी जमाखोर को पकड़ा गया हो। ऐसा लगता है कि जमाखोरी के खिलाफ अभियान चलाना सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री ने अपना दायित्व नहीं समझा। वे समझते हैं कि यह उनका मामला नहीं है। दिल्ली में हो या दिल्ली के बाहर सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री को जहां भी इस मामले को देखना चाहिए था वहां ऐसा लगता है कि जमाखोरों के साथ किसी न किसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी सांठ-गांठ कर रही है जिससे सामान्य व्यक्ति को लाभ न पहुंचे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 18 रुपए किलो तक चीनी पहुंच गई थी और चाय के दामों में 75 से 80 परसेन्ट तक वृद्धि हो गई। जो चाय दुकानों पर सामान्य व्यक्ति पीता है वह दो रुपए में मिल रही है। आटा इतना रद्दी मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गेहूं का आटा है या किसी और चीज का आटा है। फंगस लगा हुआ चावल मिल रहा है, तेल के दामों में भी वृद्धि हुई है। जहां वृद्धि हुई है वहां उपलब्धता कम है। इसी प्रकार दाल के दामों में भी वृद्धि हो गई है। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि अब भी समय है दृढ़ता के साथ कदम उठाइए। आपकी मिनिस्ट्री में या राज्यों की मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं चाहे वह कितना ही वरिष्ठ अधिकारी क्यों न हो जिसकी लापरवाही के कारण, जिन लोगों की सांठगांठ के कारण सामान्य लोगों को यह पीड़ा झेलनी पड़ी है, उसे दण्डित कीजिए। यदि आप दण्डित नहीं करेंगे और मूल्य स्थिर नहीं करेंगे तो इसके परिणाम खराब होंगे मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जैसा जैन साहब ने कहा, इसके दामों को घटाकर साढ़े सात

रुपए तक लायें। मैं कहता हूं माफी मांगने का एक ही तरीका है, कोई स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं है। जो भूल और पाप हमसे हुआ है उसको लोग भूलें इसके लिए चीनी जिस दाम पर आज से ढाई-तीन महीने पहले मिल रही थी, उसी दाम पर आप वापस लायें। देश के लोगों को बतायें कि जिन लोगों की साठ-गांठ से यह हो रहा है जो मुनाफाखोरी हुई है, जो अनावश्यक रूप से इसकी बाजार में कमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको दण्डित करने की आप में ताकत है, इतना ही मुझे आप से निवेदन करना है।

[अनुवाद]

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : मैं केवल कुछ मिनट लूंगी। चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल तथा खाद्यान्नों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि से न सिर्फ कठिनाई उत्पन्न हुई है बल्कि इसने डर भी उत्पन्न किया है। मैं देखती हूं कि चीनी के मूल्यों को थोड़ा कम गया था लेकिन अभी भी मूल्य बहुत अधिक हैं। मैं माननीय मन्त्री से कुछ बातें जानना चाहूंगी जो मैंने लिख रखी हैं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह इन मुद्दों पर प्रकाश डालें।

हम सभी जानते हैं कि सरकार ने एक मूल्य निगरानी समिति की घोषणा की थी। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस समिति ने कभी भी कार्य किया है? यदि हां, तो इस समिति की कितनी बैठकें हुईं और इस समिति द्वारा क्या कार्यवाही शुरू की गई? क्या इसने चीनी से मूल्यों में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया था क्योंकि यह पता था कि पिछले मौसम में चीनी के उत्पादन में 10 लाख टन या इससे भी अधिक की कमी हुई थी।

क्या सरकार यह जानती है कि गन्ने को अन्य क्षेत्रों जैसे खांडसारी विनिर्माताओं, गुड़ तथा अवैध आसवन में उपयोग करने के लिए बड़े स्तर पर भेजा जा रहा है? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए? क्या पिछले मौसम में चीनी उत्पाद में कमी मुख्यतः इस विपथन के कारण हुई थी? इस संबंध में क्या अभियोजन कार्यवाही की गई और इस विपथन को रोकने के लिए क्या किया गया?

क्या सप्लाई के प्रबन्ध के लिए कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो यह योजना क्या है? सरकार को यह जान लेना चाहिए था कि अनेक संगठित श्रेणियों के वेतनों में वृद्धि से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने और अर्थव्यवस्था में अधिक द्रवता आने से मांग में वृद्धि होगी। इसे देखते हुए एक सप्लाई प्रबन्ध सम्बन्धी योजना बनाना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह इस पर प्रकाश डालें।

क्या सरकार आयातित चीनी के आने से यह सुनिश्चित करेगी कि इसका वितरण देश में उचित तरीके से हो? अनेक राज्य इस कारण अत्यधिक प्रभावित हैं और इनमें से कुछ में स्टाक की कमी के कारण ही चीनी के मूल्यों में और भी अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। दिल्ली में भी सुपर बाजार सहित अनेक दुकानों पर स्टाक की कमी है और उचित मूल्य की दुकान वाले कह रहे हैं कि उनके पास राशन के मूल्य पर बेचने के लिए चीनी नहीं है। यह देखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि ये दुकानें उन्हें मिली सारी चीनी बेच रही हैं या कुछ स्टॉक का विपथन किया जा रहा है।

एफ० आई० सी० सी० आई० जैसे निजी क्षेत्र के संगठनों ने इन मूल्यों को स्थिर रखने का वायदा किया है। क्या सरकार ने इस बारे में उनसे बातें शुरू कर दी है और यह भी कि जमाखोरी रोकने को सुनिश्चित करने के लिए इनके संगठन का कैसे उपयोग किया जाए?

मैं कहती हूं कि 1987 में सूखा वर्ष में मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। फिर क्या हुआ कि यह सख्त नियन्त्रण अच्छी फसल वाले वर्ष में ढ़ीला पड़ गया और मूल्य अनियन्त्रित हो गए ? इस मुद्दे पर कुछ आत्मविश्लेषण होना चाहिए और हमें इस आत्मविश्लेषण का परिणाम पता होना चाहिए।

अन्त में, मैं कहूंगी कि रुपये की विनिमय दर में गिरावट पर भी कुछ गौर किया जाना चाहिए। जनवरी, 1988 में रुपये-डालर की दर 13.02 रुपये प्रति डालर थी। सितम्बर, 1989 में डालर में गिरावट के सन्दर्भ में यह दर 16.77 प्रति डालर है। इससे हमारा निर्यात-आयात व्यापार अव्यवस्थित हो जाता है और इसके फलस्वरूप हमारे मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है विशेषकर तब जबकि अनेक आयातित वस्तुएं, घटक, तथा पूंजीगत वस्तुएं हमारे उत्पादन की लागत को प्रभावित करती हैं। मैं जानना चाहती हूं कि वित्त मन्त्री इस बारे में क्या कहते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुख राम : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, अपनी चिन्ता जाहिर की और साथ-साथ अपने विचार भी इस सदन में रखे। मैं समझता हूं कि उन सब बातों का एक्सप्लेनेशन दूं, उनका समाधान करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने अपने स्टेटमैंट में कहा, जहां तक विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी का सवाल है, हम स्वयं चिन्तित हैं और खास तौर से चीनी की कीमतों में हुई वृद्धि से हमें विशेष चिन्ता है। स्टेटमैंट में मैंने वजह भी बतायी है कि उत्पादन में थोड़ी कमी आयी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार केन प्रोडक्शन का जो एस्टीमेट था, उसके आधार पर इस वर्ष तकरीबन 96 लाख टन चीनी उत्पादन का हमने अनुमान लगाया था, जबकि शुगर इंडस्ट्रीज का अनुमान इस वर्ष 102 लाख टन चीनी उत्पादन का था, परन्तु जब हमें मार्च और अप्रैल में मालूम हुआ कि प्रोडक्शन गिरने लगा है तो हमने उन स्टेट्स में अपनी टीमें भेजीं, जहां गन्ना पैदा होता है। उन टीमों को यह कार्य सौंपा गया कि वे उन राज्यों में जाकर यह मालूम करें कि उत्पादन में गिरावट आने का क्या कारण है, पहले गन्ने के उत्पादन का जो अनुमान था, उसमें कमी आने के क्या कारण है। उसके आधार पर हमें मालूम हुआ कि एक तो अरली फ्लावरिंग हुई और यू० पी० में खास तौर से गन्ने का डाइवर्जन खड सारी और गुड़ के लिए काफी हुआ और रिकवरी भी काफी कम हुई। अंत में, मई और जून में हमें यह भी मालूम हुआ कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन अनुमान से कम होगा। पहले हमारा एस्टीमेट था कि देश में इस वर्ष 96 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा परन्तु वह केवल 88 लाख टन ही हुआ। मगर इस 88 लाख टन के अतिरिक्त हमारे पास 23 हजार टन चीनी का पहले से ओपनिंग स्टाक मौजूद था, एफ० सी० आई० के पास पहले से इतनी चीनी उपलब्ध थी और यदि कुल मिलाकर सिचुएशन देखी जाए तो हमारे पास इतनी चीनी मौजूद थी कि हम अपने ही साधनों से देश की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते थे और पिछले साल की तुलना में इस वर्ष हमने 5 लाख टन ज्यादा चीनी फी-सेल मार्केट में बेचने के लिए दी। इतना ही नहीं, जैसे ही हमें प्राइस राइस की ट्रेंड का ज्ञान हुआ कि चीनी के मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो हमने जो भी मुनासिब कदम उठाए जा सकते थे, वे कदम उठाए, 5 लाख टन से ज्यादा, हायर मंथली एलोकेशन भी किया और उसके साथ-साथ वीकली रैस्ट्रिक्शन्स भी लगा दी कि चीनी मिलों को एक हफ्ते में 20 प्रतिशत चीनी रिलीज करनी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो उसको हम सीज करेंगे, उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन होगा। एक लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों

में प्रत्येक डीलर के पास 500 क्विंटल तक चीनी रखने की पहले स्टाक लिमिट थी, और एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में यह स्टाक लिमिट 250 क्विंटल थी, अब हमने उस स्टाक की सीमा को भी घटाकर 500 क्विंटल से 250 क्विंटल कर दिया और 250 क्विंटल से घटाकर 125 क्विंटल कर दिया। खाण्डसारी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी हमने यह लाजिमी कर दिया कि उन्हें 25 प्रतिशत ओपनिंग स्टॉक इन द मन्थ ऑफ मई, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, ऐसा हमने उनके लिए कायदा बांध दिया। उन्हें हर हालत में अपना स्टॉक इस तरह से डिस्पोज ऑफ करना ही होगा। उसी तरह से हमने गुड़ के बारे में भी रैगुलेशन जारी किया।

[अनुवाद]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : आपने कितनी चीनी निर्यात की है ?

श्री सुख राम : हमने केवल 35,000 टन चीनी निर्यात की है। यह काम संविदागत दायित्व के अधीन किया गया था। यह सच है कि प्रारम्भिक स्तर पर यह सिफारिश की गई थी कि हमें लगभग 3 लाख तक का इसका निर्यात करना चाहिए।

श्री अजीज कुरेशी : कृपया आप हमें यह भी बताइये कि आपने किस मूल पर चीनी निर्यात की थी और अब किस मूल्य पर चीनी आयात की है।

श्री सुख राम : इस समय मेरे पास सही मूल्यों के आंकड़े नहीं हैं लेकिन यह निश्चय ही यहां चीनी की उत्पादन लागत से अधिक है ···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सही आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और उन्हें माननीय सदस्य को दीजिए।

श्री सुख राम : मैं उसकी जानकारी दे दूंगा।

[हिन्दी]

उसके साथ-साथ हमें चीनी की स्मग्लिंग के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट्स प्राप्त हुई कि बंगला देश और नेपाल में चीनी स्मगल की जा रही है। मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार और वैस्ट बंगाल के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे एक नहीं दो-तीन दफा लिखे, होम मिनिस्टर्स को भी पत्र लिखे और खुद जाकर भी मिला। इसके फलस्वरूप बिहार में तकरीबन एक हजार क्विंटल चीनी पकड़ी गयी जो स्मगल हो रही थी। मेरे पास बाकी प्रदेशों के संबंध में इन्फार्मेशन उपलब्ध नहीं है मगर जब हमने ये कदम उठाए स्टेट गवर्नमैंट्स को लिखा कि वे अपने यहां इंटैसिव डिहोर्डिंग ड्राइव चलायें जिससे कि वहां जितना होर्डिड स्टॉक है, वह बाहर जा सकें, इसके अलावा सितम्बर तक हमने 2808 स्थानों पर रेड्स कीं, 3027 लाइसेंसधारियों को चैक किया और जांच के उपरान्त 77 लाइसेंस कैंसिल हुए, तीन अरैस्ट्स की गयीं और 35 केसेज रजिस्टर हुए। इन रेड्स में 10,370 क्विंटल चीनी सीज हुई। इतना ही नहीं, हमने देश भर में सभी स्टेट गवर्नमैंट्स को लिखा, उन्होंने अपने स्टेट्स में रेड्स कंडक्ट किए परन्तु जैसा आपने कहा कि प्रेस में कुछ नहीं आया लेकिन मैंने एक दफा नहीं, कई दफा कहा था। जब मैंने देखा कि हमारे इतने इफैक्टिव स्टेप्स लेने के बावजूद चीनी की कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं, जैसा मैंने आप से कहा, इसकी एक वजह तो यह थी कि हमारे देश के कुछ विरोधी दलों के नेता, वेस्टेड इंटरैस्ट्स, जो इंडस्ट्री में हैं, ट्रेड में हैं, उन सब ने मिलकर यह एक साजिश की जिसकी वजह से चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगीं, उन्होंने ऐसे इलेक्शन ईश्यू बनाना चाहा और कांग्रेस सरकार को इस ईश्यू पर बदनाम करने की कोशिश की।

श्री जी० एम० बनातवाला : देश में सारी बातें होती रहीं, वे लोग साजिश करते रहे लेकिन आप क्या सो रहे थे, आपने साजिश को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। सारी बातों को इस तरह से मत खत्म कर दीजिए, यह एक सीरियस सिचुएशन है। (व्यवधान)

] شری جی۔ ایم بنات والا (پوناتی) : دیش میں ساری باتیں ہوتی رہیں وہ لوگ سازش کرتے رہے لیکن آپ کیا سو رہے تھے آپ نے سازش کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ ساری باتوں کو اس طرح سے مت ختم کر دیجئے یہ ایک سیریس سچوئیشن ہے ...... (انٹرپشن) .....[

श्री सुख राम : आपकी बात मैंने सुन ली, अब आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री हरीश रावत : सुख राम जी, ऐसा कहने से कि वे साजिश कर रहे थे, हमारी कमजोरी जाहिर होती है। यदि वे साजिश कर रहे थे, तो मैं यह कहूंगा कि क्या उस साजिश का मुकाबला हमने किया ?

श्री जी० एम० बनातवाला : सुख राम जी, हम दुखी हैं। आपके ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आप यों ही सारी बात को खत्म मत कीजिए।

श्री सुख राम : उन्होंने ऐसा काम किया जिससे से ऐसा आभास मिलता था कि अक्तूबर के महीने में चीनी उपलब्ध नहीं होगी, अगर होगी, तो 15-20 रुपए किलो तक जाएगी और होर्डिन्ग टेंडेंसी शुरू हो गई। मैंने 10 या 12 सितम्बर को ट्रेड और इंडस्ट्री को बुलाकर उनसे बात की। उस वक्त इंडस्ट्रीज की एक्स फैक्ट्री प्राइस 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल चल रही थी। मैंने उनसे कहा कि उसको कम करना है। इसमें चूंकि एक तो लेवी शुगर है, वह कंट्रोल्ड प्राइस पर है और दूसरी फ्री सेल शुगर है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मगर हमारा कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन पर है। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे और चीनी की कीमतें कम नहीं करेंगे, तो हम बाजार में ज्यादा चीनी रिलीज कर के इस कीमत को कम करने की कोशिश करेंगे। मगर चूंकि उस समय चीनी आसमान को छू रही थी और 13 रुपए किलो बिक रही थी, हांलांकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उस समय भी 12 रुपए किलो चीनी बिक रही थी, पर मैं भी चूंकि जनता का प्रतिनिधि हूं इसलिए मैं जानता हूं कि कहीं-कहीं चीनी 13-14 रुपए किलो तक चली गई थी। इस मौके पर इंडस्ट्री वॉलंटेरिली कीमत कम करने पर राजी हो गई और उस पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। उस वक्त के मौजूदा रेट से 300 रुपए प्रति क्विंटल कम करके 775 रु० तक कम करने की बात हुई और यह तय हुआ कि इससे ज्यादा पर चीनी नहीं बेचेंगे। मैं इस बात को स्वयं इस माननीय सदन में कहता हूं कि मैं इस पर संतुष्ट नहीं हूं। मैं इस 775 प्रति क्विंटल देने पर संतुष्ट नहीं हूं। मैं इस माननीय सदन में एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो चीनी की इकनौमी है, इसको मैनेज करना एक बड़ा डेलीकेट मैनेजमेंट है। यह ठीक है और लोग ऐसी बात कह सकते हैं कि कहीं किसी के डण्डा मारो कहीं कुछ करो, यह हो सकता है। मगर एक तरफ आपको ग्रोअर्स को, जो गन्ना पैदा कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव प्राइस देनी है, जैसे महाराष्ट्र में 35 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम दिया जा रहा है, हरियाणा में 33 से 35 रु० प्रति क्विंटल तक गन्ने का दाम दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में आज कहीं भी 33 रु० प्रति क्विंटल से कम कीमत गन्ने की नहीं दी जा रही है। एक तरफ आपको उत्पादक को भी ठीक पैसा देना है, दूसरी तरफ कंज़ूमर को ठीक रेट पर चीनी उपलब्ध करवानी है और तीसरी तरफ यह भी देखना है कि मिलें सिक न हो जाएं। जब तक आप इन तीनों में समन्वय नहीं बैठाएंगे तब तक आप इस चीनी की इकनौमी को ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसमें दूसरी

एक चीज यह भी काम करती है कि चीनी की खपत कितनी है। हमारे देश में पिछले वर्ष चीनी की खपत 93 लाख टन थी और इस वर्ष यह खपत बढ़कर 99 लाख हो गई है। इस प्रकार से आपको ज्ञात हो गया होगा कि हमारे देश में चीनी की खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिस तेजी से खपत बढ़ रही है, उसी तेजी से हमको उत्पादन भी बढ़ाना है। जब तक हम इनमें बैलेंस नहीं रखेंगे तब तक इसमें हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : इस बैलेंस को रखने के लिए हमने आपसे कब मना किया है। क्या आपने इस बैलेंस को मैनटेन किया है ?

श्री सुख राम : इसमें एक बात आप और समझ लीजिए जहां तक कास्टिंग की बात है, उसको सी० ए० सी० पी० और बी० आई० सी० पी० देखती है। मगर जहां तक लेवी का पार्ट है, चीनी 45 प्रतिशत लेवी में बेची जाती है। लेवी के लिए हम स्टेट्यूटरी मिनिमम प्राइसेस निर्धारित करते हैं। उसके आधार पर लेवी का रेट 5 रु० 25 पैसे है। अब इस लेवी की कीमत को, जो उत्पादन करने वाला है, जो इंडस्ट्री है, उसको ी सेल पूरा करती है। अगर फ्री सेल की कीमत भी आप इस हद तक कम कर देंगे, हम कम कर सकते हैं, रिलीज ज्यादा कर सकते हैं, कम हो जाएगी मगर मिलें सिक हो जाएंगी। यह भी देखने वाली बात है, इसको भी हम इगनोर नहीं कर सकते।

श्री हरीश रावत : छः महीने बाद डिस्कस कर लेंगे।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को अनुमति नहीं दे सकता। केवल उन्हीं सदस्यों को अनुमति दी जायेगी जो सूची में हैं। मंत्री जी, आप उनकी बात मत सुनिए। आप अपना उत्तर जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री सुख राम : मैंने आपसे कहा कि एक तरफ लेवी की कीमत है, एक तरफ फ्री सेल की कीमत है। फ्री सेल की कीमत को हम कन्ट्रोल कर सकते हैं रिलीजेज के मकैनिज्म के जरिए और वह मकैनिज्म हमने अब इस वर्ष भी ऐडाप्ट किया है। उसमें मैंने कहा कि पांच लाख टन चीनी पिछले वर्ष से हमने ज्यादा रिलीज की जिसकी वजह से हमने कीमत को डिप्रैस रखा। एक तो मैंने कहा कि जो शार्टेज साइकोसिस है वह चीनी का स्टाक नहीं है। अक्तूबर, में वे चीनी नहीं दे सकेंगे। इसलिए कीमतें बढ़ी हैं और जब मैंने ट्रेड से बात की, ट्रेड से यह नहीं कहा कि 775 आखिरी कीमत होगी। मगर क्योंकि अब वह वौलंट्री ऐग्री करने वाली बात थी और मैं इस सामान्य सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में चीनी की कीमत कम होगी। आज नौ रुपए से दस रुपए तक है। मैं आधा दर्जन स्टेट में गया जहां चीनी का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में, वैस्ट बंगाल में, आंध्र में, तमिलनाडु में और सभी स्टेटों में गया। वहां पर सरकार से, चीनी मालिकों से, ट्रेडर्स और सभी से बात करके वहां जो आंन दो स्पाट डिसीजन लेते थे, जिसकी वजह से रुकावटें आ रही थीं, ऐवेले-विलिटी नहीं थी, मैंने फस्ट हैंड इनफार्मेशन इम्पोर्ट के बारे में ली। आज जैसे महाराष्ट्र है, वहां पर चीनी नौ रुपए उपलब्ध है। मगर इसको हम कम लाएंगे। आज नौ से साढ़े नौ तक चीनी है मगर

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरी कोशिश है कि आठ और नौ के दरम्यान आए और मैं इसको लाऊंगा। देश की परिस्थिति को देखते हुए हम नहीं चाहते थे कि चीनी इम्पोर्ट करें। पिछले साल भी हमने चीनी इम्पोर्ट नहीं की। आपका फारेन एक्सचेंज कन्सर्टेंट है उस वजह से भी चीनी इम्पोर्ट नहीं की। मगर एक सैंटीमेंट क्रिएट किया कि जब तक इम्पोर्ट नहीं होगा कीमतें थमेंगी नहीं। अब जैसे बनातवाला जी ने कहा है और एक-दो माननीय सदस्यों ने भी कहा कि आपने टाइम पर इम्पोर्ट नहीं किया। मैं मानता हूं इस बात को कि हमने टाइम पर इम्पोर्ट नहीं किया।

श्री जी० एम० बनातवाला : किस कीमत पर ?

श्री सुख राम : मैं बता रहा हूं अगर आप पेशैंस रखें। हमने भले ही लेट इम्पोर्ट किया। हम नहीं चाहते थे, मगर जब हमने देखा कि इसको कन्ट्रोल करने के लिए, मार्केट के सैन्टीमैंट्स को सैटिसफाई करने के लिए इम्पोर्ट जरूरी है, हमने इम्पोर्ट का डिसीजन लिया। इस बात को मैं मानता हूं कि डिसीजन लेट लिया। मगर मैं एक बात और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऐसैन्शियल कमोडिटीज की इन्टरनैशल मार्किट है, हाइली सैनसिटिव है। वह इस बात पर निर्भर करती है कि खरीददार इन्टरनैशनल मार्केट में कौन है ? रशिया है, चीन है, जो सबसे बड़े पापुलेशन के देश हैं, वे इन्टरनैशनल मार्केट में जाते हैं, भले ही दो महीने पहले 350 डालर चीनी इन्टरनैशनल मार्केट में थी। सरकार जब इंटरनेशनल मार्केट में जाती है, हम नहीं बताते कि इतनी चीनी खरीदनी है, मगर इंटरनेशनल मार्केट की इन्टेलीजैंस से मालूम होता है कि इंडिया, चाइना, रशिया लाखों टन में खरीदता है, मिलियन टनों में खरीदता है। इसलिए चाहे 2 महीने पहले इंडिया जाता है या अब गया है, इंटरनेशनल प्राइस में 2, 4, 5 डालर का ही फर्क रहता है। मैं नहीं कह सकता कि उस मौके पर और इस मौके पर इसमें ज्यादा अन्तर रहा हो। श्री बनातवाला जी ने एक बात और कही कि आपने 517 में खरीद ली, पहले आपको 460 में मिल रही थी। मैं मानता हूं, उस बात को, उसके पीछे भी एक बात है। जहां तक फूड मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, हम तो कभी चीनी खरीदते नहीं थे लेकिन जब असमर्थता हमारी कामर्स मिनिस्ट्री की तरह से आई कि उनकी कोई प्राबलम है तो हमने निर्णय किया कि जो हमारे फूड सैक्रेट्री हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई जिसमें कामर्स मिनिस्ट्री और एम० टी० सी० के रिप्रैजेन्टेटिव्ज को रखा। जब पहली दफा टेंडर ओपन हुआ तो उसमें कई बातें हमारे सामने आईं। कमेटी ने रिकमैंड किया कि जो एस० टी० सी० के साथ रजिस्टर्ड डीलर हैं, उनसे खरीद ली जाए। जब मैंने देखा कि अन-रजिस्टर्ड डीलर्स के टेन्डर 50, 60 रुपए डालर कम हैं तो मैंने कहा कि इसको कैसे इग्नोर करूं ? हम पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में रहते हैं, यह कोई चाइना जैसी बात नहीं है। चाइना तो इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, वह टैन्डर फ्लोट नहीं करता है, वह सीधे जाकर प्राइवेट पार्टी के साथ नैगोसियेशन करता है और उनके साथ तय कर के खरीद लेता है, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें टैंडर इन्क्वायरी फ्लोट करनी पड़ती है। सारी दुनिया जानती है कि हमने इन्क्वायरी फ्लोट की है। हमें यहां पार्लियामैंट और प्रैस को फेस करना पड़ता है। यह ठीक है कि टाइम मेन कंसीडरेशन है मगर मैं रिस्क नहीं ले सकता था। अगर मैं उसके विनाह पर करता तो इस माननीय सदन में आवाज उठती और प्रेस के जरिए गवर्नमैंट के ऊपर कीचड़ उछलती। कोई बेस न होने से भी आज कीचड़ उछाली जा रही है इसलिए मैंने कहा कि इनको भी कंसीडर कीजिए। इस बारे में मुझे डिपार्टमैंट का मश्विरा आया कि इसके तो फाइनेन्स ने पैरामीटर फिक्स नहीं किए हैं, फाइनेन्स के पास जाइए। और पैरामीटर फिक्स कराइए। मगर मैं किसी अखबार वाले से यह नहीं सुनना चाहता था या किसी माननीय सदस्य से नहीं सुनना चाहता था कि जब आपके पास 450, 460 रुपए की आफर थी तो आपने क्यों नहीं खरीदी ? आपने क्यों

नहीं फाइनेन्स मिनिस्ट्री से पैरामीटर फिक्स किए। पैरामीटर के बारे में मैंने कहा कि आप इसको सैटिस्फाई करते हैं ? उन्होंने कहा कि यह बहुत हार्श पैरामीटर है, उनको हम ट्राई नहीं कर सकते। तो कागज पर विद्-ड्रा कर लिया। उन्होंने हमसे 2, 3 दिन का टाइम मांगा। मैंने उनको टाइम दे दिया, मेरी नियत सिर्फ इस वास्ते थी कि देश का 18 से 20 करोड़ रुपए बचना चाहिए था। इसलिए इसमें 5, 6 दिन की देरी हुई है। मैं परसनली उसका रिस्पौंसेबल हूं और मैंने अपने डिपार्टमेंट को भी बात की। मैं यह नहीं सुनना चाहता था कि आपने जान-बूझकर लोअर टैंडर को इग्नोर किया। शुगर का ट्रेड आज कुछ आदमियों के हाथ में है सारे वर्ल्ड का चन्द ऐसी पार्टियां थी, उन्होंने जो हमको पहले आफर दी, जिसको रिजैक्ट करना पड़ा। हमको 220 लाख टन खरीदनी थी। उन्होंने आफर किया कि 220 टन हमारे पास है और सारी प्राइस जितनी थीं वह दे दीं। उसके बाहर आप जा नहीं सकते थे, कम्पीटीशन नहीं था। मैं कंपीटीशन क्रिएट करना चाहता था। हमको सारे टैंडर दोबारा इन्वाइट करने पड़े। आज हमारे पास करीबन 60 हजार टन चीनी बन्दरगाहों पर पहुंच गई है 20 तारीख तक ढाई लाख टन बन्दरगाहों पर और पहुंच जाएगी। मैंने जो 518 और 519 रुपए में जो चीनी खरीदी थी, उनमें हमने अन-रजिस्टर्ड पार्टी को भी मौका दिया। मैं कंपीटीशन क्रिएट करना चाहता था। एक पार्टी ने 3 परसैंट बिड-बांड भी दिया और 10 से 7 परसैंट तक परफार्मेंस गारन्टी मुझे उम्मीद है, दी है। उनसे 480 डालर जो हुआ है, हमने उसे तय किया है। यह कम्पीटिशन क्रिएट करने की मेरी कोशिश थी और यहां का फारेन एक्सचेंज बचाने की मेरी कोशिश थी। इन हालातों में हमने इम्पोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन सेकिण्ड टैंडर में जो अनरजिस्टर्ड थे, उसमें एक बात यह हुई कि उन अनरजिस्टर्ड के हमारे पास एड्रेसिज नहीं थे जिससे कि उनको इनफार्म कर सके। रजिस्टर्ड की तो लंदन में इनफर्मेशन रहती है और वहां से रजिस्टर्ड का पता लग जाता है। अनरजिस्टर्ड के बारे में फाइनांस डिपार्टमेंट ने तय किया कि उनकी 3 परसेंट बिडमनी आनी चाहिए, मगर कुछ लोगों ने कहा कि साहब, हमको मालूम नहीं था। इस पर मैंने उनको फिर मौका दिया। इसके बाद एक-आध पार्टी आई।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : सस्ते से सस्ते में इन्होंने इसको खरीदा है। इसके लिए आप सब इन्हें धन्यवाद दें। (व्यवधान)

श्री सुख राम : जो हमारे रजिस्टर्ड सप्लायर हैं वह उन्हीं से चीनी खरीदते थे। मैंने पहली बार कोशिश की कि वह दूसरे लोगों से भी खरीदी जाए। मैंने कम्पीटिशन क्रियेट करने की कोशिश की। यह रास्ता जो खोला गया है उससे आगे भी फायदा होने वाला है।

मेरा कहना यह है कि हमने चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया है और हमने मॉनिटरिंग उसमें की है। 9 रुपए में आज चीनी उपलब्ध है। मैं मानता हूं कि कहीं इससे ज्यादा दामों में भी वह बिक रही होगी। अभी थोड़ी मुश्किलात हैं जो कि शीघ्र दूर हो जायेंगी। आप बस आप थोड़ा सब्र रखिए। मैं इस चीनी को 8 और 9 के दरम्यान लाऊंगा। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : गालिब का एक शेर है जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूं

"माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,
खाक हो जायेंगे हम तुम को खबर होने तक।"

यह सब्र ही सब्र चल रहा है, आगे क्या होगा।

श्री सुख राम : बनातवाला जी, इलेक्शन आपको भी लड़ना है और हम को भी लड़ना है।

यह मामला हम बहुत जल्दी हल करेंगे। इलेक्शन के बाद भी कीमतें कम रहेंगी। यह महज इलेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को ठीक कीमत पर चीनी उपलब्ध हो, यह हमारी कोशिश रहेगी।

श्री राम नगीना मिश्र : फ्री-सेल की चीनी साढ़े सात-आठ रुपए क्विंटल में आप बेच रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि 10 क्विंटल गन्ने पर एक क्विंटल चीनी बनती है। आप 200 रुपए प्रति क्विंटल पहले से अधिक दाम चीनी का दे रहे हैं। उस हिसाब से कम से कम 40 रुपया क्विंटल गन्ने का दाम भी बढ़ जाना चाहिए।

श्री सुख राम : एक तरफ 40 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम होना चाहिए और दूसरी तरफ चीनी पांच रुपए होनी चाहिए। (व्यवधान)

मैंने इसी वास्ते 10.32 लाख टन चीनी अक्तूबर महीने के लिए रिलीज की है जो कि आज तक का रिकार्ड है। इतनी चीनी कभी रिलीज नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्यों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी रिलीजेज हैं। आप अपने हल्कों में जाकर पता लगायें, कहां एक्स-प्लायटेशन हो सकता है। हमको व्यापारियों का सहयोग लेना है, इन्डस्ट्रीज का सहयोग लेना है। ऐसे लोग जो कि होर्डिंग करते हैं, ब्लेक मार्केटिंग करते हैं, उनके ऊपर हमारी नजर और एक्शन होना चाहिए। यह बात सरकारी मशीनरी के ऊपर नहीं, बल्कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, हम भी अपने फील्ड में जाकर ऐसे लोगों को आईडेंटिफाई करें और कानून की मदद करें। हम लोग संसद में सदस्य चुनकर आते हैं, फील्ड में हमारा फर्ज बनता है। महज यहीं तक ही हमारी ड्यूटी सीमित नहीं है। अभी आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कह रहे थे। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए 50 हजार टन चीनी अक्तूबर के लिए रखी है। मगर प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस महीने दो त्यौहार हैं, दिवाली और दशहरा, इस वास्ते आप इसको दुगुना करें···(व्यवधान)···आधा किलो चीनी एक पांच व्यक्ति परिवार की उपलब्ध है। सारी लेवी शुगर आज उपलब्ध है। मगर उसमें कहीं लीकेज भी होती होगी। इसकी भी महकमें को देखना होगा। आप कहते हैं कि सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट निकम्मा है, तो राज्यों में भी निकम्मा होगा, कुछ नजर आप भी रखें और···(व्यवधान)···

श्री राम नगीना मिश्र : हम रिपोर्ट करते हैं, तो कोई सुनता नहीं है।

श्री सुख राम : स्टेट का गुस्सा आप कहां निकालेंगे तो बात कैसी बनेगी।···(व्यवधान)···

श्री राम नगीना मिश्र : 95 प्रतिशत चीनी सिविल सप्लाई विभाग के कर्मचारी और दुकानदार ब्लैक बांट लेते हैं, गांवों में नहीं मिलती है। यह आप जांच करा लीजिए।···(व्यवधान)···

श्री सुख राम : मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, आप किसी स्पैसिफिक केस को मेरे नोटिस में लाइए, मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी टेक अप कर सकता हूं। आप कहेंगे, यदि कहीं मुझ को जाना है, तो मैं जा सकता हूं।

श्री हरीश रावत : हर जिले में जांच करवा लीजिए। सब लोग रिपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कोई केस बताइए, तो हम सब लोग अभी आपके पास रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं···(व्यवधान)···

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मंत्री जी भाषण नहीं, राशन चाहिए। जनता को राशन दीजिए।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रत्येक बात को गम्भीरता से लेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री जी माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता पर ध्यान देंगे । वे कह रहे हैं कि उन्हें बहुत सी शिकायतें मिल रही हैं । आप आवश्यक कार्यवाही कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री सुख राम : अगर वे मुझे कोई शिकायत देंगे तो मैं कार्यवाही करूंगा । हम पहले राज्य सरकार को देते हैं और फिर राज्य सरकार आगे इसे उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित करती है अगर वे मुझे कुछ अन्य अच्छे विकल्प सुझायें तो मैं निश्चय ही इस पर विचार करूंगा । **(व्यवधान)**

मैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा । **(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप उत्तर दीजिए । मैं प्रत्येक व्यक्ति को अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुख राम : एक माननीय सदस्य ने चावल की कीमतों के बारे में कहा । चावल की कीमतें ज्यादा नहीं हैं । पांच परसेंट के लगभग एक साल में वृद्धि हुई है । इसमें एक बात और ध्यान में रखने वाली है, यह ठीक है कि रिकार्ड प्रोडक्शन हमारा 172 मिलियन टन का हुआ था, उसकी वजह से कीमत गिरनी चाहिए थी, मगर हमारी एक रेसपोंसीबिलिटी और भी है । गवर्नमेंट इंटरवेंशन ग्रोअर्स के बीहाफ पर करती है, जो इंसेंटिव प्राइस, सपोर्ट प्राइस दी जाती है, कल ही प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, किसानों के हित में बहुत अच्छा पैकेज दिया है, जब आप सपोर्ट प्राइस देंगे, उत्पादक को कीमत ठीक देंगे, इंसेंटिव देंगे तो उसका रिफ्लेक्शन मार्केट प्राइस पर होगा, उसको रोकना बहुत मुश्किल है । अगर इंटरवेंशन न करें तो कीमतें इतनी गिर जाएंगी कि उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा और बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी । मैं एक ही मोटी बात कहना चाहता हूं कि चावल की अवेलेबलटी मार्केट में नहीं है, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट राज्यों की थी वह हमने पूरी की है । बहुत अच्छा रिकार्ड प्रोडक्शन हमारा आ रहा है, हमारा अंदाजा 10 मिलियन टन चावल प्रोक्योर करने का है । जो राइस ईटिंग स्टेट्स हैं, वहां पर जो 20 परसेंट का डिडक्शन किया था स्टाक प्राब्लम की वजह से, उसको हम रीस्टोर करने जा रहे हैं ।

जहां तक तेल की बात है, 178 लाख टन आइल सीड का उत्पादन हुआ । पहले साढ़े 18 लाख टन इंपोर्ट किया था ।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री अजीज कुरैशी : प्राइस कम कीजिए, प्राइस बताइए क्या है।

श्री सुख राम : अभी तक हमने दो लाख टन इंपोर्ट किया है। जहां हम 80-85 हजार टन स्टेटों को महीने का डिस्ट्रीब्यूट करते थे पिछले साल ड्राउट तक, वहां हम 10 हजार तक पहुंच गए हैं। अगर यह न करते तो आइल की प्राइसेस बहुत गिर जातीं। हम उत्पादकों के भी नुमाइंदे हैं और उपभोक्ताओं की भी नुमाइंदगी करते हैं इसलिए रीजनेबल लेवल पर कीमतों को रखना होता है। एन० डी० डी० बी० को मार्केटिंग एजेंसी मुकरर किया गया, उसने मार्केट में एंटर करके ग्राउंडनट खरीदा, मस्टर्ड खरीदा, आज वह रिलीज कर रहा है। जहां तक सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का सवाल है, हम 16 रुपए किलो के हिसाब से गरीब आदमी को दे रहे हैं। फर्क इतना है कि हम गरीबों को देते हैं पी० डी० एस० के जरिए कीमतें कम करने के लिए, दोनों तरफ से हमारी अप्रोच है जिससे आत्मनिर्भरता हो और इंपोर्ट न हो। ग्राउंडनट आइल की कीमत बढ़ी है, गुजरात में बहुत अच्छी पैदावार होने वाली है इससे मैं समझता हूं कि कीमतें कम होंगी।

चाय के बारे में कामर्स मिनिस्ट्री माकूल कदम उठा रही है ताकि उसकी कीमतों में कमी की जाए, आपकी भावनाओं को मैंने वहां तक पहुंचा दिया है। इसी तरह से दाल के बारे में कृषि मंत्रालय नेफेड के जरिए और ओ० जी० एल० के जरिए इम्पोर्ट कर रहा है। हम लोग दालों में तथा आइल सीड में आत्मनिर्भर नहीं हैं, पहली दफा हम आइल सीड के बारे में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें हमें उम्मीद है कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे।

अभी एक प्वाइंट बनातवाला जी ने उठाया कि रुपए की कीमत गिर गई है। इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन्फलेशन का जहां तक ताल्लुक है, इन्फ्लेशन एक डिजिट तक इन्टरनेशनल स्टेंडर्ड में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। पिछले वर्ष चाइना में प्राइस राइस 30 परसेंट के लगभग था और लेटिन अमेरिका के देशों में 100 परसेंट इनफ्लेशन हर साल होता है पर इसका मतलब यह नहीं है···(**व्यवधान**)

1.00 म० प०

श्री हरीश रावत : यहां मत करवा दीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : यहां के लोगों में इतनी शक्ति नहीं है कि इतने इन्फ्लेशन को बर्दाश्त कर सकें। हिन्दुस्तान के लोगों की तुलना अमेरिका से कहां करते हो, बताइए।

श्री सुख राम : मैं यह नहीं कहता कि यहां होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जब आप मुकाबला करते हैं तो मैं कहता हूं···

श्री जी० एम० बनातवाला : अगर आप यहां ऐसा कहेंगे तो आपका डिपार्टमैंट 100 परसेंट करवा देगा।

श्री सुख राम : बनातवाला जी, जहां कण्ट्रोल्ड इकोनोमी है, उस कण्ट्रोल्ड इकोनोमी में 30 परसेंट प्राइस राइज हुआ, इन्फ्लेशन हुआ चीन में, जबकि हमारे देश में 8 परसेंट है, यह मैं मुकाबला करने के लिए कहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि यहां भी हो बल्कि हम तो उसमें और कमी लाने की कोशिश में हैं, उसके लिए मुनासिब कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, मेरे मंत्रालय ने कदम उठाए हैं और हमारी यह कोशिश होगी कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वे सस्ती हों। मैं आपकी चिन्ता को जानता हूं। जैसे नुमाइन्दे आप हैं, वैसे ही नुमाइन्दा मैं भी हूं। मैं भले ही मंत्री हूं लेकिन यह नहीं कि मैं नुमाइन्दा नहीं हूं। मैं लोगों की भावनाओं को भी जानता हूं। मेरी कोशिश है, प्रधानमंत्री जी की

कोशिश है और सरकार की कोशिश है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करना है और कुछ विरोधी पार्टियों का तो आज स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके इस सरकार को बदनाम करने का एक ही लक्ष्य है, करेक्टर असेसिनेशन, मड स्लिंगिंग, चाहे इम्पोर्ट में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। उनका एक ही प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम तो उनके पास लोगों के लिए है ही नहीं। यही प्रोग्राम उनका एसेंशियल कमोडिटीज में भी है। इस संबंध में आपकी जो चिन्ता है और आपकी जो शंकाएं हैं उसमें मैं अपने आपको शामिल करता हूं और मेरी कोशिश होगी कि आपने जो सुझाव दिए हैं। उनको ध्यान में रखूं। मेरी कोशिश होगी कि एसेंशियल कमोडिटीज की कमी न हो और आइन्दा आने वाले कुछ ही दिनों में प्रभावकारी कदम उठाकर उनकी कीमत कुछ कम करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित करते हैं और सभा 2.00 बजे म० प० पर पुनः समवेत होगी।

1.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड में, विशेष रूप से बांदा जिले में पेयजल समस्या हल किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड, विशेष रूप से मेरा क्षेत्र बांदा जनपद अल्पवृष्टि का पुनः शिकार हो गया है। इसी मास की 6 तारीख को मैंने सिंचाई विभाग की एक मीटिंग ली। आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि पूर्व वर्षों को देखते हुए औसत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष 30% और 35 प्रतिशत से अधिक सिंचाई के लिए पानी नहीं है। आने वाले महीनों में न केवल सिंचाई हेतु बल्कि इनसान और पशुओं के लिए भी पेयजल का संकट उत्पन्न होगा। पूरे जनपद में जलस्तर घट रहा है। अगली गर्मी के पूर्व फरवरी के महीने से पेयजल का भयंकर संकट उत्पन्न हो जाएगा। यदि अभी से इससे निपटने की तैयारी नहीं की गई तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पेयजल के अभाव में न सिर्फ जानवर बल्कि जन हानि भी निश्चित होगी।

अस्तु, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संकट से निपटने के लिए अभी से युद्धस्तर पर तैयारी की जाए तथा उ० प्र० और म० प्र० के बीच जल बंटवारे का लंबित विवाद केंद्रीय जल आयोग द्वारा अविलम्ब निपटाए जाने की व्यवस्था की जाए। इस हेतु यह भी अनुरोध है कि बांदा

जैसे पिछड़े जनपद को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रदेशीय सरकार को अलग से दस करोड़ रुपया दिया जाए ताकि सघन रूप से हर गांव में हैंड पम्प लगाए जा सकें।

(दो) **आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोके जाने और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहान्डी) : विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से आम लोगों को भारी चिन्ता हो गई है। सभी संभव आर्थिक तथा प्रशासनिक उपाय किए जाने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यों को उचित स्तर तक कम किया जाये। अब समय है जब पांच से सात आवश्यक वस्तुओं, जो जनसाधारण द्वारा दैनिक उपयोग में लायी जाती है, की पहचान की जाए और यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी हालत में इनके मूल्य न बढ़ने पाये और उनकी निरन्तर सप्लाई भी सुनिश्चित की जाए।

(तीन) **मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : मध्य प्रदेश के जिला मुरैना की आबादी लगभग 15 लाख है। जिला मुख्यालय के साथ-साथ चम्बल सम्भाग का मुख्यालय भी मुरैना शहर में स्थित है। मुरैना में अनेकों विद्यालय एवं महाविद्यालय हैं। परन्तु शिक्षा के विस्तार के लिए एक केंद्रीय विद्यालय होना आवश्यक है। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि मुरैना शहर में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जाये जिससे कि अच्छी शिक्षा बालकों को उपलब्ध हो तथा शिक्षा के क्षेत्र में विकास के साथ-साथ शहर एवं जिले का पिछड़ापन भी दूर हो सके।

(चार) **मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से सिहोर, भोपाल और देवास जिलों में पेय जल की समस्या दूर किए जाने हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता**

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : इस वर्ष देश भर में वर्षा की स्थिति बड़ी हद तक संतोषजनक है। परन्तु मध्य प्रदेश के 80 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में सामान्य से बहुत कम बर्षा हुई है। धान, सोयाबीन आदि की फसलें या तो नष्ट हो चुकी हैं या यदि अब समय से पानी नहीं गिरा तो रही सही फसलों के भी नष्ट होने का अन्देशा है। अगली फसल भी खतरे में है।

इसके अतिरिक्त, पीने के पानी की स्थिति तो निश्चित ही भीषण रूप लेने वाली है, क्योंकि भूमिगत जल स्तर तो और भी नीचे चला गया है। मध्य प्रदेश में सिहोर और भोपाल जिलों की स्थिति बहुत संकटमय है, सबसे अधिक सूखा प्रभावित है। राजधानी भोपाल के लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर होने वाली है। गत पांच वर्षों से बड़ा तालाब पूरा भर नहीं पाया। पानी की कमी के साथ तालाब का पानी और अधिक दूषित होने का खतरा है।

कोलार योजना से पानी मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। आज पुनः भोपाल के लोगों को यह एहसास शिद्दत से होने लगा है कि भोपाल की पीने के पानी की समस्या का स्थाई हल नर्बदा से पानी लाना है और इसके लिए सरकार को शीघ्र ही कदम उठाना चाहिए।

सीहोर, भोपाल, देवास आदि जैसे जिलों में, जहां वर्षा बहुत कम हुई है, अभी से पानी की

व्यवस्था और राहत कार्यों के लिए तैयारी प्रारम्भ कर देनी चाहिए। केन्द्र सरकार को भी ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक मदद देना चाहिए।

(पांच) **तापी नदी पर बने हटनूर-वीयर को पानी की सप्लाई सुनिश्चित किये जाने हेतु नवाथा और खरियागुटी बांधों के निर्माण की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महाराष्ट्र में तापी नदी पर हटनूर-वीयर (बांध) अब पूरा हो गया है। इस बांध को नवाथा और खरियागुटी बांधों से पानी मिलता है। परन्तु इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। ये परियोजनाएं मुख्य सिंचाई परियोजनाएं हैं। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले तथा महाराष्ट्र के अमरावती और जलगांव जिलों के किसानों को इन परियोजनाओं के पूरा होने से मुख्य रूप से लाभ होगा।

इस क्षेत्र की भूमि बहुत उपजाऊ है। इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने से वहां पर अधिक मात्रा में अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता है।

इसलिए मैं जल संसाधन मंत्री जी से इन मामले की जांच कराने तथा इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं।

(छः) **गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता**

श्री रामस्वरूप राम (गया) : गया जिले के गूरारू क्षेत्र में गन्ना अधिक मात्रा में पैदा होता है। अधिक मात्रा में गन्ना पैदा होने के कारण सरकार ने वहां एक चीनी मिल स्थापित की है। लेकिन पिछले तीन वर्षों से यह चीनी मिल बंद पड़ी है। सरकार ने उन किसानों को गन्ने की उचित मूल्य नहीं दिया है जिनका गन्ना खरीदा गया है। गन्ना उत्पादक इससे बड़े असंतुष्ट हैं और इसके फलस्वरूप गन्ने का उत्पादन गिरता जा रहा है।

मैं सरकार से इस संबंध में तुरन्त कदम उठाने और किसानों को उन्हें देय गन्ने का भुगतान समय पर करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) **बीड़ी कामगारों की दशा सुधारे जाने के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को सारे भारत में सतना जिले में विशेषकर और समस्त मध्य प्रदेश में आम तौर पर, अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नागौद, महियर, रामनगर, अमरपाटन, सतना, रेगांव, चित्रकूट, बड़वारा, विजयराघागेढ़, और रामपुर बगेना के इलाके, जो सतना जिले और लोक सभा क्षेत्र में आते है, के हजारों घरों के चूल्हे बुझ गये हैं। आज लोगों के भूखों मरने की नौबत आ पहुंची है। बीड़ी उद्योग के पूंजीपति मालिकों ने तेंदू पत्ते के राष्ट्रीयकरण के बाद मजदूरों को बीड़ी बनाने के लिए पट्टा देना बंद कर दिया है। न्यूनतम मजदूरी की बहुत-सी घोषणाओं के बाद भी वास्तविक रूप में काट पीट कर एक मजदूर को औसत दर्जे में 10-11 रु० प्रतिदिन से ज्यादा नहीं मिल पाते। पहले जो 850 ग्राम

पत्ता एक मजदूर को बीड़ी बनाने के लिए प्रतिदिन दिया जा रहा था, अब कटौती करके उसे 600 ग्रा० से 700 ग्राम तक कर दिया जाता है। अधिकांश जगहों पर यह 600 से 650 ग्राम ही दिया जा रहा है। तेंदू पत्ते के राष्ट्रीयकरण से पत्ता मजदूरों को यकीनन लाभ पहुंचा है लेकिन सरकार से बदले की भावना से बड़ी उद्योग के मालिक बीड़ी मजदूरों से इंतकाम की कार्यवाही कर रहे हैं। यही हाल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों में है।

केन्द्र सरकार इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दे। समस्त देश के लिए इसी सत्र में ऐसा कानून पारित करे जिसके द्वारा प्रत्येक मजदूर को कम से कम एक किलोग्राम पत्ता बीड़ी बनाने के लिए प्रतिदिन दिया जाये और कम से कम मजदूरी 20 रु० प्रतिदिन निर्धारित की जाये। सरकार सतना लोकसभाई और देश के अन्य इलाकों के तमाम बीड़ी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराये।

(आठ) जम्मू से ऊधमपुर तक रेल लाइन का विस्तार किये जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला (अनन्तनाग) : केन्द्र सरकार के आश्वासन के बावजूद जम्मू और ऊधमपुर के बीच की रेल लाइन का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने इस कार्य के लिए भूमि अर्जित करने में उनकी मदद की है परन्तु फिर भी इस कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। मैं रेल मंत्रालय से निवेदन करती हूं कि इस कार्य के लिए दी गई धनराशि को इस वर्ष दोगुना कर देना चाहिए तथा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस धन को निर्धारित अवधि में ही व्यय किया जाए।

रेल लाइन का निर्माण दूसरे दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। जम्मू श्रीनगर सड़क सर्दियों में बंद हो जाती है और इस कारण कश्मीर घाटी के लोगों को अनेक कठिनाइयां होती हैं। रेल लाइन को ऊधमपुर तक बढ़ाने से इस स्थिति में निश्चय ही सुधार होगा।

(नौ) चार प्रमुख महानगरों के बेरोजगार युवकों को नेहरू रोजगार योजना के लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, शहरी युवकों के लिए हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई नेहरू रोजगार योजना के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत चार बड़े महानगरों मुख्यतः कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली के युवकों को इनका लाभ नहीं मिल पायेगा, क्योंकि इन्हें इस योजना से अलग रखा गया है। अतएव मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इन चार शहरों विशेषकर कलकत्ता के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार कुछ विशेष कार्यक्रम बनाये बेरोजगारी की समस्या एक गम्भीर समस्या है। अतः सरकार को बृहतर कलकत्ता, मद्रास, देहली और बम्बई को या तो जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से या किसी अन्य विशेष योजना के माध्यम से कुछ अवसर देने चाहिए।

(दस) बिहार में वैशाली क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु वैशाली के लिए पर्याप्त रेल/सड़क सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : महोदय, हालांकि मेरा चुनाव क्षेत्र वैशाली एक ऐतिहासिक स्थल है फिर भी संचार एवं परिवहन सुविधाओं की कमी उसके पर्यटन स्थलों के लिए पूर्ण उपयोग में

बाधक है। इसको रेल और सड़क मार्गों से शीघ्र जोड़ने की आवश्यकता है जिससे जो पर्यटक बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखने आते हैं या जो विदेशों जैसे जापान से आते हैं, वह बिना कठिनाई वहां पहुंच सकें। क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए भी इसे रेल एवं सड़क मार्ग से जोड़ना आवश्यक है। मुजफ्फरपुर से रक्सौल के लिए बड़ी लाइन की जरूरत है जिसे नेपाल की सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए जिससे दोनों देशों के मध्य व्यापार में आसानी हो। इस क्षेत्र में सड़कों विशेषकर पुलियों और पुलों की दशा बहुत खराब है, जो इतना बोझ नहीं उठा सकते। सुरक्षा की दृष्टि से भी स्थिति ठीक नहीं है। या तो झांसी एक्सप्रेस या शहीद एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय के लिए रामदयाल सिंह रेलवे स्टेशन और मुजफ्फरपुर जंक्शन के मध्य एक हाल्ट दिया जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर धुरियन रेलगाड़ी को फिर से शुरू किया जाना चाहिए।

2.17 म० प०

राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों का क्विलोन-कोट्टपुरम खंड) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मदों को लेंगे— विधेयकों पर विचार और पारित करना। श्री राजेश पायलट आप विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

जल भू-तल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं* :

> "कि पश्चमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों के क्विलोन-कोट्टपुरम खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा का उपबंध करने और उक्त जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उक्त खंड तथा नहरों के विनियमन और विकास का भी तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्राचीन काल से अन्तर्देशीय जल परिवहन हमारे राष्ट्र में परिवहन का एक सस्ता साधन रहा है।

फिर भी अंतर्देशीय जल परिवहन ने परिवहन के अन्य साधनों पर कुछ क्षेत्रों में जहां इसको प्राकृतिक लाभ प्राप्त हैं अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है।

आज भी अंतर्देशीय जलमार्गों से ढुलाई विश्व भर में अपने लाभों के कारण बड़ माल की लम्बी दूरी की ढुलाई का सबसे सस्ता साधन माना गया है विशेषकर उन स्थानों के मध्य जो नदियों आदि के किनारे बसे हैं। ऊर्जा की बचत, प्रदूषण प्रभाव की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों के समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को रोजगार दिलाने वाले साधन के रूप में सर्वत्र स्वीकार किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से ही सरकार अंतर्देशीय जल परिवहन के ढांचे के विकास की जरूरत और इसे राष्ट्र की परिवहन व्यवस्था में उसका उचित स्थान उसे दिलाने के प्रति सजग रही है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई तीनों सूचियों में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विषय को उचित स्थान दिया गया है। हालांकि संघ की भूमिका राष्ट्रीय जलमार्गों, जिन्हें संसद

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

द्वारा पारित कानून ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया हो उन पर यांत्रिक रूप से चलने वाले जलयानों के संचालन तक ही सीमित है। उन जलमार्गों को छोड़कर जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया हो अन्य जलमार्गों के विकास और रखरखाव का उत्तरदायित्व और कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकार का है।

हमारे राष्ट्र में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के विकास की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा गठित कई समितियों ने पहले भी कोई महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की सिफारिश की थी। गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों की इलाहाबाद-हल्दिया पट्टी को और ब्रह्मपुत्र नदी की सदिया-धुबरी पट्टी को पहले ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार ने भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की है जिससे राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास, रखरखाव और नियन्त्रण हो सके और जलमार्गों द्वारा यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके।

हाल ही में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रख-रखाव का काम अपने हाथ में लिया।

किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने से पूर्व अपेक्षित विकास कार्यों एवं उनके वित्तीय प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए जल सर्वेक्षण तथा आर्थिक व तकनीकी अध्ययन करना आवश्यक है। पश्चिमी तट नहर की क्विलोन-कोट्टापुरम पट्टी और चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों पर ऐसे अध्ययन किये जा रहे हैं। इन अध्ययनों के आधार पर और अन्तर्देशीय जल परिवहन में सुधार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अब यह विचार है कि क्विलोन-कोट्टमपुरम पट्टी जो पश्चिमी तट नहर पर स्थित है और चंपकरा और उद्योग मण्डल नहरों का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया जाये।

महोदय, जैसा कि देखा गया है यह एक गैर-विवादास्पद उपाय है जिसे मुझे आशा है सदन स्वीकार कर लेगा और महोदय इसे ऐसा विधेयक रहने दीजिए जिसे बिना चर्चा के पारित दिया गया हो।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों के क्विलोन-कोट्टपुरम खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा का उपबंध करने और उक्त जलमार्ग पर पोत-परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उक्त खंड तथा नहरों के विनियमन विकास का भी तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री चार्ल्स बोलेंगे।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, जहां तक केरल का प्रश्न है एक सपना साकार हुआ है। पिछले कई वर्षों से पश्चिमी तट नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की मांग केरल की ओर से काफी लंबे समय से की जा रही है और मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी, ने कुशल मन्त्री श्री राजेश पायलट और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य किया है। समूचा राज्य

मन्त्री महोदय के हार्दिक आभारी हैं कि उन्होंने पश्चिमी नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। आंकड़े इस बात को बतायेंगे कि अन्तर्देशीय जलमार्ग प्रणाली का विकास कितना महत्वपूर्ण है। एक अश्व शक्ति सड़क पर 150 किलोमीटर है रेलमार्ग पर 500 किलोमीटर लेकिन जलमार्ग पर यह 4000 किलोमीटर है। यह सड़क पर माल ढुलाई का तीन गुना है। साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के लोगों, विशेषकर केरल में यह रोजगार के अवसर जुटाएगा और मुझे प्रसन्नता है कि पश्चिमी तट नहर पट्टी ही अकेले 1800 किलोमीटर लंबी है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग बनाना है। इस संबंध में महोदय मेरा एक और निवेदन है। मन्त्री महोदय, ने कृपा करके क्विलोन-त्रिवेन्द्रम और त्रिवेन्द्रम-कोवलम पट्टी के आर्थिक-तकनीकी अध्ययन और जलसर्वेक्षण का आदेश दिया है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। यह अध्ययन अभी जारी है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि क्विलोन-कोवलम पट्टी को भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने की दिशा में कार्यवाही की जाये जिससे मुख्य शहर को कासरगोड क्षेत्र, जोकि केरल के उत्तर में स्थित है, से जोड़ा जा सके। तेज गति से जलयान त्रिवेन्द्रम से कासरगोड़ 10 घंटे में पहुंच सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि यह कोवलम होकर जाता है तो इसे कन्याकुमारी से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। इससे तमिलनाडु को भी लाभ होगा।

इसके साथ ही मैं इस विधेयक को अपना हार्दिक समर्थन देता हूं और इसके लिए मैं माननीय मन्त्री का धन्यवाद करता हूं।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह यायायात का सबसे सुलभ साधन है और सरकार ने भी इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही इस अन्तर्देशीय जलमार्ग यातायात के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1.50 करोड़ रुपया आबंटित किया है जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान मात्र कुछ लाख रुपया आबंटित किया गया था, साथ ही हमें आशा है कि आठवीं योजना के दौरान यह धनराशि काफी अधिक होगी ताकि इस क्षेत्र में दुगनी वृद्धि की जा सके।

महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो सुझाव प्रस्तुत किया गया है वह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है और इससे पर्यटक भी आकर्षित हो सकेंगे। महोदय, मैं इसका निरीक्षण करूंगा और यदि सम्भव हुआ तो इसे शामिल करूंगा। महोदय, यदि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और अन्य कार्य पूरा हो जाएगा तो नियम व विनियमन के अनुसार हम इसे शामिल करेंगे। मैं उन्हें इस बात का आश्वासन देता हूं।

इन शब्दों के साथ ही मैं माननीय सदस्य और सम्पूर्ण सभा को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस अधिनियम का समर्थन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पश्चिमी तट नहर और चंपकरा उद्योगमण्डल नहरों के क्विलोन-कोट्टपुरम खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा का उपबन्ध करने और उक्त जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उक्त खंड तथा नहरों के विनियमन और विकास का भी तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड, 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.26 म० प०

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों के नामों को परिवर्तित करने और उनसे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनेक आदेशों में कुछ ऐसी प्रविष्टियां हैं जिनकी इस आधार पर आलोचना की जाती है कि ये अपने अनादरणीय या अशोभनीय सप्तक्तार्थ के कारण अपमानजनक लगती है। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अपमानजनक नामों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची हटाने के लिए अपना-अपना प्रस्ताव भेजें और एक सम्मानजनक विकल्प सुझायें जिससे कि इस अपमानजनक नामों को बदला जा सके। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से हमारे सुझाव के जवाब में दिए गए प्रत्युत्तर उत्साहदायक नहीं थे और इस संबंध में उनसे मात्र कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी भारत के महापंजीकार से विचार-विमर्श कर जांच की जा रही है। भारत के महापंजीकार ने अपनी टिप्पणियों में कहा है कि प्रत्येक समुदाय के लिए एक उपयुक्त वैकल्पिक नाम सभी समुदायों के सदस्यों को ध्यान में रखकर ढूंढा जाना चाहिए।

वर्तमान विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची से अपमाजनक नामों को हटाए जाने और उसके बदले एक सम्मानजनक नाम सुझाए जाने के पश्चात् भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन समुदायों को बिना किसी कठिनाई के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दर्जे में ही रखा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों के नामों को परिवर्तित करने और उनसे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी माननीया कल्याण राज्य मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं। अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इसके द्वारा ऐसे अपमानजनक नामों की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है; भंगी की जगह या बाल्मीकि रखा जा रहा है। मिजोरम और अन्य जगहों में जो अपमानजनक नाम हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, यह स्वागत योग्य है। हमारी पार्टी ने, सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि ऐसे लोग जो समाज के निचले वर्ग के हैं और समाज की सेवा में संलग्न हैं, उनको हमेशा सम्मानजनक स्थान दिया जाए। इसी को लेकर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मैं इसका समर्थन करती हूं। इसके साथ ही साथ एक, दो और बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

अभी लद्दाख में जो 8 जनजातियां थीं, अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है, यह भी स्वागत-योग्य कदम है, इसका भी मैं समर्थन करती हूं लेकिन एक बात की ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हम जिस इलाके से आते हैं, जैसे चम्पारन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, लखीमपुर खीरी है, इन सभी इलाकों में थारू जाति रहती है। ये लोग बहुत गरीब हैं और न तो ये बैकवर्ड में आते हैं और न कहीं और में। इनकी हालत बिल्कुल अनुसूचित जनजाति और जनजातियों जैसी है। ये लोग पिछड़े अंचल में निवास करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, इनकी दर्दनाक हालत है। मैं अनुरोध करती हूं कि यह थारू जाति आपके उत्तर प्रदेश में भी है, नैनीताल तक फैली हुई है, 10, 15 लाख की आबादी है और ये कृषि का भी काम करते हैं लेकिन हर तरह से पिछड़े हुए हैं, इनकी हालत बिल्कुल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की तरह है। जैसा कि आपने लद्दाख में किया है, उसी तरह से इनका भी समावेश अनुसूचित जनजाति में आप करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक अच्छा विधेयक लाने के लिए ऐसी कल्याणकारी व्यवस्था करने के लिए माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दरबार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल को लाने के लिए मैं माननीय मन्त्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं।

महाराष्ट्र में बहुत से लोग अनुसूचित जनजातियों के नाम पर फायदा उठा रहे हैं। मैं इस सदन में कई बार यह सवाल उठा चुका हूं। विदर्भ में हलमा कोष्टी हलबी कोस्टी के नाम पर कोस्टी लोग

अनुसूचित जनजाति का फायदा उठा रहे हैं। 1977-78 में जाति प्रमाण-पत्र उन्होंने जो लिया था वही प्रमाण-पत्र उनका अभी तक चल रहा है। वह उसकी ट्रू-काफी करा लेते हैं और उसको आगे चलाते रहते हैं। अफसरान भी वह प्रमाण-पत्र लेकर उनको नौकरी आदि पर नियुक्त कर देते हैं।

हमारे प्रधानमन्त्री जी ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ऊपर उठाने के लिए जो प्रोग्राम बनाये हैं उनका फायदा भी गैर आदिवासी लोग उठा रहे हैं। हमारी मन्त्री महोदया को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

इसी प्रकार से मच्छीमार कोली और सूर्यवंशी कोली टोकरी कोली के नाम से फायदा उठा रहे हैं। यह भी बन्द होना चाहिए। हमारा थाना डिस्ट्रिक्ट में क० ठाकुर और म० ठाकुर के नाम से ठाकुर जाति फायदा उठा रही है। वह नौकरी में और शिक्षा में बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। वह अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को मैरिट में आने नहीं देती है। बोगस लोग ही सारा फायदा उठा रहे हैं। हमारे प्रधानमन्त्री जी गरीबों, आदिवासियों और हरिजनों को ऊपर उठाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों तक पूरी सुविधायें पहुंचें और उनके लिए जो स्थान सुरक्षित हैं, वह पूरी तरह से भरे जायें। लेकिन इन पिछड़ी जातियों में बहुत से गलत लोग आ गए हैं। आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा कहना यह है कि 1977-78 में जो जाति प्रमाण-पत्र उनको दिए गए थे वह रद्द कर दिए जाने चाहिए और चालू वर्ष 1989-90 में नये प्रमाण-पत्र उनको दिए जाने चाहिए।

मुझ पूरी आशा है कि हमारी मन्त्री महोदया इस तरफ ध्यान देकर आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय प्रदान करेंगी। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1989 के संदर्भ में बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय कल्याण मन्त्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं स्वागत करता हूं जिसके तहत कुछ जातियों और जनजातीय समुदायों के नामों को परिवर्तित करने का प्रावधान है जो उच्चारण संपक्तार्थ की दृष्टि से अपमानजनक प्रतीत होते हैं। साथ ही, मैं सरकार का ध्यान एक विशेष पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह दर्शाया गया है कि वर्ष 1967 में एक विधेयक प्रस्तुत करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। विभिन्न राज्यों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यहां तक कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी संयुक्त समिति ने भी कुछ जातियों और जनजातियों के नामों के संबंध में परिवर्तन का सुझाव दिया था क्योंकि उनके नामों के वर्णविन्यास में कुछ भूलचूक हुई थी। कुछ जनजातियों को उनके उन अधिकारों से वंचित रखा गया जिसके वे भारतीय संविधान के अनुसार हकदार थे।

यहां मैं आपका ध्यान उड़ीसा की अनुसूचित जनजातियों संबंधी सूची के क्रमांक 5 की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां एक भीटाडा जनजाति रहती है। इस जनजाति का नाम भोटाडा या धोटाडा दर्शाया गया है। यहां पर इसका उच्चारण वास्तव में बहुत ही खराब किया गया है। इस जनजाति का वास्तविक नाम भटारा है जब हमने उड़ीसा सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा तो उड़ीसा

सरकार ने कहा कि इसका मतलब एक ही है और 'आर' तथा 'डी' अक्षर के बीच कोई अन्तर नहीं है। उड़ीसा सरकार के अनुसार दोनों नाम एक ही हैं। यद्यपि भोटाडा जनजाति वहां हैं पर वहां धोटाडा नामक कोई जाति नहीं है। इस प्रकार भोटाडा का नाम भटारा किया जाना चाहिए यह एक बहुत ही खेदजनक बात है। लेकिन साथ ही मैं यहां किसी जनजाति को इसमें शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि ब्रिटिश काल से ही वह वहां उपस्थित है। चाहे नाम को बदला जाए या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

एक अन्य मुद्दा भी है। करीब पांच साल पहले उड़ीसा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर यह स्पष्टीकरण दिया था कि वास्तविक वर्णविन्यास को सही तरीके से भाषांतर किया जाना चाहिए। उस आधार पर कुछ लोगों ने इस जनजाति के वर्णविन्यास के अनुसार यह भाषांतरित किया कि यह जनजाति अनुसूचित जनजाति नहीं है। पुनः सरकार ने एक स्पष्टीकरण देकर यह कहा कि वह जनजाति वास्तविक जनजाति है और भटारा और भोटाडा जनजाति के बीच कोई अन्तर नहीं है। इसलिए मैं इसके स्पष्टीकरण के लिए आपका ध्यान इस ओर दिलाता हूं। वह राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को सूचित कर यह अनुरोध किया था कि अन्य राज्यों की सूची में दिए गए वर्णविन्यास के अनुसार यहां के नामों को ठीक करना चाहिए। यह जनजाति महाराष्ट्र, मध्य-प्रदेश और उड़ीसा में भी विद्यमान है।

क्रम संख्या 55 पर एक परोजा जनजाति को दर्शाया गया है। वहां दो उप-जाति हैं—एक झोडिया परोजा कहलाता है और दूसरा पेंगा परोजा के नाम से जाना जाता है। मेरे विचार से श्री झगुडा झोडिया वहां पर विधान सभा के सदस्य थे जो पांच सालों से आरक्षित पद को संभाले हुए थे। उस परोजा जनजाति में से 50 प्रतिशत जनजाति झोडिया जाति के हैं। अब वे कहते हैं कि झोडिया परोजा जनजाति नहीं हैं। अतः उन्हें अनुसूचित जनजाति के सुविधाओं से वंचित रखा गया। यह एक दयनीय बात है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि परोजा जनजाति से मतलब दो उप-जातियों से है जिसमें से एक झोडिया परोजा है और दूसरा पेंगा परोजा। इस संबंध में उड़ीसा सरकार ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहा था और झोडियो को परोजा सूची में शामिल करने का अनुरोध किया था। इस दिशा में, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिसके तहत कुछ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामों की सूची में परिवर्तन किया जाएगा ये नाम मेघालय और असम राज्यों तथा अन्य राज्यों में भी अपमानजनक माने जाते हैं। महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आदेशों में परिवर्तन के लिए जल्द से जल्द एक संशोधन लाने पर विचार किया जाना चाहिए। यदि सम्भव हो, तो यह संशोधन विधेयक इसी सत्र में लाया जाना चाहिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक सामान्य है। लेकिन समय-समय पर राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची पर जो असंतोष व्यक्त किये गए हैं उन्हें इस विधेयक द्वारा दूर नहीं किया गया। ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं और माननीय मन्त्री महोदय भी इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं कि वे लोग जिन्हें एक राज्य में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत रखा गया है सीमा पार अन्य राज्यों में उन्हें इसके अन्तर्गत नहीं माना जाता है। कभी-कभी एक ही परिवार को जिसके सगे-संबंधी दो राज्यों में रहते हैं; एक राज्य में सुविधाएं प्राप्त होती हैं तथा दूसरे राज्य में वे सुविधायें नहीं मिलती

है। उदाहरण के लिए बिराजवंशियों को लीजिए। बिराजवंशियों को पश्चिम बंगाल में आरक्षण के अन्तर्गत रखा गया है लेकिन देश में ही सीमापार राज्य बिहार में उन्हें आरक्षण में नहीं रखा गया है। इस संबंध में जारी किए गए इन आदेशों में यह एक बड़ी खामी और विरोधाभास है।

दूसरी त्रुटि यह है कि कभी-कभी समान उप-जातीय समूह या उप-जनजातीय समूह अर्थात् मूल रूप से समान पेशा, सामाजिक व्यवस्था में समान स्थान, समान आर्थिक व्यवसाय रखने वाले समूहों को भिन्न-भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, एक नाम से उन्हें सुविधाएं मिलती हैं और दूसरे नाम से नहीं।

तीसरी त्रुटि निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है और पुनः यह संविधान से नहीं बल्कि राष्ट्रपति आदेश में है कि एक विशेष सामाजिक समूह, उपजातीय या उप जनजातीय समूह को प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए, सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक विशेष धर्म को मानना होगा अन्यथा वे इसके योग्य नहीं होंगे। उदाहरण के लिए हमने विशेष रूप से दक्षिण भारत में ईसाई-हरिजन कहे जाने वाले लोगों के अनेक मामले सामने आए हैं। वे इन सुविधाओं से वंचित हैं। संविधान के मेरे अध्ययन के अनुसार धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जा सकता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : भेदभाव बरतने का प्रश्न ही कहां है ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : ठीक है, मैंने इस प्रकार से इसकी व्याख्या की है। जैसा कि मैंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बात पर कि हमें क्या करने की आवश्यकता है एक राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने के लिए शायद अधिक प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन पहली दो बातों का जिसका मैंने उल्लेख किया है कि समान नाम वाले सामाजिक समूह को एक राज्य में संरक्षण मिल रहा है और दूसरे राज्य में नहीं अथवा समान व्यवसाय वाले, समान बिरादरी के समान सामाजिक समूह को एक नाम के कारण सुविधाएं मिल रही हैं और दूसरे नाम के कारण नहीं, इन त्रुटियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे विगत बीस या तीस वर्षों में प्राप्त किए गए हमारे अनुभव और जानकारी के आधार पर इस राष्ट्रपति आदेश में एक विस्तृत संशोधन लाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : महोदय, सभी माननीय सदस्यों द्वारा इस विधेयक का समर्थन करने तथा इसका स्वागत करने के कारण मैं सभी सदस्यों की आभारी हूं। चूंकि यह विधेयक किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, मैं आशा करती हूं कि हर कोई इसका स्वागत करेगा।

दो मुद्दे उठाये गए हैं। एक कुछ जनजातीय नामों को जोड़े जाने के सम्बन्ध में है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह सिर्फ अपमानजनक शब्दों से ही संबंधित है और इसलिए हम इस विधेयक द्वारा और कुछ नहीं सिर्फ उन शब्दों को ही हटाने जा रहे हैं। सरकार एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करेगी और तब उन सभी मुद्दों पर जिनकी चर्चा यहां की गई है, विचार किया जाएगा।

महाराष्ट्र के संबंध में जैसा कि श्री गावित ने कहा है कि उन सभी फर्जी धन्धों को रोकने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने एक जांच समिति स्थापित की है। और मुझे विश्वास है कि वे लोग इसकी समीक्षा कर रहे है तथा वे यह पता लगा लेंगे कि कैसे वे इस फर्जी धन्धे को कम कर सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 341 तथा अनुच्छेद 342 के अनुसार जैसा कि आप जानते हैं कि एक विशेष

राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है और इस प्रकार इस सूची में किसी समुदाय के लोगों को शामिल करते समय सम्बद्ध राज्य में उस समुदाय के लोगों की सामाजिक स्थिति को देखा जाता है। किसी भी जाति की सामाजिक दशा एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो जाती है और किसी भी जाति को पूरे देश में अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में सामान्यीकरण कर देना उचित नहीं होगा। अतः अब तक पूरे भारत में सभी जातियों का सामान्यीकरण नहीं किया गया है। लेकिन अभी भी सरकार एक विस्तृत सूची लाने का विचार कर रही है और जब इसे लाया जाएगा हम विस्तारपूर्वक और गहन रूप में इस पर चर्चा कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभा से यह विधेयक पारित करने का निवेदन करती हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : बस्थाडा और बस्थारा के संबंध में आप क्या कहती हैं ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : इस विषय में भी संशोधन किया जाएगा। उस विस्तृत सूची के साथ यह कार्य किया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : वर्तनी के संबंध में आप क्या कहती हैं ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : यदि यह अपमानजनक है तो इसे शुद्ध करने के मुद्दे पर हम विचार कर सकते हैं। हमें एक विस्तृत सूची लानी ही पड़ेगी। इस पर विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों के नामों को परिवर्तित करने और उनसे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के जोड़ दिए गए।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.47 म० प०

नागालैंड विश्वविद्यालय विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा नागालैंड विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा करेगी। श्री एल० पी० शाही कृपया अपना भाषण शुरू करें।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :*

> "कि नागालैंड राज्य में अध्यापन और सहबद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

इस सभा के सदस्यों को यह जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यह विधेयक राज्य सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित हो गया है। 1987 में इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखते समय प्रधानमन्त्री जी ने नागालैंड के लोगों से जो वायदा किया था उसे आज हम पूरा कर रहे हैं। पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा विभाग से इस संबंध में कुछ दुविधा थी लेकिन बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की जिसने नागालैंड का दौरा किया और फिर उस समिति ने यह सुझाव दिया कि यहां एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए जोकि आम विश्वविद्यालय की तरह न हो बल्कि जिसमें कुछ विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

विगत काल में हमने यह सोचा था कि नागालैंड के लोगों की इच्छा थी कि उनके लिए अलग विश्वविद्यालय हो। इस समय तक लोग शिलांग के नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अनुभवों से मालूम होता है कि छात्रावासों में, नागालैंड और मेघालय के लोगों में, कुछ अन्तर जनजातीय वैर भी है। अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, नागालैंड के लिए हमें एक अलग विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए और यही कारण है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कर केन्द्रीय स्थान निर्धारित किया गया था। इस विश्वविद्यालय के लिए स्थान निर्धारित करने के पश्चात् नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के चार विभाग जो अब तक कोहिमा के कार्यरत थे अब इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्य करेंगे और अब नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का क्षेत्राधिकार नागालैंड नहीं रहेगा। जहां तक नागालैंड का सम्बन्ध है, यहां 19 महाविद्यालय हैं और इनमें करीब छः हजार छात्र हैं। अतः हमें इसे आरम्भ करना है और इसे शुरू करने के लिए हमने एक परामर्श दाता नियुक्त किया जिसे इस पर विचार करके हमें इसकी रिपोर्ट देनी थी। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उस प्रतिवेदन के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आगामी पांच वर्षों में हमें करीब छः करोड़ रुपए व्यय करने होंगे। अतः यह खुशी का अवसर है कि मैं इस पर विचार करने के लिए सभा के समक्ष इसे प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि नागालैंड राज्य में अध्यापन और सहबद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

श्री सैयद शाहबुद्दीन जी अपना भाषण जारी करें।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मैं शायद नागा लोगों के उनके अपने विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा तथापि मैं महसूस करता हूं कि इस देश में उच्च शिक्षा की सम्पूर्ण पद्धति एक पिरामिड के समान है। मैं समझता हूं कि हम विश्वविद्यालय शिक्षा पर खर्च बढ़ा रहे हैं परन्तु इसका हम इतना विस्तार कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और काफी बड़ी संख्या में कॉलिज और शैक्षिक संस्थान सम्पूर्ण देश में कुकुरमुत्ते के समान बढ़ रहे हैं जबकि उनके पास शैक्षिक अथवा गैर-शैक्षिक बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है और न ही वे इस बात की चिन्ता करते हैं कि शिक्षा के स्तर को उचित स्तर तक बनाए रखा जाए। तथापि लगभग राज्यपाल दूसरे सदन तथा राज्य के झंडे की भांति विश्वविद्यालय राज्य का प्रतीक चिन्ह बन गया है।

मैं वास्तव में नहीं समझ पा रहा कि एन० ई० एच० यू० परीक्षण क्यों असफल हो गया। एन० ई० एच० यू० परीक्षण एक महान परीक्षण था।

आज पूर्वोत्तर क्षेत्र भावनात्मक दृष्टि से विभाजित हुआ पड़ा है। क्या इससे हम यह समझें कि एन० ई० एच० यू० का विभाजन होना उस आध्यात्मिक अलगाव का एक और सबूत है जिसने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया है ? इसका अभिप्राय है कि न केवल राजनीतिक मामलों में वे साथ-साथ नहीं रह सकते बल्कि शैक्षिक मामलों में भी उन्हें अलग हो जाना चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी हमें बतायेंगे कि क्या हमारे देश की स्थिति के संदर्भ में शैक्षिक रूप से यह उचित होगा कि हम छः हजार विद्यार्थियों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करें ? इस देश में हजारों कॉलेज हैं और जिनमें से प्रत्येक कॉलेज में छः हजार विद्यार्थियों से भी अधिक विद्यार्थी हैं। हमारे देश में ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनसे सम्बद्ध संस्थानों में पांच लाख विद्यार्थी हैं। अतः इस प्रकार से हम भारत की जनता से समानता का व्यवहार कर रहे हैं। इसका राज्य के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका शिक्षा की विशेषता से कुछ सम्बन्ध है तथा उच्च शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय से भी इसका सम्बन्ध है तथा भौगोलिक दृष्टि से उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है। यही वह आलोचना है जिसे माननीय मंत्री जी को हमें स्पष्ट करना चाहिए कि 5 लाख लोगों और नौ सम्बद्ध कालेजों सहित छः हजार विद्यार्थियों के लिए एक विश्वविद्यालय का होना क्यों आवश्यक है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब मैं इस विधेयक पर गौर करता हूं तब मुझे आश्चर्य होता है कि शायद शिक्षा मंत्रालय के लिए यह बहुत आसान है कि वह एक विधेयक के बाद दूसरा विधेयक प्रस्तुत कर दे। वहां कई विधेयक हैं। आप सिर्फ नाम बदल दीजिए तथा इसे नागालैंड अथवा मिजोरम कहिए और सारा का सारा विधेयक शब्द प्रति शब्द वैसा ही रहता है। अतः यह बहुत ही आसान बात है। मंत्रालय के पास करने के लिए ज्यादा काम नहीं होता। उन्हें केवल इसे पुनः टाइप करके मुद्रित कराना होता है और संसद में आ जाते हैं और इसे पारित करा लेते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में विश्वविद्यालयों को जो ढांचा रखा गया है—और पिछले सत्र में पारित विधेयक में भी इसका जो ढांचा रखा गया था वह अत्यधिक केन्द्रीयकृत और तानाशाहीपूर्ण है। इससे शैक्षणिक स्वायत्तता की भावना का पूर्णतः उल्लंघन होता है। ये विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान नहीं हैं। ये शैक्षणिक संस्थाएं भी नहीं हैं। ये मात्र शिक्षा मंत्रालय का विस्तार अर्थात् इसके संबद्ध और सहायक कार्यालय की भांति है जहां उप-कुलपति मात्र दिल्ली के अधिकारियों या संभवतः राज्य सरकार के इशारों पर चलने वाला है।

महोदय, विश्वविद्यालय का जनता के साथ संपर्क होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उदाहरण के तौर पर न्यायालय की संरचना पर विचार करें। यदि यह विश्वविद्यालय जनता की वैध आकांक्षाओं को मानने वाला और उन्हें पूरा करने वाला है तब उस मामले में विश्वविद्यालय ही जनता और विश्वविद्यालय के बीच संपर्क का माध्यम है। फिर यह विश्वविद्यालय लोगों की महत्व-कांक्षाओं को कहां तक प्रतिबिंबित करता है, यह मेरा प्रश्न है। यदि इसमें सरकार के अथवा सरकारी प्रशासकों तथा विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों को पदेन सदस्य के रूप में लिया जाता है तो ऐसे विश्व-विद्यालय का जनता के साथ भी कोई संपर्क नहीं रहेगा। आपके मन में जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का पूरा करने का जो विचार है उससे आपका वह राजनैतिक उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

यही बात उप-कुलपति की नियुक्ति के प्रश्न पर लागू होती है। यदि आप इस खंड की तरफ देखें तो आपको इस बारे में पता चलेगा। मैं इस बारे में विस्तार में नहीं कहूंगा क्योंकि हम सब समय बचाना चाहते हैं। किंतु जैसा कि मैंने कहा ऐसी बातें इस विधेयक में नई नहीं हैं। यह शिक्षा मंत्रालय के श्री शाही और श्री शिव शंकर की विचारधारा ही बन गई है कि इन विधानों के सहारे, जिन पर पर्याप्त विचार किए बिना इतनी आसानी से पारित कर दिया गया है, इन विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा कम की जा रही है। उन्हें प्रशासनिक विभागों की तरह चलाया जा रहा है और यदि भारत में विश्व-विद्यालयों को ऐसी भूमिका निभानी है जैसी कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं तो यह सब बन्द होना चाहिए। यह मेरी सामान्य आलोचना है।

पुनः मैं कहूंगा कि मैं प्रसन्न नहीं हूं। नागा लोग बहुत साहसी लोग हैं। यदि अन्य राज्यों की भांति वे अपने राज्य का पृथक उच्च न्यायालय और विश्वविद्यालय और संभवतः अपना दूसरा प्रकोष्ट बनाना चाहते हैं तो ठीक है क्या हमें इसी दिशा में अग्रसर होना चाहिए। महोदय, यह खुशी की बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के संबंध में अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। मैं न तो इसका समर्थन कर सकता हूं न ही इसका विरोध कर सकता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्री शाहबुद्दीन ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। किंतु मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए तथा सदस्यों के लिए यह उचित समय है कि इन प्रश्नों पर इतनी गंभीरता से विचार करे, जितनी आवश्यकता है। अन्य स्तरों पर भी इन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

यह सच है कि, जैसा कि हमने कहा, इस क्षेत्र में बहुत-सा भ्रम पैदा हुआ है। यहां कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भी हैं। किंतु जहां तक नागा विश्वविद्यालय संबंधी प्रस्ताव का संबंध है हमें क्या करना होगा? यह मांग काफी समय से की जाती रही है। जब से उनके राज्य की स्थापना हुई है तभी से यह मांग की जाती रही है। पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम इसके साथ इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि उन्होंने ही पहली बार प्रथक नागालैंड राज्य बनाने के लिए और उसे राज्य का दर्जा देने की पहल की थी। उससे पहले इतने छोटे क्षेत्रों और इतनी कम जनसंख्या के लिए अलग राज्य नहीं बनाया गया था। यह भी एक कारण है कि इस विश्वविद्यालय के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी के नाम इसमें जोड़े जा रहे हैं। कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम निजी रूप से विश्वविद्यालयों के साथ जोड़े जा चुके हैं।

यह हमारे लिए आम बात हो गई है। अन्य बहुत से विश्वविद्यालय हैं। यहां पंत विश्वविद्यालय

भी है। कुछ अन्य नाम भी दिए जा सकते हैं। शिक्षाविदों द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों में एक मामला यह भी है कि क्या विश्वविद्यालय के साथ व्यक्तिगत रूप से भी कुछ नाम जोड़े जाएं।

ऐसा क्यों है कि मात्र इन पांच लाख लोगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? यह आश्चर्य की बात है। मुझे काफी समय पहले इस क्षेत्र में जाने का मौका मिला था जब श्री गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री हुआ करते थे। मिजोलैंड वासी मात्र यह सुझाव देकर अपने लिए एक राष्ट्र की कल्पना कर सकते थे कि मिजोलैंड के लिए एक पृथक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। श्री नंदा ने इसे एक हास्यास्पद स्थिति माना। उन्होंने इस विषय पर सहमत होने से इंकार कर दिया।

3.00 म० प०

तब उन्होंने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया। उससे यह विवाद के एक अन्य इस मुद्दे पर आ गए कि उनके लिए पृथक राज्य भी होना चाहिए या नहीं और फिर 30 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। केवल 4-5 लाख लोगों के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना हुई। हमें मजबूरन इसे सहन करना पड़ा समूचे भारत को उनके उस नेता के साथ समझौता करने के लिए मजबूरन इसे सहन करना पड़ा, जो मेरे विचार से कुछ समय के लिए पूरी तरह इंगलैंड का नागरिक बन गया था। उन्होंने उस व्यक्ति को यहां वापिस बुलाया। हमने एक पृथक राज्य की स्थापना करके उन्हें वहां का प्रथम मुख्यमंत्री बनाने में सहायता की। ये सब बहुत बड़ी समस्यांएं हैं। यह एक बहुत बड़ा देश है जहां विभिन्न समाज जन-जातियों और सांस्कृतिक विचारधाराओं के लोग रहते हैं। इसलिए हमें ऐसी सब अपवाद स्वरूप बातों पर सहमति देनी होगी और हम इनसे बच नहीं सकते। किसी एक राज्य विशेष में 4 लाख तक लोग हो सकते हैं। वे कुछ अन्य पड़ोसी क्षेत्रों के लिए दावा कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों में नागा लोग हैं। नागालैंड विश्वविद्यालय की स्थापना करके हमें इन सब लोगों को सांस्कृतिक प्रतिष्ठा प्रदान करनी होगी इससे उन्हें कुछ संतोष मिलेगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : नागालैंड विश्वविद्यालय नागालैंड राज्य से बाहर के संस्थानों की स्थापना नहीं कर सकता।

प्रो० एन० जी० रंगा : इन सब बातों पर पृथक से विचार करना होगा, अभी इन पर विचार नहीं किया जा सकता। हमें अब विश्वविद्यालयों की स्थापना की पूर्व धारणा को बदल कर नई धारणा बनानी होगी। हमारी पूर्वधारणा के अनुसार कालेजों की स्थापना की जाती थी न कि विश्वविद्यालयों की। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मेरे माननीय मित्र कुछ हजार छात्रों और विश्व-विद्यालय की बात कर रहे थे। एक समय ऐसा था जब उस सारे क्षेत्र के लिए बिहार और उड़ीसा के एक मात्र तथा समूचे बंगाल के लिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय ही एक मात्र विश्वविद्यालय था। यहां तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम उस स्थिति से काफी आगे बढ़ चुके हैं। मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र अर्थात् मंत्री महोदय की इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए भर्त्सना की जानी चाहिए। हमें इस नागालैंड विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए और यह आशा करनी चाहिए कि भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों की आदिवासी जनता भी इससे संतुष्ट होगी और यदि वे इससे संतुष्ट नहीं हैं तथा यदि वे भी अपने लिए इसी तरह के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए जोर देते रहेंगे, तब हमें इसके विश्वविद्यालय स्तर के बारे में सोचना होगा और उनके कछार तथा अन्य स्थानों पर पहले ही से स्थापित कालेजों का दर्जा विश्वविद्यालय स्तर तक बढ़ाना होगा और

उन्हें संतुष्ट करना होगा। एकमात्र प्रश्न इस पर खर्च होने वाले धन का है। वह भी अनुपात का प्रश्न है कि कितना धन देना होगा, उप-कुलपति को कितना धन दिया जाए आदि। दूसरा प्रश्न इन सभी लोगों पर नियंत्रण से संबंधित है तथा इन बातों पर भी विचार करना होगा कि क्या इसे शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध एक अतिरिक्त विभाग बनाया जा रहा है अथवा नहीं। मैं नहीं जानता कि क्या मेरे माननीय मित्र को इस तथ्य की जानकारी है कि ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जहां राज्य सरकारों का उनके स्थानीय विश्वविद्यालयों पर बहुत नियंत्रण है तथा वह यह अधिकार हथिया लेते हैं कि वे कुलपति को बर्खास्त करके दूसरे कुलपति को नियुक्त कर देती हैं तथा सिंडीकेट को हटा करके सिंडीकेट के अन्य सदस्य नियुक्त कर देती हैं ये सब बातें हो रही हैं। यह एक जटिल प्रश्न है। यह प्रश्न कभी हल होने वाला नहीं है। लेकिन इतनी परेशानियां जरूरी नहीं हैं और इसकी सलाह भी नहीं दी जा सकती। इस बारे में कुछ गंभीर अध्ययन करने होंगे तथा वह अध्ययन मंत्री महोदय अकेले नहीं कर सकते।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री तथा समूचे भारत के राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को मिलकर बैठना होगा तथा शिक्षाविदों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सहयोग लेना होगा तथा फिर हमारी सहायया करनी होगी कि हम एक व्यापक, अधिक उपयुक्त और अधिक व्यवहारिक शिक्षा पद्धति बनाएं और जहां तक संस्थाओं के प्रबंध का संबंध है उसमें स्वायत्तता अधिक से अधिक हो और निरकुश हस्तक्षेप बहुत कम हो।

मुझे खुशी है कि आखिर इतने अर्से के बाद यह विधेयक पुरःस्थापित हुआ है जबकि इसे काफी समय पहले ही पारित कर दिया जाना चाहिए था। मैं इस विश्वविद्यालग की सफलता की कामना करता हूं।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं शिक्षा मंत्री तथा प्रधानमंत्री को अब यह निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं। यह निर्णय पहले लिया जाना चाहिए था। ऐसे मामलों में निर्णय लेने का मानदंड यह नहीं होता कि 6000 छात्रों या पांच लाख छात्रों के लिए किसी राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। प्रश्न यह है कि राज्य के लोग पृथक विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। यह जनता की बहुत पुरानी मांग है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत पहले की जानी चाहिए थी। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री को इस विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने पर बधाई देता हूं। सरकार द्वारा यह एक साहसिक कदम उठाया गया है।

शिक्षा जनता की मूल आवश्यकता है और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह जनता को इसके लिए उचित अवसर प्रदान करे, चाहे ये लोग आदिवासी हों अथवा अनुसूचित जाति के या फिर अन्य जातियों के। निश्चय ही नागालैंड की स्थलाकृति असाधारण है। मैं यह महसूस करता हूं कि नागा लोगों को नागालैंड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने से शिक्षा पद्धति को उनकी संस्कृति और स्वभाव के साथ जोड़ा जाएगा। हमें इसका पूरा समर्थन करना चाहिए। इससे उन्हें भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ने में सहायता मिलेगी।

मैं श्री शाहबुद्दीन द्वारा इस विधेयक के विरुद्ध की गई आलोचना को समझने में असमर्थ हूं। मैं उनकी कठिनाई को नहीं समझ पाता हूं। वस्तुतः इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि यदि 6 हजार छात्र हैं तो शिक्षक वर्ग छात्रों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। निस्संदेह मैं श्री शाहबुद्दीन की एक टिप्पणी से सहमत हूं कि शिक्षा का स्तर नीचे नहीं गिरना चाहिए। विश्वविद्यालय का स्तर

बनाए रखा जाना चाहिए। मैं यह स्वीकार कर सकता हूं और उस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह फैसला निश्चित रूप से सही समय पर लिया गया सही फैसला है। अब तक ये 6 हजार छात्र पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय के अंतर्गत थे अब यह एक अलग विश्वविद्यालय बन गया है। क्या श्री शाहबुद्दीन विकेंद्रीकरण का समर्थन नहीं कर रहे हैं? एक अलग विश्वविद्यालय बना कर क्या आप उन्हें शिक्षा के अच्छे अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं? छात्रों के थोड़ी संख्या में होने से उन्हें अच्छी शिक्षा देना आसान नहीं है? मुझे इस विधेयक का किसी प्रकार का विरोध समझ नहीं आता है।

मैं पूरी तरह से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। आखिर शिक्षा बुनियादी आवश्यकता है। हमारे जैसे लोकतान्त्रिक देश में यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी वर्ग के लोगों में शिक्षा का प्रसार करे। लेकिन केवल शिक्षा देने से ही प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शिक्षा कार्योमुख हो, अन्यथा काफी संख्या में स्नातक पैदा करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इस पर गौर किया जाना चाहिए। यहां मैं प्रोफेसर रंगा को भी अपना धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में जिक्र किया है। श्री शाहबुद्दीन द्वारा उल्लिखित एक मुद्दा यह था कि यह वह स्थान है जहां केवल 19 महाविद्यालय हैं और 6000 छात्र हैं। इसलिए, वहां एक और विश्वविद्यालय की क्या आवश्यकता है? आप उन दिनों को भूल जाते हैं जब इसका क्षेत्राधिकार बिहार और अन्य स्थानों तक फैला हुआ था। आज भी मैं यहां राज्य सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं—यद्यपि इस कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में कई महाविद्यालय हैं लेकिन वे परीक्षायें नहीं ले सकते हैं। क्या यह छात्रों के लिए अच्छा है? अतः ऐसे विश्वविद्यालय का क्या औचित्य है जिसके क्षेत्राधिकार में सैकड़ों महाविद्यालय हों लेकिन परीक्षायें नहीं ले सकते हों? यदि आप एक निश्चित समयावधि में अपना शैक्षिक वर्ष पूरा नहीं कर सकते हैं और इस तरह छात्रों को काफी नुकसान होता है तो ऐसे विश्वविद्यालय से क्या फायदा है? अतः इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यदि 19 महाविद्यालयों को एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत ले लिया जाये और उचित शिक्षा दी जाये। छात्रों के लिए उचित परीक्षा करवाई जाए और उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को उचित समय भी मिल पाये। यदि मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की मौजूदा हालात की तुलना करता हूं तो मैं विधेयक के मुताबिक विश्वविद्यालय के इस तरह के विकेन्द्रीकरण का स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि भविष्य में यदि और विश्वविद्यालय खोले जायें तो यह छात्रों के फायदे के लिए अच्छी बात होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस नागालैंड विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया। यह इस विधान का एक स्वागत योग्य भाग है। इसके जरिए हम अपने देश के पूर्वोत्तर भाग में एक नया विश्वविद्यालय खोल सकेंगे।

नागालैंड के लोग काफी समय से इस प्रकार के एक विश्वविद्यालय को स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इस तरह यह उन्हें दिए वायदे और आश्वासन को पूरा करने की बात है। हमारे प्रधानमंत्री विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। व्यापक रूप से भ्रमण करने के बाद उन्हें नागालैंड की संस्कृति, वहां के लोगों की आकांक्षाओं की जानकारी है और अब वह वहां एक विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय का स्वरूप वहां साकार होगा। नागालैंड के लोगों का स्वप्न इस विधेयक के जरिए एक निश्चित स्वरूप ले सकेगा।

मैं दूसरे पक्ष के अपने माननीय मित्र श्री शाहबुद्दीन के तर्क को समझने में भी असमर्थ हूं। जनसंख्या इसका आधार नहीं है। छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय खोलने या स्थापित करने के लिए एकमात्र आधार नहीं होनी चाहिए। यदि जनसंख्या ही एकमात्र आधार हो तो सात बहिन राज्य (पूर्वोत्तर राज्य) का इस संदर्भ में जिक्र नहीं हो सकता था। विश्वविद्यालय खोलने सहित और कतिपय चीजों पर गौर करते वक्त उनकी संस्कृति, भौगोलिक स्थिति और अन्य कई बातों पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा वह प्राथमिक चीज है जिस पर हम जोर देना चाहते हैं। यदि ठीक प्रकार की शिक्षा दी जाए तो इससे एक नई पीढ़ी पैदा होगी, ऐसी पीढ़ी जिसकी हम इच्छा करते हैं। हमारे सभी विश्वविद्यालयों, हमारे सभी संस्थानों हमारे सभी महाविद्यालयों और हमारे सभी कारखानों से योग्य व्यक्ति निकलने चाहिएं। हमने अपने देश में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है चाहे यह कृषि हो, चाहे उद्योग हो। हमने प्रगति की है। हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। दूसरी तरफ यह विडम्बना है कि हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हम इनसानियत में पीछे हैं—न केवल भारत में बल्कि समूचे विश्व में। यहां योग्य व्यक्तियों की कमी है। इसकी कमी न केवल भारत में बल्कि समूचे विश्व में है। अब यह प्रत्येक प्रशासन, प्रत्येक सरकार—विशेष रूप से हमारी सरकार की कोशिश होनी चाहिए, यही वजह है कि हमने एक नया मंत्रालय खोला है हमने इसका मानव संसाधन मंत्रालय के रूप में पुनः नामांकन किया है। हमारे युवा, सक्रिय प्रधान मंत्री ने स्वयं यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी ली कि एक नई शिक्षा नीति बनायी जाए। इस नीति के पीछे सिद्धांत, दर्शन यह है कि हमें एक अच्छा आदमी बनाना है। हमें अपने बच्चों अपने युवा लोगों को अच्छे नागरिकों में बदलना है।

मुझे यह देखकर खेद है कि कुछ भिन्न कारणों की वजह से नयी शिक्षा नीति सही परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित नहीं की जा सकी। इसके उद्देश्य को ठीक तरह से नहीं समझा गया और न ही विभिन्न राज्यों द्वारा गंभीरता से लिया गया। लेकिन चूंकि शिक्षा राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है अतः वे इस नीति को कार्यान्वित कर रहे हैं। कभी-कभी वे संसाधनों की कमी की शिकायत करते हैं। खैर नई शिक्षा नीति काफी आशा लायेगी। लेकिन इससे अब एक पूर्ण सफलता हासिल नहीं हुई है।

इस विधेयक का मसविदा अच्छी तरह बनाया गया है। जैसे कि मैंने कहा था कि यह पहले के वायदे की पूर्ति की गई है। लेकिन नियमित पाठ्यक्रम और दैनिक किस्स की शिक्षा यहां नहीं होनी चाहिए। शिक्षा को बदलते समय के अनुकूल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था शिक्षा इनसान्यित जगाने तथा उन छुपी हुई योग्यताओं को बाहर लाने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है जो प्रत्येक बच्चे में होती है। हम उन्हें कैसे क्रियाशील कर सकते हैं? शिक्षा उस रूप में यहां एक माध्यम है। लेकिन यदि हम आज की शिक्षा पर विचार करें तो हमें ज्यादा निराशा ही होगी।

शिक्षा हमारे जीवन और हमारी प्रगति के सुसंगत होनी चाहिए। आज सारी प्रगति करने के बावजूद जिस गंभीर समस्या का हम सामना कर रहे हैं वह बेरोजगारी है।

मैं दो सुझाव दे रहा हूं। इस विधेयक में उप-कुलपति को व्यापक शक्तियां दी हुई हैं। हमेशा इन शक्तियों का दुरुपयोग करने का अन्देशा रहता है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर कुछ निगरानी और नियंत्रण रखे। छात्र परिषद् भी हुआ करती है।

(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री टोम्बी सिंह। जो कुछ श्री पाणिग्रही ने कहा है वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं यह काफी है। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह एक नया विश्वविद्यालय है। हम इस विश्वविद्यालय के लिए शुभकामना करते हैं।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : प्रारम्भ में मैं नागालैंड के लोगों, सम्पूर्ण नागालैंड राज्य तथा हमारे माननीय प्रधानमंत्री को—और बेशक सीधे हमारे शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने यह विधेयक रखा है।

पूर्वोत्तर राज्यों में छोटे विश्वविद्यालयों का इतिहास काफी पुराना है। मुझे माननीय सदस्य श्री शाहबुद्दीन जी द्वारा इस विधेयक को समर्थन न देने और इसका महत्व न समझने पर मुझे आश्चर्य है तथा मैं उनसे असहमत हूं। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें शिक्षा की जरूरत है। परन्तु शायद उन्हें इस विषय पर और अधिक जानकारी की आवश्यकता है।

यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं छोटे राज्यों के गठन के साथ राजनैतिक रूप से जुड़ा हुआ हूं, और मैं इन छोटे राज्यों की ओर से कलकत्ता तथा गुवाहाटी में—अपनी हैसियत से शैक्षिक समुदाय का सदस्य रहते हुए—शैक्षिक संस्थाओं के गठन तथा स्थापना तथा विश्वविद्यालयों के विभाजन से जुड़ा रहा हूं। इस शदी के सातवें दशक के प्रारम्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जी के मार्गदर्शन में एक समिति के द्वारा इन समस्याओं की जांच करनी शुरू कर दी थी।

मुझे याद है कि मैंने उस समिति के समक्ष सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में एक विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता के समर्थन में साक्ष्य दिया था और इसे लघु इकाइयों में परिसरों के माध्यम से कार्य करना था। उस समय हमने यह पूर्वानुमान लगा लिया था—स्थानीय लोगों ने, उन सभी ने जो इस छोटे से राज्य से सम्बद्ध थे—कि किसी दिन यह अनुभूति पूरे राष्ट्र को होगी। परन्तु दुर्भाग्यवश, उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति इस बात पर भी सहमत नहीं हो सकी थी कि ये परिसर मेघालय में स्थापित किए जाने वाले 'हिल यूनिवर्सिटी' या केन्द्रीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में खोले जाने चाहिए। इस बात से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ दूसरी चर्चा आरम्भ हुई। इकाइयां लघु हैं। इसलिए मैं इन लघु राज्यों के पूर्ण इतिहास में नहीं जाना चाहता। आज हमने यह महसूस किया है कि उस समय स्थानीय लोगों की मांग स्वीकार कर ली गई है क्योंकि एन० ई० एच० यू० की स्थापना 1972 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की जानी थी, और उस समय हमने अपने विचार व्यक्त किए थे कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे राजनैतिक परिवर्तनों को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं होगा; इस लघु राज्य में एक पूर्ण विश्वविद्यालय बनाने के लिए एक पूर्ण परिसर तैयार करना होगा, इसका भी पूर्वानुमान लगाना है। इसे भी कार्यरूप नहीं दिया गया। परन्तु मणिपुर की ओर से भी यह मांग है। बेशक मिजोरम ने यह मांग एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में रखी है। परन्तु मणिपुर तथा अन्य स्थानों से भी यह मांग जारी है। अब

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चूंकि नागालैंड क्षेत्रीय रूप से मेरे राज्य और मेरे चुनाव क्षेत्र के समीप है तथा इसके नागा जनसंख्या भी है, इसलिए मैं जानता हूं कि हमारी कुछ समस्यायें एक जैसी हैं। यह जानना और नागालैंड में शैक्षिक समुदाय के साथ यह चर्चा करना मेरा सौभाग्य रहा है कि अब इस परिसर को एक पूर्ण विश्वविद्यालय में उन्नत किया जाने वाला है और इसे मुख्यालय यानि मेघालय में एन० ई० एच० यू० से अलग किया जाने वाला है। यह एक बहुत उपयुक्त कदम है और इससे अधिक स्वागतयोग्य और कोई कदम नहीं हो सकता। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। राजनैतिक तौर पर बेशक हम एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हो गये हैं। अन्यथा, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से तथा शिक्षा में हमें इसे अपना प्रबन्ध देना होगा, अपना विश्वविद्यालय देना होगा ताकि यह नागरिकों के एक पूर्ण समुदाय के रूप में, नागरिकों के राज्य के रूप में भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा में पूर्ण रूप से भाग लेने हेतु विकसित हो सके। शिक्षा मंत्री से हम एक मात्र यही मांग करना चाहते हैं कि जो विश्वविद्यालय उभर रहे हैं, उनकी ठीक तरह देखभाल की जानी चाहिए। किसार विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। मणिपुर विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय है जो पहले से ही वहां है। फिर, असम में तीन विश्वविद्यालय हैं— डिब्रुगढ़, गुवाहाटी तथा किसार। फिर, अरुणाचल प्रदेश में इसकी सीमितताओं, कम जनसंख्या इत्यादि के बावजूद, एक विश्वविद्यालय है। मेघालय में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम एन० ई० एच० यू० है। नागालैंड में इस नये विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र की परिसीमाओं के बारे में श्री शाहबुद्दीन द्वारा उठाई गई बात को मैं नहीं समझ सकता क्योंकि सभी पड़ौसी राज्यों में उनके अपने विश्वविद्यालय हैं। अब नागालैंड विश्वविद्यालय को फिर अपना अधिकार क्षेत्र नेपाल तथा अन्य राज्यों की तरह बढ़ाने का प्रलोभन क्यों दिया जाए क्योंकि सभी पड़ौसी राज्यों में उनके अपने विश्वविद्यालय हैं ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैंने प्रो० रंगा का कथन सुना है। उनका कहना है कि नागालैंड के बाहर रहने वाले नागा लोगों को भी इस विश्वविद्यालय का लाभ दिया जाना चाहिए।

श्री एन० टोम्बी सिंह : उन्हें उन राज्यों के विश्वविद्यालयों का लाभ मिल सकता है जिनमें वे रह रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि इसे कार्यरूप देते समय हमें परीक्षाओं के स्तर का ध्यान रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एन० टोम्बी सिंह : प्रादेशिक तौर पर मैं इससे बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ हूं। संयोगवश, नागालैंड से इस सभा में कोई सांसद नहीं है। इसलिए एक पड़ौसी सांसद होने के नाते मैं कुछ समय और लेना चाहता हूं।

महोदय, इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है। मैं इसका कारण नहीं जानता, किन्तु शिक्षा का स्तर देश में अन्य विश्वविद्यालयों के स्तर जैसा नहीं है। शिक्षा का एक निश्चित स्तर कायम रखना बेशक इन विश्वविद्यालयों के प्रबन्धकों का काम है, परन्तु हमें इस तथ्य को मानना होगा कि इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा, शिक्षण तथा परीक्षा का स्तर देश में अन्य विश्वविद्यालयों, विशेष तौर पर दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता इत्यादि विश्वविद्यालयों के स्तर के बराबर नहीं हैं। अन्य सभी विश्वविद्यालयों में स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम तथा विशेष विषय शुरू हो गये हैं। इन विश्वविद्यालयों को प्रवेश के समय हानि उठानी पड़ती है। परन्तु प्रतिभाकार, विशेष समझी जाने वाली श्रेणियों में प्रवेश लेने के बाद यह हमारा अनुभव रहा है कि हमारे लड़के-लड़कियों का परिणाम बहुत अच्छा होता है, वे देश के अन्य भागों के लड़के-लड़कियों के समान होते हैं। अतः इस व्यवस्था में अथवा

कानून तथा नियमों के कार्यान्वयन में ही कोई कमी है। यदि हम नये विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखें विशेष तौर पर पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता से, जो राजनैतिक रूप से इतना अधिक आन्दोलित है और जिसमें बहुत-सी समस्यायें हैं, तो हमारे विश्वविद्यालयों को अपना स्तर सुधारना होगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिसमें नागालैंड में एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान है। इस विषय में मैं एक बार नागालैंड के लोगों को फिर बधाई देता हूं और इस विधेयक को लाने हेतु मैं माननीय मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं इस नागालैंड विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 का स्वागत करती हूं। नागालैंड में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की नागालैंड के लोगों की मांग काफी समय से लंबित थी। मैं प्रधानमंत्री तथा शिक्षा मंत्री को भी यह विधेयक लाने के लिए बधाई देती हूं। लेकिन मैं केवल एक या दो मुद्दों पर अनुरोध करना चाहती हूं। समय कम है इसलिए मैं विधेयक पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रही। (व्यवधान) मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान केवल एक या दो मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

पिछले सत्र में इस सदन ने असम में एक विश्वविद्यालय के बारे में एक विधेयक पारित किया था। यह बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन इस पर बाद में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार द्वारा आज तक कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है। यदि सरकार कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं करेगी तो इस प्रकार के विधेयकों को पारित करने का कोई फायदा नहीं है। एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने तथा प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।

मैं नागालैंड के लोगों को अच्छी तरह से जानती हूं। मैं वहां पर तीन बार गई हूं। वे बहुत सीधे-सादे लोग हैं लेकिन केवल शिक्षा की कमी के कारण वे भारत को अच्छी तरह से नहीं जानते। वे केवल पूर्वी क्षेत्र या पूर्वोत्तर भागों के लोगों के बारे में जानते हैं, देश के बाकी भाग के बारे में नहीं जानते। इसलिए इस विधेयक के द्वारा उन्हें हमारे देश की संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिल सकेगा और वे लोगों के विकास के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। वे हमारे देश को अच्छी तरह जान सकेंगे। यह विधेयक उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करेगा।

लेकिन इसके साथ ही नागालैंड के कुछ प्रवासी लोग भी हैं जो वहां पर बहुत पहले से रह रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है अथवा उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि वहां पर शुरू से रह रहे प्रवासी लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। उन्हें इस विश्वविद्यालय के माध्यम से उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। अन्यथा वे कहां जाएंगे ? उनकी संस्कृति नागालैंड की संस्कृति जैसी ही है। उनकी शिक्षा और इसका माध्यम अथवा संस्कृति उसी प्रकार की हो जैसी नागालैंड की है। उनका जीवन स्तर भी नागाओं जैसा ही है। लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें अक्सर कहा जा रहा है, "आप प्रवासी लोग हैं, आप मैदानी लोग हैं, आपको यह प्राथमिकता नहीं दी जाएगी क्योंकि आप आदिवासी नहीं हैं।" मैं चाहती हूं कि ऐसी भावनाएं समाप्त हों। मैं चाहती हूं कि आप हमें आश्वस्त करें कि इस विधेयक के द्वारा प्रवासी लोगों को भी कुछ अवसर देने के लिए कुछ उपबंध होंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह विधेयक एक प्रगतिशील उपाय है और मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसमें अनेक कमियां हैं।

सर्वप्रथम, मैं नागालैंड में अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर कुमारी ममता बनर्जी का समर्थन करता हूं क्योंकि कभी-कभी हम अल्पसंख्यक गुटों का ध्यान नहीं रखते। हमने हाल ही में लद्दाख में अनेक सुविधाएं दीं लेकिन अरूगनों को छोड़ दिया जो लेह में पांच सौ वर्षों से रह रहे हैं। यह लघु जनगणना पुनः करनी होगी क्योंकि हम ऐसे गुटों के प्रति अन्याय नहीं कर सकते।

महोदय, मेरे विचार से यह विधेयक एक प्रगतिशील उपाय है। मैंने विधेयक को देखा है। मैं एक प्रश्न करता हूं: एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय क्यों? नागालैंड की अपनी विधानसभा है। हम विधानसभा द्वारा एक अधिनियम पारित करवाकर एक विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते थे। मैं श्री शाहबुद्दीन से सहमत नहीं हूं जिन्होंने कहा है कि हम छः हजार लोगों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। एक व्यापक दृष्टिकोण से वे सही हैं। नागा लोग केवल पांच हजार हो सकते हैं लेकिन उन्हें यह अधिकार है क्योंकि वे दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे हैं और उन्हें विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा अवश्य ही मिलनी चाहिए। हम ऐसा विधान सभा के अधिनियम द्वारा क्यों नहीं कर सकते और हम संसद के अधिनियम द्वारा ही ऐसा क्यों करते हैं? संभवतः ऐसा इसलिए है कि मैं इस विधेयक में देखता हूं कि कोई स्वायत्तता नहीं है। इस विधेयक की संरचना में कोई स्वायत्तता नहीं है। यह तो श्री शाही को बताना है कि इसमें स्वायत्तता कहां है। यह किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय जैसा है क्योंकि यहां पर हम इस विधेयक पर जो कुछ भी वाद-विवाद करते हैं, मंत्रालय यहां पर प्रकट किए गए विचारों पर कोई ध्यान नहीं देता। जब आप एक विश्वविद्यालय शुरू करते हैं तो एक नया विचार ला सकते हैं।

मैं श्री शाही जी का ध्यान एक और मुद्दे की ओर दिलाना चाहूंगा। हमारे यहां कालेज तथा विश्वविद्यालय तो पर्याप्त संख्या में हैं लेकिन इन्हें सुदृढ़ नहीं बनाया गया है। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। आप यह नहीं जानते कि धनराशि के 90 प्रतिशत भाग का विश्वविद्यालयों में अनुसंधान पर अपव्यय हो रहा है। हमारे विश्वविद्यालय अनुसंधान नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां भाषाओं में सैंकड़ों पी० एच० डी० डिग्रीधारी हैं। इन पी० एच० डी० के शोधपत्रों में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। "पी० एच० डी० ए डाइक ए डंजन" नामक एक लेख छपा था। देश की गाढ़ी कमाई का विश्वविद्यालयों में अपव्यय हो रहा है। विश्वविद्यालयों की देखरेख करने या निरीक्षण करने के लिए कोई संस्था नहीं है।

जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संबंध है, यह एक मृत संस्था है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहता हूं कि वह शिक्षाविदों का एक सम्मेलन बुलाएं, मैं इसमें सिद्ध करूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैसी संस्था है और यह धनराशि किस प्रकार देती है। इसे यह नहीं पता कि विश्वविद्यालयों में धनराशि का उपयोग कैसे किया जाता है। इसका विश्वविद्यालयों के शिक्षण पर कोई नियन्त्रण नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग धनराशि देने वाली संस्था के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कार्य शिक्षा मन्त्रालय के कक्ष द्वारा भी किया जा सकता है। यह पूर्णतया एक मृत संस्था है। विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता है और उन्हें नियन्त्रित करने वाला कोई नहीं है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय इस तथ्य को ध्यान में रखें और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य की जांच हो। मेरे पास गंभीर आरोप हैं। वे अपने कार्यालय में आराम से बैठे रहते हैं और देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों का दौरा नहीं करते और यह नहीं देखते कि विश्वविद्यालय किस प्रकार कार्य कर रहे हैं।

महोदय, क्योंकि मुझे अपने अन्य साथियों के लिए भी समय रखना है इसलिए मैं अब विधेयक पर आता हूं और विधेयक के दो या तीन उपबन्धों का उल्लेख करूंगा। मैं उपबन्ध की तो आलोचना

करता हूं और दूसरे का स्वागत करता हूं। आपने कहा है कि अब हमारे यहां चयन समितियां हैं। मैं नहीं समझता कि यह उपबन्ध सही तरह से तैयार किया गया है। आपने कहा है कि रजिस्ट्रार वित्त अधिकारियों, प्रोफसरों और रीडरों की नियुक्ति के लिए चयन समिति होगी। यह कहीं भी नहीं लिखा है कि इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। कुलपति अपने पद के कारण सदैव अध्यक्ष नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए विजिटर का एक नामजद व्यक्ति है। विजिटर किसी ऐसे व्यक्ति को नामजद कर सकता है जो कुलपति के स्तर से कहीं अधिक ऊंचा है। आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए इस बारे में विचार करने के लिए निदेश दीजिए। क्योंकि जब विजिटर किसी व्यक्ति को एक समिति के लिए नामजद करता है तो कुलपति के वहां पर होने तथा उनके पद के कारण वह व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होगा। इसी कारण से कुलपति उस समिति का अध्यक्ष होगा। इसलिए जब आप रजिस्ट्रार नियुक्त करें तो कुलपति अध्यक्ष हो। लेकिन जब आप एक प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं और कहते हैं कि विजिटर का एक नामजद व्यक्ति होगा तो विजिटर का नामजद व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कुलपति के पद से ऊंचे पद पर आसीन हो। इसलिए इस विधेयक में यह खामी है ··(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या उन्होंने नागालैंड विधान सभा से विचार-विमर्श किया है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे नहीं पता। नागालैंड विधान सभा से विचार विमर्श-किया जाना चाहिए था। यह विधेयक उस विधान सभा में जाना चाहिए था। यह इस संसद के लिए अनावश्यक कार्य है। फिर भी, श्री शाही इसका उत्तर देंगे।

महोदय, विधेयक में एक अच्छा उपबंध है कि विश्वविद्यालय के लिए एक पूर्वछात्र परिषद होगी। यह एक उपबन्ध है और इस पूर्वछात्र परिषद में अनेक लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। यह एक अत्यन्त प्रगतिशील उपाय है हालांकि इसके सदस्यों को कार्यकारी समिति इत्यादि में जाने से रोका गया है।

छात्र परिषद का उपबन्ध है। यह बहुत अच्छा उपबन्ध है। मैं विधेयक में ऐसा उपबन्ध करने के लिए मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। छात्र परिषद का विचार बहुत अच्छा है। लेकिन आप चाहते हैं कि यह छात्र परिषद एक वर्ष में एक बार बैठक करे। विश्वविद्यालय एक सक्रिय संस्था है। प्रतिदिन समस्याएं होती हैं। छात्र परिषद की वर्ष में एक बार बैठक होगी और वह भी सत्र के प्रारम्भ में होगी। यह गलत विचार है। छात्र परिषद एक वर्ष में चार बार बैठक करे। मैं समझता हूं कि श्री शाही इसे मानते हुए कहेंगे कि छात्र परिषद कम से कम एक से अधिक बार बैठक करेगी। वह मेरे इस मत से सहमत नहीं हैं कि इसकी चार बार बैठकें हों। इसकी कम से कम दो बार अवश्य बैठक हो। सत्र आरम्भ होने के समय ऐसा किया जायेगा और फिर पूरे वर्ष छात्रों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इस विधेयक को यहां पेश करने की बजाए क्यों नहीं राज्य विधानसभा में पेश किया गया ?

श्री एल० पी० शाही : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं कुमारी ममता बनर्जी ने जो कहा है उसकी चर्चा करना चाहूंगा कि हमने असम विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया और फिर उस पर आगे कार्यवाही नहीं की। वास्तव में मैं सभा की जानकारी के लिए इसे सभा में प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हम असम की सरकार से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। हमने उन्हें इसके लिए जमीन उपलब्ध करने को कहा है। जब उन्होने कहा कि वे अर्ध शासकीय पत्रों पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो हमने असम की सरकार को एक शासकीय पत्र भेजा। जहां तक जमीन का सम्बन्ध है हम उनके जबाव की प्रतीक्षा कर

रहे हैं। एक व्यक्ति द्वारा जमीन दिए जाने का प्रस्ताव भी हमारे पास आया है और उसे भी हमने असम सरकार को भेज दिया है। "विशेष कार्याधिकारी" की नियुक्ति का प्रस्ताव भी किया गया है।

जब कभी भी एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, तो सर्वप्रथम हम एक 'विशेष कार्याधिकारी' की नियुक्ति करते हैं जो विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्राथमिक कदम उठाते हैं।

इस बात की आलोचना की गई थी कि छः हजार छात्रों और उन्नीस महाविद्यालयों के लिए हम एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि 1956 में जब बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे एवं उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो इससे सिर्फ सत्रह महाविद्यालय सम्बद्ध थे। अब शिक्षा के विस्तार के साथ स्वयं उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में दो अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। अतः यह एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। आज छः हजार छात्र हैं, कल और अधिक हो सकते हैं। आखिर देश में या एशिया के सर्वाधिक बड़े विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या क्या है ? बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अथवा अलीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है ? यदि यहां 6 हजार छात्र हैं तो बनारस विश्वविद्यालय में मुश्किल से 15 हजार छात्र होंगे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दस हजार छात्र होंगे। अतः इस स्तर में छात्रों की संख्या पर हमें विचार नहीं करना है।

जैसा कि प्रो० रंगा ने उल्लेख किया है कि मणिपुर में नागा रहते हैं तथा नागा नेफा में भी रहते हैं। अतः इस तरह की एक धारणा हो गई है कि हम अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है तो यह देश के सभी नागरिकों के लिए खुला होगा। इसकी स्थापना सिर्फ नागा छात्रों के लिए नहीं की जा रही है लेकिन इसे नागालैंड में स्थापित किया जा रहा है और चूंकि यह नागालैंड में स्थापित की जायेगी, अतः इसमें अधिक नागा छात्र होंगे। यह बात स्वाभाविक है लेकिन अन्य छात्रों के वहां पढ़ने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आखिर यह अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तरह ही है। हमने इसे थोड़ा भिन्न बनाने की चेष्टा की है।

प्रो० सोज ने कहा है कि इसे क्यों नहीं राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए ? स्वयं नागालैंड की सरकार बहुत समय से ही एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर जोर दे रही है, क्योंकि वह एक विश्वविद्यालय चलाने की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। यह उनका अनुरोध है अतः इस विधेयक को वापस राज्य विधान सभा में भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता और प्रो० सोज मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि जब विश्वविद्यालय में कदाचार बढ़ जाते हैं, उनके स्तर में ह्रास होने लगता है। हमने अपने अनुभव से यह जाना है कि कुछ विश्वविद्यालय जो 30 वर्ष पूर्व अच्छी तरह से चल रहे थे अब छात्रों और शिक्षकों के कदाचार के कारण उनके स्तर में ह्रास हो गया है तथा ऐसे विश्वविद्यालय जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता के आधार पर शिक्षकों को आमंत्रित करते हैं, वे अपना उच्च स्तर अभी तक बनाये हुए हैं। अतः मुझे विश्वास है कि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम अन्य अधिनियमों की भांति ही उत्तम है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जिस अधिनियम के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाते हैं उनसे यह भिन्न नहीं है। अतः मुझे यह कहना चाहिए कि अन्य किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की भांति यह विश्वविद्यालय कार्य करेगा तथा नागालैंड और यहां के छात्रों के विकास और सम्पन्नता का साधन बनेगा।'''(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागालैंड राज्य में अध्यापन और सहबद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और

उसका निगम करने के लि ! तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 48 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 48 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय, विधेयक पारित करने का प्रस्ताव रख सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री एल० पी० शाही : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.42 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चाएं

(एक) देश में साम्प्रदायिक स्थिति—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर आगे चर्चा करेगी ।

श्री शांताराम नायक अपना भाषण शुरू कर सकते हैं । नायक जी क्या आपने अपने भाषण का लिखित अनुवाद दे दिया है ?

श्री शांताराम नायक (पणजी) : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में ही सिर्फ अनुवाद को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा । यदि आप इससे कुछ भी अधिक बोलते हैं तो उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री शांताराम नायक : जी हां, मैं समझता हूं इस सभा को यह अधिकार प्राप्त है और पहली बार मैं अपनी भाषा, गोआ के लोगों की भाषा अर्थात् कोंकणी भाषा में भाषण देना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

***श्री शांताराम नायक** : उपाध्यक्ष महोदय, देश में व्याप्त साम्प्रदायिक स्थिति पर बोलने पर किसी को प्रसन्नता नहीं हो सकती । मुझे भी इस विषय पर बोलकर प्रसन्नता नहीं है । मेरे विचार से देश में इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए जिससे इस सभा में इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता ही न पड़े ।

आदमी-आदमी के बीच यह भेद किसने उत्पन्न किया ? अगर हम यह महसूस करते हैं कि इस विश्व को भगवान ने बनाया है और अगर 95 प्रतिशत लोग भगवान में विश्वास करते हैं तो कोई इस बात पर विश्वास क्यों करेगा जिस बात को भगवान ने कभी कहा ही नहीं । धर्म के आधार पर आदमी आदमी के बीच भेद उत्पन्न करना वास्तव में यह धर्म के उपदेशों के विरुद्ध है । यह हैरानी की बात है कि जो लोग अपने धर्मों के उपदेशों में विश्वास करते हैं वास्तव में वे ही उन उपदेशों का उल्लंघन करते हैं ।

कुछ समय पूर्व इस सभा में बोलते हुए, मैंने हिन्दी फिल्म के गाने की कुछ पंक्तियां उद्धृत की थीं । फिल्म का नाम 'धूल का फूल' था । उस फिल्म में एक बूढ़े मुसलमान को एक नवजात लावारिस बच्चा मिलता है । वह बच्चे की जात व धर्म के बारे में नहीं जानता । वह बच्चे को सम्बोधित करते हुए कहता है—

"तू हिन्दू बनेगा न मुसलमान बनेगा,
इन्सान की औलाद है तू इन्सान बनेगा ।"

हाल ही में चुनावों में धर्मनिरपेक्षता का वातावरण लाने के लिए, सरकार ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया है और नये संशोधन के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग के समक्ष नया पंजीकरण कराना होगा तथा अपने संविधान या नियमों में यह संशोधन करना होगा कि वे भारत के संविधान, लोकतन्त्र के सिद्धांतों, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में भी विश्वास करते हैं ।

कुछ राजनीतिक दल इस तथ्य के बावजूद, कि वे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते—झूठा दावा करते हैं कि उनका इसमें विश्वास है । कुछ दूसरी पार्टियों ने चुनाव आयोग के समक्ष अपने संशोधित संविधान/नियमों की जाली कापियां प्रस्तुत की हैं । अन्य पार्टियों ने इस मामले में अपने विचार प्रकट ही नहीं किए । यद्यपि अब इस मामले पर जोर डालने का समय नहीं है लेकिन मैं इस मुद्दे पर अपने विचार रिकार्ड कराना चाहूंगा ।

जैसा कि आप जानते हो, गोवा में हिन्दुओं और इसाईयों के बीच एकता है । गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा 450 वर्ष तक शासन किया था । उस समय भी काफी एकता थी, मेरे विचार से देश के बाकी के हिस्सों को एकता के इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए । भगवान आपकी सहायता करे ।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सर, हमारे देश में अभी साम्प्रदायिकता जैसी बढ़ रही है,

*मूलतः कोंकणी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

वह बहुत चिंता की बात है। अभी हाउस में डिस्कशन चल रहा है। जितने भी सदस्य यहां बोले हैं, सब कम्युनल सिचुएशन को कंडैम कर रहे हैं। यह ठीक ही है। लेकिन जब हाउस के बाहर कोई आदमी जाता है, तो उसको बाहर भी कंडैम करना चाहिए, लेकिन यहां तो यूनेनिमसली बोलते हैं और कंडैम करते हैं, लेकिन बाहर नहीं बोलते। हमें ऐसा काम करना चाहिए और इस प्रकार बोलना चाहिए जिससे हम देश की जनता को कन्विन्स कर सकें कि हमारे देश में साम्प्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है।

सर, इलैक्शन की वजह से राजनीतिक कारणों से साम्प्रदायिकता की बातें की जा रही हैं। यही कारण है कि अब राम शिला पूजन की बात देश भर में फैलाई जा रही है। धर्म के नाम पर राजनीतिक का खेल ये लोग खेलना चाहते हैं। लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि मैं एक ऐसी स्टेट से आ रही हूं जहां इस प्रकार की कोई बात नहीं है और वहां इस प्रकार की कोई वॉयलेंस भी नहीं है। इसलिए मैं आज यहां गर्व से बोल सकती हूं कि मेरी स्टेट में कोई कम्युनल वॉयलेंस नहीं है।

सर, हमने आजादी के पहले देखा, कैसे हमारे नेताओं ने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, अपना खून बहाया। महात्मा गांधी ने देश के लिए अपना खून बहाया, लेकिन आज ये बी० जे० पी० वाले क्या खेल रहे हैं। इस तरफ जरा आप ध्यान दीजिए। देवी लाल का जन्म दिवस मनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए। इस प्रकार से इन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का काम शुरू कर दिया है। महारानी सिंधिया ने बोला है कि हिन्दुस्तान में रहना है, तो हिन्दू बनकर रहना होगा। क्या इसी प्रकार की बातों और वॉयलेंस के लिए हिन्दुस्तान आजाद हुआ था? हमारे देश की जनता ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन पोलिटिकल लीडर्स ऐसा चाहते हैं। मैं तो आज हिन्दुस्तान की जनता को बधाई देना चाहती हूं कि उसने देश की परम्पराओं की रक्षा की है। इनके इस प्रकार के नारों से जनता भ्रमित नहीं हुई है। यदि इसी प्रकार चलता रहा, तो फिर हिन्दू बोलेगा कि इस देश में रहना है, तो हिन्दू बन कर रहो, मुसलमान बोलेगा कि यदि हिन्दुस्तान में रहना है, तो मुस्लिम बनकर रहो, सिक्ख बोलेगा कि हिन्दुस्तान में रहना है, तो सिख बनकर रहो। मैं कहती हूं कि हिंदुस्तान में कोई हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन और बौद्ध नहीं है। सब हिंदुस्तानी हैं। सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है। यही हिन्दुस्तान का धर्म है।

चूंकि समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम बोलना चाहती हूं। लेकिन मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप सब अपोजीशन पोलिटिकल पार्टीज को बुलाइए और उनसे पहले इस साम्प्रदायिकता की बात पर विचार कीजिए। वोट की बात बाद में कीजिए। सब पोलिटिकल पार्टियां एक साथ एक झंडे के नीचे आकर इस साम्दप्रायिकता के खिलाफ लड़ाई करें। उसके बाद पोलिटिकल लड़ाई लड़ें। क्योंकि देश बचेगा तो पालिटिकल पार्टीज बचेंगी। जब देश ही जिन्दा नहीं बचेगा तो पोलिटिकल पार्टीज कैसे बचेंगी। राजनीति से पहले देश है।

सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार से निवेदन है कि आप सब अपोजीशन पालिटिकल पार्टीज को बुलाइए और इस बारे में बात कीजिए। खासकर ऐसी जगहों पर ये दंगे हुए हैं, जहां साम्प्रदायिकता की स्थिति बनी हुई है, 30 दिन में 54 इंसीडेंस हुए हैं, वहां नैशनल फ्रण्ट के लीडर्स को, बुलवाइए और उनसे बात कीजिए। जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको बुलाइए। अगर गट्स हैं तो एक मंच में आकर बोलें कि हमारे देश में साम्प्रदायिकता का कोई स्थान नहीं है। खाली हाउस में डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं होता है। हाउस में एक आदमी एक बात कहता है और बाहर जाकर कोई और बात कहता है। हाउस के बाहर जनता के पक्ष में जो

बात कहनी है वह बहुत जरूरी है। साम्प्रदायिकता तब दूर हो सकती है जब हम लोग एक साथ मिल कर उसे दूर करेंगे। मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगी कि आपोजीशन के साथ बैठकर नैगोसिएशन करें, कोई ऐमीकेबल सैटलमेंट होना चाहिए, झगड़ा करके कोई सौलुशन नहीं निकल सकता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन अमैंडमैंट बिल को हाउस में हमने पास किया है, उसमें साफ-साफ बताया है कि पोलिटिकल पार्टीज का रिलीजन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होगा। शिवसेना, बजरंग दल, सुरक्षा समिति, ये जो छोटी-छोटी पोलिटिकल पार्टीज हैं, जो रिलीजन को लेकर देश को टुकड़े-टुकड़े करने की कोशिश कर रही हैं, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। आप इलैक्शन कमिश्नर के साथ बात टेकअप कीजिए और इसका कुछ बन्दोबस्त कीजिए।

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक परिस्थिति पर पिछले दो दिन से सदन में बहस हो रही है। मैं भी अपने विचार सूक्ष्म में रखना चाहता हूं।

मैं ऐसे प्रांत से आया हूं जिसमें भारत के पार्टीशन के टाइम पर भी, जितनी भी रियासतें थीं, उनमें एक भी जगह पर झगड़ा नहीं हुआ था। लाखों लोग राजस्थान के बार्डर से पाकिस्तान में गए, लाखों ही लोग पाकिस्तान से राजस्थान के बार्डर में आए। उस परिस्थिति में भी हमारे प्रांत में कभी भी ऐसा इन्सीडैन्ट नहीं हुआ कि किसी ने किसी के ऊपर चाकू भी चलाया हो। आज परिस्थिति उसी रियासत में ऐसी हो गई है। जैसी पिछले तीन वर्षों में नहीं थी। कुछ महीनों में ही जो वारदातें हुई हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे ऐसा लगता है कि अभी कितनी ही और जगहों पर वारदात हो जाएंगी। रियासतों के समय के लोगों का जो बैकग्राउन्ड था उसमें और कोई कमी रही हो या न रही हो, लेकिन कम्यूनल हारमनी के लिए आइडियल वातावरण थी। ईवन कश्मीर जैसे स्टेट में भी जब हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था कोई कम्युनल झगड़े नहीं हुए। पार्टीशन के पहले जब हिंदुस्तान में सब जगह आग लगी हुई थी उस समय भी रियासत में कम्युनल हारमनी बनी रही। इसलिए आज परिस्थिति को देखते हुए मुझे अफसोस होता है और मैं समझ नहीं पाता हूं कि किस तरह से उन जगहों पर वातावरण ठीक हो सकेगा। एक और दुख की बात है। आज से चालीस बरस पहले हमारे गांवों में भी ऐसी परिस्थिति थी कि गांव का पटेल मुखिया गांव में अगर कोई डिसटरबैंस हो तो वह अपने प्रयास से ही उन डिसटरबैंस को और कम्युनल कंट्रोवर्सी को समाप्त कर सकता था। हर रियासत में राजा की ऐसी पोजीशन थी कि उनका स्टेटस जाति और धर्म से ऊपर था। उसकी सब समाज के लोग इक्वली रिस्पैक्ट करते थे और उन्हें मानते थे। हमारे प्रांत में बहुत सी और भी ऐसी पर्सनैलिटीज थीं जिन पर लोगों को विश्वास था। आज दुर्भाग्य की बात है कि धीरे-धीरे कम्युनल सिचुएशन इतनी बिगड़ी है कि प्रांत में और देश में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसकी बात का असर क्रास सैक्शन कन्ट्री के लोगों पर हो। आज महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, विनोबा भावे जैसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता जिसकी बात को सारा देश रिसपैक्ट से सुने और उस पर अमल करे।

पार्टीशन के टाइम में मुस्लिम कम्युनिटीज में भी बड़े-बड़े नेता बैठे थे जो सैकुलर आवाज में बोलते थे और उनको सारा देश रैस्पैक्ट से सुनता था। मौलाना आजाद थे, शेख अब्दुल्ला थे, सिकन्दर हयात खां थे, फन्टियर गांधी थे, इस तरह के कैलिबर के आदमी थे, जिनको किसी से डर नहीं था, लगाव नहीं था। वे नेशनल लीडर थे, नेशन की ओर सैकुलर आवाज में बोलते थे और लोग उनको ध्यान से सुनते थे। उस तरह के लीडर्स मुस्लिम कम्युनिटी में थे और हिंदू कम्युनिटी में भी थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज लोग ही समाज की तरफ से बोलते हैं और उनकी आवाज एक पर्टिकुलर

समाज को ही इफैक्ट करती है लेकिन जहां तक दूसरे रिलीजन और कम्युनिटीज से संबंधित लोग हैं, वे उनको मिसअंडरस्टैन्ड करते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारा जो पार्लियामैंट का फोरम है, इसमें जो कुछ भी बातें कही जायें वह ऐसी कही जायें जो सद्भावना को बढ़ाने वाली हों और रेस्ट्रेन से कही जायें जिससे हमारे देश में बढ़ रही असभ्यताभरी नई परम्परा पर कुछ रोक लगे।

मुझे चर्चिल लिखी की किताब 'द ग्रेट कान्टेपरेरीज' का प्रसंग याद आता है। शाहबुद्दीन साहब सुनिए उन्होंने जर्मन के सम्राट कैजर विलियम के बारे में रिमार्क लिखा है। 1914 की यार के पहले की स्पीचेज थीं उसके संदर्भ में उन्होंने लिखा है—

[अनुवाद]

"विस्फोटक परिस्थितियों में स्थिति को भड़काने के स्थान पर शांति कायम करने का प्रयत्न करना चाहिए लेकिन फिर भी कैसर विलियम विस्फोटक स्थिति को और भड़का रहे हैं···जिसके परिणामस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध हुआ।"

अत: मैं विभिन्न समुदायों के नेताओं से संयम रखने का अनुरोध करूंगा। लोगों को उत्तेजित और स्थिति बिगाड़ने के बजाय, उन्हें एक होना चाहिए जिससे विभिन्न समुदायों को बल मिलेगा और देश को आगे आने वाली कठिनाई से बचाया जाए···

[हिन्दी]

तो आज जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है, उसमें हम किसी तरह से कमी ला सकें। यही मेरी कामना है।

इन दिनों हमारे इलाके में, शांतिपूर्ण राजस्थान में, कौमुनल सद्भावना के प्रदेश में भी झगड़ा हो गया है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। अभी के कौमुनल डिस्टर्वेन्सेज में गवर्नमेंट के बहुत से एम्पलाईज इन डिमांस्ट्रेशन्ज हैं पकड़े गये हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे गवर्नमेंट एम्पलाइज को जिनकी परिस्थिति स्पष्ट हो गई जो अरेस्ट हो गये हैं, उनके विरुद्ध आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए ताकि उसे दूसरे लोग जिनके मन में भी गलत भावना से आगे किसी तरह की गड़बड़ी करने की बात न सोचें, वह आगे इस तरह की हरकत न कर सकें। अगर आपने एग्जेम्पलरी एक्शन ले लिया तो आगे और लोग गड़बड़ नहीं करेंगे।

अभी कोटा के गांव और शहर में भी इन दिनों में झगड़ा हुआ है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्डर निकाला है कि जो वैपन लाइसेंस्ड हैं, उनको भी जाकर थाने में जमा कर दो। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग संभ्रात व डिपैंडेबल हैं जिनकी बोनाफाइडी एग्जामिन कर के ही उन्हें लाइसेंस दिये गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में अगर आप आर्डर करते हैं कि इनके लाइसेंस ले लो तो यह ठीक नहीं है। पंजाब में तो आप लाइसेंस दे रहे हैं डिपैंडेबल आदमियों को, समझदार और संभ्रान्त आदमियों को और यहां पर जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं, उनको कहते हैं कि लाइसेंस विद-ड्रा कर के थाने में जमा करा दो। किसकी मर्जी पर ऐसा हो रहा है? आज गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स व आफिसर्स के साथ तो स्टेन-गन लेकर गार्ड चलता है लेकिन जो संभ्रान्त नागरिक हैं उनके लाइसेंस्ड वैपन पर इस तरह की पाबन्दी लगाना चाहते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की बात तो अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं हुई थी कि भले व्यक्तियों की मिस-अंडरस्टैंड कर के सस्पैक्ट कर के चलें। यह बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह के आर्डर्स के बारे में आप स्टेट गवर्नमैंट को

आर्डर करें कि वह इस तरह के स्टैप न लें। क्योंकि इससे दुर्भावना बढ़ती है, कानून में विश्वास करने वाले व्यक्तियों की बेइज्जती होती है। इतना कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं।

4.00 म० प०

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सेन्ट किट्स में बैंक खाता रखे जाने के बारे में 12 अक्तूबर, 1989 को सभा में वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : इस चर्चा का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे—

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : अभी हम इस पर चर्चा करेंगे और बाद में हम साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : मुझे लगता है कि आप छः या 6.30 बजे के बाद नहीं बैठेंगे। आज ईद-ए-मिलाप-उल-नबी है। हमने सारा दिन यह प्रश्न नहीं उठाया। ऐसे बहुत से त्यौहार हैं और ऐसी बहुत सी बातें बाहर हो रही हैं···

श्रीमती शीला दीक्षित : बनातवाला जी, हम करेंगे। आप उस पर बोल सकते हैं। गृह मंत्री जी को यहां आने दीजिए। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप 6 या 6.30 बजे तक जा सकें। क्या सब ठीक हो जाएगा। हमें इस बात को निश्चय ही ध्यान में रखना होगा।

4.02 म० प०

(दो) सेंट किट्स में बैंक खाता रखे जाने के बारे में वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री द्वारा 12 अक्तूबर, 1989 को दिया गया वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बशीर अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता दल के नेता श्री वी० पी० सिंह के पुत्र श्री अजय सिंह द्वारा बैंक खाते रखे जाने के बारे में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा करने का अवसर प्रदान के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यह वह व्यक्ति हैं जो सभा में सबसे ऊंचे स्थान पर, ऊंची आवाज में मूल्यों पर आधारित राजनीति, भ्रष्टाचार को दूर करने आदि की घोषणा करते रहे हैं।

प्रारम्भ में, मैं कहना चाहूंगा कि तथाकथित नेता, मूल्यों पर आधारित राजनीतिज्ञ का अब पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है और उनका असली रूप सामने आ गया है और अब उनकी छवि धूमल हो गयी है। श्री वी० पी० सिंह कौन थे ? वह यू० पी० सी० सी० के अध्यक्ष थे। वह कांग्रेस पार्टी में भी नेता थे। वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और इसी सरकार के वित्त मंत्री थे। उस समय, विपक्ष ने उनकी आलोचना की थी, जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, यह वही विपक्ष है

जिसने कहा था, देखिए, यह बजट जल्दी में बना है, गरीब विरोधी बजट, बुर्जुआ बजट है, प्रगतिशील बजट नहीं है तब वे प्रतिक्रियाशील हो गये थे। तब अचानक वह आदर्शवादी, मूल्य आधारित राजनीतिज्ञ, फरिश्ता, विपक्ष का मसीहा और सब कुछ बन गए थे। विपक्ष ने श्री वी० पी० सिंह को कब स्वीकार किया ? इस अवसरवादी बुर्जुआ कांग्रेस नेता को मूल्य आधारित राजनीतिज्ञ के रूप में विपक्ष ने कब स्वीकार किया। जब श्री वी० पी० सिंह ने अपनी पार्टी से विश्वासघात किया, जब श्री वी० पी० सिंह ने अपने नेता से विश्वासघात किया। श्री वी० पी० सिंह ने कसाई की तरह अपने नेता की पी० पर निस्संदेह राजनीतिक रूप से वार किया। तब विपक्ष ने उन्हें स्वीकार किया। तब वह आदर्शवादी हो गए।

अब मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य पर आता हूं। इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप जानते हैं कि पिछले सत्र में हमने यहां एक मुद्दा उठाया था। हमने एक पत्र का मामला उठाया था। आप जानते हैं कि वह पत्र श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा लिखा गया था। आप जानते हैं यह किसे लिखा गया था ? यह श्री हाजी मस्तान को लिखा गया था। हमने वह मामला इस सभा में उठाया था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपने पत्र में श्री हाजी मस्तान को इलाहाबाद चुनाव में उदारतापूर्वक अनुदान देने के लिए नम्रतापूर्वक धन्यबाद अदा किया था। उन्होंने अपने पत्र में इस तरह लिखा था—

प्रिय मस्तान भाई,

इलाहाबाद चुनाव के लिए अनुदान और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।"

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मूल्यों पर आधारित राजनीति, काला धन और भ्रष्टाचार के संबंध में बातें करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि श्री हाजी मस्तान कौन हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है और उनका पूर्व चरित्र क्या है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा है, "मस्तान भाई आपकी उदार सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।"

श्री हाजी मस्तान ने अनेकों बार कहा है कि उन्हें श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है। अब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चुप बैठे हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं या हम इस वक्तव्य पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री शांताराम नायक (पणजी) : हम इस धन के लाभभोगियों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। हम इसका पता लगाएंगे।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यह बिल्कुल ही असंगत है। आप अपने वक्तव्य को इस खाते और कथन तक ही सीमित रखें।

श्री टी० बशीर : मैं आपको इसकी प्रासंगिकता अभी स्पष्ट करता हूं। लाभभोगी का नाम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यह आपका अनुमान है।

श्री टी० बशीर : यह मेरा आरोप है ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या इससे आपको, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का चरित्र हनन करने का अधिकार मिल जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब वक्तव्य में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम दिया गया है, तो उन्हें संक्षिप्त में उस पर बोलने दें, इसके बाद वह खाते के बारे में विस्तार से बोल सकते हैं ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या यह उचित है ? मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा ।

श्री टी० बशीर : मेरे कहने का आशय यह है कि अब हम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का असली रूप और उनके वक्तव्यों के तात्पर्य को जानते हैं ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उनके पक्ष में मत नहीं दीजिए ।

श्री टी० बशीर : इस खाते के संबंध में खबर सबसे पहले भारतीय समाचार-पत्र में प्रकाशित नहीं हुई । यह खबर 20-8-1989 को कुवैत के "द अरब टाइम्स" में प्रकाशित हुई थी ।

4.10 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

भारत के लगभग सभी समाचार पत्रों ने इस खबर को छापा था । इस सम्बन्ध में सबसे मुख्य रहस्योदघाटन यह था कि कीट्स के फस्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के पुत्र श्री अजय सिंह के नाम से खाता खोला गया था जिसकी खाता संख्या 29479 थी और इसके लाभभोगियों में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी शामिल हैं । 16-9-86 से 26-3-87 के दौरान 6 बार भारी धन जमा किया गया था । इसका ब्यौरा यहां दिया गया और इस खाते के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति जानता है । वास्तव में 16-9-86 को जमा की गई पूंजी 2 मिलियन अमरीकी डालर थी, 10-10-86 को 2 मिलियन अमरीकी डालर; 13-12-86 को 5 मिलियन अमरीकी डालर; 18-1-87 को 3 मिलियन अमरीकी डालर और जमा किए गए; 24-2-87 को 5 मिलियन अमरीकी डालर जमा किए गए और 26-3-87 को अंतिम बार 4 मिलियन अमरीकी डालर जमा किए गए । अत: कुल जमा राशि 21 मिलियन अमरीकी डालर होती है । सभी व्यक्ति इस बैंक की कार्य प्रणाली जानते हैं । यह स्पष्ट है कि श्री अजय सिंह की सैंट कीट्स के ओर से किसी व्यक्ति ने फस्ट ट्रस्ट कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री मैकलिन को विशेष निवेश कार्यक्रम के संबंध में सम्पर्क किया था । सैंट कीट्स में भारतीय और अन्य विदेशियों के लिए निवेश की विशेष योजना एवं कार्यक्रम है । इस-लिए कोई व्यक्ति उनके पास गया था । उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी राशि जमा करने के लिए संख्या वाला खाता खोलने की इच्छा व्यक्त की । सभी बातें तय करने के पश्चात् उस व्यक्ति ने खाता खोलने के लिए आवश्यक फार्म आदि लिए । दो सप्ताह के बाद उसी व्यक्ति ने वापस आकार कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री मैकलिन को श्री अजय सिंह द्वारा हस्ताक्षरित फार्म दिए जिसमें उन्हें उस खाते का धारक और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को इसका लाभभोगी दर्शाया गया था । श्री अजय सिंह और श्री विश्वनाथ प्राप्त सिंह जी के पासपोर्ट की प्रतियां भी श्री मैकलिन को सौंपी गयी थीं । पूरा ब्यौरा दिया गया था । जैसा कि मंत्री जी ने ठीक कहा है कि मंत्रालय द्वारा जांच पड़ताल के उपरान्त यह स्पष्ट हो गया कि सभी बातें सच हैं । आपको याद होगा कि जब यह खबर हमारे समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई थी, तो यह आरोप किसी कांग्रेसी द्वारा नहीं लगाया गया था, बल्कि समाचार-पत्रों

ने ऐसा कहा था। तब श्री वी० पी० सिंह ने कहा कि सरकार अवश्य कार्यवाही करे। सरकार को उसके लड़के पर मुकदमा चलाना चाहिए। उसने बहुत शोर मचाया। तब भी सरकार इतनी उत्सुक नहीं थी लेकिन वी० पी० सिंह ने ही कहा कि सरकार अवश्य कार्यवाही करे और उसके लड़के पर मुकदमा चलाए। उसके बाद श्री अजय सिंह भारत आए और उन्होंने कुछ विवरण प्रस्तुत किए। सरकार के लिए यह बहुत ही स्वाभाविक था कि वह उसके विवरण के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए कहे। दो अवसरों पर श्री अजय सिंह से कुछ जानकारी देने के लिए कहा गया था लेकिन उनके द्वारा दोनों अवसरों पर दी गई जानकारी अधूरी थी। मैं मंत्री के वक्तव्य से उद्धृत करता हूं :

> "चूंकि लेन देन के कुछ पहलू विदेशी मुद्रा विनिमियन अधिमयन के उपबन्धों को आकर्षित कर सकते हैं इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने 13-9-1989 को श्री अजय सिंह को फेरा 1973 की धारा 33 (2) के अंतर्गत निदेश जारी किया था जिसका 18 सितम्बर, 1989 को श्री जअय द्वारा जबाव दिया गया था। चूंकि 13 सितम्बर, 1989 के निदेश के प्रत्युत्तर में श्री अजय सिंह द्वारा दी गई सूचना अधूरी थी इसलिए निदेशालय ने अजय सिंह को 28 सितम्बर, 1989 को एक और निदेश जारी किया। दूसरे निदेश का उत्तर भी प्रवर्तन निदेशालय को 9 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गया है। तथापि, उत्तर अभी भी पूरा नहीं है और कतिपय ब्यौरे देने का आश्वासन दिया गया है···"

अत: मांगी गई जानकारी उन्होंने अब तक नहीं भेजी है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं। कि इसमें इतनी देरी क्यों हुई और श्री अजय सिंह यह सूचना देने में अनिच्छुक क्यों हैं? प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी वह क्यों नहीं दे रहा है?

दूसरी बात अजय सिंह के अपनी परिसम्पत्तियों के विवरण के सम्बन्ध में है। उसने कहा है कि उसने 1977 और 1983 के बीच बड़ी कठिनाई का जीवन व्यतीत किया है और काफी अवधि तक बेरोजगार रहा था लेकिन विवरण के अनुसार उसकी कुल परिसम्पत्तियां 50 लाख से अधिक थमरीकी डालर अर्थात् लगभग 80 लाख रुपए है। अब यह मुद्दा साफ हो गया है कि ये परिसम्पत्तियां उनके आय के ज्ञात स्त्रोत के अनुरूप नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके पीछे तथ्यों का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

नि:सन्देह, मैं यह बात समझ सकता हूं कि एक चिकित्सक को अमरीका में अधिक वेतन मिलेगा किंतु एक बैंक कर्मचारी को वहां पर अधिक वेतन नहीं मिलेगा। श्री अजय सिंह एक कनिष्ठ बैंक अधिकारी थे। अमरीका में यह कोई लाभकारी पद नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में श्री अजय सिंह का क्या उत्तर है कि उन्होंने यह आस्तियां किस प्रकार प्राप्त की तथा उनकी आय का स्रोत क्या था।

पिछले वर्ष श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा की थी कि उनका तथा उनके परिवार के सदस्यों का रिलायन्स कम्पनी से कुछ लेना देना नहीं है। किंतु अब उन्होंने अपने वक्तव्य में यह बात स्वीकार की है श्री अजय सिंह के पास रिलायन्स कम्पनी के 1800 शेयर हैं। यह तथ्य पिछले वर्ष इलाहाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान उजागर हुआ। किन्तु उस समय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि यह बात झूठ है। अब श्री अजय सिंह यह बात स्वीकार करते हैं।

जैसाकि मैंने आपको बताया कि श्री अजय सिंह ने कहा कि सितम्बर, 1977 और 1983 के बीच वह काफी मुश्किल में थे। तो क्या हम यह विश्वास करें कि विभिन्न विदेशी बैंकों में जमा एक

लाख अमरीकी डालर पिछले छः वर्षों के दौरान बचत से जमा कराए गए। उन्होंने बताया है कि उनका वार्षिक वेतन 50,000 अमरीकी डालर था। पिछले सप्ताह जब उन्होंने काम छोड़ा तो उनका यह वेतन उस समय था। जाहिर है कि इससे पहले के वर्षों में उन्हें कम वेतन मिलता होगा। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि विदेश में इतने कम वेतन पर वह गुजारा किस प्रकार करते थे और इसके बावजूद वह इतनी बचत किस प्रकार कर पाए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने हमेशा ही यह कहा है कि उनके बेटे को उनसे कोई लाभ नहीं मिला है। किंतु श्री अजय सिंह अमरीका में सिटी बैंक में कार्यरत थे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे। इस विदेशी बैंक को बहुत सी रियायतें दी गईं। यह बात स्पष्ट है कि उनके पुत्र को सिटी बैंक, अमरीका में, इस बैंक को दी जाने वाली रियायतों के एवज में नौकरी दी गई। यह एक वास्तविकता है। यह एक स्पष्ट सबूत है। समय के हिसाब से भी यह बात सही सिद्ध होती है। महोदय, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह "राजा" हैं। हमें उनकी वित्तीय स्थिति की जानकारी है। जैसा कि हर किसी को मालूम है, उनके दूसरे पुत्र अभय सिंह के यहां कई फ्लैट हैं। उसकी सम्पत्ति करोड़ों में है। प्रश्न यह है कि श्री अजय सिंह को अमरीका क्यों भेजा गया ? दूसरी ओर वह मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात करते हैं। उन्हें अमरीका क्यों भेजा गया ? जैसा कि मैंने पहले कहा कि अमरीका में बैंक में नौकरी इतनी आकर्षक और लाभकारी नहीं है। तब वह वहां एक बैंक में नौकरी करने क्यों गए ? मैं यह कहूंगा कि उन्हें अमरीका, परिसम्पत्तियों और विदेशी जमा पूंजी को छिपाने के लिए भेजा गया। मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि सरकार को इन पहलुओं की जांच करनी चाहिए। इन सब बातों की सम्पूर्ण जांच होनी चाहिए और इससे लोगों को राजनीति में श्री वी० पी० सिंह के वास्तविक रंग का पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले से सम्बन्धित सभी पहलुओं की छानबीन करें तथा वास्तविक तथ्यों का पता लगाए। भारत के लोग इन तथ्यों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूं, क्योंकि बशीर साहब ने अभी सदन के सामने सही स्थिति रख दी है फिर भी मेरे मन में जो डाउट्स हैं, उनके सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से जानकारी चाहती हूं। अरब टाइम्स में सेंट किट्स एकाउन्ट के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट छपी है, उसमें 2-4 इररैगुलैरिटीज मेरे ध्यान में आयी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि किसी आदमी पर झूठे इल्जाम लगाना ठीक नहीं होता लेकिन हमारे देश में बहुत से नेता लोग ऐसे हैं, जो छुपे रूस्तम बनकर रहते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है मानो वे बहुत ऑनैस्ट, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन जब उनकी पोल खुलती है तो इस देश का हर नागरिक समझ जाता है कि उसमें क्या-क्या क्वालिटीज हैं, जो सामने नहीं आयीं। हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे हम हों या उस तरफ बैठने वाले लोग हों, हम सब जनता के रिप्रेजैन्टेटिव्ज हैं लेकिन जो लीडर होता है, उसका कर्त्तव्य है कि पहले वह खुद सैक्रिफाइस करे और जनता के सामने उदाहरण पेश करे, तभी वह सच्चे मानों में नेता कहलाने का अधिकारी है। नेता कोई ऊपर से नहीं गिरता है, बल्कि अपने काम की वजह से वह नेता बनता है, लेकिन आज हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग नेता बन गए हैं जिनमें नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता नहीं है। नेता बनने से पहले उनके पास कुछ नहीं होता है परन्तु नेता बनते ही उनके पास लाखों और करोड़ों रुपए की सम्पत्ति हो जाती है। इसीलिए मैं सदन में यह प्रश्न रेज करना चाहती हूं कि जब गवर्नमैंट ने वी० पी० सिंह के

लड़के को यह इंस्ट्रक्शन्स दीं कि तुम्हारे पास जो असैट्स हैं, उनकी सूची गवर्नमेंट को सबमिट करो, दो दफा ऐसे इंसट्रक्शन्स उन्हें दिए गये, परन्तु वी० पी० सिंह के लड़के ने गवर्नमेंट को जो असैट्स बताये वे असैट बहुत हैंकी-पैंकी हैं। इसी कारण मुझे डाउट होता है। मैं यहां किसी के ऊपर गलत आरोप या इल्जाम लगाना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने जो असैटस बताए हैं, अब गवर्नमेंट का काम है कि उनकी जांच कराए और देखे कि क्या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल औफैंस बनता है या नहीं, क्या वह इकॉनौमिक औफैंडर की श्रेणी में आते हैं, उनके खिलाफ जितते सबूत मिले हैं, सरकार को उनकी जांच करानी चाहिए। जो अरब टाइम्स में छपा है, वह क्या आथेंटिकेटेड है या नहीं? अगर सही है तो आपने क्या इंस्ट्रक्शन्स दी हैं। क्या आपके पास इन्फर्मेशन है या नहीं कि आपके क्या असैट्स हैं और क्या मिस्टर अजय सिंह का एवीडेंस जैन्यूइन है या नहीं? उसका असैट देखिए। वह कब से इन्कमटैक्स फाइल कर रहा है। हम यदि चार साल पहले 40 हजार का इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करें और 4 साल बाद 40 लाख का करें, तो आपको तो देखना ही पड़ेगा कि चार साल में 40 हजार के 40 लाख कैसे हो गए? क्योंकि पैसा इतनी जल्दी तो बढ़ नहीं सकता है। कुछ न कुछ हेरा-फेरी जरूर हुई है, तभी इतनी जल्दी इतना पैसा बढ़ सकता है। जो इन्फर्मेशन गवर्नमेंट आफ इन्डिया को अजय सिंह ने दी है उसके बारे में भारत सरकार क्या सोच रही है, क्या वह करैक्ट है या नहीं? जो एवीडेंस अजय सिंह ने भेजी है, उसकी जैन्यूइन-नैस क्या है। उसमें कोई हैंकी पैंकी है।

महोदय, मेरा तीसरा सवाल यह है कि जब वी० पी० सिंह थे, तब उन्होंने अमेरिकन सिटी बैंक को काफी पैसा दिया। उसके बाद उसकी ब्रांच हिन्दुस्तान में खुलीं। उसके बाद उसके लड़के की उस बैंक में नौकरी लगी। उसके ल के की अपाइंटमेंट डेट क्या है? क्या मिनिस्टर बनने से पहले की है या मिनिस्टर बनने के बाद की है। क्या वह लड़का अपनी मैरिट पर नियुक्त हुआ था या अपने पिता की मैरिट पर अपाइन्ट हुआ था, क्योंकि अमेरिकन बैंक में नौकरी मिलना आसान नहीं है। इसलिए क्या कोई पोलिटिकल रिश्ता इसमें आपस में है? इन सब बातों का पता आपको लगाना है। मैं इसलिए यह कह रही हूं क्योंकि यह बड़ा ही इम्पोर्टेन्ट सवाल है।

सर, आपको तो मालूम है कि अजय सिंह की काफी रुपया सैंट किट्स में रखा है जबकि यह छोटी-मोटी फायनेंश्यल इंस्टीट्यूशन है, जो यू० एस० डॉलर बाहर ले जा सकती है। अगर फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन में उसका रुपया है, तो उसने जो इनफर्मेशन दी है, वह हमारे पास नहीं है, यदि है तो वह क्या है? क्योंकि वी० पी० सिंह ने भी कहा है कि मेरा या मेरे किसी रिश्तेदार का लड़का फॉरेन बैंक में नहीं है। तो क्या डाकुमेंट झूठा है या सही है? इस बारे में बताइए और इस बारे क्या कोई इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं या नहीं और क्या सी० बी० आई० को इन्वेस्टीगेशन करने के लिए आप केस दे रहे हैं। अभी तो हम खाली अजय सिंह के बारे में बोल रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में बोला जा सकता है। जैसे हरियाणा के देवी लाल के बारे में कहा जा सकता है। उनके सन इन ला ने लैंड स्कैंडल किया। एम० पी० को पैसा देकर खरीद लिया। इतना पैसा इन लोगों के पास कहां से आता है। जन्मदिवस के मौके पर किस-किस प्रकार से ब्लैक मनी को ह्वाइट करने के लिए गिफ्ट के नाम पैसा भेजा गया। आसाम में ए० जी० पी० गवर्नमेंट भी बैंक्रप्ट हो रही है। हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के लड़के चन्दन बसु पहले 1200 रुपए की नौकरी करते थे, लेकिन अब उसकी करोड़ों रुपए की प्रापर्टी हो गई है। वैस्ट बंगाल लैंप के नाम पर फायनेंश्यल कार्पोरेशन से करोड़ों रुपया लोन ले लिया और अनएम्पलाइड यूथ को एक पैसा भी नहीं मिला। सब रुपया उसके लड़के को मिला और अब भी मिल रहा है। जनता के लिए ऐश है और हमारे सन के लिए कैश है। सब कैश हमारे लड़के को दे दो। यह हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा और यह बढ़ता जाएगा

तो देश का क्या होगा ? मन्त्री महोदय से मैं यह पूछना चाहती हूं । हेगड़े साहब लैंड स्कैंडल में जुड़े हुए हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि इन लोगों ने इतना रुपया इतनी जल्दी कैसे बनाया ? इसमें क्या कोई मैजिक हुआ है ? ये रुपया वी० पी० सिंह ने बोफोर्स से लिया है या सी० आई० ए० से लिया है ? यह रुपया कहां से आया ? इसका सोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है, मैं यह जानना चाहती हूं, मैं कोई पर्सनल स्कैंडल करना नहीं चाहती हूं । लेकिन जो राजीव जी को चोर बोलता है, जो कांग्रेस को चोर बोलता है उस आदमी के मुख में कालिख पुती हुई हैं । इसलिए मैं कहना चाहती हू कि आप थौरोली इनवैस्टीगेट कीजिए, डिटेल्ड इन्क्वारी कीजिए और डिटेल रिपोर्ट,, कम्प्रीहैंसिव रिपोर्ट आप हाउस में लाइये ताकि देश के हर आदमी को मालूम हो कि कौन क्या था और क्या बन गया है । यह सब बातें हाउस में बतानी चाहिए । मैं किसी के खिलाफ कोई गलत बात नहीं बोलना चाहती हूं लेकिन जो डोकुमेंट्स हैं उसमें औथैनटीसिटी क्या है और गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, यह अगर आप हाउस में बताएंगे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी । मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूं लेकिन आप इसे लाइटली मत लीजिए, इसे सीरियसली लीजिए । इस तरह से तो हमारे देश का रुपया बाहर चला जाएगा और वह रुपया फिर इलैक्शन में खर्च किया जाएगा । कोई राम शिला का पूजन करेगा, कोई हिन्दुस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई इन्दिरा जी का खून करने की कौंसपीरेसी करेगा और कांग्रेस को चोर बोलेगा । आज देश में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे बाहर का लिंक तो जरूर है । कोई छुपा रूस्तम जरूर है जिसका रिलेशन बाहर से है । यह बात बहुत इम्पार्टेंट है, पब्लिक इन्टरस्ट की बात है, इसलिए जो भी करना है, जल्दी कीजिए और हाउस में बताइए । जो अपने आपको आनेस्ट कहता है और बी० जे० पी० का साथ देता है, जिसके साथ रामाराव की दोस्ती है, जिसके साथ देवी लाल की दोस्ती है और वो जो कुछ भी देश में कर रहा है, वे सारी बातें आप देश के सामने लाइए ।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैंने वित्त राज्य मन्त्री द्वारा कल सदन के लिए वक्तव्य जो इस प्रश्न के बारे में है जिस पर हम विचार कर रहे हैं, को बार-बार पढ़ा । यहां केवल यही वक्तव्य है कि समाचार पत्रों में आरोप लगाया गया है । अखबारों में खबर छपी थी । अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर अनुमानित अभियुक्त ने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया और सरकार ने उस पर कार्यवाही करते हुए 13-9-89 को एक निदेश जारी किया, 20 सितम्बर, 1989 को दूसरा निदेश जारी किया, एक अन्तरिम उत्तर प्राप्त हो चुका है तथा कुछ और ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है । इसके साथ-साथ निदेशक (प्रवर्तन) ने अपने आप जांच आरंभ की है और अन्तिम वाक्य कहता है "निदेशक को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके सत्यापन के लिए और आगे जांच की जा रही है ।"

महोदय, अब जब तक जांच पूरी न हो जाए और कतिपय तथ्य स्थापित न हो जाए, तब तक प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन सकता । तत्पश्चात्, कुछ तर्कसंगत निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है । यदि जांच से प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो संबंधित व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जायेगा । यदि जांच से ऐसा सिद्ध नहीं होता तो आरोप स्वयं समाप्त हो जायेगा । यदि जांच ही नहीं की गई तो बहस किस बात पर की । विभाग का विलम्ब को दोषी नहीं माना जा सकता ।

माननीय सदस्य श्री बशीर ने विलम्ब की बात कही थी । मुझे हैरानी है 13-9-89 को निदेश दिए गए थे, आज 13 अक्तूबर है— पूरा एक महीना हो चुका है । इस अवधि में दो काम हुए हैं । मुझे विश्वास है कि सदस्यगण सरकार के काम करने के ढंग से वाकिफ हैं । कम से कम मैं तो हूं । मैंने

इसे अन्दर से देखा है। मेरे विचार से यह एक्सप्रेस गति है और मैं माननीय मन्त्री को बधाई देता हूं। और अभी भी श्री बशीर सरकार पर विलम्ब का आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मुद्दा क्या है।

सरकार आमतौर पर अखबारों में छपी खबरों पर कार्यवाही नहीं करती; और करनी भी नहीं चाहिए—और मैं जानता हूं कि वह नहीं करते। उन्होंने "द हिन्दु" में प्रकाशित सभी दस्तावेजों पर कार्यवाही नहीं की है। आज वही सवाल है। दस्तावेज प्रकाशित हुए हैं; और मैं नहीं समझता कि सरकारी तन्त्र ने उस पर तुरन्त ध्यान दिया है। किंतु इस मामले में उन्होंने समाचार पत्रों में छपी खबर पर कार्यवाही की है हालांकि अखबार में यह भी कहा गया है कि अनुमानित अभियुक्त द्वारा इन खबरों की प्रमाणिकता को चुनौती दी गई है। दूसरे मामलों में जहां दस्तावेजों की प्रमाणिकता को भी चुनौती नहीं दी गई है, सरकार ने अखबारों में छपी खबरों पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। यहां इस मामले में अखबारों में एक खबर छपी, जो मेरे विचार से मनगढ़ंत है; जो दिल्ली में तैयार की गई, जानबूझकर विदेशी प्रेस को दी गई और फिर भारत लायी गई पुनः प्रकाशित हुई। मैं जानता हूं यह सब चलता है। मैं ऐसे मामलों के बारे में काफी जानता हूं। मैं राजनैतिक क्षेत्र में रहा हूं, मैं जानता हूं कि इस प्रकार की खबरों की ईजाद किस प्रकार होती है। किन्तु, यदि मान लिया जाए कि हर बात ठीक है; तो भी अखबारों में एक समाचार छपा और सरकार ने उस पर कार्यवाही की। और बाद में अभियुक्त ने कड़े शब्दों में इस आरोप से इन्कार किया। तो भी सरकार ने इस पर कार्यवाही की क्योंकि इसका कोई कारण होगा। मैं उन कारणों के बारे में नहीं जानना चाहता। मैं उनके इरादों के बारे में भी नहीं जानना चाहता। मैं इसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उल्लंघन के आरोप के रूप में ही ले रहा हूं; और इसलिए इस बात की परवाह किए बिना कि संबंधित व्यक्ति किसका बेटा है, कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिए। यही एक सामान्य तरीका है। हम लोकतन्त्र में जी रहे हैं। हमारे यहां कोई कायदा कानून है। कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इसलिए यदि इतना बड़ा अभियोग लगाया गया है, तो मेरे विचार से सरकार द्वारा जांच करवाया जाना बिल्कुल सही है। किन्तु मुझे यह समझ नहीं आता कि जब तक वे किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते तब तक बहस किस लिए।

श्री शांताराम नायक : आप इसमें भाग क्यों ले रहे हैं ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मुझे भाग लेना पड़ रहा है क्योंकि बहस चल रही है।

श्री शांताराम नायक : आवश्यक नहीं है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अब मैं इस मुद्दे पर आया हूं; जो कुछ भी इस सदन में कहा गया है, उससे मुझे यह प्रतीत होता है कि इस बहस का उद्देश्य राजनैतिक है। बेशक हमारा यह मंच एक राजनैतिक मंच है, किन्तु राजनीति का भी एक स्तर होता है और मेरे विचार से हमें इस पुनीत सदन से अपनी बहस का स्तर इतना नहीं गिरा लेना चाहिए। यह शायद इस सदन का अन्तिम दिन है। हमें राजनैतिक विरोधियों के चरित्र हनन, उनकी राजनैतिक नीतियों और कार्यक्रमों पर उंगली उठाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महोदय, क्या यह उचित है। हम जल्द ही चुनाव प्रचार आरम्भ करने वाले हैं। हम इसे जनता के सामने रखेंगे। हम जो भी आरोप लगाना चाहते हैं लगाएंगे; हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं कहेंगे। इसमें कोई बाधा नहीं होगी। हम इस मैंच का इस्तेमाल ऐसे कार्यों के लिए क्यों करें। हम अपनी इस लोकतांत्रिक संस्था के स्तर को क्यों गिराएं।

यदि इस देश में लोकतन्त्र को बचाए रखना है तो हमें इस प्रकार के हथकन्डों से उपर उठना होगा।

हम इस देश में चुन-चुन कर बदले लेने की अनुमति नहीं दे सकते, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, सत्ता के तन्त्र का प्रभारी कोई भी क्यों न हो, लोगों द्वारा किसी को भी क्यों न चुना जाए। यदि इस देश में लोकतन्त्र को जीवित रखना है, तो हमें संदिग्ध व्यक्तियों की खोज के विरुद्ध निगरानी रखनी होगी। अमरीका के लोगों की शानदार परम्परा रही है। उनके इतिहास में ऐसा चरण था जिसने बदले लेने को समाप्त कर दिया। लेकिन तब उन्होंने इसमें सुधार किया। उन्होंने अपने गौरव को प्राप्त किया और वह काल समाप्त हुआ। हम सम्पूर्ण विश्व की लोकतांत्रिक परम्परा के उत्तराधिकारी हैं, और वे भी हमारे आभारी हैं, और हमें एक सबक सीखना चाहिए। लोकतन्त्र, चुन-चुन कर बदले लेने पर फलता-फूलता नहीं है। ये वापस आप पर प्रहार करता है, यह प्रतिक्रिया करता है, यह गैर-उत्पादनकारी बन जाती है। जो उंगली इस खेल के लिए प्रणाम करती है वह जल जाती है और मैं यही चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री बशीर इस बात को स्वीकार करें। माननीय मन्त्री से मेरा केवल यही प्रश्न है कि श्री वी० पी० सिंह ही अकेले ऐसे भारतीय अति महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं कि जिनका लड़का अथवा दामाद अथवा उसका भाई अथवा भतीजा विदेश में नौकरी कर रहा है। बहुत से अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संबंधी विदेशों में हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन यकीनन ही माननीय मन्त्री के पास एक सूची होगी और यदि वह चाहें तो उनकी सूची मांग सकते हैं। और उनमें से बहुत से बैंकों में भी कार्य कर रहे हैं। मैं उसको भी जानता हूं। बहुत से लोगों के बेटे और दामाद बैंकों में कार्य करते हैं। क्या वह अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ऐसे सभी बेटों और दामादों को इसी प्रकार का नोटिस और निर्देश भेजने का वचन देंगे, कम से कम उनको जो बैंकों में कार्य कर रहे हैं कि वह चल और अचल परिसम्पत्तियों का विवरण पेश करें? इस सभा में बड़ी मुश्किल से हमने किसी व्यक्तिगत मामले में इस प्रश्न पर चर्चा की होगी? यह कार्यपालिका के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि आप ऐसा एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो ऐसा हरेक के लिए कीजिए। इसको जारी रखें। यदि आप फिर सत्ता में आए तो इस सभा के सामने आगामी संसद के सामने एक विवरण लाइये। इस देश के भूतपूर्व और वर्तमान अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के सभी बेटों और दामादों की परिसम्पत्तियों और सम्पत्तियों का यह विस्तृत विवरण होना चाहिए जिनके बारे में यह माना जाए कि उनकी कुल आय उनकी बचतों से कहीं अधिक है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। चुनाव आने वाले हैं। मैंने ऐसा जानबूझकर कहा है क्योंकि विदेश में कार्य कर रही शक्तियों के अनुसार जिस आदमी पर निगरानी रखी जानी है और अति संवेदनशील व्यक्ति जोकि उनके लिए उपलब्ध है वह और कोई नहीं बल्कि इस खाता संख्या 29479 का लाभार्थी श्री वी० पी० सिंह ही है। यह थोड़ी अतिश्योक्ति हो सकती है लेकिन, यदि हम उन सभी लोगों को याद करें जोकि गत दो वर्षों से हो रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि किसी न किसी रूप में विदेशी शक्तियां कार्य कर रही हैं। कांग्रेस के लोग जब अपने भाषणों में विदेशी शक्तियों का उल्लेख करते हैं तो उनकी हमेशा हंसी उड़ाई जाती है और उन्हें मूर्ख कहा जाता है।

हाल ही में यह सिद्ध हो चुका है कि सी० आई० ए० का एक एजेन्ट बहुत ऊंचे पदों पर आसीन है। यहां तक कि मानहानि के उनके मुकदमे को भी रद्द कर दिया गया था।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आप किसका उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं नहीं समझता कि यह वही मुद्दा है जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह वही निष्कर्ष है जोकि आप उस मामले की असफलता से निकाल सकते हैं।

श्री शांताराम नायक : क्या आप जानते हैं कि वह मुकदमा रद्द क्यों कर दिया गया था। यह मुकदमा बुनियादी तौर पर इसलिए रद्द किया गया था क्योंकि न्यायालय के अनुसार इस पुस्तक के लेखक ने कुछ प्रमाणिक दस्तावेजों पर भरोसा किया था। इसलिए यह मुकदमा रद्द कर दिया गया गया था। लेकिन आज मुझे डर है कि सी० आई० ए० अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव की लड़ाई में प्रवेश कर रहा है। मैं सी० आई० ए० को परामर्श देता हूं कि वह निर्वाचन आयोग के सामने स्वयं को एक चुनाव पार्टी के रूप में पंजीकृत कराए क्योंकि जो भी हो, हम जनता दल के नाम में सी० आई० ए० से प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई कर रहे हैं। वास्तव में यही कुछ हो रहा है। जो कुछ मैं कह रहा हूं वह अब उपहास, अतिश्योक्ति अथवा जो भी यह है, हो सकता है। हम एक के प्रति एक लड़ें जोकि कांग्रेस के खिलाफ सी० आई० ए० के रूप में बहुत ही लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : जिसके बारे में संदेश प्रकट किया गया है।... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शांताराम नायक : "गद्दारी करने के लिए कोई नेता नहीं बनता।"

[अनुवाद]

यदि किसी को नेता बनना है, तो उसे ईमानदार बनना होगा। कुछ लोग ईमानदार थे। यहां उसे इमानदार बने रहना होगा। हममें से कुछ की कमजोरियां हैं, जिस कारण हम ईमानदार नहीं बने रह सकते। 6 विभिन्न अवसरों पर जमा कराए गए 21 मिलियन डालर, जांच कराए जाने वाला मामला है। इस खाते के होने के बारे में श्री वी० पी० सिंह और श्री अजय सिंह दोनों ने इन्कार किया है। इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि क्या श्री वी० पी० सिंह और श्री अजय सिंह के पासपोर्ट श्री मैकलियन को प्रस्तुत किए गए थे अथवा नहीं। कानून के अनुसार पासपोर्ट की जेरोक्स प्रतियों की शायद आवश्यकता होती है और तभी इनकी प्रामाणिकता सिद्ध की जाएगी।

अब श्री अजय सिंह कहते हैं कि उनकी परिसम्पत्तियां आधा मिलियन अमरीकी डालर हैं, एक व्यक्ति को 5000 अमरीकी डालर वेतन प्रति मास मिल रहा था। महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका जैसे स्थान पर एक व्यक्ति जो 5000 अमरीकी डालर प्राप्त करता है वह यही नीचे की स्थिति में आता है और यहां तक कि उसके लिए दोनों समय का गुजारा करना भी कठिन है। फिर भी आधा मिलियन अमरीकी डालर उनकी परिसम्पत्तियां हैं। दूसरे यहां तक कि उनकी अन्तिम तैनाती अमरीकी स्थित बैंक की छोटी शाखा में थी। और उसके सम्पूर्ण जीवन में, यदि हम उसके इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि यह व्यक्ति किसी पर्याप्त धनराशि को प्राप्त करने के लिए कभी भी ऊंचे पद पर नहीं पहुंचा है। लेकिन उसके लन्दन में फ्लैट हैं, बैंक में धनराशि जमा है, शेयर हैं और क्या कुछ नहीं है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि आज जो भी दस्तावेज सरकार के पास हैं, और सरकार भविष्य में जो और दस्तावेज प्राप्त करे उन्हें सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि सम्पूर्ण देश उन दस्तावेजों के बारे में जान सके। मैं चाहता हूं और और मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री ऐसा करेंगे।

वास्तव में, क्या श्री अजय सिंह ने 'फैरा' का उल्लंघन किया है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें

'फैरा' से आगे जाना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि यह धनराशि श्री अजय सिंह के हाथों में कैसे आई। मैं यह कहता हूं कि राजद्रोह के आरोप के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। एक षडयन्त्र रचा जा रहा है और मुझे भय है कि इस धनराशि को शायद किसी प्रकार के षडयन्त्र में जोड़ा जाए। इसलिए न केवल 'फैरा' बल्कि भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों को भी इससे लिया जाना चाहिए। जब इस व्यक्ति को निर्देश दिए गए, तो वह हिचकिचा रहा था और उसने 1987 का पासपोर्ट प्रस्तुत किया। जहां तक उसके पहले के पासपोर्टों का सम्बन्ध है उसने कहा कि उन्हें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि उसके पहले के पासपोर्ट कहां गए। श्री अजय सिंह के पहले के पासपोर्टों से उनकी गतिविधियों के सबूतों का पता लग सकेगा कि वह कहां पर थे, कौन से देश में थे कि किस समय पर वह क्या कर रहे थे विशेषकर उनके 1986 वर्ष के पासपोर्ट में जब यह खाते खोले गए थे। अतः मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या श्री अजय सिंह के पहले पासपोर्ट को प्राप्त करना संभव हो गया है ताकि उसने विगत के संबंध में जानकारी प्राप्त हो और यह भी पता चले कि वह क्यों टालमटोल कर रहे थे।

श्री अजय सिंह कहते हैं कि वह भारत इसलिए आए हैं कि ताकि अपने आपको पूछताछ के लिए पेश करें। वह पूछताछ के उद्देश्य से नहीं आए हैं, वह अब पूरे निदेशात्मक आदेश और अपनी स्वामियों, जो विदेश में हैं, के सभी आदेशों के समेत आए हैं, ताकि वह चुनाव क्षेत्र में काम कर सकें और चुनाव के मैदान में जिस प्रकार भी संभव हो, अपने पिता का समर्थन करें। वह इसी कारण से भारत आए हैं। क्या यह संयोग की बात है कि यह तथ्य प्रकट हुए हैं और संयोगवश अब वह कह रहे हैं कि वह पूछताछ के लिए आए हैं। किंतु मूलतः वह अपने पिता के समर्थन के लिए आए हैं।

सेंट किट्स एक अन्य प्रकार से बहुत ही बदनाम है। यह बात सभी जानते हैं कि मूलतः इसे कर चोरों के लिए एक आश्रय स्थल माना जाता है। यह काले धन को श्वेत धन में बदलने का एक साधन माना जाता है। यह शब्द केवल मैं ही नहीं प्रयोग कर रहा हूं, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में यह शब्द जाने जाते हैं। अतः इस सेंट किट्स बैंक की ऐसी प्रतिष्ठा है।

इस फर्स्ट ट्रस्ट बैंक कारपोरेशन के विचार भी बहुत अच्छे हैं। उनके पास भारतीयों तथा अन्य देशों के नागरिकों के लिए योजनाएं है। विशेषकर इस बैंक में भारतीयों का उल्लेख किया गया है और बैंक की इसी योजना के अन्तर्गत धन का निवेश तथा उपयोग किया गया। इस बैंक की एक प्रसिद्धि यह है कि विशेष रूप से यदि किसी देश का कानून धन बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देता है तो यह बैंक उन लोगों की सहायता कमीशन लेकर उस देश से बाहर भुगतान करके करता है। उनके पास अपनी कार्यप्रणाली है कि किस प्रकार यह धन एक ऐसे देश से लाया जाता है जहां इस पर प्रतिबन्ध है और दूसरे देश में इसका भुगतान किया जाता है। अतः हमें देखना है कि क्या कुछ हुआ है, किस प्रकार इस धन को भुगतान उस बैंक में किया गया था। बैंक के अस्तित्व पर कोई सन्देह नहीं किया गया है। फिर बाद में मुझे पता चला कि यह बन्द हो गया है। वैसे तो श्री मैक्लीन कोई गुमनाम व्यक्ति तो हैं नहीं। वह भी विख्यात व्यक्ति हैं। उनके निदेशकों के बोर्ड का सरकारी कार्यालयों में उच्च व्यक्तियों के साथ सम्पर्क है। अतः इस बैंक के पास पूंजीनिवेश की अथवा अन्य देशों से लाने और ले जाने की योजनाएं हैं जिनसे धन बाहर नहीं लिया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने कमीशन लिया था। इस पहलू की भी पूछताछ की जानी चाहिए।

इस अजय सिंह ने बहुत बार कहा है कि अन्य लोगों जैसे अजिताभ अथवा बिन चड्ढ़ा के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई। जहां तक मैं जानता हूं, कम से कम इन अजिताभ आदि की

व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की गई थी । इस विन चड्डा पर छापा मारा गया था किंतु, अभी तक वास्तव में इस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं किया गया है और अपनी इच्छा से उत्तर देने की सभी सुविधाएं दी गई हैं, यद्यपि वह एजेन्सियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है । वह उस प्रकार के संबद्ध पासपोर्ट नहीं दे रहा है जिनकी वास्तव में आवश्यकता है । फिर भी यह उसकी साहसिकता है कि वह उन पूछताछों का उद्धरण देता है जिनमें इससे भी अधिक पूछताछ की गई थी ।

5.00 म० प०

दूसरी ओर यह भी देखना है कि यदि यह राशि सेंट किट्स में एक बैंक में जमा की गई थी जहां यह सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वह समय कौन सा था जिसके दौरान यह राशि वास्तव में वहां जमा की गई थी ? चूंकि इस बात की पूछताछ भी करनी है कि क्या इस राशि का भुगतान मूलतः भारत में किया गया था, और क्या इस राशि का उसी अवधि के दौरान भुगतान हुआ था । मैं यह कहना नहीं चाहता हूं कि उचित समय क्या था । किंतु मैं कहना चाहता हूं कि उचित समय का अर्थ यही है जब यह राशि इस देश में इकट्ठी की गई और जिस अवधि के दौरान यह राशि इस बैंक के द्वारा सुरक्षा, पूर्वक जा सकती । हमें इस देश पर गर्व है और इसीलिए हम यह कहते हैं ।

[हिन्दी]

"मेरा भारत महान" ।

[अनुवाद]

जबकि सम्भवतः श्री वी० पी० सिंह यह कहते हैं—

[हिन्दी]

"मेरा लड़का महान" ।

[अनुवाद]

उनके लिए तो उसने ऐसा काम किया कि विश्व के एक सुदूर कोने में धन अत्यन्त सुरक्षित रखा है और अब वह अपने पिता की सहायता के लिए ऐन मौके पर आ रहे हैं । उनके पिता निश्चय ही कहेंगे ।

[हिन्दी]

"मेरा लड़का महान" ।

[अनुवाद]

महोदय, लेखे के संबंध में श्री अजय सिंह एक ही आधार बता रहे हैं, "अजी वह खासा जाली है और यह कारण बताया गया है कि ब्याज अच्छी तरह से नहीं लगाया गया है । महोदय, अंतर्राष्ट्रीय लेखा कार्य में ब्याज का हिसाब लगाने की एक समरूप प्रणाली नहीं है । वह कहते हैं कि यह लेखा जाली है, वह खाता छुट्टी के दिन खोला गया था और उस समय वह सेंट किट्स नहीं गए थे । महोदय, किंतु, यह बात प्रामाणिक तौर पर कही गई है कि ऐसे खाते को चलाने अथवा खोलने के लिए किसी को भी सेन्ट किट्स नहीं जाना होगा, केवल एजेन्टों के माध्यम से ही काम हो जाते हैं । पहला आधार यह बताया जाता है कि ब्याज का हिसाब अच्छी तरह से नहीं लगाया जाता है । मैं अत्यन्त नम्रता-पूर्वक कहता हूं कि सरकार के पास जो कुछ साक्ष्य उपलब्ध है उन्हें आज से ही काम आरम्भ करना

चाहिए और उन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि पूरे देश को इस बात का पता चले।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति जी, कल जो वित्त मंत्री जी ने एक वक्तव्य सेंट किट्स खाते के बारे में दिया था उससे सारे देश के सामने एक प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है और देश के सभी प्रबुद्ध नागरिक सरकार से यह चाहते हैं कि इस प्रकार का मुखौटा ओढ़े हुए जो व्यक्ति हैं उनका चेहरा साफ होना चाहिए। मान्यवर, मांडा के राजा श्री वी० पी० सिंह ने देश के प्रधानमंत्री बनने का एक दिव्य स्वप्न देखा था और उन्होंने देश के साथ गद्दारी का जो बीड़ा उठाया उसमें हमारी जो रक्षा पंक्ति हैं उसको बदनाम करने की कोशिश की और गलत आरोप लगाकर जिस प्रकार देश की छवि खराब की है वह कल वित्त मंत्री जी के वक्तव्य से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि ऐसे व्यक्ति का जो भी अकाउन्ट है वह देश की जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। क्यों, कैसे और किसके द्वारा यह प्रश्न उभर-उभर कर हमारे सामने आते हैं। जब 22 अगस्त, 89 को कुवैत टाइम्स में यह खबर छपी थी, उस समय सभी लोग यह कहा करते थे कि शायद यह समाचार गलत है परन्तु जो कुछ भी फैक्ट्स सामने आए हैं उनसे पता लगता है कि सैंट किट्स में जो एक गुप्त खाता नं० 29479 है उसमें 21 मीलियन यू० एस० डालर जमा किए गए। और एक बार नहीं, बल्कि 6 किस्तें जमा की गईं। 16 सितम्बर, 1986 की दो मिलियन डालर, 10 अक्तूबर, 1986 को दो मिलियन डालर, 13 सितम्बर, 1986 को पांच मिलियन डालर, 18 जनवरी को तीन मिलियन डालर, 24 जनवरी, 1987 को पांच मिलियन डालर, 26 मार्च, 1987 को 21 मिलियन डालर जमा किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। जिस प्रकार से एक ईमानदार और सन्त का मुखौटा ओढ़ा हुआ था वह आज हमारे सामने स्पष्ट हो गया है। मैं यह मांग करना चाहूंगी कि अजय सिंह जो कि एन० आर० ई० हैं उनके बारे में छान-बीन सही रूप में आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान या कानून में आप्रवासी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा है, हमें यदि संविधान में परिवर्तन करना पड़े या कोई विशेष कानून भी लाना पड़े तो उसके लिए हमें परहेज नहीं करना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि अजय सिंह ने जो कुछ भी अपने बारे में कहा है या अपना स्पष्टीकरण दिया है उससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती। सबसे पहला प्रश्न यह है कि अजय सिंह को यह नौकरी कब मिली ? लन्दन में इतना कीमती फ्लैट कहां से आया और इतनी छोटी सी नौकरी जिसमें पांच हजार डालर (यू० एस०) प्रति माह मिलते थे, उन्होंने इतने छोटे से पैसे में कैसे इतना पैसा जमा कर लिया ? नौ महीने तक वह पूरी तरह से बेकार रहे थे। इस प्रकार जो खाता जमा हुआ है सितम्बर के महीने में, 1986 में मि० जार्ज मैक्लीन ने जो कि फर्स्ट ट्रस्ट कार्पोरेशन बैंक, सैंट किट्स का उसमें बेनिफिशरी विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया है और इलाहाबाद का पता दिया है। इस प्रकार जो कुछ भी कार्य हुआ है वह किस माध्यम से और कितना सही है ? अजय सिंह सम्पूर्ण जानकारी देने में देरी क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने 1987 के अपने पहले के पासपोर्ट बताए हैं ? इतना समझदार व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है जिसने अपना खाता जमा कराया है क्या वह 1987 के पहले के पासपोर्ट नहीं दिखा सकता है या वह गुम गए हैं। इस प्रकार से जो पर्दा डालना चाहते हैं उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्योंकि सारे देश की जनता यह चाहती है कि इस प्रकार जो अपने आप को एक अनुशासित, ईमानदार और संन्यासी की छवि लिए हुए जो व्यक्ति चल रहा है उसका असली चेहरा क्या है ? इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग है कि अजय सिंह के माध्यम से जिस प्रकार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो नाटक किया है और

जिस प्रकार देश का कीमती पैसा बाहर भेजा है या उन्होंने किस तरह का कार्य किया है क्या विदेशी ताकतें या सी० आई० ए० हमारे देश के ऊपर एक क्रूर दृष्टि रखे हुए हैं। हमें पता होना चाहिए कि हर्ष के ऊपर जो मुकदमा देसाई ने किया था वह वे हार गए हैं। विदेशी ताकतों ने जिस प्रकार का एक जाल हमारे देश के ऊपर बिछाया हुआ है, क्या इस जाल में फिर से हम फंसने नहीं जा रहे हैं ? इसलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। मैं सरकार से और मंत्रीजी से यह मांग करूंगी कि इस प्रकार का यह जो खाता है इसमें पैसा कहां से, कब, क्यों और किस के द्वारा जमा किया गया, क्योंकि उनके पास, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अजय सिंह दोनों कहते हैं उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है कि यदि मैं दोषी हूं तो सरकार मेरे विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं करती है। वे जानते हैं कि नॉन रेजिडैंट इण्डियन्स के सम्बन्ध में हमारे कानून मौन हैं। यदि वे सब कुछ जानते हुए ऐसी बात कह रहे हैं कि एन० आर० आईज० के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो सरकार से मांग करूंगी कि वह पूरी स्थिति का स्पष्टीकरण करे। हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा और आज जैसी स्थिति बनी है, जनता के सामने उसका सही रूप प्रस्तुत करना होगा क्यों कि यह चुनावी मुद्दा बनाया जाए, इसका प्रश्न नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है और कौन-सी ताकतें हैं, चाहे वे आन्तरिक शक्तियां हों या कुछ विदेशी ताकतें हों, जो हमारे देश की बनी-बनाई अर्थव्यवस्था को, हमारे विकास के मानदंडों को हानि पहुंचाना चाहती हैं, क्षतिग्रस्त करना चाहती हैं, हमारी विकास की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करना चाहती हैं। यदि इस ओर हम ध्यान नहीं देंगे या उन ताकतों के विरुद्ध सही कदम नहीं उठायेंगे तो सम्भव है आगे चलकर हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर मांग करना चाहती हूं कि सैंट किट्स के खाता नम्बर 29479 के संबंध में सरकार छानबीन करके सही जानकारी सदन को और जनता को दे।

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। यह देश के लिए गहरी चिन्ता का विषय है, यदि मैं यह भी मान लूं कि श्री अजय सिंह, सुपुत्र श्री वी० पी० सिंह पर यह आरोप है कि उनका एक खाता है जो विदेशी बैंक में है। यह एक गम्भीर आरोप है। यह इसलिए गम्भीर है क्योंकि हमारे देश में अनेक कानून और विधान हैं, विशेष कर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को देखते हुए कोई भी भारतीय विदेश में कोई खाता नहीं खोल सकता है। अतः इस मामले की जांच की जानी चाहिए और यह सरकार का कर्तव्य है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जनता के सामने वास्तविक सच्चाई प्रकट करें।

महोदय, मुझे समाचार-पत्रों को देखकर ज्ञात हुआ है कि जनता के मन में यह शंका उत्पन्न करने का साक्ष्य है कि एक विदेशी खाता है जो श्री अजय सिंह, सुपुत्र श्री वी० पी० सिंह के नाम सैंट किट्स में चालू है। समाचार पत्र में खाता संख्या भी दी गई हैं। यदि मैं केवल वाद-विवाद के तौर पर इस बात को मानूं, और यदि मैं राशि का उल्लेख करता हूं, राशि कोई थोड़ी नहीं है, राशि तो लगभग 210 लाख अमरीकी डालर है। यह पूरा समाचार एक विदेशी समाचार-पत्र में 20 अगस्त, 1989 को आया था। समाचार पत्र का नाम "द अरब टाइम्स" है और यह कुवैत का समाचार पत्र है। यही समाचार 22 अगस्त, 1989 को भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था और उन्होंने विभिन्न ब्यौरे दिए हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष, जो देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री के सुपुत्र के खिलाफ कोई झूठा आरोप अथवा निन्दा करना नहीं है जो सत्ता में थे और जो अपने पुत्र की हर प्रकार से सहायता कर सकते थे। वाद-विवाद के लिए मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई परोक्ष संकेत नहीं करना

चाहता हूं। इसकी अधिक संभावना है कि जो व्यक्ति सत्ता में था वह अपने पुत्र को विदेशी बैंक में धन जमा करने में सहायता कर सकता जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का प्रत्यक्ष उल्लंघन है और यह तथ्य उस समाचार पत्र में प्रकाशित हुए हैं और भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। संख्या और कुल राशि भी समाचार पत्रों में दी गई है। समाचार पत्र में यह भी बताया गया था कि यह 210 लाख अमरीकी डालर किस अवधि के दौरान विदेशी बैंक में जमा किए गए थे। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब यह खबर समाचार पत्र में छपी तो भूतपूर्व वित्र मंत्री माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यदि मैं ऐसा कह सकता हूं, वे इस खबर को निराधार बताया। लेकिन ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक ने इसे निराधार नहीं बताया यदि हम घटना को क्रमानुसार देखते हैं तो हम पाते हैं कि ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक ने विदेशी बैंक में ऐसे खाते के अस्तित्व में होने से इंकार नहीं किया है। उन्होंने इसमें किसी भारतीय के शामिल होने की खबर को भी गलत नहीं बताया है। इसके उपरांत ही दी इंडियन एक्सप्रेस में इसके निराधार होने की खबर छपी लेकिन, वास्तविकता यही है कि इस खबर के छपने के पश्चात भी प्रबंध निदेशक ने इसे गलत नहीं कहा। यदि ऐसा है, तो मैं समझता हूं हूं कि हमारे समक्ष पर्याप्त सबूत मौजूद है और मंत्री महोदय से हमारी यह मांग न्यायोचित है कि सभा के समक्ष सभी तथ्यों को जाहिर किया जाए जिससे कि हमारे सामने इसकी वास्तविकता स्पष्ट हो सके।

समाचार-पत्रों में इस खबर के प्रकाशित होने के उपरांत बैंक के वकील से एक साक्षात्कार लिया गया था। अपने साक्षात्कार के दौरान बैंक के वकील ने इसे खबर को गलत नहीं बताया। निस्सन्देह बैंक की तरफ से ऐसे खाते के होने के बारे में सामान्य रूप से इंकार किया गया परंतु बैंक के वकील द्वारा इसे निराधार नहीं बताया गया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम माननीय मंत्रीजी से इस संबंध में स्पष्टीकरण और पर्याप्त सूचना चाहते हैं।

पिछले ढ़ाई सालों के दौरान, संसद के बाहर और भीतर कई अविश्वसनीय कहानी सुनने को मिल रही हैं? जिनमें कभी आरोप लगाये जाते हैं, कभी कुछ विपक्षी लोगों के द्वारा कहानियां गढ़ी जाती हैं और हमारी समझ में यह नहीं आता कि लोगों को, एक विशेष मंत्रालय, यानी कि रक्षा मंत्रालय के ऊपर आरोप लगाने के लिए किसने उकसाया है, जो कि देश का एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। हमें विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे इस प्रकार के आरोपों का पिछले ढ़ाई सालों से सामना करना पड़ रहा है। अब यह मामला एक गंभीर मामला हो गया है जिसमें देश के आर्थिक संसाधन अंतर्निहित हैं। जब 21 मिलिमन डालर किसी विदेशी बैंक में किसी भारतीय द्वारा जमा किया जाता है, तो यह एक गंभीर अपराध है और जो व्यक्ति ऐसे खाते को रखता है वह एक गंभीर आर्थिक अपराध करता है। अतः आर्थिक स्थिरता के लिए हम मंत्रीजी से इस सभा में यह अनुरोध करते हैं कि वे इन तथ्यों के संबंध में सही स्थिति स्पष्ट करें भारत के लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या उस व्यक्ति के सुपुत्र ने, जो राष्ट्र के उच्चतम पद पर आरोप लगा रहा है, हमारे देश के नियम और कानून तथा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन विदेशों में खाता खोलने से किया है या नहीं। निस्संदेह हमें यह जानने का पूरा अधिकार है, कि जो व्यक्ति अपने आप को एक ईमानदार व्यक्ति कहता है, उसका या उसके लड़के के नाम से किसी विदेशी बैंक में खाता है या नहीं। इसका स्पष्टीकरण सभा के समक्ष भी किए जाने की आवश्यकता है। यदि इन तथ्यों को जाहिर नहीं किया गया और यदि इसकी उचित जांच नहीं करायी गयी, तो लोगों के मन में यह संदेह हमेशा कायम रहेगा। यदि श्री अजय सिंह— जिनका नाम दर्शाया गया है, और कहा गया है कि उनका खाता विदेशी बैंक में है, तो वह इससे बच

नहीं सकते । यदि उन्होंने इस देश के कानून का उल्लंघन कर यह अपराध किया है तो वह बच नहीं सकते ।

महोदय, यह कहा गया है कि श्री अजय सिंह एक योग्यता प्राप्त सनदी लेखाकार हैं और उन्होंने सनदी लेखाकार के रूप में यह धन कमाया है । अब उन्होंने कुछ कथित तथ्यों का खुलासा किया है जो यह दर्शाता है कि विदेशी बैंकों में कुछ धन जमा किया गया है । लेकिन यह खाता जो कि श्री अजय सिंह के नाम से है, वह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के पुत्र श्री अजय सिंह का है या नहीं इसे सिद्ध करना होगा । वहां जमा की गयी कुल धनराशि 21 मिलयन डालर है । इस तथ्य को हमारे सामने स्पष्ट नहीं किया गया है । अतः मेरे विचार से इस मुद्दे को उठाने का यह उचित मंच है । मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि यदि विदेशी बैंक में 21 मिलियन डॉलर की धनराशि को जमा करने तथा ऐसा खाता खोलने से किसी तरह का अपराध किया गया है, तो सभा के समक्ष इसे जाहिर किया जाना चाहिए या इस संबंध में माननीय मंत्रीजी द्वारा एक वक्तव्य जारी कर सम्पूर्ण स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए जिससे कि हमारे मत से तथा इस देश के लोगों के मन से यह संदेह दूर किया जा सके । साथ ही, यदि कभी ऐसा कोई सबूत मिलता है जिससे यह जाहिर होता है कि श्री अजय सिंह ने ऐसा खाता किसी विदेशी बैंक में खोला है—यह स्पष्ट है कि कोई नया सनदी लेखाकार इतनी धनराशि नहीं कमा सकता—तो यह पता लगाना चाहिए कि यह धनराशि कब उस बैंक में जमा की गई है । यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि उस समय उनके पिता का ओहदा क्या था जो कि एक बहुत ही साधनसंपन्न मंत्री थे तथा भारत में एक साधनसंपन्न व्यक्ति थे । यदि कोई व्यक्ति साधनसंपन्न पिता और हाल ही में योग्यता प्राप्त सनदी लेखाकार के बीच कुछ संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है तो वह कोई गलती नहीं करता है । यदि यह स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो सम्पूर्ण देश में अस्पष्ट स्थिति होगी । यह उस व्यक्ति का धन है जो अपने आप को ईमानदार कहता है, और जिसने अपने पुत्र के नाम से यह धन जमा करवाया है । इसी कारण हमने सभा के समक्ष यह मुद्दा उठाने की कोशिश की है । इसी कारणवश आज यहां नियम 193 के अधीन चर्चा चल रही है । हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है । लेकिन हम वस्तु-स्थिति जानना चाहते हैं । यदि वह धन विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन कर जमा किया गया है, तो इस धन की वापसी के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिएं । इस देश को उस धन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए । भारत के किसी भी नागरिक को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का इस तरह से उल्लंघन करने की स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए—चाहे वह कोई भी हो, चाहे कोई भी उसके पिता हों या फिर कोई भी उसके पीछे हो ।

महोदय, मैं एक दूसरे मुद्दे के ऊपर भी बल देना चाहूंगा । मैं माननीय मंत्री जी से यह पता लगाने का अनुरोध करूंगा कि क्या इसके पीछे केवल श्री अजय सिंह और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं या इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो परदे के पीछे से हमारे देश को अस्थिर करना चाहता है, हमारी सरकार को बदनाम करना चाहता है । इन तथ्यों का पता लगाना होगा ।

इस बात का पता लगाना होगा कि क्या इसके पीछे किसी शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ है, क्या परदे के पीछे से किसी अन्य ने श्री अजय सिंह को 21 मिलियन अमरीकी डालर अर्जित करने में सहायता प्रदान की है । हमें यह नहीं पता कि किस माध्यम से इस धन का अर्जन किया गया है । जब तक हम उस व्यक्ति, उस बल का, जो परदे के पीछे से कार्यरत है, पता नहीं लगा लेते तब तक पूरा

देश खतरे में रहेगा। यह हमारे लिए जानना आवश्यक है कि वह कौन-सी शक्ति है जो पिछले ढ़ाई सालों से विपक्ष को उकसा रही है, उस ईमानदार व्यक्ति को उकसा रही है जिससे वह हमारे रक्षा विभाग के अतिसंवेदनशील विभाग पर आरोप लगा रहे हैं। इसे कोई बच्चा भी समझ सकता है। पिछले ढ़ाई सालों के दौरान जर्मन पनडुब्बी, फेयरफैक्स और अब बोफोर्स यह तीन ऐसे विषय हैं जो इस सभा के मुख्य मुद्दे रहे हैं। क्या हमारे देश में कोई अन्य समस्याएं नहीं हैं। क्या हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे पास केवल रक्षा सम्बन्धी ही समस्याएं हैं, जिसमें बोफोर्स, फेयरफैक्स या जर्मन पन्डुब्बी सम्बन्धी समस्याएं ही एक मात्र मुद्दा बन सकती हैं ? कोई भी आगे नहीं आया। विपक्ष यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं समझता हूं कि मुझे विपक्ष के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। मैं उस दिन का याद करता हूं कि इस सभा में लाखों लोगों की कीमत पर उन लोगों ने ढ़ाई साल आराम से बिताये हैं। हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। किसी भी व्यक्ति ने हमारे देश की अन्य समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा है। वे क्यों बार-बार रक्षा विषयों के संबंध में बात करते हैं ? इससे यह सहज ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके पीछे कोई शक्ति कार्यरत है जो इन्हें उकसा रही है और इस आधार पर ये लोग संसद के बाहर हो-हल्ला मचाकर देश को अस्थिर करना चाहते हैं। अब यह तथ्य सामने आया है कि माननीय ईमानदार व्यक्ति के पुत्र की विदेशी बैंक में 21 सिलियन डालर की धनराशि जमा है। यह कोई छोड़ने अथवा नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। यह एक दूसरे से संबद्ध है। यह एक दूसरे से जुड़ी है या नहीं, इसमें जाहे किसी बाहरी शक्ति द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गयी है या नहीं, इसमें इस बात के लिए चाहे धन दिया गया है या नहीं, यह बातें ऐसी हैं जिसका तथ्य जानना आवश्यक है। एक प्रजातांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते चाहे मैं जिस किसी भी दल से संबंधित हूं, मैं इसकी सच्चाई जानना आवश्यक समझता हूं।

इन शब्दों के साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विषय पर बोलने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि अमेरिका में बहुत दिनों तक रहा हूं, मैंने वहां नौकरी भी की है। मैं जानता हूं कि वहां पर आदमी कितना पैसा बचा सकता है। आप जिसे यहां एक हजार डालर कहते हैं, अगर उसकी रुपयों में गिनती करें तो वह 15 हजार रुपए होते हैं। दरअसल वह एक हजार रुपए के बराबर है। एक हजार डालर में आपको अमेरिका में उतना ही सामान मिलेगा, शायद कम ही मिले, जितना आपको भारत में एक हजार रुपए में मिलेगा।

अजय सिंह 500 डालर कमाते थे, या फिर उससे ज्यादा ही कमाते थे तो कैसे अचानक उनके पास 2, 3 साल के अन्दर 21 मिलियन डालर आ गए ? शायद 34-35 करोड़ रुपया होगा या इससे भी ज्यादा होगा। यदि किसी की लाटरी भी लगे तो भी इतने की नहीं लग सकती। यह लाटरी तभी लग सकती है जब किसी का पिता फाइनेंस मिनिस्टर या डिफैंस मिनिस्टर हो जाए।

मैं सिर्फ दो तीन बातें ही कहूंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा। मामला उससे ज्यादा गंभीर है जितना कि यह सतह पर दिखाई देता है। वी० पी० सिंह ने 1987 से होलियर देन ऊ एटीट्यूड रखा, मैं महात्मा गांधी हूं, बाकी तुम सब लोग नाथूराम गोडसे हो और महात्मा गांधी का पोज देकर उन्होंने एक फोटो भी खिचवाया था, आपने देखा होगा, और उन्होंने एन० आर० आई० के बारे में आवाज उठानी शुरू की। इस सदन में भी आवाज उठाई थी, क्या उस समय उन्होंने कहा था कि मेरा सुपुत्र विदेशों में पैसा जमा कर रहा है और इतने पैसे तो किसी भी रीजनेबल तरीके से कोई भी

रीजनेबल आदमी जमा नहीं कर सकता है। अमेरिका में चार्टर्ड एकाउण्टैण्ट की कोई वक्त नहीं है, कोई पूछ नहीं है। यदि वह डाक्टर होता और प्राइवेट प्रैक्टिस करता तो भी इतना पैसा जमा नहीं कर सकता था, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह पैसा इसको किसी फारेन एजेन्सी ने दिया है, इण्डिया को डी-स्टेबलाइज कराने के लिए, इसमें मुझे एक पैसा शक नहीं है। भारत सरकार का यह फर्ज है कि उस शख्स को, उस एजेन्सी को बेनकाब करे जो इतने पैसे देकर इस देश में डीस्टेबलाइजेशन कराना चाहती है। आज हमें एक अजय सिंह के बारे में पता चला है, पता नहीं और कितने अजय सिंह होंगे और हमारे बीच में साधू बनकर बैठे होंगे। अगर सरकार मेहनत करे तो पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि अमेरिका में टैक्स रिटर्न फाइल होता है और उसकी डिटेल्स मिल सकती हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में यदि अमेरिकन न्यूज पेपर्स से भी पता लगायें, वहां इन्वेस्टीगेटिंग जर्नलिज्म होता है तो वह भी मदद करेंगे। यह मामला मामूली नहीं है, यह मामला बहुत ही गम्भीर है और आपको याद होगा, जब यह बातें आज से कुछ महीने पहले अखबारों में आई थीं कि वी० पी० सिंह के लड़के का भी विदेशी में एकाउण्ट है तो जनता दल के लोगों ने बड़े जोर से कहा कि झूठ बात है, झूठ बात है, हमारे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए यह कहा गया है लेकिन आज तो सच्चाई सामने है। कमाल की बात है कि बेटे के पास बाप के पासपोर्ट की फोटोस्टेट कापी है। आप जानते हैं कि पासपोर्ट की फोटोस्टेट कापी आप नहीं करा सकते, पासपोर्ट के रूल्स एण्ड रैगुलेशंस में यह साफ सिखा है फिर भी आपने फोटो स्टेट कापी कराई, किसी के कारण डाक्यूमैंट दिया तो बाप के पासपोर्ट की फोटोस्टेट कापी देने की क्या वजह थी और उनके पिता का पासपोर्ट तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। हमारा पासपोर्ट हमारी वाइफ या हमारा बेटा नहीं ले सकता है तो यह कैसे किया। यह बिना कन्नाइवेंस के हो सकता है। आप तो राम कहलाने के लिए तैयार हैं लेकिन लेकिन काम तो आपका रावण का है। अब वक्त आ गया है जबकि ऐसे लीडरों को बेनकाब कराया जाए। आज बहुत ही नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। यदि हमें सच्चाई का पता नहीं लगा, यदि इस देश की जनता ने सच्चाई को नहीं पहचाना, यदि सरकार सच्चाई की तह में पहुंचने में सफल नहीं हुई तो इस देश की जनता हमारी सरकार को माफ नहीं करेगी। लोगों के मन में संदेह होगा कि वी० पी० सिंह ने हाथ पैर जोड़ लिए और सरकार ने माफ कर दिया। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी पूरे मामले की जांच करवाएं और लोगों के सामने सच्चाई रखे। वी० पी० सिंह का नाम लिया गया है और वी० पी० सिंह ने डिनाई नहीं किया है। मैं कहता हूं कि आज अजय सिंह एक हो सकता है और कल सैंकड़ों अजय सिंह हमारे बीच में होंगे और इस देश की जनता गुमराह होगी। जो अपने को भगवान कहलाना चाहते हैं, उनके असली चेहरे कुछ और ही हैं।

मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि और भी सदस्यों ने बोलना है और दूसरा विषय भी विचार के लिए आने वाला है। शायद लोकसभा का आज अंतिम दिन है या अंतिम दिन के पहले वाला दिन है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार यदि मेहनत करे और पूरी ताकत से कोशिश करे, तो महीने, दो महीने में सारी सच्चाई का आप पता लगा सकते हैं। सरकार सच्चाई का पता लगाने में कोई संकोच न करे और इस देश की जनता के सामने उनको बेनकाब करे, जो अपने को महात्मा कहने पर तुले हुए हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्डआर्डो फैलीरो) : सभापति महोदय, सदन को याद होगा कि पिछली अगस्त के दौरान कुछ समाचार-पत्रों में श्री अजय सिंह

सुपुत्र श्री वी० पी० सिंह द्वारा कैरिबियन द्वीप समूह के सेंट किट्स द्वीप में बैंक खाता रखने सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें 21 मिलियन डालर की बड़ी रकम जमा की गई थी। इन विभिन्न प्रेस रिपोर्टों के आधार पर और दूसरी सूचनायें, जो प्रवर्तन निदेशालय ने प्राप्त की थीं, श्री अजय सिंह, जो कि 10 और 11 सितम्बर, 1989 के दौरान स्वयं भारत आ गये थे, से उस आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे उपलब्ध जानकारी लेने का निश्चय किया। अतः निदेशालय ने उन्हें एक निदेश जारी करके उसमें मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। मेरे मुख्य वक्तव्य में इस निदेश का उल्लेख किया गया है। लेकिन हमने पाया कि यद्यपि कुछ जानकारी दी गई थी, लेकिन कुछ जानकारी, जो कुछ मुद्दों पर थी, उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अतएव एक दूसरा निदेश जारी किया गया। हाल ही में हमें दूसरे निदेश का उत्तर भी प्राप्त हो गया। लेकिन, दूसरे निदेश में भी हमने पाया कि जानकारी पूर्ण नहीं है। दरअसल श्री अजय सिंह ने कुछ समय मांगा था और उन्होंने कहा था कि मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उन्हें कुछ और समय चाहिए।

यहां जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, उस संदर्भ में शुरूआत में ही मैं यह कहना चाहूंगा कि पहली बात यह है कि श्री अजय सिंह के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। कुछ अन्य व्यक्तियों के मामलों का भी उल्लेख किया गया है। मैं उन मामलों के सम्बन्ध में, जोकि प्रेस रिपोर्टों में दिए जा रहे हैं, कहना चाहूंगा कि न केवल कुछ कार्यवाही अपितु जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ और कार्यवाही भी की गई है। उनके विरुद्ध भेदभाव बरतने का प्रश्न ही नहीं होता। जो भी व्यक्ति इस मामले की परिधि के अन्तर्गत आता है, जो कोई भी व्यक्ति उस परिधि के अन्तर्गत आता है, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने से उत्पन्न होती है, उस व्यक्ति के साथ उसी तरह की कार्यवाही की जाती है और जो बातें हमने प्रश्नावली में पूछी हैं, वह इस तरह के मामले में अपवाद नहीं है। इस मामले में कोई भेदभाव नहीं बरता गया है, न कोई भेदभाव किया गया है और न ही किया जाएगा। जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कानून और उसके अन्तर्गत नियमों तथा विनियमों का संबंध है, प्रत्येक को समान समझा गया है तथा प्रत्येक को समान समझा जाएगा।

इस संदर्भ में मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि इस समय सत्यता पर शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता; ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि सदन को मेरे वक्तव्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की सत्यता के सम्बन्ध में संदेह हो। उपलब्ध जानकारी सही प्रतीत होती है। तथापि हमारी जांच जारी है और जांच कार्य प्रगति पर है; अजय सिंह को अनिवासी भारतीय होने के कारण विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कुछ सुरक्षा प्राप्त है। भारत में रह रहे निवासी के लिए जो अपराध होंगे, वह अपराध अनिवासी भारतीय के लिए अपराध नहीं है। इसलिए कुछ और सम्बन्धों, सबूतों की आवश्यकता है, जिससे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध हो सके और जो उपलब्ध सबूत हैं, उन्हें पक्का किए जाने की आवश्यकता है या और जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यकता हो तो और कदम उठाये जायेंगे। हमें इन दस्तावेजों की सत्यता पर संदेह करने का कारण भी नजर नहीं आता जिसमें श्री अजय सिंह को खाताधारी और श्री वी० पी० सिंह को लाभभोगी दर्शाया गया है। दरअसल, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं सभा पटल पर सुरक्षा करार (सेफ कीपिंग एग्रीमेंट) के दस्तावेज रखता हूं जिसमें लाभभोगी के रूप में श्री वी० पी० सिंह के हस्ताक्षर और खाताधारी के रूप में श्री अजय सिंह के हस्ताक्षर दिए हुए हैं। मैं सभा पटल पर नम्बर वाले खाते के समझौते के दस्तावेज भी रखता हूं जिसमें श्री वी० पी० सिंह और श्री अजय सिंह, दोनों के हस्ताक्षर दिए हुए हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री अजय सिंह के

अनिवासी भारतीय होने के कारण उनके विरुद्ध अपराध सिद्ध किया जाना आवश्यक है और आगे जानकारी प्राप्त की जानी जरूरी है जिससे संपूर्ण आवश्यक तथ्यों को इकट्ठा किया जा सके और जहां तक श्री वी० पी० सिंह का सम्बन्ध है, हालांकि उनके हस्ताक्षर का आभास देने वाले हस्ताक्षर मौजूद हैं और एक समय उन्हें लाभभोगी दिखाया गया है, फिर भी ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता कि किसी भी समय वह खाते के चलाने के हकदार होने की स्थिति में थे या उस समय उनके पास खाता चलाने का अधिकार था, अतएव जांच का जारी रहना आवश्यक है।

5.43 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : उस समय भारत में वी० पी० सिंह जी की क्या पोजीशन थी। उस समय वह किस पोस्ट पर थे, जिस वक्त उन्होंने सिगनेचर किया।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैं सही वस्तुस्थिति रख रहा हूं। सही स्थिति यह है कि जैसा कि मैंने कहा, हमें और जानकारी की आवश्यकता है; हमने अन्य बातों के साथ-साथ स्वयं श्री अजय सिंह से और जानकारी मांगी है। उन्होंने यह जानकारी देने के लिए समय मांगा है। इस समय निश्चित तौर पर जो कहा जा सकता है वह यह है कि सदस्यों ने जिस ओर इंगित किया है उपलब्ध सबूतों के आधार पर वह सही है कि श्री अजय सिंह द्वारा स्वयं घोषित सम्पत्ति, उनके दिए गए आमदनी के स्रोतों के अनुपात में या जो आमदनी के स्रोत उन्होंने बताये हैं, उनके अनुपात में असंगत है।

श्री अजय सिंह ने कहा है कि दरअसल कुछ समय के लिए वह बेरोजगार थे। उन्होंने कहा है कि उनका आखिरी वेतन 55,000 डालर या ऐसा ही कुछ था। यह रकम न्यूयार्क जैसे शहर, जहां वह कार्य करते हैं, के जीवन स्तर को देखते हुए बहुत थोड़ी है। वह ट्रेडिशन बेरिस्फोर्ड नामक कम्पनी में कार्यरत थे, जो काम्पांडे फाईनेन्शियरे ट्रेडिसन, लोउसने नामक स्विस कम्पनी का ही नाम रखती है। अतएव नाम भी और आखिरी वेतन की रकम भी समान है तथा यह ध्यान में रखते हुए कि एक समय वह बेरोजगार थे, उनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था, उनके द्वारा घोषित संपत्ति जो बैंक खातों, अचल सम्पत्ति जैसे लन्दन में एक फ्लैट और विभिन्न संगठनों और कम्पनियों में शेयरों को देखते हुए असंगत प्रतीत होती है। यदि हम उनके द्वारा घोषित आय के स्रोत या उनके आय के स्रोत के अनुपात में देखें तो यह असंगत प्रतीत होती है।

जहां तक सेंट किट्स खाते की सत्यता का सम्बन्ध है, इस समय उस पर संदेह करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। मैं यह ध्यान में लाना चाहूंगा कि प्रेस में दो व्यक्तियों के नाम उद्धृत किए गए थे जो फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन में कार्य कर रहे थे नामतः कुमारी ऐन सेलविसेन, जोकि महाप्रबन्धक श्री मेक्लीन और साथ ही नामांकित निदेशक और फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन के अधिवक्ता श्री टेरेन्स वी० वायरन की सचिव और कार्यकारी सहायक थी। यह जानकारी न्यूयार्क या संयुक्त राज्य से प्राप्त और प्रैस में प्रकाशित रिपोर्ट में उद्धृत की गई थी। इन दो व्यक्तियों ने जो कुछ कहा उसका अभिप्राय यह था कि वे ऐसे किसी खाते के प्रति अनभिज्ञ थे, ऐसा कोई खाता या बात नहीं थी और इस प्रकार वे इस खाते से इनकार कर रहे थे और इसकी सत्यता को चुनौती दे रहे थे। हमारे पास इन दो व्यक्तियों के वक्तव्य लिखित में हैं। उदाहरण के लिए ऐने साल्वेसन ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा है :—

"फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड का अनेक भारतीय नागरिकों के साथ सक्रिय रूप से व्यावसायिक सम्बन्ध तथा कार्य था जिनमें से कुछ भारत में निवासी थे और कुछ अन्य स्थानों पर।

फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड ने 'भारतीय राष्ट्रिकों के सहयोग से विशेष निवेश कार्यक्रम' के तहत प्रचार हेतु साहित्य तैयार किया और इसे परिचालित किया जिसमें 'फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड' के माध्यम से भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा सैंट किट्स में निवेश करने की व्याख्या थी और ये निवेश अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए थे और उन्हीं के थे।"

उन्होंने आगे इस प्रकार कहा है :

"मुझे यह पता है कि 1986 के उत्तरार्ध में श्री मैक्सीन ने 'फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड' के लिए एक विदेशी जमाकर्ता से व्यक्तिगत रूप में बड़ी धनराशि स्वीकार की थी।

श्री ए० बालू और श्री लिन हडसन द्वारा कुछ समाचारपत्रों में लिखे लेखों में मुझे गलत उद्धृत किया गया है। मैंने कभी भी किसी को यह नहीं कहा है कि खाता संख्या 29479 'फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड' में नहीं था। मुझे यह कहते हुए उद्धृत किया गया है : 'मैं जानती हूं कि ऐसा कोई खाता नहीं था, लेकिन वास्तव में मैंने श्री हडसन को कहा था : 'मैं नहीं जानती कि ऐसा कोई खाता था'।"

उन्होंने आगे कहा :

"मेरी जानकारी के मुताबिक 'फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड' की संचालन प्रक्रिया के तहत यह संभव नहीं था कि एक संख्या वाला खाता मुख्य जमाकर्ता अथवा लाभार्थी की अनुपस्थिति में उसके एजेन्ट द्वारा खोला तथा संचालित किया जा सकता है।"

इस प्रकार यह इन मुद्दों के विरुद्ध है जो यह दर्शाते हैं कि खाता असली नहीं था। जिन व्यक्तियों को इस खाते को चुनौती देने के समर्थन में उद्धृत किया गया था वे ही अब यह वक्तव्य दे रहे हैं। यह वक्तव्य ऐसे साल्वेन्सन का है।

हमारे पास श्री टेरेन्स बी० बायरन का वक्तव्य भी है जिन्हें पहले की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है और इनका साल्वेन्सन ने अब उल्लेख किया है। मैं श्री बायरन के लिखित वक्तव्य से उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा है :

"मुझे यह निजी जानकारी है कि फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड ने 'भारतीय राष्ट्रिकों के सहयोग से विशेष निवेश कार्यक्रम' के तहत प्रचार हेतु साहित्य तैयार किया और इसे परिचालित किया जिसमें फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा सैंट किट्स में निवेश करने की व्यवस्था थी और ये निवेश उन मनोनीत व्यक्तियों द्वारा किए जाने थे तथा संचालित किए जाने थे जो अनिवासी भारतीय थे।

मुझे यह निजी जानकारी है कि 'फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड' की तरफ से श्री मैकलीन अनेक भारतीय नागरिकों से सक्रिय रूप से व्यावसायिक कार्य कर रहे थे और इनमें कुछ भारत में निवासी थे और कुछ अन्य स्थानों पर।"

उन्होंने आगे कहा है :

"श्री ए० बालू और श्री लिन हडसन द्वारा कुछ समाचारपत्रों में लिखे लेखों में मुझे

गलत उद्धृत किया गया है। मैंने कभी भी किसी को यह नहीं कहा है कि खाता संख्या 29479 'फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड' में नहीं था, क्योंकि मेरे पास यह जानने का कोई जरिया नहीं है कि कोई खाता कम्पनी में मौजूद था।

'फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड' की संचालन प्रक्रिया के तहत यह संभव था कि संख्या वाला खाता मुख्य जमाकर्ता अथवा लाभार्थी की अनुपस्थिति में उसके एजेन्ट द्वारा खोला तथा संचालित किया जा सकता है। इस मामले के बारे में प्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा आरोपों के बारे में मुझे बताए जाने के बाद, मैंने पत्राचार देखा है जिसमें स्पष्ट रूप से दो सज्जनों के संख्या खाते में श्री मैकलीन के शामिल होने के बारे में उनका वक्तव्य दिया गया है और इन दो सज्जनों का नाम मुझे भेजे आपके उपरोक्त पत्र में बताया गया है अर्थात् : वी० पी० सिंह और अजय सिंह।"

इस प्रकार यही वे लोग हैं जिन्हें खाते की असलियत को चुनौती देते हुए उद्धृत किया गया था। इन्हीं लोगों ने अपने हस्ताक्षरयुक्त वक्तव्य दिए हैं। उन द्वारा दिए गए हस्ताक्षरयुक्त विवरण मौजूद हैं।

सदस्यों की इच्छा के मुताबिक मैं ऐने साल्वेन्सन के वक्तव्य सभा पटल पर रख रहा हूं···

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि वह कुछ दस्तावेज इस सभा के पटल पर रखेंगे। मैं एक सीधा-सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां हैं या केवल इनकी फोटोस्टेट प्रतियां ही हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : नहीं, ये प्रतियां हैं। जहां तक विवरणों का सम्बन्ध है, इनकी मूल प्रतियां हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या मूल दस्तावेज आपके पास हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : उन विवरणों के !

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आप सभापटल पर जो दस्तावेज रख रहे हैं, उन सबके ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : सबके नहीं। कुछ दस्तावेज·····

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय, तब तो सरकार के पास उपलब्ध फोटोस्टेट प्रतियों को सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ये फोटोस्टेट नहीं है। मुझे खेद है। मैं आपको बताता हूं कि मैं निम्नलिखित दस्तावेज सभापटल पर रख रहा हूं। पहले, कुमारी ऐने साल्वेन्सन तथा श्री टेरेन्स वी० बायरन द्वारा दिए गए वक्तव्य जिनकी मूल प्रतियां हमारे पास हैं। ये प्रतियां हैं। मैं श्री अजय सिंह तथा वी० पी० सिंह द्वारा हस्ताक्षरित 'सेफ कीपिंग एग्रीमैंट लॉग फार्म' भी सभापटल पर रख रहा हूं। ये प्रतियां हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या मूल प्रतियां आपके पास हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : स्वाभाविक रूप से मूल प्रतियां हमारे पास नहीं हो सकतीं। वे तो बैंक के पास रहेंगी। यह पहला मुद्दा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसके उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा सभा पटल पर रखे गए किसी भी दस्तावेज का आदर किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार ऐसा अपने उत्तरदायित्व पर करती है। इसमें प्रमाणिकता का कोई प्रश्न नहीं है। प्रमाणिकता का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। **(व्यवधान)**

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं कह रहा हूं कि सरकार के पास दस्तावेजों की मूल प्रतियां हैं और इनकी प्रतियां सभा पटल पर रखी गई हैं। कृपया इसे स्पष्ट कीजिए···**(व्यवधान)**···वस्तुतः आपके पास कुछ मामलों में मूल प्रतियां हैं, अन्य मामलों में आपके पास केवल फोटोस्टेट प्रतियां हैं। **(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फैलीरो : वह यह पूछ सकते हैं और उनके प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। पहले मैं सभापटल पर ऐने साल्वेसन का वक्तव्य* रख रहा हूं। मैंने प्रवर्तन अधिकारी का नाम मिटा दिया है जिन्हें इसे प्रेषित किया गया था क्योंकि ऐसा कभी नहीं किया जाता। यह एक प्रति है लेकिन मूल हमारे पास है। मैं टेरेन्स वी० बायरन का वक्तव्य* भी सभापटल पर रख रहा हूं। इसी प्रकार इसमें नाम मिटा दिया गया है लेकिन मूल हमारे पास है। मैं सेफ-कीपिंग एग्रीमेंट लांग फार्म* भी सभा पटल पर रख रहा हूं जोकि फोटोस्टेट प्रति है, और मूल स्वाभाविक रूप से हमारे पास नहीं है। यह बैंक के पास है लेकिन यह बैंक द्वारा प्रमाणित है और यह प्रमाणपत्र है। रेफ-कीपिंग एग्रीमेंट लांग फार्म के अलावा मैं सभा पटल पर खातों की संख्या तथा सहमतिपत्र रख रहा हूं, जोकि फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन द्वारा प्रमाणित है और स्वाभाविक रूप से मूल प्रतियां हमारे पास नहीं हो सकतीं। मैं इन उल्लेखित प्रत्येक धनराशियों के जमा फार्म* भी रख रहा हूं अर्थात् बीस लाख डालर, बीस लाख डालर, पचास लाख डालर, तीस लाख डालर, पचास लाख डालर और चालीस लाख डालर, जिनके मूल जमा फार्म संबंधित पार्टियों के पास होंगे लेकिन रिकार्ड बैंक के पास होंगे और यह रिकार्ड की यथा प्रमाणित प्रति है और इसे धनराशि जमा करते समय दर्ज किया गया था। मेरे द्वारा सभा पटल पर रखे गए इन सभी दस्तावेजों की माननीय सदस्य निश्चित रूप से जांच कर सकेंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : देश के लोग हमारे आदमी जानना चाहते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के और उनके बेटे के नाम इस विदेशी खाते में कितने सौ करोड़ रुपये जमा हैं।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ पेश किया है वह वास्तविक सूचना है और मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे इस मामले पर और अधिक कहना चाहिए। प्रारम्भ में ही मेरे द्वारा बताए गए कारणों पर जांच जारी है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि श्री वी० पी० सिंह और उनके पुत्र के विदेशी खाते हैं तथा उनके पास लाखों डालर हैं। मेरे माननीय मित्र सही-सही आंकड़े जानना चाहते थे। संभवतः मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए तथ्यों के अनुसार यह राशि भारतीय मुद्रा में लगभग 32 करोड़ रुपए बैठती है। **(व्यवधान)**

जो कुछ अब सदन में कहा गया है, वह श्री वी० पी० सिंह द्वारा सदन में और बाहर दिए गए

*[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8367/89]

वक्तव्यों का खंडन करता है। श्री वी० पी० सिंह के पुत्र ने "इलेस्ट्रेटिड वीकली" को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा है कि वह एक पैट्रोल पंप स्टेशन पर कुली के रूप में कार्य कर रहे थे। एक कुली लन्दन की एक संपन्न बस्ती में फ्लैट कैसे खरीद सकता है ? श्री वी० पी० सिंह के पुत्र का कहना है कि वर्ष 1977 से 1983 के बीच उनकी वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर थी लेकिन इसी दौरान उन्होंने विदेशी बैंकों में भारी रकम जमा कराई, अपनी आमदनी का स्रोत बिना बताये एक मकान खरीदा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या हम मन्त्री महोदय के लिए उत्तर के बाद चर्चा कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : बिना अपनी आमदनी का स्रोत बताए बम्बई की कम्पनी बोम्बे रिलायन्स के डिवेंचर खरीदे, जिससे श्री वी० पी० सिंह ने इस सदन में इन्कार किया था।

इसी तरह स्वयं श्री वी० पी० सिंह ने दिल्ली में अपनी संपत्ति की घोषणा की लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने वह तारीख नहीं बताई जब उन्होंने दिल्ली में यह संपत्ति खरीदी थी और उनकी आय का सही स्रोत क्या था। मैंने आरोप लगाया था कि उनके नाम कुल संपत्ति—मैं दिल्ली में उनके पास बेनामी संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं—लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य की होगी। यह सभी मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

सदन के समक्ष यह सारी जानकारी दे देना ही काफी नहीं है। यह प्रशंसनीय बात है कि मन्त्री महोदय ने इतने कम समय में सभी विवरण दे दिए हैं। राष्ट्र के सबसे बेईमान व्यक्ति का आपने भंडा-फोड़ किया है जो अपने आपको आदर्शवादी कहता है। मैं मांग करता हूं कि इस समूचे मामले की तत्काल जांच का आदेश दिया जाना चाहिए।

वास्तव में जब श्री वी० पी० सिंह वित्त मन्त्री थे, उस समय विपक्ष की ओर से श्री शाहबुद्दीन ने यह आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए अपने पुत्र को अमरीका के सिटी बैंक में नौकरी दिलाई। वह लड़का जो पैट्रोल पंप पर एक कुली की नौकरी कर रहा था, वह सिटी बैंक आफ अमेरिका में अपने वर्तमान पद को पाने में कैसे कामयाब हो गया। एक पैट्रोल पंप में कुली से वह विश्व के अग्रणी बैंकों में से एक में कार्यकारी अधिकारी बन गया।

यह वह मामले हैं जिनकी गहराई से जांच की जानी चाहिए और राष्ट्र को सच्चाई जानने का हक है। (**व्यवधान**) श्री वी० पी० सिंह एक·····**·····उन्होंने हाजी मस्तान के साथ सांठ-गांठ की।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं प्रतिरोध करता हूं; इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

प्रो० के० के० तिवारी : सरकार को एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच किए जाने का आदेश देना चाहिए और उनके पुत्र के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

विदेशी ताकतों के साथ सांठ-गांठ की है। श्री वी० पी० सिंह के वित्त मन्त्री के रूप में कार्यकाल के दौरान लन्दन की निजी फर्मों और सार्वजनिक कंपनियों से उन्होंने धन बटोरा। उन्हें रिश्वत दी गई, उन्होंने यह रिश्वत ली और यह सारा धन बैंक में जमा कराया गया। अतएव कानूनी कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए और जांच जरूर कराई जानी चाहिए। राष्ट्र को श्री वी० पी० सिंह के सुपुत्र का असली चेहरा जानना चाहिए इस व्यक्ति के बचाव का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आप किस कार्यवाही पर विचार कर रहे हैं। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह के व्यवहार की अनुमति नहीं दूंगा। आप बताइये आप क्या चाहते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : सदन को बताया जाना चाहिए कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्पष्टीकरण चाहते हैं। आप जो कहना चाहते हैं वह कहिए। तभी हम आगे की कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री एबुआर्डो फैलीरो : उपाध्यक्ष महोदय हमने मुद्दों को नोट कर लिया है।

6.0-1/2 म० प०

लोक लेखा समिति

185वां, 186वां और 187वां प्रतिवेदन

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) इंदिरा गांधी स्टेडियम काम्पलैक्स स्थित पांच सितारा होटल के बारे में 98 वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी 185वां प्रतिवेदन।

(2) मुआवजा दावों की समीक्षा के बारे में 84वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी 186वां प्रतिवेदन।

(3) कतिपय विशेष प्रयोजन वाले नौसैनिक जलयानों की खरीद में निष्फल और परिहार्य अतिरिक्त व्यय के बारे में 187वां प्रतिवेदन।

6.01 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा—[जारी]

(एक) देश में साम्प्रदायिक स्थिति—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा पुनः जारी रखेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कितने समय आप और सत्ता में बने रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा यह एक शुभ रात है। हम ईद-ए-मिलाद-उल नबी मना रहे हैं। कई अन्य बातें भी हैं। हमें बाहर जाना है। हमें उनके साथ खुशी मनानी है। आखिरकार हमारी ओर भी कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय आपको करना है। मैं नहीं जानता।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, बहुत से सदस्य हैं, जिन्हें बोलना है। जैसा कि श्री बनातवाला जानते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्रीमती शीला दीक्षित : श्री कुरेशी भी बोलना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि फिलहाल हम सदन का समय एक घंटा बढ़ा सकते हैं और एक घंटे बाद चर्चा समाप्त कर सकते हैं। मैं 7.00 म० प० तक समय बढ़ाने का अनुरोध करूंगी। इसका निर्णय सदन को करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सदन की राय है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने देश की साम्प्रदायिक स्थिति पर जो बहस चल रही है, उस बहस में बोलने के लिए मुझे भी अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जैसा कि हमारे सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, हम बार-बार इस बात पर बातचीत करते रहे हैं, बहस होती रही है और इस पूरे सत्र में इस पर पहले ही दिन से चिन्ता व्यक्त की गई और हम सब एक स्वर से बराबरी की मानसिकता से इस चिन्ता में शामिल हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश के जिस हिस्से से आता हूं और जहां से चुनाव लड़ता हूं। वह हिस्सा एक समय में यह माना जाता था कि बी० जे० पी० जो आज है, भारतीय जनता पार्टी जो आज है, उसकी पूर्व संस्थाओं का वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा करता था किसी जमाने में। कभी आर० एस० एस०, कभी जनसंघ और कभी अपने आप को जनता पार्टी में मिलाने वाला जनसंघ और फिर जनता पार्टी टूटने के बाद निकलने वाली भा० ज० पा०, इन तत्वों से जिस व्यक्ति को आपने बोलने के लिए खड़ा किया है, वह व्यक्ति 45 वर्ष से तिरंगे झंडे के नीचे बराबर लड़ता रहा है और आज भी लड़ रहा है। एक क्षण के लिए भी हमें तिरंगे झंडे के नीचे इनसे लड़ते हुए ऐसा अहसास नही हुआ कि हम गलत हैं या हमें कोई संकोच हुआ हो। आज भी हमारी इन तत्वों से लड़ाई बरकरार है। चाहे आर० एस० एस० के रूप में, चाहे भा० ज० पा० के रूप में, चाहे बी० जे० पी० के रूप में और अब इसके बदले हुए विश्व हिन्दू परिषद् के संगठन के रूप में ये आएं, हमारा संघर्ष उनसे चलता रहेगा। लेकिन जिन मतदाताओं ने हम लोगों को भेजा है, उन मतदाताओं को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी बड़ी कृपा है कि भारतीय संसद् में, जहां उन्होंने हमें भेजा है, उस संसद् का भूगोल पहले हम देख लें। जिस संसद् भवन

में हम बैठे हुए हैं, मान्यवर, इस भवन के परिसर से लगा हुआ जो भारतमाता का स्वरूप है, भारत माता के विभिन्न धर्मों का जो रूप हमें दिखाई पड़ता है उसका जोड़ संसार में कहीं, किसी भूगोल में नहीं मिलता है। हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं, तो एक पवित्र मस्जिद के दर्शन होते हैं। हम थोड़े बाएं को मुड़ते हैं, तो एक गुरूद्वारा है। हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक महान् गिरजाघर है, उससे भी आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि मन्दिर बना हुआ है, गुरूद्वारा बना हुआ है, यहां आरती होती है, गुरूवाणी होती है, बाईबल पूजते हैं और हम इस सदन में बैठकर ऐसे देश में बात करते हैं तो मालूम होता है कि हम किन धर्मों में, किन संस्कृतियों के बीच में यहां पर जीवन जी रहे हैं और इसके साथ ही भारत की धर्मनिर्पेक्षता का रूप जिस पर सारा देश आज गर्व करता है, सारी दुनिया जिसके पीछे चलती है, उस सब पर हम गर्व करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में जो विभिन्न धर्म हैं उनकी मूल सम्पत्ति क्या है ? मैं सारे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम उन धर्मों की बुनियाद, उन धर्मों की मूल सम्पति, उन धर्मों की आत्मा पर विचार करें और हम हिन्दुस्तान के लोग इन धर्मों से कुछ लेने की कोशिश करें। हिन्दू धर्म, हिन्दू फिलासफी हमें क्या देती है ? हिन्दू धर्म से हमें सहनशीलता लेनी है। इस्लाम से हम क्या लें ? इस्लाम की बुनियाद है वफा, सिख धर्म से हम क्या लें ? सिख की बुनियाद है उत्सर्ग, बलिदान हो जाना, ईसाई धर्म की क्या बुनियाद है ? ईसाई धर्म की बुनियाद है आत्म-स्वीकृति। महावीर की अहिंसा और क्षमा तथा बुद्ध की करुणा यह सब हमारी धरोहर है। इन सारी चीजों से मिलकर जो चीज बनती है उसका नाम हिन्दुस्तान है। इनमें से यदि कोई एक चीज भी निकल जाती है तो हिन्दुस्तान खण्डित हो जाता है। उस हिन्दू धर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा जिसमें से सहनशीलता निकल जाएगी, उस इस्लाम धर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा जिसमें से वफा निकल जाएगी, उस सिख धर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा जिसमें से बलिदान निकल जाएगा। ये सारे धर्म मिलकर हमको हिन्दुस्तानी बनाते हैं। ऐसे देश में, ऐसे भारत में जब हम यहां संसद में बैठकर साम्प्रदायिक एकता पर बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और तिरंगे झंडे के नीचे चलकर काम करने वाले की जिम्मेदारी उससे ज्यादा होती है। कल दो भाषण बहुत महत्वपूर्ण हुए, अब्बासी जी का और श्री नरेश चतुर्वेदी का। इन दोनों भाषणों को भारतवर्ष के कम से कम प्राइमरी से उठाकर मिडिल क्लास के बच्चों के कोर्स में डाल दिया जाना चाहिए ताकि पता चले कि हिन्दुस्तान की बुनियाद क्या है। मैं बहुत पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर चुनाव नहीं आते, मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, इस संसद भवन में जो भी मंत्री लोग मेरी आवाज सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, कहना चाहता हूं कि यदि आप एक काम नहीं करते तो शायद यह क्षण आज नहीं आता। आपने आगे बढ़कर एक काम किया तो कुछ लोगों ने उसका रास्ता निकालने की कोशिश की। आपने एक अच्छा काम किया। आपने इलैक्शन कमीशन के सामने इस बात को कम्पलसरी कर दिया कि जो भी पोलीटिकल पार्टी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहती है पहले इस बात की गारन्टी दे कि उसके संविधान में धर्मनिर्पेक्षता को स्थान दिया है और ज्यों ही इस देश में इलैक्शन कमीशन के सामने इस वफा को, इस प्रतिज्ञा को, इस कसम को दोहराने की, रजिस्ट्रेशन की शर्त बनाई त्यों ही बी० जे० पी० को लगा कि उसका आधार खिसक गया है। उसने अपना रास्ता निकाला। तब अडवाणी जी कहते हैं कि हम राम जन्म भूमि को, बाबरी मस्जिद को अपने मैनिफैस्टो में नहीं लेंगे। किंतु अगर जनता ने उसको चुनाव का घोषणा पत्र बना दिया तो हम क्या करें। यह ग्लानि की बात है। वे फोटो छापते हैं और उस फोटो को लेकर हिन्दुस्तान भर में घूमते हैं। वे शिला पूजन करने के लिए जाते हैं। मेरी कंसटीट्एंसी में मैंने आगे बढ़कर एक काम किया और सारा सदन इस ओर ध्यान दे। मैं चाहूंगा कि मेरी बात को समझा जाए। ज्यों ही मेरे जिले में शिला

पूजन शुरू हुआ, जिस तरह से हम कांग्रेस में काम करने वाले हिन्दू लोग सैकुलर हैं। वैसे हमारे मुसलमान भाई भी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले हैं। उनमें से 4 मुसलमान भाइयों ने उनके मंचों पर जाकर कहा कि शिला का हम स्वागत करना चाहते हैं। यह पवित्र मन्दिर की नींव में जा रहा है, इससे पवित्र मन्दिर की दीवार तामीर होगी, हम इसका स्वागत करना चाहते हैं, अपनी ओर से हम इस शिला को प्रणाम करना चाहते हैं। माननीय :पाध्यक्ष महोदय, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, उन लोगों को मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया और मुसलमान भाइयों को अलग कर दिया गया और कहा गया कि आपको पूजा का अधिकार नहीं है। वह पूजा करने गए थे, शिला का स्वागत करने गए थे, प्रणाम करने गए थे। एक धर्म की बुनियाद, जिसको उठाकर चल रहे हैं, उसके लिए कहने गए थे कि आपका मंदिर अगर कहीं तामीर होता है तो हमारा भी सलाम स्वीकार करो। यह अभी 5 दिन पहले मेरे जिले में घटना घटी, जब गांव में जाकर उन्होंने कहा। मेरे चुनाव क्षेत्र में 1967 गांव हैं। जुलुस तो मुश्किल से अभी 25 गांव में भी नहीं निकला है लेकिन कई जगह उनको परे कर दिया गया और नारे लगाए जाते हैं।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नारे भी एक तरह के, चाहे वह इस्लाम का नारा हो, चाहे इस्लाम के नाम पर लगाया जाने वाला नारा हो चाहे हिन्दू धर्म के नाम पर लगाए जाने वाला नारा हो, आप नारे को देखें। सारे हिन्दुस्तान में यहां से वहां तक एक जैसा नारा। आखिर कौन-सा दिमाग इस पर काम कर रहा है? इस पर आपको विचार करना होगा। नारा लगाया गया—

एक-दो, बाबरी मस्जिद को फेंक दो।

मैं कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद फेंक दो, कल पं० चतुर्वेदी जी यहां पर बोल रहे थे—अरे, बाबरी मस्जिद फैंकने की बात करने वाले मित्रों, बाबरी मस्जिद है या नहीं, इस बहस को हमारा इलाहाबाद हाई-कोर्ट करता रहेगा वह इसका फैसला करता रहेगा, लेकिन मस्जिद को उखाड़ने से पहले इस्लाम को मानने वालों पर तलवार चलाने से पहले, हिन्दुस्तान की जहनियत में से मैं कहना चाहता हूं कि पहले रहमान को निकाल कर देखो, गालिब, रसखान और रसलीन को निकाल कर देखो और यूं कहता है कि हिन्दुस्तान में रहना होगा, अल्लाह-अकबर कहना होगा, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? आप हिन्दुस्तान में से तुलसी निकाल कर देखो, नानक को निकाल कर देखो, क्या बचेगा यहां पर? इसलिए कहना चाहता हूं कि जो भी नारा लगाता है चाहे इधर से लगाए या उधर से लगाए, वह इस देश की नींव को कमजोर करता है। ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हम गांधी जी की बात करते हैं, 103 साल से तिरंगे झंडे के नीचे चल रहे हैं। जब हम इस सारी बात को करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि दस देश में उनकी सरकार कभी नही आएगी और हमें यह मालूम है कि इस देश में चाहे जितना कुछ कर लो इस देश से जनता कांग्रेस की सरकार को कभी निकालने वाली नहीं है क्योंकि एक बार जनता से यह भूल हो गई थी और जनता ने अपनी भूल को सुधार लिया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पुर्खे कितने सहनशील थे, कभी सोचा? आज से 1937 साल पहले जब कोरा सन 52 था इस देश में पहला ईसाई आया और उसने इस देश में मद्रास की धरती को चूमा ना वह हमारी भाषा जानता था और ना हमारे पुरखे उसकी भाषा जानते थे लेकिन हमारे पुरखों ने उसे संभाल कर रखा, उसको जीने का अवसर दिया, एटमास्फीयर दिया, वातावरण दिया, समझा और और स्वागत किया। एक नयी उपासना और पूजा की पद्धति हमारे यहां आई है। उसको

चर्च बनाने के लिए जमीन दी, इतना ही नहीं उसकी शादी की व्यवस्था की कि उसका वंश चले ताकि एक धर्म अपनी पूरी रंगीन छटा के साथ चल सके। आज से 1300 साल पहले इस्लाम भारत में आया उसका भी स्वागत हमारे पुरखों ने किया और कहा कि अपनी मस्जिद बनाओ पश्चिम में मुंह कर के चाहे अपनी नमाज पढ़ो, हमारा इससे कोई झगड़ा नहीं है। आप अपनी नमाज पढ़ते रहो। उस समय कितने आदमी आए थे, 1200 थे। उस समय हिन्दुस्तान की आबादी करोड़ सवा करोड़ की थी, चाहते तो उन 1200 को काटकर फेंक देते, लेकिन एक उपासना पद्धति हिन्दुस्तान में आई और उसका स्वागत किया गया।

उन पुरखों की हम सन्तान हैं, हम उनकी औलाद हैं। क्या हमारे पुरखे पागल थे जो उनका स्वागत करते थे ? क्या हमारे पुरखे नादान थे जो हमारी बात को नहीं समझते थे। शायद हम स्याने हो गए हैं और हम उनको उखाड़ने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि—

ना हमारे निकाले कोई निकलेगा,

ना हमारे बुलाए कोई आया है।

जो कुछ भी यहां पर हुआ है, वह किसी तीसरे की मर्जी से हुआ है और वह तीसरा शायद कोई और नहीं, कोई माने या न माने, यह तो प्रकृति होगी या ऊपर वाला होगा, कोई ऐसी ताकत होगी जिसकी ताकत के सहारे हम सबको चलना है।

अपने चुनाव क्षेत्र की बात कहकर मैं बैठ जाता हूं। मेरी चुनाव क्षेत्र वह है जिसे ये लोग समझते थे कि शेर की मांद है जिसे आर० एस० एस० अपनी नर्सरी मानता था, आज उनके जुलूस में 25 आदमी नहीं जाते। उनके जुलूसों में 25-30 आदमी तक नहीं जाते। आज वहां क्या हो रहा है। मध्य प्रदेशों में कुल मिला कर तीन या चार जगह आग लगाने की कोशिश की गई। मैं कहना चाहता हूं कि रतलाम में दंगा साम्प्रदायिक नहीं था। वहां जुलूस 29 तारीख को निकल चुका था और झगड़ा 30 को हुआ। वहां दो दलों में आपस में सम्पत्ति का झगड़ा था।

खरगोन में जो कुछ हुआ उसके बारे में शाहबुद्दीन जी ने कहा। मेरी कल रात ही तीन बजे मुख्यमंत्री जी से बात हुई। मैंने उन्हें कहा कि हमारे ऊपर ऊंगली उठी है। उन्होंने कहा कि आपको किसी ने गलत जानकारी दी है, आप अधिकृत तौर से कहिएगा कि यदि वहां इस जानकारी के आधार पर कुछ हुआ है तो बराबर ऐक्शन लिया जाएगा और किसी को माफ नहीं किया जाएगा। तीसरा झगड़ा मऊ में हुआ। भाजपा का विधायक वहां बैठा था और जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। हमने सबसे पहले शांति-मार्च निकाला। सारे धर्मों के लोग, सारे दलों के लोग जब बाजार में निकल कर आए तो इनके पांव की जमीन खिसकी। मंदसौर में झगड़ा कराने की कोशिश की लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। अगर चुनाव इतनी जल्दी नहीं होते तो मेरा निश्चित मत है कि शायद यह दुकानदारी नहीं करते। यह कभी गंगा जल, कभी गऊमाता और कभी भाई-बहन की शादी आदि करके हिन्दुओं के वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश में हिन्दुओं से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष में कह सकता हूं और कोई नहीं है। सवाल यहां बहुमत का नहीं है और न ही अल्पमत का है। मेरे बड़े भाई यहां बैठे हुए हैं और इतने बड़े शायर बैठे हुए हैं, वह जम्मू-कश्मीर से चुन कर आए हैं, मैं सोज साहब से कहना चाहता हूं कि कश्मीर में मुस्लिम भाई 98 फीसदी हैं और बालकवि बैरागी धर्म के मानने वाले हिन्दू दो परसेंट हैं। किसकी जिम्मेदारी है ? उनकी जिन्दगी की रक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में आप 18 परसेंट हैं और हम वहां 82 परसेंट हैं। किसकी जिम्मेदारी है ? हमारी जिम्मे-

दारी है कि इस्लाम पर उंगली न उठे। हम सब लोग जब नागालैण्ड में जाते हैं तो पाते हैं कि वहां इसाई भाई ज्यादा हैं। पंजाब में सिख भाई ज्यादा हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी थीसिस स्पष्ट है। गांधी जी की और कांग्रेस की थीसिस बिल्कुल स्पष्ट है। हमेशा रक्षा की जिम्मेदारी मैजोरटी की होती है, माइनारिटी की नहीं। यदि हम मैजोरटी में हैं तो जहां पर भी मैजोरटी है माइनॉरिटी को सुरक्षा देनी होगी। हम को आगे बढ़ कर काम करना पड़ेगा और हम को आगे होकर बात करनी पड़ेगी। हिन्दी और उर्दू के झगड़ों और धर्म के झगड़ों से मुल्क नहीं बनने वाला है। मैं बूटा सिंह जी को इस बांत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि गए 6 महीनों में उन्होंने जो अभ्यास किया, जो होम वर्क किया, जो एक्सरसाइज की उसकी वजह से देश में तनाव कम हुआ है। मैं राजीव जी को सलाम करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को बहुत कुशलता से किया। हमारे राजीव जी माइनॉरिटीज की पीड़ा को समझते हैं। हमारे देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है और इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसकी अपनी कोई जाति नहीं है और जो सब जातियों को अपनी जाति मानता है, जो सब धर्मों को अपना धर्म मानता है और जो हर पीड़ा को अपनी पूजा मानता है। ऐसे व्यक्ति से लड़ना इस देश में बड़ा मुश्किल है। यही कारण है कि गांव-गांव राम के नाम की लिखी ईंटें बैठ गई हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि जहां कहीं मन्दिर बने बड़ी शान से बने और बेहतर बने, लेकिन अगर किसी मस्जिद को तोड़ कर बना, किसी गुरुद्वारे को तोड़ कर बना या किसी दूसरी चीज को तोड़ कर बना तो मैं समझता हूं कि वह इमारत होगी, वह मन्दिर नहीं होगा। मन्दिर के साथ में सब की आस्था, प्रतिष्ठा और निष्ठा होती है और जो देवता उसके भीतर बैठता है जिसकी पूजा की जाती है वह सब से पहले इंसाफ करता है कि उसको किसी जगह बैठाया गया है, वहां की जमीन पवित्र है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि जमीन पर खून का छींटा पड़ा है, खून के छींटों पर रखे देवता इस देश को कभी वरदान नहीं देंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस दृढ़ता, जिस सूझबूझ और जिस बहादुरी के साथ आपने इन इशूज का मुकाबला किया है आगे आने वाले समय में भी उनका मुकाबला करते रहे। विश्व हिन्दू परिषद ने लिखित में अगर कुछ दिया है तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। उस मेन्डेट को वह खुद पाले इसके पहले आप खुद आगे बढ़ कर दृढ़ता के साथ उनसे बात करें। वह केवल एक बात की धौंस देते हैं कि वोट चला जायेगा तो आप उसकी परवाह न करें। वोट जाता है तो जाए लेकिन अगर ईमान चला गया तो याद रखिए कि हिन्दुस्तान का सर नीचा हो जाएगा। और यदि इस सरकार के सामने हिन्दुस्तान का सिर एक इंच भी नीचा होता है, तिरंगे झंडे की आस्थाएं एक सेंटीमीटर भी कांपती हैं तो हम दुनिया के सामने कहीं सिर ऊंचा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार मानता हूं। मेरे मन में कुछ पीड़ा थी, मैंने वह कहने की कोशिश की है। मैं जानता हूं कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ इस इश्यू को झेला है और मेरा पक्का विश्वास है कि देश की जनता जब भी फैसला करेगी तो वह फैसला इस देश में साम्प्रदायिक शक्तियों के विरोध में होगा। वह फैसला इस देश में जब भी होगा, वह फैसला हमेशा धर्मनिरपेक्ष ताकतों के पक्ष में होगा। गांधी के पक्ष में होगा, तिरंगे के पक्ष में होगा, राजीव गांधी के पक्ष में होगा और उन लोगों के पक्ष में होगा जो इस देश की इज्जत और आबरू को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके पक्ष में कभी नहीं होगा जो इस देश की आबरू के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, चाहे वह इधर के हों, चाहे उधर के हों। चाहे वह हिन्दू धर्म के हों, चाहे वह मुसलमान धर्म के हों,

किसी भी वर्ग के हों। देश हमेशा उनके साथ रहेगा जो देश के विकास की बात करेंगे और देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे।

मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : जनाब, आज जिस मौजू पर बहस हुई है, यह एक बहुत संजीदा मौजू है और इसको अगर हम तारीखे पशेमंजर में देखें तो यह बात हम पर वाजा हो जाएगी। आज हमारे देश में जो पोलिटिकल सिनेरियो है इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान की तकसीम मजहब की बिना पर हुई और वह तकसीम अंग्रेज ने कराई। आज ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस वक्त के जो डाक्यूमेंट्स हैं, वह इस वक्त ब्रिटिश आर्काइव्ज में मौजूद हैं और उनसे साबित हो जाता है कि अंग्रेज ने यहां के फिरकापरस्त हिन्दू और मुसलमान लीडरों को अपने जाल में फंसकर हिन्दुस्तान की तकसीम की है लेकिन हिन्दुस्तान की तकसीम के बाद जब यहां मुल्क में आग लगी तो उस आग को महात्मा गांधी ने अपना खून से ठण्डा किया। यह एक हकीकत है और इसके साथ-साथ आज हमें समझनी होगी, यह बात कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बनने से फिरकापरस्ती खत्म नहीं हुई। हिन्दुस्तान में मुस्लिम फिरकापरस्ती या हिन्दू फिरकापरस्ती के जरासीम यहां पर भी रहे। पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट ही इस किस्म की बनी। यह बदी और नेकी की जंग आज नहीं बल्कि 1947 से पहले से हिन्दुस्तान में चल रही है। यह हमारे रहनुमाओं की बदौलत, पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद, पन्त जी, जनाब शेर-ए कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे लीडरों की बदौलत आज हिन्दुस्तान को ऐसा कांस्टीट्यूशन मिला है जिसके अन्दर हर एक को इन्सानियत के हक हुकूक बराबर के हैं। एक मिनट के लिए मैं आपसे यह सोचने के लिए गुजारिश करूंगा, खुदा न खास्ता अगर हिन्दुस्तान में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का वजूद न होता तो पाकिस्तान की तरह यहां भी एक फिरकापरस्त गवर्नमेंट होती। यहां महासभा या कोई और सभा होती। मैं गुजारिश करूंगा उन दोस्तों से, जो बहुत जज्बात में आकर बातें करते हैं जिसमें मुसलमानों को सैकेंड क्लास और थर्ड क्लास सीटिजन माना जाता। आज हमें तारीखी हकीकत करना चाहिए कि यह इंडियन नैशनल कांग्रेस की बदौलत, महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू जैसे दूरंदेश, बुलन्द ख्यालात लीडरों की बदौलत, निगाहें बुलन्द सुखन दिल नवाज अजबर सोज लोगों की बदौलत आज हिन्दुस्तान एक इंसानों का मुल्क है, न हिन्दू का, न मुसलमान का और न सिक्ख का मुल्क है। आज हमें इस हकीकत को तसलीम करना चाहिए। यह भी तसलीम करना है कि 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस ने जो कुछ बनाया है और कांग्रेस ने ही हिंदुस्तान को मजबूत किया है। आर्थिक मैदान में भी, सोशयलिज्म मैदान में भी और आज तमाम दुनिया में काम्युनिटी आफ नेशन्स में हिन्दुस्तान का एक मुकाम है, लेकिन इस इस हकीकत को नजरअन्दाज नहीं करना है कि अन्दरूणी तौर पर हमारी तारीखी के दुश्मन मौजूद हैं। वे बढ़े, जिससे यहां की सैक्यूलर ताकतें मजबूत हो गईं, उनमें भी अभी तक जान है। बाहर के मुल्कों को में भी इस वक्त उनको बराबर इमदाद कर रहे हैं। हमें फख्र है कि हमने साइंस में तरक्की की है, हमारी कृषि में तरक्की हुई है, इन्डस्ट्री में तरक्की हुई है, हमने टैक्नोलौजी में तरक्की की है। इस तरक्की को न तो फिरकापरस्त चाहता है और न ही हमारी तरक्की के दुश्मन जो बाहर हैं, उनको यह बात गवारा कर रही है। ये दोनों मिलकर तरह-तरह के स्वांग रचाकर, जब भी इलैक्शन आता है, [illegible] है कि यहां से कैसे सैक्युलरिज्म को, सोशियलिज्म को और यहां की डैमोक्रेसी को खत्म किया जाए तथा हिन्दुस्तान को फिर गुलाम बनाया जाए। यह एक साजिश है, जिसकी तारीखी आज से नहीं बल्कि 1947 से बराबर चल रही है। इसलिए हमें इस सवाल को इस बैकग्राउण्ड में देखना है। हमारे खिलाफ एक साजिश शुरू हो

गई है, चाहे काश्मीर में आतंकवाद, चाहे पंजाब में आतंकवाद, चाहे जम्मू को अलग करने की बात, चाहे लद्दाख में बौद्ध पद्धति के नाम पर फसाद किया जाए और दूसरे तरीके से फसाद किया जाए और कैसे फिरकेदाराना तरीके से फसाद किया जाए, इनका जहर बिल्कुल अलग-अलग दिखाई देता है। इन सबका मकसद एक है और वह मकसद यह है कि हिन्दुस्तानी एकता को कैसे कमजोर किया जाए। यहां की इंसानियत को कैसे खत्म किया जाए। मकसद इन लोगों का एक ही है। इनके आका भी एक ही हैं और इन ताकतों से खबरदार रहना चाहिए।

मैं सरदार बूटा सिंह जी से गुजारिश करूंगा, वे अपने फर्ज को बखूबी निभा रहे हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमें क्या करना है। आज सैक्युलर ताकतों को काश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको एक होना है। उनके बोनाफाइडिज को एप्रूव करना है। आज तमाम पोलिटिकल बैरियर्स को खत्म करके, जो लोग सैक्युलरिज्म में यकीन रखते हैं, जिनका सोशियलिज्म और डैमोक्रेसी में ईमान है, उनको एक होकर भारतवर्ष के किसानों के पास, मजदूरों के पास और गांव-गांव में जाना है और अपना पक्ष उनके सामने रखना है। आज राम जन्म भूमि के नाम पर जो एक नया स्वांग और आडम्बर रचा गया है, उसमें चाहे जनसंघ या बी० जे० पी० हो इनका रोल पहले सिर्फ शहरों तक महदूद था। आज उन्होंने जिस वक्त यह सोचा कि वे तो शहरों तक ही महदूद हैं, गांवों में लोग उनके पीछे नही हैं, इसलिए उन्होंने एक और तरीका अख्तियार किया। राम जन्म भूमि के नाम पर जेहाद चलाई, लेकिन कांग्रेस के क्रेडिट में इतने काम हैं कि इनकी एक नहीं चल पाएगी। राजीव जी ने पिछले 4 साल में जो काम किए हैं, पिछड़े लोगों के लिए, पसमांदा लोगों के लिए, पंचायती राज के लिए जिसको अभी तक नजरअंदाज किया गया था, देहात के लोगों के लिए बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, नगरपालिकाओं को अधिकार देने के लिए, किसानों के लिए, कृषि की तरक्की के लिए, इन सब चीजों के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है और जितना काम किया गया है, 1947 से आज तक कांग्रेस ने जो काम किया है, उसके बल पर हम सर ऊंचा करके लोगों के पास जा सकते हैं और इन लोगों के चेहरे से नकाब हटा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं ये लोग किस तरह से डिसरप्शन करना चाहते हैं, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। कभी गाय माता का नाम लेकर, कभी धर्म का नाम लेकर ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जाहिर है कि मुल्क के लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। 4-10 या 20 लोग ही इनके यहां पर चुनकर आते रहे, इससे जाहिर है कि हिन्दुस्तान के हिंदू और मुसलमान सैकुलरिज्म को मानते हैं, उन्होंने कभी कम्युनिलिज्म को नहीं माना, उसको रिजेक्ट करके रख दिया। इसलिए कोई शंका और शुबहा नहीं है कि हमारा भविष्य उज्ज्वल न हो, अगर हम लोगों के पास जाकर अपनी बात करें, घर में रहकर नहीं। इसलिए आज पूरे यकीन के साथ और पूरे एतमाद के साथ, कलेक्टिव विजडम, सांझी सोच जिस पर हमें यकीन है, अपने प्रोग्राम के बलबूते पर हम इनको शिकस्त दे देंगे।

तकरीर के आखिर में दो एक बातें होम मिनिस्टर साहब को और कहना चाहता हूं। एक तो आज एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिस में बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो फिरकापरस्त हैं। इस किस्म के लोगों का पता लगाया जाना चाहिए और जहां भी इस किस्म के लोग हों, उनको तुरंत दबाया जाना चाहिए।

दूसरा जो आजकल नारे दिए जा रहे हैं जो कि कानूनी तौर पर जायज नही हैं और दूसरे मजहब के लोगों में नफरत फैलाते हैं, उनको कतयी-तौर पर बंद किया जाए और जो लोग इस किस्म के नारे देते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

तीसरी बात मैं यह कहूंगा कि यहां पर जो फिरकापरस्त नजर आते हैं, केवल इनके बल पर ही यह सारा काम नहीं होता है, इनके पीछे भी आपको देखना होगा। इस हाउस में ये बातें आ चुकी हैं कि किस तरह से लोग इसका फाउंडेशन तैयार करते हैं, किस तरीके से इसको प्लान करते हैं, किस तरह के प्लान चल रहे हैं, देश के बाहर से इनको आर्थिक सहायता दी जाती है, होम मिनिस्टर साहब इन तमाम कारस्तानियों को बेनकाब करके लोगों के सामने पेश करें और जो लोग इनके साथ वाबस्ता हैं, उनको सजा देनी चाहिए।

[شری محمد ایوب خاں (اودھم پور): جناب۔ آج جس موضوع پر بحث ہوئی ہے یہ ایک بہت سنجیدہ موضوع ہے اور اسکو اگر ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو یہ بات ہم پر واضح ہو جائیگی۔ آج ہمارے دیش میں جو پالیٹیکل سنیریو ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی تقسیم مذہب کی بنا پر ہوئی اور وہ تقسیم انگریز نے کرائی۔ آج برٹش گورمینٹ کے اس وقت کے جو ڈاکو مینٹس ہیں وہ اس وقت برٹش آرکا ئز میں موجود ہیں اور ان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انگریز نے یہاں کے فرقہ پرست ہندو اور مسلمان لیڈروں کو اپنے جال میں پھانس کر ہندوستان کی تقسیم کی ہے لیکن ہندوستان کی تقسیم کے بعد جب یہاں ملک میں آگ لگی تو اسکو مہاتما گاندھی نے اپنے خون سے ٹھنڈا کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں سمجھنا ہوگی یہ بات کہ ہندوستان اور پاکستان بننے سے ہندوستان سے فرقہ پرستی ختم نہیں ہوئی۔ ہندوستان میں مسلم فرقہ پرستی یا ہندو فرقہ پرستی کے جراثیم یہاں پر بھی رہے۔ پاکستان میں تو گورنمنٹ ہی اس قسم کی بنی۔ یہ بدی اور نیکی کی جنگ آج نہیں بلکہ ۱۹۴۷ء سے پہلے سے ہندوستان میں چل رہی ہے۔ یہ ہمارے رہنماؤں کی بدولت پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا آزاد، پنت جی، جناب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ، خان عبدالغفار خاں جیسے لیڈروں کی بدولت آج ہندوستان کو ایسا کانسٹی ٹیوشن ملا ہے جس کے اندر ہر ایک کو انسانیت کے حقوق برابر کے ہیں۔ ایک منٹ کے لئے میں آپ سے یہ سوچنے کے لئے گذارش کروں گا۔ خدانہ خواستہ اگر ہندوستان میں انڈین نیشنل کانگریس کا وجود نہ ہوتا تو پاکستان کی طرح یہاں بھی ایک فرقہ پرست گورنمنٹ ہوتی۔ یہاں مہاتما یا کوئی اور سبھا ہوتی۔ میں گذارش کروں گا ان دوستوں سے جو بہت جذبات میں آکر باتیں کرتے ہیں جیسے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس سٹی زن مانا جاتا ہے۔ آج ہمیں تاریخی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیئے کہ یہ انڈین نیشنل کانگریس کی بدولت مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو جیسے دور اندیش بلند خیالات لیڈروں کی بدولت "نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پُرسوز" جن لوگوں کا تھا ان لوگوں کی بدولت آج ہندوستان ایک انسانوں کا ملک ہے نہ ہندو کا

نہ مسلمان کا اور نہ سکھ کا ملک ہے۔ آج ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیئے۔ یہ بھی تسلیم کرنا ہے کہ ۱۹۴۷ء سے لیکر آج تک کانگریس نے جو کچھ بنایا ہے اور کانگریس نے ہی ہندوستان کو مضبوط کیا ہے۔ آرتھک میدان میں بھی سوشلزم میدان میں بھی' اور آج تمام دنیا میں کمیونٹی آف نیشنس میں ہندوستان کا ایک مقام ہے، لیکن اسمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا ہے کہ اندرونی طور پر ہماری تاریخ کے دشمن موجود ہیں' وہ بٹوارے جس سے یہاں کی سیکولر طاقتیں مضبوط ہو گئیں انہیں ابھی ابھی تک جان ہے۔ باہر کے ملکوں میں بھی اس وقت ان کو برابر امداد کر رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے سائنس میں ترقی کی ہے ہماری کوشش میں ترقی ہوئی ہے انڈسٹری میں ترقی ہوئی ہے۔ ہم نے ٹیکنولوجی میں ترقی کی ہے۔ اس ترقی کو نہ تو فرقہ پرست چاہتا ہے اور نہ ہماری ترقی کے دشمن جو باہر ہیں نہ ان کو یہ بات گوارا کر رہی ہے۔ یہ دونوں مل کر طرح طرح کے سوانگ رچا کر جب بھی الیکشن آتا ہے ان سب کا سبسٹانس ایک ہے کہ یہاں سے کیسے سیکولرزم کو سوشلزم کو اور یہاں کی ڈیموکریسی کو ختم کیا جائے اور ہندوستان کو پھر سے غلام بنایا جائے۔ یہ ایک سازش ہے جس کی تاریخ آج سے نہیں بلکہ ۱۹۴۷ء سے برابر چل رہی ہے۔ اس لئے ہمیں اس سوال کو اس بیک گراؤنڈ میں دیکھنا ہے۔ ہمارے خلاف ایک سازش شروع ہو گئی ہے چاہے کشمیر میں آتنک واد چاہے پنجاب میں آتنک واد چاہے جمو کو الگ کرنے کی بات چاہے لداخ میں بودھ پدھتی کے نام پر فساد کیا جائے اور دوسرے طریقے سے فساد کیا جائے اور کیسے فرقہ وارانہ طریقے سے فساد کیا جائے ان کا زہر بالکل الگ الگ دکھائی دیتا ہے۔ ان سب کا مقصد ایک ہے کہ ہندوستان کی ایکتا کو کیسے کمزور کیا جائے۔ یہاں کی انسانیت کو کیسے ختم کیا جائے۔ مقصد ان لوگوں کا ایک ہی ہے۔ ان کے آقا بھی ایک ہیں اور ہمیں ان طاقتوں سے خبردار رہنا چاہیئے۔

میں سردار بوٹا سنگھ جی سے گذارش کروں گا وہ اپنے فرض کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج سیکولر طاقتوں کو کشمیر سے کنیا کماری تک سب کو ایک ہونا ہے۔ ان کے یونیفائڈ کو اپروچ کرنا ہے۔ آج تمام پالیٹیکل بیریرس کو ختم کرکے جو لوگ سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں جنکا سوشلزم اور ڈیموکریسی میں ایمان ہے ان کو ایک ہو کر بھارت ورش کے کسانوں کے پاس مزدوروں کے پاس اور گاؤں گاؤں میں جانا ہے اور اپنا پکش ان کے سامنے رکھنا ہے۔ آج رام جنم بھومی کے نام پر جو

ایک یہ [illegible] شہر [illegible] چاہتے تھے [illegible] بی جے پی ہو ان کا رول پہلے صرف شہروں تک محدود تھا۔ آج [illegible] نے [illegible] سوچ کر [illegible] تو شہروں تک ہی محدود ہیں گاؤں میں لوگ ان کے پیچھے نہیں ہیں اس لئے [illegible] نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ رام جنم بھومی کے نام پر ہوا چلائی لیکن کانگریس کے کریڈٹ میں اتنے کام ہیں کہ ان کی ایک نہیں چل پائے گی۔ راجیو جی نے پچھلے چار سال میں جو کام کئے ہیں پچھڑے لوگوں کے لئے پسماندہ لوگوں کے لئے پنچایتی راج کے لئے جس کو ابھی تک نظر انداز کیا گیا تھا۔ دیہات کے لوگوں کے لئے بے روزگاروں کو روزگار دینے کے لئے نگر پالیکاؤں کو ادھیکار دینے کے لئے کسانوں کے لئے کرشی کی ترقی کے لئے ان سب چیزوں کے لئے جو پروگرام بنایا گیا ہے اور جتنا کام کیا گیا ہے 1947 سے آج تک کانگریس نے جو کام کیا ہے اس کے بل پر ہم سر اونچا کر کے لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں اور ان لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹا سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں یہ لوگ کس طرح سے ڈسرپشن کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ کبھی گائے ماتا کا نام لے کر کبھی دھرم کا نام لیکر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ملک کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ چار سے دس یا بیس لوگ ہی ان کے یہاں پرچن کراتے رہے اس سے ظاہر ہے کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان سیکولرزم کو مانتے ہیں انہوں نے کبھی کمیونلزم کو نہیں مانا اس کو ریجیکٹ کر کے رکھ دیا۔ اس لئے کوئی شک وشبہ نہیں ہے کہ ہمارا بھوشیہ اجوّل نہ ہو اگر ہم لوگوں کے پاس جا کر اپنی بات کریں گھر میں رہ کر نہیں۔ اس لئے آج پورے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کلیکٹو وسڈم سا بھی سوچ جس پر ہمیں یقین ہے اپنے پروگرام کے بل بوتے پر ہم ان کو شکست دے دیں گے۔

تقریر کے آخر میں دو ایک باتیں ہوم منسٹر صاحب کو اور کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آج ایڈمنسٹریشن میں اور پولیس میں بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ آگئے ہیں جو فرقہ پرست ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کا پتہ لگایا جانا چاہئیے اور جہاں کہیں اس قسم کے لوگ ہوں ان کو فوراً ہٹایا جانا چاہئیے۔

دوسرا آج کل نعرے دئے جا رہے ہیں جو کہ قانونی طور پر جائز نہیں ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں ان کو قطعی طور پر بند کیا جائے اور جو لوگ اس قسم کے نعرے دیتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔

تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ سارے جو فرقہ پرست نظر آتے ہیں عرض ان کے بل پر ہی یہ سارا
کام نہیں ہوتا ہے ان کے پیچھے بھی آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اس ہاؤس میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ کسطرح سے ملک اسکا
فائننشنگ یا کرتے ہیں کس طریقے سے اس کو پلان کرتے ہیں۔ کسطرح کے پلان چل رہے ہیں دیش کے باہر سے
ان کو آرتھک سہایتا دی جاتی ہے ہوم منسٹر صاحب ان تمام کارستانیوں کو بے نقاب کرکے لوگوں کے سامنے
پیش کریں اور جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں انکو سزا دینی چاہیئے۔]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं साम्प्रदायिक स्थिति पर जो बहस हो रही है, उसे बड़े ध्यान से सुन रहा हूं । जब सदन में नहीं रहता हूं तो उनके भाषणों को पढ़ता हूं जिन्होंने यहां अपने विचार व्यक्त किए हैं । समय-समय पर इस गंभीर विषय पर चर्चा होती रही है । हिन्दू धर्म के मानने वाले अपने उस शाश्वत रास्ते से भटककर अगर संकीर्ण भावनाओं में बह रहे हैं तो उनका लक्ष्य साफ है । हिन्दू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें यदि गहराई से वेदान्त हो, शंख हो, जैन या बुद्ध धर्म हो, इनके विचारों को देखें तो तमाम मतभेदों के बावजूद हिन्दू धर्म की संस्कृति शुरू से लेकर जो अब तक चली आ रही है वह करुणा, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, विश्वबंधुत्व पर की भावनाओं पर आधारित है । क्या हम भूल जाते हैं "सर्वे भवन्तु सुखिना: सर्वे सन्तु निरामया:" । उस धर्म के मानने वाले कुछ ऐसे कार्य करें जिससे जनमानस में ईर्ष्या, द्वेष और छल-कपट की भावना न हो । स्वतन्त्रता के बाद देखें तो हमारे देश में हिन्दू धर्म को मानने वाले 80-90 परसेंट है लेकिन किसी संकीर्ण भावना को उन्होंने नहीं अपनाया । स्वतन्त्रता के बाद इस देश में राम राज्य परिषद, हिन्दू महासभा और भारतीय जनसंघ बनी । लेकिन इनका क्या हाल हुआ । राम राज्य परिषद और हिन्दू महा सभा का पता नहीं और जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के रूप में आई उसके केवल दो सदस्य जीतकर इस सदन में आए थे । यदि हिन्दू हिन्दू धर्म के नाम पर, हिन्दू भावनाओं को भड़काकर, उत्तेजित कर अगर राजनीतिक पार्टी लाभ प्राप्त करती तो आज यहां का नक्शा दूसरा होता । हम भारत के करोड़ों इन्सानों को धन्यवाद देते हैं जो भारतीय संस्कृति को समझते हैं । आज भी स्वतंत्रता के चालीस वर्ष बाद गांवों में जाइए तो देखेंगे कि जो ताजिया निकलता है उसमें हिन्दू ज्यादा होते हैं, उसी तरह से होली में होली गायक मुसलमान ज्यादा होते हैं । उस सद्भावपूर्ण वातावरण को बिगाड़कर कुछ राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं । सन् 67 में इन लोगों ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने की कोशिश की थी और संविद सरकार बनाने में इन्हें सफलता मिली थी । पिछले चुनाव में इन्होंने देखा कि जब जनमानस इंदिरा जी की नीतियों पर वोट देने की कोशिश कर रहा है तो इन्होंने गंगाजल की बात की । जो आधारित मूल्य थे और जिन पर भारतवर्ष दुनिया का गुरु माना जाता था, उन प्रेरक गुणों को भूलकर संकीर्ण भावनाओं को विश्व हिन्दू परिषद में रखा है, लेकिन जो हिन्दुत्व की भावना से अलग होते जा रहे हों, वह ठीक नहीं है । एक बार जनता पार्टी ने अपना सिद्धान्त गांधीवादी विचारधारा पर आधारित किया था ।

वाह रे गांधी जी के लिए सच्ची भावना रखने वाले लोगो, गांधी जी ने क्या सोचा था ? उन्होंने सोचा था कि हिन्दू धर्म में जो छुआछात की भावना है, जो विकृतियां हैं उनको दूर कैसे किया जाए, इसके लिए वे सतत प्रयास करते रहे । लेकिन जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में गांधी जी की विचारधारा पर चलने की बात कही और आज क्या कर रहे हैं, आज ये

उसके विपरीत चलते की बात कर रहे हैं। आज हिन्दू के नाम पर जो अच्छे हिन्दुत्व और अच्छी विचारधारा के लोग हैं उनके मस्तिष्क में विकृत भावना प्रवेश कर गई है, जहां हिन्दुत्व को मजबूत करने के लिए, छुआ-छूत को दूर करने के लिए, हरिजनों-गिरजनों को ऊपर उठाने के लिए, वाल्मिकियों को ऊपर उठाने के लिए काम करना चाहिए था, वही आज हिन्दुत्व के नाम पर कुछ चुने हुए नुमाइन्दों को लेकर हमारी राजनीतिक पार्टियां लाभ उठाना चाहती हैं। मैं बी० जे० पी० के बारे में बताना चाहता हूं। यही सुब्रमण्यम स्वामी जिनका अभी अटल बिहारी बाजपेयी और इनकी पार्टी के साथ चोली दामन का साथ रहा है, पूरा देश जानता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने किस प्रकार के आरोप लगाये थे बाजपेयी पर, यह सारा देश और सदन जानता है। इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि चन्द स्वार्थों के लिए जनता को गुमराह करके, जनता को भ्रम में डालकर आज जो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं वह कतई ठीक नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है गृह मन्त्रीजी कि देश में कुछ ताकतें उन शाश्वत मूल्यों को, धर्मनिरपेक्षता, गुट-निरपेक्षता के मूल्यों पर जिन पर आधारित होकर देश चल रहा है, उसको तोड़ना चाहती हैं और तोड़कर उस भावना को फैलाना चाहती हैं। एक तरफ जातिवाद का नारा दिया जा रहा है। यह क्या है देवी लाल जी, आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि आप एक तरफ तो कहते हैं कि शिला पूजन में हम भाग नहीं लेंगे और उनके साथ नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी सरकार में उनको भागीदार बना रखा है। दिखाने के दांत और हैं खाने के दांत इनके और हैं।

आज बड़ी गंभीर परिस्थिति देश में पैदा हो गई जिसके बारे में हम सबको और पूरे देश की जनता को पता है कि जातीयता और साम्प्रदायिकता का नापाक गठबंधन हो रहा है। जो लोग समाजवाद में, प्रजातंत्र के लिए जो जरूरी मूल्य हैं उन पर विश्वास करते हैं आज वह ताकतें भी यदाकदा इधर-उधर झांककर उनके साथ हाथ मिलाना चाहती हैं। शाहबुद्दीन जी हमें याद है जब बी० पी० सिंह वैस्ट बंगाल जाते हैं तो कहते हैं कि यह कम्युनिस्ट वाले, सी० पी० आई० के लोग हमारे नेशनल एलाइंस हैं और जब दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद का जलसा होता है जो कुछ और भाषा बोलते हैं। आज देश को धोखा देने वाले ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। यदि हमने इस संकट की घड़ी में मानवीय मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया तो देश टूट जायेगा। मुझे खुशी है जिस प्रकार से हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने विचारों को यहां प्रकट किया है, मैं कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सद्भावना लाने के लिए प्रयास करें, लेकिन हो क्या रहा है। मैंने पहले भी कहा कि जातीयता और साम्प्रदायिकता दोनों का एक तरफ सम्बन्ध हो रहा है, वही पर क्षेत्रीयता भी अपना सिर उठा रही है, भाषावाद जैसी संकीर्ण विचारधारा जो प्रजातंत्र की दुश्मन है इनको रोका जाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि राज्य सभा में एक अच्छा प्रस्ताव पास हुआ, हम चाहते हैं कि लोक सभा में भी इसी तरह का प्रस्ताव पास हो। ताकि जो लोग इन ताकतों से हाथ मिला रहे हैं केवल राजनीतिक हितों के लिए, वह जनता के बीच एक्सपोज हो जायें और उनकी कलई खुल जाये। आज देश में आवश्यकता इस बात की है अल्पसंख्यकों, एस० सी० और एस० टी० के लोगों को ऊपर उठाया जाए, इंदिरा जी का जो इस सम्बन्ध में 15 सूत्री कार्यक्रम है उसका पालन करें और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना से काम करने के लिए कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक देश को एक करने के लिए प्रयास करें और जो इसमें बाधा उत्पन्न करे उसे दूर रखें। मैं यह कहना चाहता हूं कि आगामी चुनावों के लिए, चुनाव घोषणा पत्र में हमारे कमीशन को, हमारी सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा···

मैं चाहूंगा कि ऐसी तमाम पार्टियों पर, जो संकुचित भावनाएं लेकर, भाषा, धर्म या क्षेत्रीयता

की बातों को लेकर, देश की जनता के सामने अपना घोषणा पत्र रखती है, बैन लगाया जाना चाहिए। उन पार्टियों के प्रति सख्त रवैया अपनाये जाने की जरूरत है जो देश की शान्ति को मिटाना चाहती हैं। हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहना है। आज आर० एस० एस० क्या कर रहा है, शिव सेना क्या कर रही है, राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी विचारधारा क्या है, आनन्दपुर साहब प्रस्ताव क्या है, ये सारे लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर एक जगह एकत्रित क्यों नहीं होते हैं, जब चुनाव का समय आता है तब उनके बीच किस तरह सीटों का एडजस्टमैंट चल रहा है, शाहबुद्दीन साहब आप और आपके साथी क्या कर रहे हैं, जितने आप के साथ बैठते थे, आप नहीं कर रहे हैं मैं जानता हूं। धर्म की आड़ लेकर बातें करने वाले लोग आज क्या कर रहे हैं। मूल्यों पर आधारित बातें करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आज तुम दुनिया के सामने खड़े होकर कैसे कह सकते हो, तुम्हारी चारों तरफ कलई खुल चुकी है। अब तुम और देश की जनता को धोखा नहीं दे सकते। उपाध्यक्ष जी, आप दोबारा सदन को बुलायें या न बुलायें, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आज जैसी देश की परिस्थिति है, हम पिछली बार जितनी संख्या में विजयी होकर इस सदन में आये थे, उससे कम आने वाले नहीं है। साथ ही, मैं अपोजीशन के लोगों से भी कहना चाहता हूं जो हिन्दू धर्म की बातें करते हैं, जो आज हिन्दू मतावलम्बी होने का दावा करते हैं, शिला-पूजन के नाम पर देश को भड़का रहे हैं, तुम आगामी चुनावों में जीरो हो जाने वाले हो। हमारे देश की जनता महान है, वह सब कुछ जानती है। हमारे देश की विरासत महान है। मैं यहां उन सारी बातों पर विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन जैसी आज देश की परिस्थिति है, उसे देखते हुए इतना अवश्य कह सकता हूं कि यही होने वाला है। संकीर्ण विचारधारा पर आधारित आज देश में जितनी राजनैतिक पार्टियां हैं, जातीयता पर आधारित सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और भाषाओं पर आधारित जितनी पार्टियां हैं, आप सुन लें, आपमें से कोई लौट कर आने वाला नहीं है, यह निश्चित है। हिन्दुस्तान के लोगों की समझ बहुत ऊंची है। वे जानते हैं कि देश का हित किस में है, देश का कल्याण किस में है, देश की समृद्धि कैसे होगी। सारा देश जानता है कि राजीव जी ने पिछले 5 सालों में जहां एक ओर देश में सुख और शान्ति का साम्राज्य खड़ा किया, वही हमारा अनाज का रिकार्ड उत्पादन 170 मिलियन टन देश में हुआ। इतना ही नहीं इंडस्ट्रियल उत्पादन में भी हम लक्ष्य से आगे बढ़े हैं, टैक्नोलौजी के क्षेत्र में भी हमने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, मिसाइल छोड़कर हम दुनिया के शीर्षस्थ राष्ट्रों की गिनती में आ गये हैं। इतना ही नहीं, राजीव जी ने एक अनोखा और अनप्रीसिडैन्टेड काम दिल्ली की सत्ता को देश के गांवों से सीधा जोड़कर दिखाया है, दिल्ली की सत्ता को सीधे गांवों तक पहुंचाया है। हममें से जो लोग गांधीवादी सिद्धांतों को भूल रहे थे, उन्हें जवाहर रोजगार योजना और अर्बन रोजगार योजना के माध्यम से रास्ते पर ला दिया है। किसानों के हित में अनेकों योजनाएं बनायी गई हैं। जहां हमारी सरकार देश की समृद्धि को बढ़ाने के लिए, काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर उस समृद्धि को समाप्त करने के लिए, देश की एकता और अखण्डता को तोड़ने के लिए कुछ पार्टियां साजिश कर रही हैं। शाहबुद्दीन साहब मैं आप से कहना चाहता हूं, वैसे आप तो ठीक ही काम करते हैं, लेकिन आप अपने पुराने दोस्तों को बताइए कि अब यह चलने वाला नहीं है। आपको अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है देश में प्रजातंत्र बनाए रखने के लिए न जातीयता की बात हो, न धर्म की बात हो, न भाषा की बात हो, न क्षेत्र की बात हो बल्कि देश की समृद्धि की बातें की जायें, देश की एकता और अखण्डता की बातें की जायें। बातें की जायें देश के उन शाश्वत मूल्यों की सुरक्षा की, जिनके आधार पर चलकर हमारा देश आज दुनिया का गुरु कहलाता है। हमें उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। यही भारत का सदा से लक्ष्य रहा है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने भी यही कहा है, यही धर्म है, यही तत्व है और हिन्दू धर्म का मर्म है—

सर्व धर्मान परित्जय मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ।।

ऐ, देश के लोगों, यदि तुम देश का हित चाहते हो तो समर्पण की भावना में जीना सीखो । समर्पण की भावना गांधी जी ने भी सिखायी थी, नेहरू जी ने भी सिखाई थी, इन्दिरा जी ने भी सिखाई थी, यही हमारी गीता कहती है, हमारा धर्म कहता है, हमारे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं । बाबा तुलसी-दास ने भी यही कहा था—

निर्मल मन सो मोई भावा ।

इसलिए, आज जो लोग धर्म की आड़ लेकर बातें करते हैं, वे कपटी हैं, छली हैं और वे देश में आग लगाना चाहते हैं । आज जरूरत इस बात की है कि हर धर्म में, चाहे वह सिक्ख धर्म हो, हिन्दू धर्म हो, इसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो सभी में एक शास्वत गुण है, सत्य का, अहिंसा का, करुणा का । इन सबको लेकर जो राजनीतिक पार्टी चलेगी उसी का भला होने वाला है और बस सब हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है । हमारे नेता राजीव गांधी उन्हीं मूल्यों के लिए समर्पित हैं ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : पार्टी की बात नहीं, सरकार की बात कीजिए ।

श्री राम प्यारे पनिका : इन्हीं बातों पर तो देश में कलह हो रही है । आज जो बात, मैंने जिस भावना से कही है, हमारे देश के 99 प्रतिशत लोग इसी भावना में विश्वास करते हैं । ये संकुचित भावना वाली पार्टियां समाप्त होंगी, मेरा ऐसा विश्वास है और हम पुन: बहुत बड़ी ताकत के रूप में यहां बैठेंगे और देश की रचना करेंगे । देश को एक और अखंड बनाए रखेंगे और अपने देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे ।

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, यहां इस सभा में अनेक बार हमने इस समस्या पर चर्चा की है, हम लोगों ने साम्प्रदायिकता की समस्या पर बहस की है । लेकिन इस समस्या ने अब एक नया रूप धारण कर लिया है । चुनाव के कारण इस समस्या ने नया रूप लिया है । हिन्दू मतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अब हिन्दू नारे दिए जा रहे हैं । साम्प्रदायिकता की भावना खुला प्रचार किया जा रहा है, नेहरू द्वारा की गई धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को खुलकर चुनौती दी जा रही है । यह बात पहले नहीं थी ।

जहां तक कांग्रेस दल का सम्बन्ध है, धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए राजनीतिक रूप से वांछनीय नहीं है बल्कि यह सिद्धांत है । यह नीति नहीं है बल्कि एक सिद्धांत है । यह स्थिति की वास्तविकता से उत्पन्न हुआ है जोकि भावनात्मक नहीं है । यह स्वर्ग से आयी हुई कोई चीज नहीं है बल्कि यह वास्तविकता से, हमारे अनुभवों से उत्पन्न हुई है और हमने इसे स्वीकार किया है तथा अपनाया है और हमने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर अपने आप को ढाल लिया है ।

वर्ष 1977 में शायद धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो चुकी थी । मैं कहूंगा कि वर्ष 1977 काला वर्ष था । यह काला वर्ष इस कारण नहीं था कि कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया गया था बल्कि उस वर्ष साम्प्रदायिक शक्तियों का गुणगान किया गया था और उन्हें उच्च स्थान प्राप्त किया गया । मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता आप उस दल विशेष को जानते हैं । रातोंरात वे धर्मनिरपेक्ष बन गये और उनके कुछ राजनीतिक नेताओं ने जो बहुत अधिक नारेबाजी कर रहे थे, स्वीकार किया कि वे धर्मनिरपेक्ष हैं । जयप्रकाश जी इस सम्बन्ध में बहुत ही सावधान थे । वे जानते थे कि ये शक्तियां

कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं होंगी। यही कारण है कि शपथ ग्रहण करने के पूर्व वे उन्हें राजघाट ले गये और गांधी जी के नाम से उन्होंने शपथ ली। जयप्रकाश जी स्थिति के बारे में बहुत ही सचेत थे। अतः उन्होंने सिकन्दर बख्त या अन्य कोई व्यक्ति ढूंढ निकाला। वह अपने आप में पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष था। क्या मैं गलत कह रहा हूं ? लेकिन जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, यह हमारे लिए एक सिद्धांत है और धर्मनिरपेक्षता के इस सिद्धांत के लिए ही न सिर्फ गांधी जी ने, न सिर्फ इन्दिरा गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान किया बल्कि वर्तमान गृह मंत्री ने भी अपने परिवार के सदस्यों का बलिदान दिया। क्या आप जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने के कारण उनके परिवार के कितने सदस्यों ने बलिदान दिया था ? हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए।

जहां तक हमारे लोकाचार का सम्बन्ध है, महान कवि रविन्द्र नाथ टैगोर ने हमारी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति की परिभाषा दी थी। मैं उनकी प्रसिद्ध कविता **भारत तीर्थ** की दो पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा :

हेथाई आर्य हेथा अनार्य हेथाई
द्राविड चीन-शक हूण दल पठान
मुगल ऐक देहे होलो लीन···

उन्होंने कहा कि सभी कोई भारत में समा चुका है। जिन्होंने भारत की पौराणिक कथा अथवा भारत का इतिहास पढ़ा है वे जानते हैं कि हजारों वर्षों तक यह समस्या वहां थी। आर्य, अनार्य और द्रविड़ सभी भारत में मिलकर एक हो रहे थे। अतः यह हमारी धर्मनिरपेक्षता प्रदर्शित करता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया था : "आप इन **वर्णसंकरों** (अनार्यों) को पृथक कर दें।" उन्होंने कहा, "नहीं यह महामिलन है।" मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू बन गया है। द्रविड़, मंगोल सभी हिन्दू बन गये हैं। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से यह मिलन की प्रक्रिया है और मिलन की इस प्रक्रिया से ही इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है। यही बात रविन्द्र नाथ टैगोर की कविता से भी स्पष्ट होती है। मैं इस कविता की एक अन्य पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगा :

पोश्चिम आजो खुलीआद्द द्वार
शेथा होते शोबे आने उपोहार
दिबे आर निबे—मिलाबे मिलीबे
जाबे ना फिरे—
एई भारोतेर मोहामानोबेर
शागोर तीरे।

अब पश्चिम के लोग भारत आ रहे हैं। वे उपहार ला रहे हैं। वे उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं। वे यहां रहते हैं। कुछ समय बाद वे यहीं मिलकर रह जायेंगे और यही मिलन की प्रक्रिया होगी। यही धर्मनिरपेक्षता की धारणा है। यही हमारी धर्मनिरपेक्ष परम्परा का तथा स्वयं धर्मनिरपेक्षता का सार है। पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा महात्मा गांधी के अतिरिक्त रविन्द्र नाथ टैगोर द्वारा इसकी व्याख्या की गयी है। मैं स्वतन्त्रता के बाद के उन दिनों का स्मरण करता हूं जब पटना नगर में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा श्री जय प्रकाश नारायण दोनों मुसलमानों पर आक्रमण करने वाले हिन्दुओं के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। मुझे यह बात याद है। मुझे

याद है कि सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में आई० एन० ए० आन्दोलन का क्या सिद्धांत था। हम कभी साम्प्रदायिक नहीं होंगे। यही भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की वचनबद्धता है। यह वचनबद्धता धर्म-निरपेक्षता के लिए थी। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के लिए वचनबद्ध है। लेकिन हमें उस वचन को पूरा करना है। हमने एक काम किया है। हमने इन शक्तियों को महिमा मंडित है। अब समय आ गया है जबकि इस देश में सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकजुट हो जाना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि उन्हें एक ही राजनीतिक दल में शामिल हो जाना लेकिन उनका दृष्टिकोण एक जैसा होना चाहिए और आपस में विश्वास होना चाहिए ताकि हम साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष कर सकें।

मैं एक अन्य बात भी कहना चाहूंगा। अब एक अनोखे ढंग का तनाव उत्पन्न हो रहा है। मैं एक बात उद्धृत करना चाहूंगा। पेशावर से प्रकाशित होने वाले फ्रन्टियर पोस्ट की एक रिपोर्ट को मैं उद्धृत करना चाहूंगा जिसके अनुसार,

> "दुर्भाग्यवश, मुसलमान लोग भी कट्टरपंथी होते जा रहे हैं और इस प्रकार संविधान की अवज्ञा कर रहे हैं जो कि हिन्दू बहुसंख्यकों के अत्याचार के विरुद्ध उनके बचाव की एक मात्र ढाल है..."

इसके कुछ अंशों का उल्लेख यहां किया गया है। मेरे कुछ मित्रों का नाम यहां उल्लिखित है। मैं इन नामों का उल्लेख यहां करना नहीं चाहता हूं। यह प्रकाशन पाकिस्तान से हुआ है। लेकिन मेरा कहना है कि साम्प्रदायिकता का जवाब कट्टरवाद नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि धर्मनिरपेक्षता का जवाब संकीर्णता नहीं है। हमें यह तथ्य याद रखना चाहिए। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं : हमारी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां एक जुट क्यों नहीं हो रही हैं ? वे मित्रगण जो अभी साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं क्या ये ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने वर्ष 1978, 1979 और 1980 में साम्प्रदायिक शक्तियों का समर्थन किया था, और इनका गुणगान किया था ?

7.00 म० प०

और कल तक वे इनका गुणगान कर रहे थे। इसीलिए वे अलग-थलग पड़ गए थे। लेकिन 1977 में राजनीतिक सम्मान प्राप्त करने के पश्चात् वे अलग-थलग पड़ गए थे। मैं इस सभा का ध्यान पाकिस्तान के सिनेट के संकल्प की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कैसे भारत की साम्प्रदायिक समस्या ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है। वह संकल्प क्या है ? संकल्प में कहा गया है :

> "यह संकल्प उन सिद्धांतों का जिक्र करता है जिनके आधार पर भारत के साथ स्थायी शांति और मित्रता कायम की जा सकती है। इसमें इस क्षेत्र के सभी देशों को चाहे उनका आकार या सैनिक क्षमता कुछ भी हो, इस पर ध्यान दिए बिना, समान रूप से भागीदार मानना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करना शामिल है क्योंकि मुसलमान उम्माह भारतीय मुसलमानों के साथ जो होता है उसके प्रति असंवेदी बनकर नहीं रह सकते हैं।"

मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान हमारे अल्पसंख्यकों के बारे में क्यों चिंतित होता है ? उन्हें इससे क्या करना है ? सिंधु प्रदेश में रहने वाले हिंदुओं के बारे में भारत ने कभी चिन्ता नहीं की। हम सिंधु प्रदेश में एक साम्प्रदायिता नहीं भड़का रहे हैं। भारत बंगलादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की चिन्ता नहीं करता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। जब मैंने श्री सेट का भाषण सुना तो मैं बहुत खुश हुआ था। उन्होंने कहा, "यह हमारा देश है। हमने यहां जन्म लिया है। हमारे देश से कोई हमें बाहर नहीं कर सकता है।" (व्यवधान) मुझे दो

या तीन मिनट की और आवश्यकता है। यही बात अल्पसंख्यकों द्वारा कही जानी चाहिए। वे कौन हैं ? असम के मुसलमानों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहूंगा···(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : यदि आप मुझे बोलने का अवसर दें तो मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा। मेरे माननीय मित्र द्वारा उठाया गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यहां भारत में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री लियाकत अली खान को गले लगा कर कहा था, "आज हम विदेशियों की भांति विदा लेते हैं।" उन्होंने उनसे कहा, "आपके लिए आपका देश है और हमारे लिए हमारा देश।" उन्होंने आगे कहा, "अब हम विदेशी हैं और पाकिस्तान के माननीय प्रधानमन्त्री जी मैं आपको यह बता दूं कि आगे हमारे मामले में आप कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे।" यह बात लिखित रूप में है। यही इतिहास है। घटनाक्रम यहीं से आरम्भ होता है। फिर उन्होंने आगे कहा, "यहां भारत में हमारे साथ जो कुछ होता है वह देखना हमारा काम है। आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ इस कारण अनुचित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। हम जानते है कि अपने देश में कैसे रहा जाए, कैसे अपने अधिकारों को प्राप्त किया जाए।" जहां तक हमारा सम्बन्ध है शुरू से ही हमारी यही नीति रही है और इस नीति से एक क्षण के लिए भी विचलित होने की बात कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : बंटवारे के पहले क्या कहा था मुस्लिमों ने ?

श्री जी० एम० बनातवाला : उससे पहले की पूरी तारीख जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, पूरी रात बैठकर बतायेंगे। लेकिन यह जो बात बताई जा रही थी, उसके जबाव में मैंने कहा कि हमारा एटीट्यूड क्या था कि हमने गले लगाया और कहा कि अब तुम अपने देश में रहो, हम हमारे देश के अन्दर रहेंगे। अगर इससे पहले की तारीख में जाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं कि वे सारे मामलात कैसे हुए। मैं कहूंगा कि जरा खोदारा एच० एन० सिचवई की किताब "पार्टिशन— जेजेंड एंड रियलीटीज" उठाकर देखिए। उसमें लिखा है—

[श्री जी० एम० बनातवाला : उससे पहले की पूरी तारीख जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, पूरी रात बैठकर बतायेंगे। लेकिन यह जो बात बताई जा रही थी, उसके जबाव में मैंने कहा कि हमारा एटीट्यूड क्या था कि हमने गले लगाया और कहा कि अब तुम अपने देश में रहो, हम हमारे देश के अन्दर रहेंगे। अगर इससे पहले की तारीख में जाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं कि वे सारे मामलात कैसे हुए। मैं कहूंगा कि जरा खोदारा एच० एन० सिचवई की किताब "पार्टिशन— जेजेंड एंड रियलीटीज" उठाकर देखिए। उसमें लिखा है—

एक-एक लफ्ज पढ़ा और पढ़ने के बाद देखा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ ? उससे हम कोई सबक हासिल करें। (व्यवधान)

श्री केयूर भूषण : मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत के मुस्लमानों ने साथ दिया है, मुस्लिम लीग ने नहीं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती के भाषण के सिवाय कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल करने की अनुमति मैं नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आगे कोई बात नहीं होगी। महन्ती जी, कृपया अपना भाषण जारी रखें। मैं किसी भी प्रकार के सम्भाषण की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती के सिवाय मैं अन्य किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।...(व्यवधान)...कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री बृजमोहन महन्ती : मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के कथन को श्री बनातवाला के शब्दों में मैंने सुना। मैंने देखा है कि उस दौरान हुई घटनाओं की मैंने आलोचना की है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि समस्या यह है कि राष्ट्रपति जिया उल हक ने भी, जब वे पाकिस्तान के प्रशासक थे, भारत के अल्पसंख्यकों के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा।

लेकिन यह एक नयी प्रवृति है। सीनेट का संकल्प एक नयी प्रवृति है। इसलिए हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक पक्ष की तरफ से विरोध प्रकट होना चाहिए और स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। मुझे उनकी ईमानदारी या देशभक्ति पर संदेह नहीं है। परन्तु जब इस तरह की बातें हो जाती हैं तो सबसे सही उत्तर अल्पसंख्यक मुख्यालय से ही मिलेगा।

हाल में मैं शाहबुद्दीन जी को बधाई दे रहा था। उन्होंने बम्बई में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह पहले भारतीय हैं और फिर मुसलमान हैं। यदि आप याद करें तो अगले रोज मैंने उन्हें बधाई दी थी। यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं और फिर हिन्दू हैं। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है हमने आपसे कभी भी झगड़ा नहीं किया है आप जानते हैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद यहां दंगे हुए थे। सरदार बूटा सिंह जानते हैं कि मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर कितने सिख मित्रों को आश्रय दिया था। क्योंकि हमारी राजनीति धर्मनिरपेक्षता से आरम्भ होती है न कि साम्प्रदायिक प्रभाव से। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां तक कांग्रेस का संबंध है, जहां तक धर्मनिरपेक्ष परम्परा की बात है, मैं समस्त देश के अल्पसंख्यक मित्रों से अपील करता हूं कि उन्हें धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण पर दृढ़ रहना चाहिए और उन्हें अपने सम्भाषण और दृष्टिकोण में तादाम्य बनाये रखना चाहिए ताकि हम साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ सकें हमने विगत में गलतियां की हैं। यह तो आत्म विश्लेषण की बात है। किन लोगों ने साम्प्रदायिक संगठनों को इज्जत बख्शी थी ? वे कहां हैं ? अब वही लोग इसके विरुद्ध चिल्ला रहे हैं। इन्हीं लोगों ने इसे इज्जत दी है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किस समय तक हमें यह वादविवाद जारी रखना चाहिए ?

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : महोदय, वक्ता कई हैं। हम चाहते हैं कि सभा की बैठक 8 म० प० तक बढ़ा दी जाए।**(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : हम इसे सोमवार को क्यों नहीं कर सकते ? **(व्यवधान)**

श्री सैयद शाहबुद्दीन : जल्दी क्या है ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर कई सदस्य बोलना चाहते हैं। जल्दी क्या है ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को फैसला करना है।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : सोमवार। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : जी नहीं। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह सभा की सर्वसम्मत राय है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सबको मंजूर हो तो हम सभा की बैठक का समय एक घंटा बढ़ाएंगे; तत्पश्चात यदि आप ऐसा चाहेंगे तो हम इस पर गौर करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम इस पर सोमवार को चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर एक घंटे के बाद गौर करेंगे।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : सोमवार। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जब पूरी सभा सोमवार के लिए कह रही है तो हम यह क्यों नहीं कर सकते हैं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभी की सम्मति होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : जी हां। प्रत्येक सदस्य कह रहा है। **(व्यवधान)**

श्री पी० नामग्याल : महोदय, मन्त्री आज ही उत्तर दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सैयद शाहबुद्दीन : जल्दी क्या है ? हम इस पर सोमवार को चर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं ? यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और कई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं **(व्यवधान)** महोदय, सच तो यह है कि आज सायं मिलाप-उन-नबी समारोह होने जा रहा है। हम सभी इसमें भाग लेने के इच्छुक हैं। आज एक विश्व सम्मेलन हो रहा है। हम सब को आमन्त्रित किया गया है। कृपया इस बात को ध्यान में रखें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभा की बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ायेंगे। इस बीच, मन्त्री महोदय, आप सदस्यों से परामर्श कीजिए। आप मन्त्री महोदय से इस बात पर चर्चा करें कि क्या वह उत्तर देंगे और मुझे बतायें। इसलिए हम एक घंटे के लिए समय बढ़ा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : आप हमें उत्तर का समय बतायें और हम उत्तर के समय आएंगे। हमारे पास इतने काम हैं। हमारे काम इस तरह एक घंटे से रुके पड़े हैं। हम जा भी नहीं सकते हैं और अपनी प्रार्थनायें भी नहीं कर सकते हैं। यह क्या है ? साफ-साफ हमें बताएं कि वह एक बजे उत्तर देंगे। फिर हम एक बजे आयेंगे। (व्यवधान)

श्री पी० नामग्याल : मैंने अध्यक्ष पीठ से अनुरोध किया है कि सभा का समय एक घंटे बढ़ाया जाए। हमें फैसला करना चाहिए। माननीय मन्त्री को उत्तर देने दीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री आज ही उत्तर देंगे।

श्री पी० नामग्याल : जी हां।

श्री जी० एम० बनातवाला : रात्रि के एक बजे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह मैं नहीं जानता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० संफुद्दीन सोज : इसका समय एक घंटे बढ़ाना बेकार है। सर्वसम्मति हुई है। आखिर सभा सर्वोच्च है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका फैसला एक घंटे के बाद करें।

प्रो० संफुद्दीन सोज : हमने निर्णय लिया है कि हम इस पर सोमवार को चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, एक बार फिर यह देश कैंसर की तरह की इस भयानक बीमारी से गम्भीर रूप से पीड़ित है। भारत जो हजारों वर्षों के बाद एकता के सूत्र में बंधा था एक बार फिर विभाजन और विदेशी शासन के कगार पर खड़ा है। 1947 में इस देश ने पहले ही साम्प्रदायिक विभाजन की कीमत चुकाई है जो इस देश में मुस्लिम लीग द्वारा अपनाई गई तीव्र साम्प्रदायिकता की वजह से पनपी थी और अब एक बार फिर उसी तरह की साम्प्रदायिकता अपना सिर उठा रही है। यह देश पहले ही अपने दो महान नेताओं— महात्मा गांधी और इन्दिराजी—को साम्प्रदायिकता की बलि चढ़ा चुका है और अब हमें खड़ा होना है तथा इस साम्प्रदायिकता का एक साथ एक होकर सामना करना चाहिए।

इस देश में साम्प्रदायिकता को समझने के लिए हमें कुछ सौ वर्ष पहले जाना पड़ेगा। हजारों वर्षों से हिंदू और मुसलमान एक ही तरफ से इकट्ठे लड़े हैं लेकिन जब से ब्रिटिश लोग इस देश में आए इस तरह की साम्प्रदायिक फूट डाली जाती रही और इसे एक हथकंडे के रूप में अपनाया गया। मैं सर जॉन मेल्कोम के कथन से उद्धृत करना चाहता हूं। 1813 में सर जॉन मेल्कोम ने इंग्लैंड में एक संसदीय समिति को बताया :

> "हमारे बढ़ते हुए वर्तमान साम्राज्य मे इस असाधारण सत्ता को बनाए रखने के लिए हमारी सुरक्षा का आधार बड़े समुदायों का सामान्य विभाजन और उन्हें विभिन्न जातियों और जनजातियों के विभक्त करना है।

.....उनके इस तरह से बंटे रहने से हमारी सत्ता को अस्थिर करने के लिए कोई विद्रोह होने की संभावना नहीं है।"

फिर 1859 में बम्बई के गवर्नर लार्ड इल्फिस्टोन ने एक पुस्तक में लिखा था 'डिवाईड एट इम्पीए' पुराना रोमन नारा है और हमें इसे अपनाना चाहिए। यह उपनिवेशी साम्राज्यवाद जिसे एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया गया, इस देश में सांप्रदायिकता के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। उपनिवेशी साम्राज्यवाद लगता है समाप्त हो गया है लेकिन इस देश को अब आर्थिक साम्राज्यवाद से खतरा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाब में उग्रवादियों को आर्थिक साम्राज्यवाद द्वारा खुला समर्थन दिया जा रहा है। आर्थिक साम्राज्यवादी ताकतों ने हमेशा हमारे पड़ोस में फासिस्ट शासनों तथा तानाशाहों को समर्थन दिया है। इस बात को सिद्ध करने के पर्याप्त सबूत हैं कि हमारे देश में सांप्रदायिक तत्व इस स्रोत के धन प्राप्त कर रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेनी ने, जब वह विदेश मन्त्री थे, खुलेआम इजराईल का पक्ष लिया। उन्होंने खुलेआम अमरीकी साम्राज्यवाद का समर्थन किया और ये वे ताकतें हैं जो हमारे देश में सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी कीमत पर हम इन ताकतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। हमें एक जुट होकर खड़ा होना होगा और केवल तभी हम इस बुराई का सामना कर पायेंगे। राजनैतिक समाधान और राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु छोटा रास्ता अपनाने से हम इन ताकतों से समझौता करते हैं। मैं मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे छोटा रास्ता लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे लम्बा मार्ग है। मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि सांप्रदायिक तत्वों के साथ समझौता करने से इज्जत मिलती है और इस तरह आप देश में धर्म-निरपेक्ष ताकतों को अलग-अलग कर देते हैं। वर्तमान राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दा कुछ भी नहीं है बल्कि साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा इस देश में अगले चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल किया जा रहा एक हथकंडा है।

उन्होंने ऐसे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गौ हत्या तथा गंगाजल यात्रा, एकात्मता रथ यात्रा जैसे कई अन्य मुद्दों के लिए किया है और जब इस राम जन्मभूमि के लिए कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि यह इस देश में एक सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञ का सुविचारित इरादा था जो अब जनता दल में हैं, जो आज राम जन्मभूमि – बाबरी मस्जिद मुद्दे के लिए जिम्मेदार हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बारे में यह झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि बाबर ने यह मस्जिद एक हिंदू मन्दिर को तुड़वाकर बनवाई थी। मैं कार्यवाही वृतान्त में यह दर्ज कराना चाहूंगा कि बाबर ने अपनी वसीयत में हुमायुं को स्पष्ट कहा था कि उसे हिन्दुओं, जैनियों तथा बौद्धों के सभी पूजा स्थलों की रक्षा की जाए और उसने गौ हत्या तक पर प्रतिबन्ध लगाने की भी हिदायत की थी। ऐसा बाबर का मन था और कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा व्यक्ति कभी एक पूजा स्थल को तुड़वाएगा।

विश्व हिन्दू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा बाबरी मस्जिद एक्सन कमेटी में जमानते इस्लामी की भूमिका एक ही सिक्के के पहलू हैं। उनकी भूमिका तथा कार्य की कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यह वायदा कर रही है कि वे राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को चुनावी मुद्दा नहीं बनायेंगे। परन्तु राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता चोरी छिपे सक्रिय रूप से इस मुद्दे का प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर राम शिलाएं एकत्र कर रहे हैं। दूसरी ओर श्री लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं, "यह कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं होगा। इस मुद्दे में हमारी कोई रुचि नहीं है।" परन्तु दिल्ली में खुले आम राम शिलाओं की पूजा करने वाले वह प्रथम व्यक्ति हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हिंसा भड़का रहे हैं, मुसलमानों के विरुद्ध भड़काने वाले नारे लगा रहे हैं, अर्थहीन परन्तु स्वार्थपूर्ण भाषण दे रहे हैं, विवेकहीन मनोभावों के वशीभूत होकर भोले-भाले अनपढ़ तथा अर्धशिक्षित लोगों में भय व्याप्त कर रहे हैं तथा नौजवानों के मन में रूढ़िवादिता और घृणा के बीज बो रहे हैं। उनका लक्ष्य धार्मिक भावनाओं में रुढ़िवादिता घोल कर सत्ता हथियाना है तथा सत्ता हथियाने के लिए इसे साधन बनाना चाहते हैं।

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष यह वायदा किया है कि उनकी पार्टी धर्म निरपेक्ष पार्टी है। उन्होंने अपने संविधान में यह प्रतिपादित किया है कि उनकी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। परन्तु साथ ही वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख बाला साहिब देवरस को बंबई में राष्ट्रीय सम्मेलन में आमन्त्रित करते हैं। श्री लाल कृष्ण अडवाणी राम शिलाओं की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा विश्व हिन्दू परिषद कब एक नहीं थे। वे एक हैं और हमेशा ही एक रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष उठायें और भारतीय जनता पार्टी का धर्म निरपेक्ष पार्टी के रूप में पंजीकरण रद्द कराएं। क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के सभी प्रत्यायक खो दिए हैं। वास्तव में यह दुःख की बात है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो अक्सर धर्मनिरपेक्षता का पक्ष लेते हैं, सांप्रदायकता विरोधी आंदोलन के अनशनकारियों को संबोधित करने जाते हैं। साथ ही वह भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा शिव सेना के साथ सीटों की तालमेल के लिए खुल्लम-खुल्ला बातचीत करते हैं। यदि वह जनता दल में अपना विश्वास सिद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें हरियाणा में तत्काल सत्ता में भागीदारी समाप्त कर देनी चाहिए। केवल तभी उनकी पार्टी के धर्मनिरपेक्ष होने की विश्वसनीयता सिद्ध होगी।

जनता दल नेताओं के सत्ता में आने की अन्ध महत्वाकांक्षा साम्यवादियों, फासिस्टों, तस्करों तथा राष्ट्र-विरोधियों से समझौता करा रही है। दूसरी ओर मैं साम्यवादी दलों तथा अन्य वामपन्थी दलों को बधाई देता हूं जो खुल्लम-खुल्ला साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध आये हैं। मैं उनके आर्थिक सिद्धांतों का समर्थन नहीं करता और हम इस देश के स्वतन्त्रता संग्राम में उनकी संदिग्ध भूमिका को नहीं भूल सकते, परन्तु यह कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी कथनी और करनी से निःसन्देह उन्होंने अपनी पार्टी की धर्मनिरपेक्षता की विश्वसनीयता को सिद्ध कर दिया है। मैं साम्यवादी तथा वामपंथी दलों से यह निवेदन करता हूं कि वे अपने छोटे-छोटे आपसी मतभेदों को भूल जाएं। इस देश के सामने प्रमुख मुद्दे ये छोटी-छोटी बातें नहीं हैं, इस देश में सांप्रदायिकता है जो लगभग इस देश को विभाजित कर रही है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इन मतभेदों को भूल जाएं और हमारे युवा, गतिशील प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी की सहायता करें जो इन सांप्रदायिक तत्वों का बहुत ही कठोरता और दृढ़ता से मुकाबला कर रहे हैं। आज इस देश की एकता तथा अखंडता से अधिक महत्वपूर्ण कोई मुद्दा नहीं है।

मुझे उस समय बहुत अधिक राहत मिली जब माननीय गृह मन्त्री बूटा सिंह जी ने यह कहा कि विश्व हिंदू परिषद के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी ये भावनायें माननीय गृह मन्त्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि वह एक ऐसा संगठन है जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं को यह प्रशिक्षण देता है कि अफवाहें कैसे फैलाई जायें, हिंसा कैसे भड़काई जाए। इसकी किसी भी मौखिक या लिखित बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, इसमें कोई भ्रम नहीं है। भारत सरकार को इस बात पर स्पष्ट होना

चाहिए कि जब तक बाबरी मस्जिद के ऊपर न्यायालय कोई निर्णय नहीं देता है तब तक बाबरी मस्जिद को गिराने नहीं दिया जाएगा। हमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए कि विश्व हिन्दू परिषद को किसी भी सरकारी भूमि पर शिलान्यास नहीं करने दिया जाएगा। भारत सरकार को कार्यवाही करनी होगी, माननीय मन्त्री महोदय को कार्यवाही करनी होगी, राज्य की सक्रिय भूमिका के बिना किसी भी तरह का आंदोलन नहीं हो सकता या लोग फासिस्ट या सांम्प्रदायिक ताकतों से नहीं लड़ सकते। यह तटस्थ नहीं रह सकता। आप इस मुद्दे को अयोध्या या फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट की बुद्धिमत्ता पर नहीं छोड़ सकते। इस मुद्दे को आपको स्वयं लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे साम्प्रदायिक तत्वों को हमारे प्रशासन में घुसपैठ बहुत गहरी है। आप नहीं जानते कि यह किस स्तर तक जा सकती है।

मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह सांप्रदायिक दलों के इन सभी अर्ध सैनिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगायें, चाहे वह बजरंग दल है, बजरंग वाहिनी है या आदम सेना है। मैं निवेदन करता हूं कि आपको जमायते इस्लामी तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। आपको इन साप्रदायिक ताकतों से सख्ती से निपटना होगा, अन्यथा इस देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी।

धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में हमें अपनी विश्वसनीयता को सिद्ध करने के लिए हमें हाशिमपुरा तथा मलयाना में हुई हत्याओं के लिए जिम्मेदार अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी होगी। हमें उन सभी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी जो नवम्बर, 1984 के दंगों के लिए जिम्मेदार थे केवल तभी हमारी विश्वसनीयता सिद्ध होगी।

हमें सभी सरकारी अधिकारियों, चाहे वे केन्द्र सरकार के अधिकारी हों या राज्य सरकार के अधिकारी हों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी हों, पर इन सांप्रदायिक गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगानी चाहिए। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां सरकारी अधिकारियों ने राम शिला जलूसों में खुल्लम खुल्ला भाग लिया है। मेरे राज्य में सिंचाई विभाग का एक ओवरसीयर मध्य प्रदेश बजरंग वाहिनी का अध्यक्ष था। मैं अपने मुख्य मन्त्री को बधाई देता हूं जिन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। हम इन लोगों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते।

आज इस देश से अल्पसंख्यक आप की ओर देख रहे हैं; हमारे गृह मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री के कार्यों को देख रहे हैं। आप उन्हें निराश नहीं कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों की आप पर विश्वसनीयता खतरे में है। हमें इस मुद्दे को मामूली नहीं समझना चाहिए। हमें सख्ती से मुकाबला करना है और अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करना है।

अंत में मैं पंडित नेहरू के उस पत्र से उद्धरण देना चाहता हूं जो उन्होंने इस देश के सभी मुख्य मन्त्रियों को पहले लिखा था। उन्होंने कहा :

> "हमारे यहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि यदि वे कहीं जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते हैं। हमें उन्हें लोकतांत्रिक देश में नागरिक की सुरक्षा और अधिकार देने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा सड़ता हुआ घाव होगा जो अन्ततः समस्त राजनीतिक प्रणाली को विषैला बना देगा और संभवतः इसको नष्ट कर देगा।"

देखिए उनकी बात कितनी भविष्यसूचक थी। आज उनके जन्म शताब्दी वर्ष में हमें उनके आदर्शों और

सिद्धांतों का समर्थन करना चाहिए और सम्प्रदायवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके अल्पसंख्यकों में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अशोक कुरेशी (सतना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांप्रदायिकता के विषय में सदन में बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं उन्हीं बातों को दोहरा कर सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं मौलाना आजाद के उस भाषण से शुरू करना चाहूंगा, कुछ जुमले सदन में पेश करना चाहूंगा जो रामगढ़ कांग्रेस सैशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहे थे :

[अनुवाद]

"एक गुट कहता है, हिन्दुओं को मुस्लमानों से बचाओ। दूसरा गुट कहता है कि इस-लाम को हिन्दूमत से बचाओ। यदि मुसलमानों को और हिन्दुओं को बचाने का ही चलन है तो राष्ट्र की सुरक्षा भी कौन परवाह करता है ?

पत्रकार और नेता धर्मान्धता और रूढ़िवाद को भड़काने में लगे हैं जबकि भोली-भाली जनता सड़कों पर खून बहा रही है·····।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, मौलाना आजाद के इन शब्दों को जब भी मैं दोहराता हूं तो मेरे सामने भारत में फैली हुई जो सांप्रदायिकता है, फिरकापरस्ती है, जिस बारे में, हम आजसदन में विचार कर रहे हैं, वह आ जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि ये सांप्रदायिक झगड़े केवल धार्मिक समस्या या मजहबी मसले नहीं हैं, दरअसल, वास्तविक रूप में ये झगड़े हमारे देश की, मुल्क को उन तमाम प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील और लैफ्टिस्ट फोर्सेज के लिए, उन ताकतों के लिए एक चैलेंज हैं जो भारत को एक सांप्रदाकिता-विहीन और प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहती हैं और उसके लिए वचनबद्ध हैं।

उपाध्यक्ष जी, आज भी देश में भूखे लोग हैं, बेरोजगारी है, दुख-तकलीफ है। हजारों लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। आज भी लाखों बच्चों को इस देश में दूध की एक बूंद तक नहीं मिल पाती। आज भी इस देश में लाखों बेरोजगार हैं। आज भी अत्याचार और अन्याय है, शोषण होता है गरीबों का, मजदूरों का और किसानों का, लेकिन दुख की बात यह है कि इन तमाम अत्याचारों में लड़ने के लिए, इन तमाम शोषण का मुकाबला करने के लिए, न कहीं कोई मोर्चा लगाया जाता है, न कहीं कोई आवाज उठायी जाती है, न कहीं घोषणाएं होती हैं और देखा जाए तो वास्तविक रूप में यह हमारी आर्थिक या सोश्यो इकॉनौमिक समस्या है। जब तक हम इस समस्या को हल नहीं करेंगे, इस देश में सांप्रदायिकता का विष समाप्त नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों उन्होंने जो घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले के अधिकारी को कलैक्टर्स को और एस० पीज० को यह वार्निंग दी गई है, आदेश दिए गए हैं, सरकार की ओर से सर्कुलर ईश्यू किया गया है कि अगर उनके अपने इलाके में सांप्रदायिक दंगे होंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अभी हाल ही में, जो दंगे हुए, दंगे हो नहीं पाएं, यह बात संभव नहीं है। दंगे होने की कोई रोक सकता है, लेकिन दंगा एक बार हो जाए, तो उस दंगे पर कंट्रोल करना जरूर जिला प्रशासन का बुनियादी कर्तव्य है और यदि वह जिला प्रशासन उस दंगे पर कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे, तो मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री और भारत

सरकार उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे और इस संबंध में, मैं चाहूंगा कि सरकार इस देश को यह जानकारी दे कि दंगे होने के बाद जहां-जहां कर्फ्यू लगाया गया, जहां-जहां पुलिस तैनात की गई, जहां-जहां सुरक्षा दल तैनात किए गए, वहां अगर घर जले, तो क्या कारण था, अगर लोग मारे गए, तो क्या कारण था, अगर ट्रेनें रोककर हत्याकांड किया गया, तो क्या कारण था ?

7.36 प० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय, क्यों हमारी पुलिस और हकारी फोर्सेस असफल रहीं, सरकार इस ओर ध्यान दे। अगर इन लोगों ने लापरवाही की है, निकम्मापन किया है, तो इसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करे। इस बात की मांग मैं इस सदन में करना चाहूंगा। महोदय, अभी कल की ही बात है। हमारे इस माननीय सदन के एक माननीय सदस्य श्री सलाउद्दीन ओवेसी ने जो कहा कि 40 साल में भारत में मुसलमानों का इतना खूनब हाया गया जितना इराक-ईरान की लड़ाई में भी नहीं बहाया गया है। बहुत दुर्भाग्य की बात थी, बदकिस्मती थी गुमराह करने वाली बात थी, जिसका सदन में तमाम हिस्सों ने विरोध किया और माननीय गृह मन्त्री जी ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया। मैं समझता हूं कि शायद सलाउद्दीन ओवेसी साहब भूल गए होंगे और उन्होंने उस खून में उस तमाम खून को भी शामिल किया होगा जो रजाकारों के जमाने में मुसलमान इन्सानों का बहाया गया। रजाकारों की हिफाजत के लिए मुस्लिम इन्सानों को लड़ाकर जो खून बहाया गया, शायद उस खून की याद उन्हें हो। जब वह बोल रहे थे तो मैं उनसे कहना चाह रहा था कि माननीय ओवेसी साहब भारत के मुसलमान अब आपकी इन चन्द जजबाती बातों से गुमराह होने वाले नहीं हैं। दुर्भाग्य की बात है कि उनके नाम पर इस सदन में चुनकर आप आते हैं। इस हिन्दुस्तानी फिरकापरस्ती की जिम्मेदारी अगर आप डालना चाहते हैं, केवल एक मजहब पर, एक तबके पर, जो भारत में बहुमत में है, अक्सीरियत में है, यह बात चलने वाली नहीं है। इसके लिए हमें अपने-अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखना होगा और खासतौर से इन मुस्लिम लोगों को जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो चाहते हैं कि उनमें से हर एक यकबयक कायदे आजम बन जाए। मैं उनको चेतावनी देना चाहूंगा कि भारत के मुसलमान उनके नेतृत्व को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं और हम उनका हर कोने पर मुकाबला करेंगे।

सलाउद्दीन साहब जब बोल रहे थे, तो मैं उन्हीं के शहर के एक शायर मखदूम मोहिउद्दीन की जबान में कुछ अशार उनको याद दिलाऊं अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : हो जाए।

श्री अजीज कुरेशी : अध्यक्ष महोदय, मखदूम ने, एक अजीम शायर ने कहा था कि—

चांद के तारों के मातम की सदा
रात के माथे पर आजुदा सितारों का हुजूम
सिर्फ खुरशीदे दरखशां के निकलने तक है
रात के पास अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है।

जो रात का अंधेरा है, जिसको ओवेसी साहब और उनके जो साथी यहां सदन में हैं, वे उसको फैलाना चाहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे का सिरा फिरकर उन नए खुरशीदे दरख्शां का, जो राजीव गांधी की सरकार इस देश में लाना चाहती है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उनकी खिदमत में, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कल हमारे गृह मन्त्री जी ने घोषणा की और सरकार ने जो ऐलान कि बाबरी मस्जिद को गिराने की या मन्दिर बनाने की बात जो की जाती है, उनके बारे में सरकार ने अपनी नीति का ऐलान किया। अभी एक और बात कही गई मंदिर को बनाने के बारे में। मैं कोई काजी नहीं हूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, मैं कोई मुल्ला नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत धर्म के मामले में जो मेरी जानकारी है उनके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि इस्लाम का बुनियादी अकीदा है कि जो मस्जिद किसी दूसरी इबादतगाह को गिराकर बनाई गई हो या उस जमीन पर बनाई गई हो जिस पर नाजायज कब्जा किया हो, जिस पर किसी का दिल दुखाकर और जबर्दस्ती कब्जा किया गया हो, उस जमीन पर यदि मस्जिद बनाई गई हो, तो वह सिजदा करने लायक नहीं है। उस मस्जिद में सिजदा करना नाजायज है, हराम है। यह इस्लाम का एलान है। इसलिए अगर वह झगड़ा मस्जिद का है और अगर कोर्ट के अंदर वह दस्तावेज, तारीख, आर्कलॉजी, इतिहास, ट्रेडीशंस कन्वेंशंस, किसी तरह से यह साबित हो जाए, अगर मस्जिद किसी मन्दिर को गिराकर बनाई गई है तो मैं एक मुसलमान की हैसियत से कहता हूं कि उस मस्जिद को फौरन गिरा देना चाहिए। लेकिन इस बात को साबित करना होगा कि वह मस्जिद वाकई किसी मन्दिर को गिराकर बनाई गई है, इस बात का सबूत देना होगा और इसके सबूत के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा जिम्मेदार जगह कोई और नहीं हो सकती। इस सिलसिले में मैं गृह मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा और उनसे उसका स्पष्टीकरण जानने की भी दरख्वास्त करूंगा, वह यह है कि अगले 8 और 9 नवंबर को आपने यह तय कर दिया कि आप इन्तजाम करेंगे कि मस्जिद गिराई नहीं जाएगी। केवल एक बात पूछना चाहूंगा कि अगले 8 और 9 नवम्बर को अगर विश्व हिन्दू परिषद उस स्थान पर अपने पुराने नक्शे के तौर पर, बुनियादी तौर पर किसी इमारत की बिल्डिंग की फाउंडेशन रखना चाहेंगे तो इस बारे में आप क्या करने वाले हैं? मैं अर्ज करना चाहूंगा कि या तो विश्व हिन्दू परिषद अपने उस पुराने नक्शे में परिवर्तन लाए जिसको आप मंजूरी दें, पुराने नक्शे में परिवर्तन का मेरा मतलब है कि बाबरी मस्जिद के मौजूदा ढांचे को बिना असर डाले अगर मन्दिर बनता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर बाबरी मस्जिद के ऐनजिसटिंग स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीली करके कुछ करने का उनका प्लान है तो उसे उस समय तक रोकना चाहिए जब तक कि हाईकोर्ट का फैसला नहीं होता, तब तक उसके मौजूदा प्लान पर कोई कार्यवाही करने की इजाजत आपको नहीं देनी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष जी, जहां और बहुत-सी बातें कही गईं, जहां और लोगों ने बहुत-सी बातें कहीं, मैं इस संबंध में इस मुल्क के बुजुर्ग नेता आदरणीय श्री कमलापति त्रिपाठी जी के प्रति अपनी श्रद्धा के फूल उनके चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। जो घोषणा उन्होंने की, तो ऐलान उन्होंने किया, मेरा ख्याल है कि भविष्य में मुसतकबिल का मोहरिज जब उनका जिक्र करेगा उनका नाम हमेशा भारत की तारीख में जगमगाता रहेगा और इतिहास जब पंडित त्रिपाठी का नाम लिखेगा तो उस मोहरिख की जबी जगमगा

उठेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं यहां उनको अपनी दिली खराजे अकीदत पेश करता हूं। साथ-साथ उन लोगों की सराहना भी करता हूं जिन्होंने इन मसले के ऊपर सैकुलर भारत के सैकुलर किरदार का झंडा उठाया। अध्यक्ष जी, बड़ी नाशुक्रगुजारी होगी एहसान फरामोशी होगी अगर मैं अपने होम-मिनिस्टर जनाब बूटा सिंह को भी अपनी दिली खराजे अकीदत पेश न करूं। पिछले 6 महीने से और उससे पहले से जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है, जिस तरह से इन्होंने परिश्रम किया है और जिस तरह से मामले को हल करने की कोशिश की है, मैं उनके प्रति भी पूरी-पूरी खराजे अकीदत पेश करता हूं और साथ-साथ उनसे मांग करता हूं कि 9 तारीख को ऑल इण्डिया कांग्रेस में जो नारा किया गया, प्रस्ताव किया गया कि भारत में 15 अगस्त, 1947 को जो हैरत थी मन्दिर, मस्जिद. गुरुद्वारे की, उसको कायम रखा जाए, उस हैसियत को बनाए रखा जाए, सरकार इस तरफ भी कार्यवाही करे। मेरा ख्याल है कि सरकार इस पर और ध्यान देगी।

दूसरी बात उर्दू के बारे में बोलना चाहूंगा। उर्दू के बारे में जहां यह कहा गया कि उर्दू किसी एक फिरके की जबान है, उर्दू मुसलमानों की जबान है, इससे गुमराहकुन बात शायद दूसरी नहीं हो सकती। उर्दू सबकी जबान है और इस सिलसिले में बहुत खुशी की बात है कि भारत में हिन्दी के बड़े-बड़े विद्वान्, पत्रकार, शायर, कवि आगे आए और हाल ही के झगड़े में उर्दू को यू० पी० के अन्दर दूसरी भाषा बनाने का जो इरादा किया, वह सराहनीय है। इस संबंध में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जनाब कमलेश्वर, जनाब रघुबीर सहाय, इन्दर मलहोत्रा, राजेन्द्र माथुर को। इन लोगों ने यह कहा कि उर्दू गंगा जमना की जबान है। इसको भारत के मुसलमान की जबान कहना सरासर नाइंसाफी है। चन्दन मित्रा साहब ने अपने अंग्रेजी के एक आर्टिकल में यह भी कहा कि मुसलमान तनहा उर्दू को परवान चढ़ाना तो दूर की बात है, उर्दू को सुरक्षित भी नहीं रख सकते थे। अगर हिन्दू उर्दू की तरफ से अपनी तंग-मिजाजी को खत्म नहीं करेंगे तो अन्जाम-कार बड़े नुकसान में रहेंगे।

इसी तरह मैं चाहूंगा जनाब राजेन्द्र माथुर के एडीटोरियल को कोट करना, जो उन्होंने नव-भारत टाइम्स में लिखा था—

> "उर्दू दरअसल दो महान संस्कृतियों के मेल से उपजी लोक-भाषा है और सच तो यह कि आज जो खड़ी हिन्दी बोली और लिखी जाती है, वह उर्दू के बिना संभव ही नहीं थी, उर्दू को किसी वर्ग विशेष के साथ जोड़ना तो एक षड्यन्त्र है क्योंकि प्रेमचन्द, फिराक गोरख-पुरी से लेकर कृष्णचन्द्र बेदी वगैरह जैसे साहित्यकार हिन्दू होते हुए भी आधुनिक उर्दू के निर्माताओं में गिने जाते हैं।"

मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यह भाषा जिसने "इन्कलाब जिन्दाबाद" का नारा दुनिया को दिया था, भाषा जो भगत सिंह की भाषा थी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक-उल्ला की भाषा थी, उस भाषा को किसी एक फिरके से जोड़ना नाइन्साफी है और ज्यादती है। मेरे ख्याल से जो लोग सियासी हथकंडे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वह इसकी तरफ सोचेंगे और सही रास्ते पर आने की कोशिश करेंगे।

राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बारे में बहुत से लोगों को मालूम है, और शायद इन

लोगों को मालूम नहीं हो कि सरदार पटेल की कौरस्पौंडेंस की सैकिंड वोल्यूम में दो लैटर्स थे। एक लैटर है, उस वक्त के यू० पी० के मुख्य मन्त्री आदरणीय स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंथ का और दूसरा है आदरणीय स्वर्गीय पटेल साहब का। मेरा ख्याल है उन दोनों पत्रों को निकाल कर उनका उर्दू में और दूसरी भाषाओं में अनुवाद करवाकर उसको बांटा जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि यू० पी० के मुख्य मन्त्री और भारत सरकार के गृह मन्त्री यह दृढ़ निश्चय लिए हुए थे कि इस मसले को सियासी मसला नहीं बनने देंगे। बल्कि इस मसले का मुन्सिफाना हल निकाल कर रहेंगे। शायद अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों की आंखें खुल जाएं।

अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, लेकिन मैं आखिर में फिर इस सदन के माध्यम से भारत की तमाम लैफ्टिस्ट फोर्सेस और तरक्की पसन्द ताकतों को आगाह करना चाहूंगा कि उन्हें कन्धे से कन्धा मिलाकर और अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े तो उसे बहाना पड़ेगा, तभी हम जाकर इस फिरकापरस्ती का मुकाबला कर पायेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में तरक्की पसन्द समाज के कयाम के लिए उनको आगे आना होगा, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न करनी पड़े।

इस सदन के माध्यम के एक बार फिर मैं उर्दू शायर मकदूम की जबान में कहना चाहूंगा—

हम दमों आगे बढ़ो, सुए मंजिल चलो,
मंजिलें प्यार की, मंजिलें दार की।
कुएं दिलदार की मंजिलें,
दोष पर अपनी-अपनी सलीबें उठाए चलो।

[شری عزیز قریشی (ستنا) : مانئے اپادھیکش مہودے۔ سامپردائکتا کے وشئے میں سدن میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے میں انہیں باتوں کو دوہرا کر سدن کا سمے نشٹ نہیں کرونگا۔ میں مولانا آزاد کے اس بھاشن سے شروع کرنا چاہوں گا ان کے کچھ جملے سدن میں پیش کرنا چاہوں گا جو رام گڑھ کانگریس سیشن میں اپنے ادھیکشیہ بھاشن میں انہوں نے کہے تھے:

"Save the Hindus from Muslims says one group. Save Islam Hinduism, says another. When order of the day is to protect Hindus and protect Muslims, who cares about protecting the Nation ?

The Press and platforms are busy fanning bigetry and obscurantism, while duped and ignorant public is shedding blood on the streets..."

اپادھیکش جی مولانا آزاد کے ان شبدوں کو جب بھی میں دہرا رہا ہوں تو میرے سامنے بھارت میں پھیلی ہوئی جو سامپردایکتا ہے فرقہ پرستی ہے جس کے بارے میں ہم آج سدن میں وچار کر رہے ہیں وہ آجاتی ہے۔ میں کہنا چاہونگا کہ یہ سامپردایکتا جھگڑے کیول دھارمک سمسیا یا مذہبی مسئلے نہیں ہیں۔ دراصل واستوک روپ میں یہ جھگڑے ہمارے دیش کی ملک کی ان تمام پروگریسیو پرگتی شیلی اور لیفٹسٹ فورسیز کے لئے ان طاقتوں کیلئے ایک چیلنج ہیں جو بھارت کو ایک سامپردایکتا وہین اور پرگتی شیل راشٹر بنانا چاہتی ہیں اور اس کے لئے وچن بدھ ہیں۔

اپادھیکش جی آج بھی دیش میں بھوکے لوگ ہیں بے روزگاری ہے دکھ تکلیف ہے۔ ہزاروں لوگ آج بھی غریبی ریکھا سے نیچے رہ رہے ہیں۔ آج بھی لاکھوں بچوں کو اس دیش میں دودھ کی ایک بوند تک نہیں مل پاتی۔ ابھی اس دیش میں لاکھوں بے روزگار ہیں۔ آج بھی اتیاچار اور مانیہ سے شوشن ہوتا ہے غریبوں کا مزدوروں کا اور کسانوں کا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ان تمام اتیاچاروں سے لڑنے کے لئے ان تمام شوشن کا مقابلہ کرنے کے لئے نہ کہیں کوئی مورچہ لگایا جاتا ہے نہ کہیں کوئی آواز اٹھائی جاتی ہے نہ کہیں گھوشنائیں ہوتی ہیں اور دیکھا جائے تو واستوک روپ سے یہ ہماری آرتھک یا سوشیو اکانومک سمسیا ہے۔ جب تک ہم اس سمسیا کو حل نہیں کریں گے اس دیش سے سامپردایکتا کا توڑش سماپت نہیں ہو سکتا۔

اپادھیکش جی مانیئے گرہ منتری جی سے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں انہوں نے جو گھوشنا کی تھی کہ پرتیک ضلع کے ادھیکاری کو کلیکٹرس کو اور ایم ایس پی میز کو یہ وارننگ دی گئی ہے آدیش دئے گئے ہیں سرکار کی اور سے سرکیولر اشو کیا گیا ہے کہ اگر ان کے اپنے علاقے میں سامپردایک دنگے ہوں گے تو ان کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی۔ ابھی حال ہی میں جو دنگے ہوئے دنگے ہو نہیں پائیں یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ دنگے ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا ہے لیکن دنگے ایک بار ہو جائے تو اس دنگے پر کنٹرول کرنا ضرور ضلع پرشاسن کا بنیادی کرتویہ ہے اور یدی وہ ضلع پرشاسن اس دنگے کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے تو میں چاہوں گا کہ گرہ منتری اور بھارت سرکار ان لوگوں کے خلاف کڑی کارروائی کرے اور اس سمبندھ میں میں چاہوں گا کہ سرکار اس دیش کو یہ جانکاری دے کہ دنگے ہونے کے بعد جہاں جہاں کرفیو لگایا گیا جہاں جہاں پولیس تعینات کی گئی جہاں جہاں سرکشا دل تعینات کئے گئے وہاں اگر گھر جلے تو کیا کارن تھا اگر لوگ مارے گئے تو کیا کارن تھا اگر ٹرینیں

19 36 hrs [Mr. Speake rin the Chair]

روک کر ہتیا کانڈ کیا گیا تو کیا کارن تھا؟

ادھیکش مہودے کبھی ہماری پولیس اور ہماری فورسیز ناکام رہیں ۔ سرکار اس طرف دھیان دے ۔ اگر ان لوگوں نے لاپرواہی کی ہے نکماپن کیا ہے تو اس کے خلاف سرکار کارروائی کرے ۔ اس بات کی مانگ میں اس سدن میں کرنا چاہوں گا ۔ مہودے ابھی کل کی ہی بات ہے ۔ ہمارے اس مانیئے سدن کے ایک مانیئے سدسیے جناب صلاح الدین اویسی نے جو کہا کہ چالیس سال میں بھارت میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا جتنا عراق ایران کی لڑائی میں بھی نہیں بہایا گیا ہے ۔ بہت دُربھاگیہ کی بات تھی گمراہ کرنے والی بات تھی بدقسمتی تھی جبکا سدن کے تمام حصوں نے وِرودھ کیا اور مانیئے گرہ منتری جی نے اس کا اسپشٹی کرن بھی دیا ۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید صلاح الدین صاحب بھول گئے بھول گئے اور انہوں نے اس خون میں ان تمام خون کو شامل کیا ہوگا جو رضاکاروں کے زمانے میں معصوم انسانوں کا بہایا گیا ۔ رضاکاروں کی حفاظت کیلئے معصوم انسانوں کو لڑاکر جو خون بہایا گیا شاید اس خون کی یاد انہیں ہو ۔ جب وہ بول رہے تھے تو میں ان سے کہنا چاہ رہا تھا کہ مانیئے اویسی صاحب بھارت کے مسلمان اب آپ کی ان چند جذباتی باتوں سے گمراہ ہونے والے نہیں ہیں ۔ دربھاگیہ کی بات ہے کہ ان کے نام پر اس سدن میں چُن کر آپ آتے ہیں ۔ اگر اس ہندوستانی فرقہ پرستی کی ذمہ داری اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں کیول ایک مذہب پر ایک طبقے پر جو بھارت میں ایک بہومت میں ہے اکثریت میں ہے یہ بات چلنے والی نہیں ہے ۔ اس کے لئے ہمیں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا ہوگا اور خاص طور سے ان مسلم لوگوں کو جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یکایک قائد اعظم بن جائے میں ان کو چیتاونی دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمان اُن کے لیڈرشپ کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ہم ان کو ہر کونے پر مقابلہ کریں گے ۔

صلاح الدین صاحب جب بول رہے تھے تو میں انہیں کے شہر کے ایک شاعر مخدوم محی الدین کی زبان میں کچھ اشعار انکو یاد دلا دوں ادھیکش مہودے ۔

ادھیکش مہودے : ہو جائے ۔

جناب عزیز قریشی : ادھیکش مہودے مخدوم نے ایک عظیم شاعر نے کہا تھا کہ :

"چاند کے تاروں کے ماتم کی صدا
رات ماتھے پر آزردہ ستاروں کا ہجوم
صرف خورشیدِ درخشاں کے نکلنے تک ہے
رات کے پاس اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں"

جو رات کا اندھیرا ہے جسکو اویسی صاحب اور ان کے جو ساتھی یہاں سدن میں ہیں وہ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں لیکن رات کے اندھیرے کا سرا پھر کر اس نے خورشید درخشاں کا جو راجیو گاندھی کی سرکار اس دیش میں لانا چاہتی ہے اُسے کوئی نہیں روک پائے گا ۔ ان کی خدمت میں مَیں یہ عرض کرنا چاہوں گا۔

ادھیکش مہودے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا ۔ کل ہمارے گرہ منتری نے گھوشنا کی اور سرکار نے جو اعلان کیا کہ بابری مسجد کو گرانے کی یا مندر بنانے کی بات جو کی جاتی ہے اس کے بارے میں سرکار نے اپنی نیتی کا اعلان کیا ۔ ابھی ایک اور بات کہی گئی مندر کو بنانے کے بارے میں ۔ میں کوئی قاضی نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی مُلّا نہیں ہوں لیکن تھوڑی بہت دھرم کے معاملے میں جو میری جانکاری ہے اس کے آدھار پر میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جو مسجد کسی دوسری عبادت گاہ کو گرا کر بنائی گئی ہو یا اس زمین پر بنائی گئی ہو جس پر ناجائز قبضہ کیا ہو جس پر کسی کا دل دُکھا کر زور زبردستی قبضہ کیا گیا ہو اس زمین پر اگر مسجد بنائی گئی ہو تو وہ سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے ۔ اس مسجد میں سجدہ کرنا ناجائز ہے حرام ہے یہ اسلام کا اعلان ہے ۔ اس لئے اگر وہ جھگڑا مسجد کا ہے اور اگر کورٹ کے اندر وہ دستاویز تاریخ آرکیولوجی ایتہاس ٹریڈیشنس کنوینشن کسی طرح سے یہ ثابت ہو جائے ۔ اگر مسجد کسی مندر کو گرا کر بنائی گئی ہے تو میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اس مسجد کو فوراً گرا دینا چاہیئے ۔ لیکن اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مسجد واقعی کسی مندر کو گرا کر بنائی گئی ہے اس بات کا ثبوت دینا ہوگا اور اس کے ثبوت کے لئے میرے خیال سے ہائی کورٹ سے زیادہ ذمہ دار جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی ۔ اس سلسلے میں مَیں گرہ منتری جی سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا اور ان سے اس کا اسپشٹی کرن بھی جاننے کی درخواست کروں گا وہ یہ ہے کہ اگلے آٹھ اور نو نومبر کو

اگر وشو ہندو پریشد اس استھان پر اپنے پرانے نقشے کے طور پر بنیادی طور پر کسی عمارت کی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن رکھنا چاہیں گے تو اس بارے میں آپ کیا کہنے والے ہیں ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یا تو وشو ہندو پریشد اپنے اس پرانے نقشے میں تبدیلی لائے جسکو آپ منظوری دیں پرانے نقشے میں تبدیلی کا میرا مطلب ہے کہ بابری مسجد کی موجودہ ڈھانچے کو بنا اثر ڈالے اگر مندر بنتا ہے تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں کوئی اسکو روک نہیں سکتا ۔ لیکن اگر بابری مسجد کے ایڈجسٹمنٹ اسٹرکچر میں کچھ تبدیلی کر کے کچھ کرنے کا پلان ہے تو اُسے اس سمے تک روکنا چاہیئے جب تک کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اس کے موجودہ پلان پر کوئی کارروائی نہیں کرنے کی اجازت آپکو نہیں دینی چاہیئے یہ میرا آپ سے نویدن ہے ۔

ادھیکش جی جہاں اور بہت سی باتیں کہی گئیں جہاں اور لوگوں نے بہت سی باتیں کہیں میں اس سمبندھ میں اس ملک کے بزرگ نیتا آدرنیئے شری کملاپتی ترپاٹھی جی کے پرتی اپنی شردھا کے پھول ان کے چرنوں میں ارپت کرنا چاہوں گا ۔ جو گھوشنا انہوں نے کی جو اعلان انہوں نے کیا ۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیئے میں مستقبل کا مورخ جب انکا ذکر کرے گا ان کا نام ہمیشہ بھارت کی تاریخ میں جگمگاتا رہے گا اور اتہاس جب پنڈت ترپاٹھی کا نام رکھے گا تو اس مورخ کی جیبھ جگمگا اٹھے گی ایسا میرا خیال ہے ۔ میں یہاں انکو اپنی دلی خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں ۔ ساتھ ساتھ ان لوگوں کی سراہنا بھی کرتا ہوں جنہوں نے اس مسئلے کے اور سیکولر بھارت کے سیکولر کردار کا جھنڈا اُٹھایا ۔ ادھیکش جی بڑی ناشکری ہوگی احسان فراموشی ہوگی اگر میں اپنے ہوم منسٹر جناب بوٹا سنگھ کو بھی اپنی دلی خراجِ عقیدت نہیں پیش کروں ۔ پچھلے چھ مہینے سے اور اس سے پہلے سے جس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے جس سے انہوں نے پرشرم کیا ہے اور جس طرح سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے میں اُن کے پرتی بھی پوری پوری خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان سے مانگ کرتا ہوں کہ تو تاریخ کو آل انڈیا کانفرنس میں جو نعرہ کیا گیا پرستاؤ کیا گیا کہ بھارت میں ۱۵ اگست ۱۹۴۷ کو جو حیثیت تھی مندر مسجد گوردوارے کی اسکو قائم رکھا جائے اس حیثیت کو بنائے رکھا جائے سرکار اس طرح بھی کارروائی کرے ۔ میرا خیال ہے کہ سرکار اسپر اور دھیان دے گی ۔

دوسری بات اردو کے بارے میں بولنا چاہوں گا۔ اردو کے بارے میں جہاں یہ کہا گیا کہ اردو کسی ایک فرقہ کی زبان ہے اردو مسلمانوں کی زبان ہے اس سے گمراہ کن بات شاید دوسری نہیں ہو سکتی۔ اردو سب کی زبان ہے اور اس سلسلے میں بہت خوبی کی بات ہے کہ بھارت میں ہندی کے بڑے بڑے ودوان نثر کار شاعر کوی آگے آئے اور حال ہی میں ... میں اردو کو یو۔پی کے اندر دوسری بھاشا بنانے کا جو اعلان کیا وہ سراہنیہ ہے اس سمبندھ میں میں دھنیہ واد دینا چاہوں گا جناب کملیشور جناب رگھوبیر سہائے اندر ملہوترا اور راجیندر ماتھر کو۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اردو گنگا جمنی زبان ہے۔ اسکو بھارت کے مسلمان کی زبان کہنا سراسر ناانصافی ہے۔ چندن مترا صاحب نے اپنے انگریزی کے ایک آرٹیکل میں یہ بھی کہا کہ مسلمان تنہا اردو کو پروان چڑھانا تو دور کی بات ہے اردو کو سر گزشت بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اگر ہندو' اردو کی طرف سے اپنی تنگ مزاجی کو ختم نہیں کریں گے تو انجام کار بڑے نقصان میں رہیں گے۔

اسطرح میں چاہونگا جناب راجیندر ماتھر کے ایڈیٹوریل کو کوٹ کرنا جو انہوں نے نو بھارت ٹائمز میں لکھا تھا۔

"اردو دراصل دو مہان سنسکرتیوں کے میل سے اپجی لوک بھاشا ہے
اور سچ تو یہ ہے کہ آج جو کھڑی ہندی بولی اور لکھی جاتی ہے وہ اردو
کے بنا سمبھو ہی نہیں تھی اردو کو کسی ورگ وشیش کے ساتھ جوڑنا
شرنتر ہے کیوں کہ پریم چند فراق گورکھپوری سے لے کر کرشن چندر بیدی وغیرہ
جیسے ساہتیہ کار ہندو ہوتے ہوئے بھی آدھونک اردو کے نرماتاؤں میں گنے جاتے ہیں"۔

میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بھاشا جس نے "انقلاب زندہ باد" کا نعرہ دنیا کو دیا تھا یہ بھاشا جو بھارت ... کی بھاشا تھی رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ کی بھاشا تھی اس بھاشا کو کسی ایک فرقہ سے جوڑنا ناانصافی ہے اور زیادتی ہے۔ میرے خیال سے جو لوگ سیاسی ہتھکنڈے لئے اس کا استعمال کر رہے ہیں وہ اس کی طرف سوچیں گے اور صحیح راستہ پر آنے کی کوشش کریں گے۔

رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے بارے میں بہت سے لوگوں کو معلوم ہے اور شاید ان لوگوں کو معلوم نہیں ہو کہ سردار پٹیل کی کارسپونڈینس کی سیکنڈ والیوم میں دو لیٹرس تھے ۔ ایک لیٹر ہے اس وقت کے یو۔پی کے مکھیہ منتری آدرنیہ پٹیل صاحب کا ۔ میرا خیال ہے ان دونوں پتروں کو نکال کر ان کا اردو میں اور دوسری بھاشاؤں میں انوواد کروا کر اس کو بانٹا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یو پی کے مکھیہ منتری اور بھارت سرکار کے گرہ منتری یہ درڑھ نشچے لئے ہوئے تھے کہ اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بننے دینگے بلکہ اس مسئلے کا ایک منصفانہ حل نکال کر رہیں گے شاید اگر ایسا ہو تو میرے خیال سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں ۔

ادھیکش جی میں آپ کا آبھاری ہوں کہ آپ نے مجھے سمے دیا لیکن میں آخر میں پھر اس سدن 1
کے مادھیم سے بھارت کی تمام لیفٹسٹ فورسیز اور ترقی پسند طاقتوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ انہیں کندھے سے کندھا ملا کر اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑے تو اسے بہانا پڑے گا تبھی ہم جا کر اس فرقہ پرستی کا مقابلہ کر ئیں گے ۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اس ملک میں ترقی پسند سماج کے قیام کے لئے انکو آگے آنا ہوگا چاہے اس کے لئے ہمیں کتنی بھی بڑی قربانی کیوں نہ کرنی پڑے ۔

اس سدن کے مادھیم سے ایک بات پھر میں اردو شاعر مخدوم کی زبان میں کہنا چاہوں گا ۔ ۔

ہمدمو آگے بڑھو سوئے منزل چلو
منزلیں پیار کی منزلیں دار کی
کوئے دلدار کی منزلیں
دوش پر اپنی اپنی صلیبیں اٹھائے چلو ۔

تھینک یو ویری مچ ۔]

अध्यक्ष महोदय : आपके शेर को सुनकर एक शेर मुझे भी याद आ गया।

यह रिश्ता है दीवारों दर,
तेरा भी है मेरा भी है।
मत गिराओ इस घर को,

यह घर तेरा भी है, मेरा भी है ।
क्यों आपस में लड़ें हम,
एक-एक संगे मील पर,
इसमें नुकसाने सफर तेरा भी है, मेरा भी है ।
खा गई कल जिनको फसादों की सलीब,
उनमें एक नूरे नजर तेरा भी है, मेरा भी है ।

तो सारी बात यह है,

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : आप तो छिपे रुस्तम हैं ।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) रुस्तम तो आप हैं, वातिन भी हैं, जाहिर भी हैं ।

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : मैं भी एक शेर कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अयूब साहब, आपके दिल में जो जजबात हैं, वलबले उठ रहे हैं, हम आपको भी मौका देते हैं । लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हर बार हमने इस सदन में इस मसले पर बसह की है । मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि बाहर इसका असर क्यों नहीं होता । कैसे लोग इस दुनिया में पैदा हो गए हैं जो इस तरीके की इंसानियत से गिरी हुई हरकतें करते हैं, जो धर्म के नाम पर इन्सान-इन्सान को बांटते हैं और खुद कुछ ऐसी जमायतों में रहते हुए इस बात का प्रचार करते हैं कि हम धर्म के नाम पर यह करते हैं, फिर कहते हैं कि दूसरे लोगों कम्युनलिज्म फैलाते हैं, फिरका-परस्ती फैलाते हैं । उन्होंने अपनी आस्तीन में क्या छिपा रखा है, अपनी गर्दन के नीचे झांक कर क्यों नहीं देखते कि क्या हो रहा है । यह हिन्दुस्तान भारत हमारा है और इसको जिन्दा रखना मजबूत रखना हमारा फर्ज है, ओब्वलीन इसको हम कह सकते हैं । कल जाकर किसको उलाहना देंगे ? क्यों नहीं भगत सिंह को, अशफाक उल्लाह को, मदन लाल ढ़ींगरे को, उधम सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, चन्द्रशेखर आजाद को याद करते जिन्होंने सारी चीजें सब कुछ छोड़ कर लुटा दिया अपनी जवानी को और जिन्दगी को और चढ़ गए फांसी के फंदे पर हंसते हुए कि आजादी की सांस ले सकें, जिन्दा रह सकें आजादी के साथ । क्या उनकी दी हुई विरासत को यूं ही गंवा देंगे इस तरीके से लड़ कर, क्या हमारे पास इतनी सोचने की शक्ति नहीं है ? क्या हो गया है हमारी सोच को ? क्या-क्या हम कर रहे हैं ? किस तरह हम लड़ते जा रहे हैं ? भगवान इनको सम्मति दे । यह सोचें कि हमारा फर्ज इस तरीके से है । जो उन्होंने लेकर दिया है, उस विरासत को हम कायम रखें, उसको और ऊंचा करें तो बात बनती है । पंजाबी में जैसे कि कहावत है, बूटा सिंह जी, आपको याद होगा "सुरमा पाना तो सौखा है, लेकिन टम्काना बड़ा औखा है" आजादी लेना तो शायद इतना दुश्वार नहीं हुआ होगा जितना कि इस आजादी को कायम रखना । आपको कुछ जोरदार काम करना पड़ेगा तभी कुछ बात बन पायेगी । हमें यह सोचना चाहिए कि वक्त यह पुकार करता है कि थोड़ा-सा इन्सानियत को याद करके और ऊपर वाले को याद करके इन्सान से इन्सान प्यार करे । जीने के लिए बनी जिन्दगी जीने के लिए बनी है, नुकसान करने के लिए नहीं बनी है । भाई-भाई आपस में मिलकर रहें । महात्मा गांधी ने इस देश में यह बात कुछ जंचती नहीं है । 40 साल में यह में यह बात हम भूल कैसे गए । भूल कितनी छोटी सी होती है बूटा सिंह जी, जिन्दगी के उतार चढ़ाव हमने वहां देखे हैं, इन्सान को बहशी होते देखा है । 40 वर्ष में उसी करार पर हम पहुंच गए हैं । इन्सान कहता है कि मैं खुदा का बनाया हुआ सबसे बढ़िया आला हूं, दानेश्वर हूं, दानिशमंद हूं, सोच वाला हूं, होश वाला हूं, होश गंवा कर हम किधर जा रहे हैं । यह

सोचने की सारी बातें हैं। मैं समझता हूं कि आपकी आवाज उन लोगों तक पहुंचेगी। राम और खुदा हर दिल में, हर घर में और हर दिलो-दिमाग में बसता है। किसी के कहने से किसी को बचा नहीं सकते हैं। अगर हम किसी को बचाने की कोशिश करते हैं तो हम बेवकूफ हैं। भगवान हमें बचा ले तो शुक्र है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कुछ न रहेगा।

[अनुवाद]

हमें इस पर विचार करना चाहिए। सोच कर काम करें। आज जो अपील सारे हाऊस की तरफ से मैं करना चाहता हूं यह सोच कर कि वह लोगों के दिल को छू जाये, इन्सानियत भी जागे, देशप्रेम भी जागे, देशभक्ति भी जागे। यह जो देश मेरा है, हमारा है, सबका है, इसको कायम रखने के लिए भाईचारा, साम्प्रदायिक सहानुभूति कायम रखना बहुत जरूरी है।

इन शब्दों के साथ आप सब मैंबरान का बहुत शुक्रिया करता हूं। पहले अयूब साहब से एक शेर सुनूंगा फिर बूटा सिंह जी से अर्ज करूंगा कि वह जवाब दें।

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : अपने वतन को मुखातिब करके मैं कहता हूं कि

"फिर तेरे हसीनों को जरूरत है हिना की,
बाकी है अभी रंग मेरे खूने जिगर में।"

अध्यक्ष महोदय : "क्या खूब रंग बदला है जमाने का,
अपने अपनों पर बार करते हैं,
पहले मरते थे यार यारों पर,
अब यारों से यार मरते हैं।"

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : परम आदरणीय अध्यक्ष जी,

[अनुवाद]

"साम्प्रदायिकता हमारे राष्ट्र पर एक धब्बा है। इससे बेलगाम भावनाएं भड़ककर आग में बदल जाती हैं। इसको बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और इसके लिए केवल प्रशासनिक उपायों की आवश्यकता ही नहीं परन्तु उन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास चाहिए जिनके हृदय में हमारे देश के प्रति वास्तविक प्यार है। भारत केवल धरती का एक टुकड़ा नहीं है। भारत सहनशीलता, करुणा, सहानुभूति का प्रतीक है। भारत एकता में अनेकता में विश्वास करता है।"

[हिन्दी]

ये शब्द उस महान आत्मा के हैं, ये शब्द उस देश की महान देवी के हैं, जिसने अपने सुभग शरीर के खून का आखिरी कतरा अपने देश की से । में बहा दिया। मेरा भाव श्रीमती इन्दरा गांधी जी से है, उन्होंने सदन में बोलते हुए यह शब्द कहे थे, पहली मार्च, 1984 को। आज हमें फिर इन शब्दों को दोहराने की जरूरत है। जब हम इस पृष्ठभूमि में अपने देश के ऊपर नजर डालते हैं तो वर्तमान में जो हो रहा है, आज हमारे देश में जो हो रहा है, इससे पता चलता है कि हम कितने दूर आ चुके हैं, अपनी श्रद्धेय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से, हमने कितना भुला दिया है अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। आज हमारे देश की राजनैतिक, सामाजिक हालत यह हो चुकी है कि ऐसी शक्तियां पैदा हो चुकी हैं, जो सन् 1947 के घिनौने फसादात को, उन हालात को फिर से हमारे देश में

दोहराना चाहती हैं, मन्सूबाबन्दी के साथ करना चाहती हैं। आज फिर से हमारे सैकुलरिज्म को चुनौती हुई है। मुझे याद है, जब 1977 में जनता पार्टी की हुकूमत बनी थी, तब हमारे देश के, जो राष्ट्र के माने हुए उसूल हैं जो हमारे बुनियादी सिद्धांत हैं, उनको चुनौती दी गई थी और नए-नए सिद्धान्तों के नाम रखे गए थे। हमारे नॉन एलाइनमैंट को जैनुइन नॉन एलाइनमैंट करने की कोशिश की गई थी। मैं उसी को आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जो नॉन एलाइनमैंट पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस विश्व की शांति के लिए जारी किया था, उसको सन् 1977 में कहा था कि वह जैनुइन नहीं था, उसको जैनुइन बनाने की कोशिश की, फिर लोगों ने, जिन्होंने हमारे देश की अन्तर्राष्ट्रीय नीति, जो विश्व की एक मानी हुई नीति थी, उसको चुनौती दी और उन शक्तियों को, जो कि आज भी जातिवाद के नाम से, रंगभेद के नाम से दुनिया में गुलामी की जंजीरें पक्की कर रही हैं, उन लोगों को न्यौता देकर इस देश में बुलावा था और वह चाहते थे कि हमारे देश के नॉन एलाइनमैंट को जैनुइन नॉन एलाइनमैंट का नाम दिया जाए।

अभी-अभी कल की बात है, बम्बई में बी० जे० पी० का अधिवेशन हुआ और उसमें उन्होंने वह दूसरा नारा कायम किया है, हमारे सैकुलरिज्म को वह पौजिटिव सैकुलरिज्म कहते हैं। वे कहते हैं कि आज तक का जो सैकुलरिज्म है, जो महात्मा गांधी जी के आदेशों से पैदा हुआ था, जिस सैकुलरिज्म को कायम करने के लिए हमारे देश की कांस्टीटुएण्ट असेंबली में हमारे पुरखों ने, हमारे देश की महान विभूतियों ने, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश सेवा में लगाया था, तीन साल सात महीने बहस करके इस बात पर वह आए थे कि हिन्दुस्तान की आजादी बरकरार तभी रखी जा सकती है, जिसका उल्लेख आपने अभी-अभी किया है और हिन्दुस्तान की आजादी की एक ही गारण्टी है और वह गारण्टी है कि यहां जम्हूरियत हो और उस जम्हूरियत की बुनियाद सैकुलरिज्म हो। आज उस सैकुलरिज्म को पोजिटिव करने की कोशिश की जा रही है। यह पोजिटिव शब्द बहुत खतरनाक है।

8.09 म० प०

इसके मायने हमें डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, इसका मायना हमें मिलेगा शिव सैना के बालठक्करे की भाषा से, जिन्होंने हमारी सैक्युलरिज्म को चुनौती दी। जो केवल अकलियतों के ही दुश्मन नहीं हैं, अकलियत में केवल मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, हर एक अकलियत के वे दुश्मन हैं। वे सिक्ख अकलियत के दुश्मन हैं, ईसाई अकलियत के दुश्मन हैं और जितनी भी अकलियत इस देश में हैं उन सब के दुश्मन हैं। वे हरिजनों के खिलाफ हैं। अभी-अभी डेढ़-दो साल पहले की बात है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा किया गया, डा० बाबा साहिब अम्बेडकर की छपी हुई पुस्तक के बारे में। वे किस तरह की सैक्युलरिज्म चाहते हैं, जिसको वे पौजिटिव सैक्युलरिज्म कहते हैं, जिसका बाबा बी० जे० पी० ने दिया है और हमारी राष्ट्रीय नीति में उसको घुसेड़ दिया है, जिसका प्रवेश कर दिया गया है। मैं बालठाक्करे के बारे में एक आर्टिकल पढ़ना चाहता हूं, जो कि दो-तीन पैराग्राफ का है, मैं जल्दी से उसको पढ़कर बताऊंगा कि क्यों आज इस देश को पूरी तरह से अवगत होना चाहिए कि किस प्रकार एक भयंकर किस्म की देशद्रोही साम्प्रदायिक शक्तियां हमारी राजनीति के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं।

[अनुवाद]

भगत जी मुझे एक ऐसी अफवाह की याद दिलाते हैं जो इस सदन में तथा केन्द्रीय कक्ष में उड़ रही है। अतः मुझे स्पष्ट रूप से कुछ कहना है।

महोदय, लोक सभा के सदस्यों में एक अफवाह फैल रही है कि आज लोक सभा भंग की

जाएगी। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यह सच नहीं है। इस प्रश्न पर कभी भी किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप भी लोगों की बात पर एतबार करने लग गए।

सरदार बूटा सिंह : मैंने सोचा, मैं इसका खंडन अभी तुरन्त कर दूं।

अध्यक्ष महोदय : अफवाहें फैलाने का काम तो आम लोगों का है।

श्री अजय मुश्तरान (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, हम लोग तो सदन में बैठे हैं, जो सैन्ट्रल हाल में बैठे हैं, उनको बता दीजिए।

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, मैं अर्ज कर रहा था, आज देखना चाहिए कि हमारे देश में माहौल क्या है। समय किस बात के लिए बाधा जा रहा है। हम अपनी आगामी लोक सभा का चयन करने के लिए जा रहे हैं। देश एक बात के लिए अग्रसर है कि हमारा भविष्य क्या होगा। वर्तमान लोक सभा ने जो कीर्तिमान हासिल किए हैं, श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र की उपलब्धियां रहीं हैं, वह आज आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को पढ़ कर देख लीजिए, आई० एम० एफ० की रिपोर्ट को पढ़ कर देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन्स में जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, उसको आप पढ़ कर देख लीजिए। यदि कहीं दुनिया में लोकतन्त्र की सही मायनों में मजबूती से अपने देश की सेवा की है, तो भारतवर्ष के लोकतन्त्र ने श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में केवल की है। आज दुनिया हम से मार्गदर्शन मांगती है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पिछले डेढ़-दो साल से लगातार इस कोशिश में थी कि भारतवर्ष की बढ़ती हुई शक्ति को कैसे कमजोर किया जाए। राजीव गांधी जी और उनकी सरकार को कैसे बदनाम किया जाए। उसकी प्रक्रिया शुरू हुई, दुर्भाग्यवश, मैं तो कई बार कह चुका हूं, इस सदन में भी कहा है, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भी कहा था, क्योंकि गृह मंत्री होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि अपने देश वासियों को आगाह करता जाऊं कि कौन-सा बवंडर और कौन-सी खतरनाक शक्तियां हैं, जो मेरे देश को बर्बाद करना चाहती हैं, नष्ट करना चाहती हैं और कमजोर करना चाहती हैं और हमें उसका कैसे मुकाबला करना होगा। यह एक बड़ा प्रश्न है। इसके आगे बहुत छोटे-छोटे बजूहात होंगे, उनमें भी मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज हमें सारी स्थिति को सामने रख कर देख कर चलना होगा कि कैसा माहौल पैदा किया जा रहा है डेढ़-दो साल से। सबसे बड़ी हमारी लोकतन्त्र की संस्था, राष्ट्रपति पद को कैसे दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया, कैसे राष्ट्रपति भवन को एकमंच के रूप में इस्तेमाल किया गया। तरह-तरह की अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां देश विरोधी शक्तियां, विरोध पक्ष के वे लोग जो डिस्टैबिलाइजेशन चाहते हैं, कैसे उन्होंने काम किया। आपकी गरिमा भरी इस कुर्सी के लिए क्या-क्या नहीं किया गया, हनन करने की कोशिश की गई है। आपके ऊपर क्या-क्या लांछन नहीं लगाए गए। जिसके ऊपर पूरे विश्व को फख्र है, दुनिया की सबसे बड़ी जम्हूरियत के आप सभापति हैं, लेकिन यह आपको, श्री बलराम जाखड़ को बदनाम करने की कोशिश नहीं थी, यह भारत के लोकतंत्र की छवि को बिगाड़ने की कोशिश थी, भारत की लोक सभा की छवि को बिगाड़ने की कोशिश थी, राजीव गांधी जी की सरकार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश थी, भारत को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश थी और इस कोशिश में ये लोग विफल रहे हैं।

बड़े दुख से कहना पड़ता है। सांप्रदायिकता हमारे देश की बड़ी नाजुक नाड़ी है, जिसके ऊपर हाथ रखने से, जिसको जख्मी करने से हमारा देश कगार में जा सकता है। हमारे देश के लोग, चाहे

वे किसी धर्म को मानने वाले हों, आस्तिक लोग हैं, उनकी भावनाएं बड़ी कोमल हैं, जब कभी किसी की आस्तिकता को ठेस पहुंचती है, उसके जजबात या उसकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है तो वह अपने आप से बाहर हो गया है, वह बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार हो गया है। हमारे देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि बहुत छोटी-सी बात को लेकर हमारे यहां बड़े-बड़े कांड हुए हैं। छोटी-सी बात को लेकर अगर किसी की जजबात को ठेस पहुंची है तो उसके लिए बड़े-बड़े उपद्रव हुए हैं, खून की नदियां बही हैं। मैं समझता हूं कि यह किसी की सोची-समझी बात है। यदि हिन्दुस्तान को कमजोर करना है तो हिन्दुस्तान की उस सरस्वती को जो हमारे देश की धार्मिक एकता के नीचे बह रही है, जिससे हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्रता सैनानियों ने, भारत के इतिहास ने जिससे हमेशा शक्ति हासिल की है, उसके ऊपर चोट की जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो हमारे देश की मजबूती को, एकता को बहुत जल्दी ठेस पहुंचाई जा सकती है। आप जानते हैं कि जब कभी इस प्रकार का वातावरण पैदा होता है तो सबसे पहला शिकार शासन होता है। इसमें कोई शक नहीं कि शासन का दायित्व है कि वह हर प्रकार से, पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके संवैधानिक तरीके से देश की शासन व्यवस्था को कायम करके रखे। मगर यह जो जजबात हैं, इनका टकराव जब कानून से होता है तो बड़ी मुश्किल परिस्थिति पैदा होती है। हमने देखा कि आज भी यही हो रहा है। जब हम नए कदम उठाने जा रहे हैं, हमारा देश एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है, हम अपने लिए नया सदन चुनने जाएंगे थोड़े समय बाद, उसके लिए किस तरह की परिस्थिति पैदा की जाए जिससे लोगों का मानस देश के विकास से हटाकर, प्राप्तियों से हटा कर, जो बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, उनसे हटा कर लोगों के छोटे-छोटे जजबात को भड़काकर उनको सांप्रदायिक और धार्मिक मामलों में फंसा दिए जाए ताकि देशवासी इस बहकावे में आकर ऐसी शक्तियां के पक्ष में मतदान कर दें जो शक्तियां देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।

आज जब मैं इस दृष्टि से अपने देश की राजनीति को देखता हूं तो सबसे आगे कौन नजर आता है—शिव सेना नजर आती है। शिव सेना को कंधे पर उठा कर बी० जे० पी० ने देश में एक नया मोड़ दिया है, देश की राजनीति को नया मोड़ दिया है और उसके पीछे सारे उसके दुमछल्ले बन-कर चलता चाहते हैं। जनता दल उसका दुमछल्ला बनना चाहता है, नेशनल फ्रंट उसका दुमछल्ला बनना चाहता है और दूसरे जितने राजनीतिक दल हैं, जो अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं, आज उन्होंने भी अपने हाथ उठा लिए हैं। लेटेस्ट जो स्टेटमेंट हमारे देश को जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो भी अपने आपको वामपंथी कहते हैं, उनका आया है। यदि उनका बयान गौर से पढ़ा जाए तो उससे स्पष्ट होता है कि वे लोग भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनके हाथ से स्थिति ऊपर हो चुकी है। एक बयान दिया गया है जिसमें श्री नंबूदरी पाद, जनरल सेक्रेट्री, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया, श्री राजेश्वर राव, जनरल सेक्रेट्री, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया, श्री चित्ता बसु, जनरल सेक्रेट्री फार्वर्ड ब्लाक, श्री प्रदीप चौधरी, जनरल सेक्रेट्री, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इन्होंने एक अक्तूबर 1989 को बयान दिया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है—

[अनुवाद]

"भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में बम्बई में हुई अपनी राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में अपना असली रंग दिखाया है। हमारे देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रश्न के संबंध में सभी मुद्दों जैसे रामजन्म भूमि, बाबरी मस्जिद विवाद अल्पसंख्यक आयोग और संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में इस दल ने अपनी स्पष्ट साम्प्रदायिक स्थिति व्यक्त की है। इसने

फिर एक बार उत्तर प्रदेश तथा देश के ऐसे अन्य भागों में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा घोषित करने का विरोध किया है जहां यह व्यापक रूप से बोली जाती है।"

संकल्प के विस्तार में जाए बिना मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसकी उन्होंने देश को चेतावनी दी है :

"आने वाले चुनावों को धर्मनिरपेक्षता लोकतन्त्र और साम्प्रदायिक सद्भावना को शक्ति प्रदान करने और देश की एकता को सुरक्षित रखने के बदले साम्प्रदायिक जन संहार की कर्म-भूमि का बदला जा रहा है।"

[हिन्दी]

ये जब हम विश्लेषण करते हैं अपने देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का तो आज हम इस मोड़ पर खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हजारों बार कहे कि वह कम्युनल कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रही है, हिन्दू राष्ट्र का नाम नहीं ले रही है जिसको उन्होंने अपने इलैक्शनीयरींग का सर्वेसर्वा माना है. उस दल, संगठन और व्यक्ति के बारे में मुझे थोड़ा-सा कोट करना है। सदन के द्वारा देश की जनता को पता लगना चाहिए कि किस प्रकार के भयंकर वातावरण की तैयारी इस देश में हो रही है।

[अनुवाद]

मैं दिनांक 14 अगस्त, 1989 के दि टेलीग्राफ से एक लेख का उद्धरण देता हूं :

"आप को श्री बाल ठाकरे की प्रशंसा कम से कम एक बात के लिए करनी है : वह अधिक टाल-मटोल के बिना अपनी बात कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि वह भारत के मुसलमानों को हरे सांप कहते हैं।"

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों और माइनोरिटीज के बारे में यह उनकी भावना है।

[अनुवाद]

"फिर वह यह बात बिना किसी घबराहट के कहते हैं जिसे अन्य राजनीतिज्ञ अपने दिल में होते हुए भी होंठों पर लाने में झिझकते हैं। श्री बाल ठैकरे और रा० स्व० से० संघ और भारतीय जनता पार्टी में उनके मित्रों की भांति ऐसा कोई संकोच नहीं है। शिव सेना के वरिष्ठ अध्यक्ष और उनके दल ने चुनाव आयोग के हाल के उपबंधों को पूरा करने में छलकपट से काम लिया है। जैसा कि अब सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने अब सभी दलों से कहा है कि अपने संविधान की एक प्रति के साथ नए सिरे से पंजीकरण करें, अब आयोग की यह मांग है कि किसी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए "भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास तथा निष्ठा" व्यक्त करनी चाहिए।"

बाल ठाकरे के सम्बन्ध में कहा गया था :

"हिटलर के प्रशंसक के रूप में वह लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध नहीं हैं। समाजवाद से वह घृणा करते हैं, साम्यवादियों को वह भारत विरोधी मानते हैं। किंतु उनकी सबसे बड़ी समस्या अकाली दल की भांति धर्मनिरपेक्षता को लेकर है।"

[हिन्दी]

सैक्युलरीज्म को पोजीटिव सैक्युलरीज्म कहने वाले बाल ठाकरे अगुवाई करेंगे इन सभी जनता दल और बी० जे० पी० के संगठन की। मेरे कुछ साथी कहते हैं कि मैंने बाल ठाकरे के बारे में ये शब्द कहे हैं। बाल ठाकरे की नीति आज से नहीं है। जो मेरे भाई महाराष्ट्र में और बम्बई में रहते हैं, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह माफिया गैंग के नाम से आज से बीस-बाइस साल पहले सन् 65-66 में शुरू हुआ था। इससे पहले उनका नाम नहीं था। शुरू-शुरू में देश भर के जितने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के उद्योग-पति थे, उनके ऊपर भयंकर किस्म का टैरोरीज्म का प्रभाव डालकर पैसा इकट्ठा करना शुरू किया था और जितने भी नॉन महाराष्ट्रीयन थे उन सबको पबलिकली लूटना शुरू किया था। इस तरह के आतंकवाद से एक नया संगठन खड़ा हुआ था जो आहिस्ता-आहिस्ता मन्दिरों में घुसा और शिवाजी तथा बजरंग दल का नाम लेकर इन्होंने रिस्पेक्टेबिलिटी हासिल की। आज हालत यह हो गई है कि महाराष्ट्र में केवल बम्बई नगर में फैलने वाला यह भयंकर जहर आज महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में फैल चुका है। बी० जे० पी० के लोग महसूस करते हैं कि शायद इनके सहारे सैक्युलर फौर्सेज को डिफिट करके शायद वे इस सदन में आने के लिए सफल हो सकें। मेरे से पहले बोलने वाले कुरैशी साहब व अन्य माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति, कांग्रेस पार्टी के इतिहास के प्रति व स्व० जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, गोविन्द बल्लभ पंत, मौलाना आजाद व जितने हमारे बड़े-बड़े नेता हुए हैं, नेताजी सुभाष चन्द्र, आपने बहुत से शहीदों के नाम लिए उन लोगों का खून इस देश की धरती को यह एक बहुत शानदार शिक्षा देकर गया है कि किसी भी मुसीबत में हमें धर्म-निरपेक्षता को नहीं छोड़ना है। हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दुस्तान हमारा यह नारा हमें मिला हुआ है। इसलिए मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि यह जो सैकुलरिज्म के नाम से पोजिटिव सैकुलरिज्म का नारा देकर बी० जे० पी० देशवासियों को बहकाना चाहती है। इसी तरह से एक प्रश्न आजकल बहुत प्रज्वलित है, पिछले तीन महीने में 20 के करीब कम्यूनिल इंसीडेंट्स हुए हैं, सात-आठ राज्य इसमें इन्वाल्व हुए। दुर्भाग्य से यह वे राज्य हैं जिनकी सरहद उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और जहां कांग्रेस का राज है। श्रीमन, मुझे तो इसमें षड़यन्त्र की बू आती है कि इसमें केवल कांग्रेस शासित प्रदेश ही इन्वाल्व हुए हैं, यह एक सोची समझी बात है। हरियाणा जिसकी सरहद उत्तर प्रदेश के साथ लगती है जिसके गांवों के रिश्ते नाते एक दूसरे से हैं वहां कोई दुर्घटना क्यों नहीं की गई। क्या मैं ऐसा मानूं कि देवी लाल जैसा सेकुलर नहीं है। जो जातिवाद के नाम पर राज करता है। सांप्रदायिकता और जातिवाद मेरे लिए दोनों ही एक जैसे जहरीले सांप हैं इसलिए वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ···

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : बी० जे० पी० वहां सरकार में शामिल है।

सरदार बूटा सिंह : बी० जे० पी० का उप-मुख्य मंत्री सरकार में बैठा है। इसीलिए हरियाणा में ऐसी घटना नहीं घटी, इसीलिए आंध्र प्रदेश में ऐसी घटना नहीं घटी, इसीलिए देश के दूसरे प्रांतों में ऐसी घटना नहीं घटी। हालांकि असम में कौन-सा उपद्रव नहीं हो रहा है, छोटी-छोटी बातों को लेकर दंगे होते हैं लेकिन चूंकि कांग्रेस की छवि को, राजीव जी की और उनकी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए और लोगों को सिद्ध करने के लिए कि हम लोग फिरकापरस्ती का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के षड़यन्त्र किये जा रहे हैं। एक निहायत डेलीकेट, सेंटीमेंट मसले को लेकर यह किया जा रहा है। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के मसले के बारे में

मेरे बहुत से आदरणीय सदस्यों ने जिक्र किया, इसमें हम पिछले दो साल से निरन्तर प्रयास किए हुए हैं, हमने बहुत कोशिश की कि बातचीत के माध्यम से मुचुअल एक्सेप्टेबल कोई हल निकल सके। आज सुबह हमारे एक पुराने स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त अक्षय ब्रह्मचारी जी मिले। उन्होंने हमें नक्शा दिया है। मैंने तो पहली बार देखा है वहां तो राम जन्म स्थान नाम का मन्दिर है। यह जो राम जन्म भूमि का नाम लेकर यह एक डिस्प्यूटेड जगह जरूर है जिसमें मन्दिर है और जिसको कहा जाता है कि यह पहले मन्दिर था, अब मस्जिद है। श्रीमन् इस मसले का समाधान नहीं निकल सका, उसके लिए प्रयास किया गया। मैंने दोनों ही पक्षों में किसी एक संस्थान को, महान पुरुष को, व्यक्ति को चाहे वे पूर्व में थे, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में थे, जा-जाकर एक कोशिश की, मैंने खुद उनको बुलाकर कोशिश की लंबे अर्से से बातचीत करके कोशिश की कि मुचुअल एक्सेप्टेबल हो और उनको मिलाने की कोशिश की, मगर यह संभव नहीं हो पाया। तो यही सोचा गया कि हमारे संविधान में जिस बात का समाधान बातचीत के जरिए नहीं निकल सकता तो उसके लिए एक रास्ता सुझाया है कि हम कोर्ट में जायें। दोनों लोग अपने-अपने पक्ष कोर्ट में रखें तो जो न्यायालय का फैसला हो उसे मान लिया जाए। श्रीमन्, मुझे खेद है जब इस मसले को लेकर कोर्ट में चले तो बाबरी मस्जिद के नाम से जो आन्दोलन कर रहे थे उन्होंने मान लिया कि ठीक है अगर आपस में बैठकर समाधान नहीं हो सकता है तो हम सहमत हैं कि इसका समाधान हाई कोर्ट में करवा लिया जाए और वह सबके लिए बाध्य होना चाहिए। दुर्भाग्यवश यह बात जब विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं से की तो उन्होंने मना कर दिया कि हम कोर्ट में विश्वास नहीं करते। कोर्ट के सामने जाने के प्रश्न पर हम तैयार नहीं हैं, फिर उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होगा तो मान लेंगे यदि नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। श्रीमन्, यह बहुत खतरनाक प्रेपोजिशन है देश के लिए। मैं नहीं मानता हूं कि इस देश में कोई मेजोरिटी में है या कोई माइनोरिटी में है, इस देश में रहने वाले सभी नागरिक एक समान हैं, न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। सभी का धर्म एक है, सभी देशवासी एक हैं, सभी नागरिक एक हैं। मेरे देश का एक संविधान है, मेरे देश का एक ध्वज है, देश की एक नागरिकता है और मेरे देश की एक राष्ट्रीयता है। इसलिए इन सिद्धांतों को मानने वाले हम लोग कभी इसके पक्ष में नहीं जाते कि कौन मैजोरिटी है कौन माइनोरिटी है क्योंकि मैजोरिटी या माइनोरिटी दोनों ही पहलू ऐसे हैं जो इसान को इंसानियत से नीचा करते हैं। यदि कोई अपने आप को मैजोरिटी का समझने लग जाये तो वह अधिकारों के मामले में अपने [आप को ऊंचा समझने लगता है, अगर कोई अपने आपको माइनोरिटी का समझने लगे तो उसे थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है, वह समझता है कि मेरा दर्जा दूसरे देशवासियों से थोड़ा कम है। इसलिए ऐसी भावना को हमें बिल्कुल अपने दिलों में स्थान नहीं देना चाहिए। मगर हमारे आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए, देश के विकास के लिए यदि हमारे कुछ छोटे-छोटे कबीलों को, छोटे-छोटे सांप्रदायों को संविधान में संरक्षण दिया गया है, आरक्षण देने की बात कही गयी है तो हमें उसे मानकर चलना चाहिए। जहां तक राष्ट्रीयता का प्रश्न है, उसमें न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई मेजर है और न कोई माइनर है। हमारे विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए ही इन छोटे वर्गों को संविधान में आरक्षण प्रदान किया गया है और वह अपनी जगह ठीक प्रतीत होता है। जहां तक प्रश्न नेशनैलिटी का है, सिटीजनशिप का प्रश्न है, ऐवरी इण्डियन इज इन इण्डियन एंड नथिंग एल्स। यही ध्यान में रखकर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि यह प्रोपोजीशन देकर आप देश-वासियों से क्या कहना चाहते हैं कि यदि फैसला आपके हक में हुआ तो आप उसे मानेंगे, यदि फैसला विरोध में हुआ तो आप उसे नहीं मानेंगे और इसका देशवासी क्या मतलब निकालेंगे। हमारे देश में

लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में लोक सभा और राज्य सभा फैसले करती है। यहां जो फैसला होता है वह सारे हाउस का फैसला माना जाता है, उसमें कभी यह नहीं कहा जाता कि यह मैजोरिटी का फैसला है, यह माइनोरिटी का फैसला है, कचहरियों में शायद ऐसा होता हो, मगर आज तक हमने यह नहीं देखा संविधान के अंतर्गत हमने जो फैसला लिया हो, उसे किसी वर्ग विशेष का फैसला माना गया हो। यदि हमारी कचहरियों में इस तरह का रुख अपनाया जाएगा, अपने आप को मैजोरिटी कहने वाले लोग यदि इस तरह का रुख अपनाएंगे तो माइनोरिटीज का उन कचहरियों पर कैसे विश्वास हो सकता है। यदि देशवासियों का कचहरियों पर, न्यायालयों पर विश्वास नहीं होगा तो आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए, उस देश में लॉ एण्ड आर्डर कैसे रह पायेगा, उस देश की राजनैतिक स्थिति कैसी होगी। सारी बातें विश्वास पर आधारित हैं। लॉ एण्ड आर्डर विश्वास से पैदा होता है, व्यवस्था विश्वास से पैदा होती है, पोलिटीकल स्टेबिलिटी विश्वास से पैदा होती है। यदि देशवासियों का विश्वास ही खो गया तो हम चाहे कितनी भारी तादाद में यहां क्यों न बैठे रहें, हम देश को स्थिर और स्थायी शासन नहीं दे सकते। इसलिये, मैं इस विषय पर और ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि कल चिदम्बरम जी ने बहुत से पहलुओं पर भली भांति बोल दिया है। अब रहा प्रश्न राम जन्म भूमि का, मान्यवर सदन को यह मालूम है कि हाई कोर्ट की एक स्पेशल बैंच बना दी गई है और वह बैंच इस मामले को देख रही है। अब वह बैंच कितना समय लेगी फैसला करने में, इसके सम्बन्ध में, मैं आपसे अभी कुछ नहीं कह सकता। मगर जब तक हाई कोर्ट की वह बैंच फैसला नहीं देती, उस वक्त तक अयोध्या में जो वस्तुस्थिति इस वक्त है, उसमें रंच मात्र किसी भी किस्म की ढील या फर्क नहीं आने दिया जायेगा। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं यह बात कहना चाहता हूं देशवासियों को कि वहां पूर्णतः ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन बनाये रखी जायेगी, हम वहां शांति व्यवस्था बनाये रखेंगे। यहां बहुत से साथियों ने जो चर्चा की है, उसका जवाब कल चिदम्बरम जी दे चुके हैं, मैं उन बातों को दोबारा आज रिपीट करना उचित नहीं समझता। हां, जुलूस वगैरह चलने की जो बात थी, उसमें कुछ अरेंजमैंट हमने किया था और यह तय हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके वे लोग अपनी शिलायें लायेंगे और इकट्ठी करके वहां रख देंगे, मगर उसका विवादग्रस्त स्थान से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। श्रीमन्, आज सदन में आपने बहुत पवित्र विचार और अपना आशीर्वाद देकर जो कुछ कहा, मैं पूर्णतः विश्वास करता हूं कि जैसा आपने इस सदन को हमेशा से मार्गदर्शन दिया, कल राज्य सभा में वहां के उपसभापति महोदया की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया था, जो इसी दिशा में किया गया एक प्रयास था, जिसमें सभी देशवासियों से, सभी वर्गों से अपील की गई थी कि आज की परिस्थिति में, हर हालत में सांप्रदायिक एकता, भावनात्मक एकता बनायें रखें।

इस आज की परिस्थिति में हर साल में साम्प्रदायिकता, भावनात्मक एकता बनाए रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने भी अधिकारी हैं, उनका साथ दिया जाए और आपस में मिलकर हम हर समस्या का समाधान ढूंढें और जब तक हमारा न्यायालय इस पर कोई आखिरी निर्णय नहीं दे दे तब तक उसमें कोई भी ऐसी कार्यवाही न की जाए जिसका असर हमारे देशवासियों पर हो, एक दूसरे वर्ग पर हो। तो इस प्रकार का प्रस्ताव है। अगर आप चाहें, तो मैं उसे पढ़ देता हूं—

[अनुवाद]

"यह सभा जो भारत के लोगों की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, कट्टरपंथी तथा सांप्रदायिक ताकतों की चालों के कारण सांप्रदायिक हिंसा तथा साम्प्रदायिक

सौहार्द और शांति के भंग होने की घटनाओं में वृद्धि को गंभीर चिन्ता के साथ नोट करती है।

2. यह सभा न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि विवाद के शीघ्र समाधान के लिए की गई पहल का स्वागत करते हुए यह बात निराशा के साथ नोट करती है कि इस मुद्दे पर विवाद के जारी रहने के कारण साम्प्रदायिक वातावरण दूषित हुआ है और इससे देश के कुछ भागों में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा है। यह इस बात को भी चिन्ता के साथ नोट करती है कि कतिपय संगठनों द्वारा किए गए कुछ भड़काने वाले कृत्यों तथा भाषणों के कारण भी साम्प्रदायिक अलगाव बढ़ा है।

3. अतः यह सभा समाज के सभी वर्गों से अपील करती है कि वे ऐसे किसी भी आन्दोलन, समारोह या 'शिला पूजन', शोभा यात्रा में सम्मिलित न हों और न ही इसे समर्थन दें। यह उन सभी व्यक्तियों और संगठनों से, जिन्होंने उपर्युक्त विवाद पर अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तब तक धैर्य और सहिष्णुता का प्रदर्शन करने और साम्प्रदायिक शान्ति तथा सौहार्द को बनाए रखने की भी अपील करती है और जब तक कि न्यायिक मंच से इसका समाधान नहीं हो जाता। यह इस विवाद का मुख्य पक्षकारों अर्थात् विश्व हिन्दू परिषद/बजरंग दल, आदम सेना तथा अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद कार्यवाही समिति से आह्वान करती है कि वे टकराव का वह रास्ता न अपनाए जिससे हिंसा उत्पन्न होती है और वे अपने सभी कार्यक्रमों को, जिनमें राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद मुद्दे से सम्बन्धित समारोह तथा आयोजन शामिल हैं, तब तक स्थगित रखें जब तक इस सम्बन्ध में न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता है। यह सभा यह भी आशा करती है कि समाज के सभी वर्गों के लोग विधि के शासन में अपना विश्वास बनाए रखेंगे और भाईचारे तथा सौहार्द का संरक्षण और संवर्धन करेंगे तथा भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और परम्पराओं को कायम रखेंगे।"

[हिन्दी]

श्रीमान्, इसके बाद मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ये राम जन्म भूमि का मसला हो या कोई दूसरा मसला हो, इनको केवल इसलिए उठाया गया है जिससे इस देश की राजनीति में धर्म को जोड़कर इस देश के लोकमत को, लोकतंत्र को, कमजोर किया जाए। जबकि इसी मान्यवर सदन ने एक बड़े स्पष्ट बहुमत से एक ऐसा निर्णय लिया है कानून के रूप में कि हमारे देश में राजनीति को धर्म से दूर रखा जाए। दुर्भाग्यवश आज हमारे देश के विपक्ष के लोग उस खतरनाक संगठन के खतरनाक नेता के नेतृत्व में इलैक्शन में जा रहे हैं जिसको बम्बई के हाईकोर्ट ने कंडैम किया है। बुरे किस्म का, भद्दी किस्म की साम्प्रदायिकता फैलाने वाला है और उसके चुने हुए एम० एल० ए० को डिस्क्वालीफाई किया था, अनसीट किया था। इसलिए मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नैशनल फ्रंट हो या वह कोई दूसरी पार्टी हो, यदि शिव सेना के असर के नीचे, उनके साए के नीचे, वे लोकसभा के इलैक्शन में जाएंगे, तो उन्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देश में जो हमारा आगामी चुनाव होने जा रहा है, भविष्य में जो सांप्रदायिक एकता और भावनात्मक एकता है, उसकी गारंटी देनी होगी। मुझे इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है कि यह एक बहुत सोची-समझी साजिश है, मंसूबाबन्दी है, देश को डिस्टेबिलाइजन करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए और इसके लिए कांग्रेस के जितने भी मान्यवर सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, दूसरे दलों के जितने नेता यहां पर बैठे हुए है, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमें जमकर लड़ाई लड़नी होगी।

[अनुवाद]

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं बाल ठाकरे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? सरकार की क्या मजबूरी है ? क्या भारतीय दंड संहिता में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई कानून नहीं है। सरकार इस प्रकार के सांप्रदायिक विषधरों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं कर रही ? देश के हर कोने से यही प्रश्न पूछा जा रहा है। माननीय गृह मंत्री को पूरा समर्थन देते हुए हम साम्प्रदायिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की आशा करते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री को, यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। हम एक मत से यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। किंतु, कृपया मेरी बात सुनिए। यदि आप इन सुझावों से सहमत न हों तो आप इन्हें अस्वीकार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले करना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने इन सुझावों के बारे में मंत्री महोदय को बताया है। आप कृपया मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जिद कर रहे हैं। ऐसे सारे पढ़ने लग जाएंगे तो मैं क्या करूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जो लोग मेहनत करते हैं वही पढ़ते हैं।

[अनुवाद]

सभा इसे अस्वीकार कर सकती है। किंतु आप मुझे प्रस्तुत करने दीजिए। यह दूसरे सदन में भी प्रस्तुत किया गया है। यदि आप इन सुझावों से सहमत नहीं हैं तो आप इन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। किंतु यह सही दिशा में हैं (व्यवधान) हमें महात्मा गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हिन्दु मुस्लिम एकता के लिए बहुत से बलिदान दिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : एक शेर सुना कर बैठ जाइए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं इसमें शेर कहां से लाऊंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं चाहता हूं कि आप प्रस्तावना में यह शब्द अन्तःस्थापित कर सकते हैं। आप इन शब्दों को बदल सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है ।

[हिन्दी]

आपको पहले दे देना चाहिए था ।

8.31 म० प०

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

23वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का तेइसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

8.31-1/2 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र—[जारी]

भारतीय प्रेस परिषद के जनवरी, 1988 से मार्च, 1989 तक के प्रतिवेदन आदि

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय प्रेस परिषद के जनवरी, 1988 से मार्च, 1989 की अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 1987-88 और 1988-89 के लेखा परीक्षित लेखे ।

(2) भारतीय प्रेस परिषद के वर्ष 1987-88 के लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8366/89]

8.32 म० प०

रक्षा स्थापनाओं में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों आदि को उच्च वेतनमान दिए जाने के बारे में कार्यान्वयन की तिथि बदले जाने के सरकार के प्रस्ताव के अनुमोदन के बारे में संकल्प

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी० एस० बंठा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि यह सभा संयुक्त परामर्शी तंत्र तथा अनिवार्य पंचाट के लिए स्कीम के पैरा 21 के अनुसार रक्षा स्थापनाओं में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों, नक्शानवीसों, भण्डार अनुरक्षण कर्मचारियों तथा असैनिक मोटर चालकों को बढ़े हुए वेतनमान देने के बारे में 1983 के सी० ए० संदर्भ संख्या 9 तथा 10 में 12 अगस्त, 1985 के माध्यस्थम् बोर्ड पंचाट द्वारा दी गई कार्यान्वयन की तारीख 22-9-1982 को बदलने संबंधी सरकार के प्रस्ताव को मंजूर करती है, क्योंकि इस पंचाट को स्वीकार करने से पड़ने वाले अत्यधिक वित्तीय भार से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संयुक्त परामर्शी तंत्र तथा अनिवार्य पंचाट के लिए स्कीम के पैरा 21 के अनुसार रक्षा स्थापनाओं में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों नक्शानवीसों, भण्डार अनुरक्षण कर्मचारियों तथा असैनिक मोटर चालकों, को बढ़े हुए वेतनमान देने के बारे में 1983 के सी० ए० संदर्भ संख्या 9 तथा 10 में 12 अगस्त, 1985 के माध्यस्थ बोर्ड पंचाट द्वारा दी गई कार्यान्वयन की तारीख 22-9-1982 को बदलने संबंधी सरकार के प्रस्ताव को मंजूर करती है, क्योंकि इस पंचाट को स्वीकार करने से पड़ने वाले अत्यधिक वित्तीय बोझ से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8.34 म० प०

विदाई संबंधी उल्लेख

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर रस्मी तौर पर नहीं बल्कि तहेदिल से इस सत्र तथा आठवीं लोक सभा के लगभग पांच के दौरान संसद् के अन्य सत्रों के दौरान इस सदन के सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनका आभारी हूं। मैं न केवल उन लोगों का आभारी हूं जो सदन के भीतर रहे बल्कि उनका भी आभारी हूं जो इसे पहले छोड़कर चले गए क्योंकि अब उन्होंने स्वयं ही अनुभव किया होगा कि क्या उन्हें सदन छोड़कर जाना चाहिए था। उन्होंने स्वयं ही इस बात का फैसला किया होगा कि उन्होंने ठीक किया या गलत।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : मैं एक शेर कह दूं।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुझे शेर याद आ गया, अगर हुक्म हो तो सुना दूं।

अध्यक्ष महोदय : जी महाराज, बोलिए।

सरदार बूटा सिंह : उनकी हालत तो यह है—

इस आशिके इज्जते सादात मिल गई,'
फिरते हैं हम ख्वार, कोई पूछता नहीं।

श्री एच० के० एल० भगत : अध्यक्ष जी, हम तो उनको आज भी याद कर रहे हैं, प्यार से। हम यह समझते हैं कि इस हाउस में जो कुछ हुआ, बहुत-सी चीजें हुईं, हम सबने मिलकर स्पीकर साहब को तंग किया, कुछ उन्होंने भी किया, हमने भी किया लेकिन इस हाउस में मेरी राय है कि, हालांकि इधर-उधर बहुत कुछ कहा जाता रहा, शायद परहैप्स आई एस एलोन, मेरा ख्याल है कि

आठवीं लोक-सभा की डिबेट का दर्जा अच्छा रहा। पार्लियामैंट को इस बात से जज नहीं किया जाता कि कितना हंगामा होता है, पार्लियामैंट इस बात से जज होती है कि राष्ट्र के लिए क्या करती है, प्रोड्यूस क्या करती है और उसका एंड-प्रोडक्ट क्या हुआ ? उस एंड प्रोडक्ट के लिहाज से इस आठवीं लोक सभा ने, जहां तक कानून बनाने का ताल्लुक है, पालिसी का ताल्लुक है, और चीजों का ताल्लुक था जो देश की दिलचस्पी की चीजें थीं और उन पर बहस करने का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इस लोक सभा ने अपने फर्ज को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। इस लोक सभा ने नई डायरेक्शन्ज रखीं नई चीजों पर। बहुत प्रोग्रैसिव लैजिस्लेशन लाये गये हैं, मैं उनकी गिनती में नहीं जाना चाहता। मैं तो लोक सभा में पांचवीं लोक सभा से हूं, बीच में एक दफा बाहर हो गया था लेकिन पांचवीं लोक सभा से हूं। मैं फील करता हूं कि आठवीं लोक सभा पहली लोक सभाओं से किसी भी तरह कम नहीं है। बहुत चर्चा होती है कि बहुत गड़बड़ हुई, बहुत हंगामे होते थे, यह होता था, वह होता था, मैंने पहले भी लोक सभाएं देखी हैं, मैं कह सकता हूं कि हंगामे के लिहाज से हंगामा इस दफा ज्यादा हुआ लेकिन अगर 5 साल को टोटैलिटी में लिया जाए तो एक भ्रम बन जाता है कि लोक सभा में हंगामा हुआ।

यह ठीक है कि चुनाव आते हैं, चुनाव के नजदीक लोग प्रैक्टिकल हो जाते हैं, पर्टिकुलरली जो दूसरी तरफ बैठे थे, वे चले गये लेकिन मैं यह समझता हूं कि जहां तक डिसिप्लन का ताल्लुक है, यह अच्छा है, कम्पैरैटिवली दूसरी लोक सभाओं के मुकाबले में। मैंने किसी भी तरह से इसे नीचे नहीं पाया, यह मेरा व्यू है। हालांकि अखबारों में, मैग्जीनों में लिखा जाता रहा है कि पार्लियामैंट का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया, बहुत नीचे चला गया। हम पुरातन के पुजारी हैं, मैं नहीं मानता हूं कि इस लोक सभा का स्टैंडर्ड पार्लियामैंट में कोई नीचे हुआ या गिरा। मेरी राय में जिस तरह पहले रहा है, करीब-करीब उसी तरह रहा, मैं उसे नीचा नहीं मानता। मैं सारे प्रेस को बहुत धन्यवाद करता हूं। पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर जानते हैं, मुझसे ज्यादा मेरे साथी मिनिस्टर श्रीमती शीला दीक्षित और नामग्याल साहब को मालूम है कि कितने मैम्बर्स की रुचि इनमें थी, दिलचस्पी इनमें थी डिबेट में भाग लेने की, मुश्किल होता था उनको संभालना, लेकिन हमारे साथियों ने बहुत सहयोग किया और मैम्बर्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। उधर जो मैम्बर बैठे थे, उन्होंने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया और जो आज उपस्थित हैं, जिन्होंने लोक सभा नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया और मैं सबको दिल से बधाई देता हूं।

स्पीकर साहब मैं आपके साथ कोई रस्मी बात नहीं कर रहा हूं दिल से बात कर रहा हूं। आपने जिस योग्यता से, जिस हिम्मत से जिन मुश्किल घड़ियों में हम सबको संभाल कर चले और 5 साल निकाले, इसके लिए धन्यवाद।

आपके साथ मैं नहीं भूल सकता लोक सभा सैक्रेटेरिएट और उसके सैक्रेट्री जनरल सुभाष कश्यप को और उनके सारे साथियों को कि किस तरह से उन्होंने हमको गाइड किया, हमको समझाया और किस तरह से हमारी मदद की। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा रहा और हम हर तरह से उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं मार्शल को भी नहीं भूल सकता। मार्शल को बतौर मार्शल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन पैनल आफ चेयरमैन पर मैं भी कुछ दिन रहा हूं, मार्शल के बगैर रूल राल चलता नहीं है। समझा देते हैं और सब कुछ लिखकर सामने रख देते हैं। हमारे जितने वाच एंड वार्ड के स्टाफ के आदमी हैं, प्रेस के हमारे भाई हैं, उन्होंने भी मेहनत की है, बहुत सहयोग किया है।

हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्स डिपार्टमैंट के सारे लोग, सैक्रेट्री ढोंढियाल और उनके सारे साथी, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं प्रशंसा करना चाहता हूं, हमारे साथी जो मिनिस्टर हैं, उनकी भी। डिप्टी स्पीकर तो यंग आदमी हैं, पिछले सैशन में भी और इस सैशन में भी उन्होंने अच्छा काम किया है। स्पीकर साहब ने उनको अच्छा मौका दिया है और उन्होंने उस मौके का हर तरह से हमें सहयोग दिया है। जब ये डिप्टी स्पीकर बने थे तो कई लोगों ने सोचा था वे तो एम० एल० ए० भी नहीं रहे, इस हाउस को कैसे संभालेंगे। लेकिन यह डिप्टी स्पीकर बन गये और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको सम्भाला।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे साथी जो सारे मंत्री हैं और हमारे पार्लियामैंट ऐफेयर के मंत्री तो बहुत दिलचस्प पोजिशन में होते हैं। अगर यह मंत्री थोड़ी-सी भी गलती कर जायें तो पड़ जाती है पार्लियामेंट ऐफेयर डिपार्टमेंट पर। इस डिपार्टमेंट ने हमें सहयोग दिया है तो कम पड़ी है, वरना ज्यादा पड़ती। इन सबने बहुत योग्यता से काम किया है। अतः मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं।

अब मैं एक निजी बात कहना चाहता हूं। मेरे पास दोनों पोर्टफोलियो ऐसे हैं पार्लियामैंट ऐफैयर्स और इनफर्मेशन और ब्राडकास्टिंग, इनमें थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। सभी मैम्बरों ने मिनिस्टरों ने, स्पीकर साहब ने और बाकी सबने काफी सहयोग दिया और मैं खैरियत से बच निकला। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ गये हैं। उनके नेतृत्व में सब कुछ तो हुआ ही है लेकिन उनके नेतृत्व में इस लोक सभा ने बहुत अच्छी डायरेक्शन इस देश को दी है। धन्यवाद।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : स्पीकर सर, मैं भी शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुआ हूं और महज रस्सी तौर पर शुक्रिया अदा नहीं कर रहा हूं आपका, डिप्टी स्पीकर का, प्राइम मिनिस्टर हुकूमत का और ऐवान के तमाम मैम्बरान का, आपके सेक्रेटेरियट में हरेक का, बल्कि दिल की अथाह गहराइयों के साथ शुक्रिया करता हूं।

इज्जत-म-आब स्पीकर साहब, हमारा यह ऐवान, यही जम्हूरियत की आबरू और जम्हूरियत की लाज है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि कितने ही इदारों पर मुमकिन है कि कुछ विश्वास थोड़ा बहुत हिला हो, कम हुआ हो, लेकिन जहां तक इस पार्लियामेंट का ताल्लुक है, हिन्दुस्तान की अवाम, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर मुकम्मल एतिकाद करती है। यही वजह है कि अगर उनकी अन्याय की शिकायत होती है तो वे लपकते हैं, दौड़ते हैं, यहां पर अपने-अपने मोर्चे लेकर पहुंचते हैं और ऐवान के अन्दर अपनी बातों को रखने के लिए मैम्बरान के पास भी आते हैं जब तक जम्हूरियत के अन्दर इस ऐवान को तकद्दुम को बरकरार रखा जायेगा तब तक हमारा देश महान रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हम वह हैं जो डायलॉग और मुबाहसे में विश्वास करते हैं। इसलिए छोड़कर कर नहीं गये कि संकटकालीन अवस्थायें आ मकती हैं, हंगामे हालात पैदा हो सकते हैं। यह ऐवान सिर्फ कुछ कानून का कारखाना नहीं है बल्कि यह ऐवान हमारे जबर्दस्त से जबर्दस्त डिसप्यूट्स और तेनाजों को रिजाल्व करने का, तय करने का एक जरिया है। जिस तरह हमने एक रेजोल्यूशन यहां पर एडॉप्ट किया, एक बड़े तनाजे मसले के अन्दर, उस स्पिरिट को लेकर पूरे देश में चलना होगा। यह एक ऐवान का काम है। यह हकीकत है कि अवाम की एतिकाद इस ऐवान पर है और हमें भी इस ऐवान की तकद्दुम को ऊंचा रखना है। इस सिलसिले में हमसे जितना हो सका है आपके साथ तावून किया है। गलतियां हो सकती है, कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी भी हो सकती है, यह तो चलता ही है। जैसे आज भी थोड़ी बहुत नाराजगी हुई, लेकिन यह एक अच्छी चीज है कि हम खुशगवार माहौल के अन्दर रहे। काफी काम यहां अंजाम हुआ है। इलेक्टोरेट उस पर अपना फैसला करेगी वह बात अलग है, लेकिन इस देश के अन्दर मैं देख रहा हूं कि देश का भविष्य, इस देश का मस्तकबिल खूबसूरत है और इन्शाअल्लाह खूबसूरत रहेगा। इसके लिए यहां जम्हूरियत जिन्दा है और यहां पर सेकुलरिज्म का दिल बराबर धड़क रहा है और लोग साफ तौर पर इसको महसूस करते हैं।

इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, डिप्टी स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा, प्राइम मिनिस्टर, उनकी हुकूमत और उनके मिनिस्टरों का शुक्रिया। बड़े वक्त ऐसे आये है कि हमने मिनिस्टर्स को खूब बुरा भला भी कहा है। भला, मुमकिन है, कम कहा हो लेकिन यह भी हुआ है। यह तमाम चीजें जम्हूरियत में रहती हैं, चलती हैं। मैम्बरान हैं, मैम्बरान के साथ भी झड़पें हुई हैं और तेज और सख्त झड़पें हुई हैं लेकिले सारा मतलब यही है कि देश को मजबूत से मजबूततर बनाया जाए और इसी भावना के साथ, इन्हीं जज्बात के साथ हम आगे बढ़ रहे है।

[شری جی ایم بنات والا (پونانی): اسپیکر سر۔ میں بھی شکریہ ادا کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور محض رسمی طور پر شکریہ ادا نہیں کر رہا ہوں آپکا ڈپٹی اسپیکر کا پرائم منسٹر کا حکومت کا اور ایوان کے تمام ممبران کا آپ کے سیکریٹریٹ میں ہر ایک کا بلکہ دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ شکریہ کرتا ہوں۔

عزت مآب اسپیکر صاحب ہمارا یہ ایوان یہی جمہوریت کی آبرو اور جمہوریت کی لاج ہے۔ آج مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے ہی اداروں پر مکس ہے کہ کچھ وشواس تھوڑا بہت ہلا ہو کم ہوا ہو لیکن جہاں تک اس پارلیمنٹ کا تعلق ہے ہندوستان کی عوام ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اوپر مکمل اعتماد کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انکو نا انصافی کی شکایت ہوتی ہے تو وہ پکتے ہیں دوڑتے ہیں یہاں پر اپنے اپنے مورچے لے کر پہنچے ہیں لوگ ایوان کے اندر اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے ممبران کے پاس بھی آتے ہیں۔ جب تک جمہوریت کے اندر اس ایوان کے تقدس کو برقرار رکھا جائے گا تب تک ہمارا دیش مہان رہے گا۔ اسمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم وہ ہیں جو ڈائلاگ اور مباحثے میں وشواس کرتے ہیں۔ اسی لئے چھوڑ کر نہیں گئے مگر سنکٹ کالین اوستھائیں آسکتی ہیں ہنگامی حالات پیدا ہو سکتے ہیں: یہ ایوان صرف کچھ قانون کا کارخانہ نہیں ہے بلکہ یہ ایوان ہمارے زبردست سے زبردست ڈسپیوٹس اور تنازعوں کو ریزالو کرنے کا طے کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم نے ایک ریزولیوشن یہاں پر ایڈاپٹ کیا ایک بڑے تنازعے کے مسئلے کے اندر اس اسپرٹ کو لے کر پورے دیش میں چلنا ہوگا۔ یہ ایک ایوان کا کام ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عوام کا اعتماد اس ایوان پر ہے اور ہمیں بھی اس ایوان کے تقدس کو اونچا رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سے جتنا ہو سکا آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں کچھ تھوڑی بہت ناراضگی بھی ہو سکتی ہے یہ تو چلتا ہی ہے۔ جیسے آج بھی تھوڑی بہت ناراضگی ہوئی لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم خوشگوار ماحول کے اندر رہے۔ کافی کام یہاں ہوا ہے۔ الیکٹوریٹ اس پر اپنا فیصلہ کرے گی وہ بات الگ ہے لیکن اس دیش کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ دیش کا بھوشیہ اس دیش کا مستقبل خوبصورت ہے اور انشاء اللہ خوبصورت ہی رہے گا اس کے لئے یہاں جمہوریت زندہ ہے اور یہاں پر سیکولرزم کا دل برابر دھڑک رہا ہے۔ اور لوگ صاف طور پر اس کو محسوس کرتے ہیں۔

ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پرائم منسٹر، اُن کی حکومت اور ان کے منسٹروں کا شکریہ۔ بڑے وقت ایسے آئے ہیں کہ ہم نے منسٹرس کو خوب برا بھلا بھی کہا ہے۔ بھلا ممکن ہے کہ کہا ہو لیکن یہ بھی ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں جمہوریت میں رہتی ہیں چلتی ہیں۔ ممبران ہیں۔ ممبران کے ساتھ بھی جھڑپیں ہوئی ہیں اور تیز اور سخت جھڑپیں ہوئی ہیں لیکن سارا مطلب یہی ہے کہ دیش کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے اور اسی بھاؤنا کے ساتھ انہیں جذبات کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं इसके बाद में आप क्या बोलेंगे, राजीव जी, हमारे प्रधान मंत्री, मेरे नेता, सदन के नेता यहां आए हैं, भगवान जाने हम तो इस सारी रस्म से नावाकिफ लोग हैं। पहली-पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, पहली टर्न है इसलिए हमें पता नहीं कि आज के दिन क्या होता है। पहली-पहली बार है, हमें कुछ मालूम नहीं।

जितना कुछ सीख पाए, उतना सीखने की कोशिश की है। जितने हम फर्स्ट टर्नर थे, पहली बार यहां पर आने वाले सैकड़ों लोग हैं। राजीव जी ने बड़ी कृपा की कि सैकड़ों लोगों को पुकार-पुकार कर एक ऐसा निमंत्रण दिया कि हम लोग यहां तक पहुंच कर आ गए वरना हमारे बाप की भी हिम्मत नहीं थी कि हम यहां आते। साफ-साफ बात है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। बहुत तो हमने हमारे नेता को तंग किया है, बहुत आपको तंग किया है और कौन ऐसा है, जिसे हमने तंग नहीं किया, सब को हम लोगों ने तंग किया क्योंकि हम कुछ भी नहीं समझते थे। हम वहां से निकले थे तो पता चलता कि अपने इलाके के बड़े तीस मारखां हैं। यहां आए तो मालूम पड़ा कि हमारा तो कद ही कुछ नहीं है। यहां आकर मालूम पड़ा कि हम तो इस समुद्र में आ गए हैं और इसमें बिल्कुल तैरना सीखना पड़ेगा। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कितने ही मैम्बर यहां सदन में पहली बार आए हैं। मैं उन लोगों को देखता हूं जिनमें से कोई कहता है कि मैं सात टर्न से बैठा हुआ हूं, कोई कहता है कि मैं 6 टर्न से बैठा हुआ हूं, कोई कहता है कि मैं 8 टर्न से बैठा हुआ हूं, ऐसा लगता है कि इस देश में वाकई 84 लाख बार जन्म होता होगा और इससे पुनर्जन्म में विश्वास होता है, हमको इस पर भरोसा होने लगता है। इस बात को मैं अभिधा में न कहकर व्यंजना में कहता हूं, मेरे नेता इस बात को समझें और सुनें कि हम पुनर्जन्म में विश्वास क्यों करते हैं।···(**व्यवधान**)···माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मेरी बात पहुंच गई।

अध्यक्ष महोदय : कहो तो मैं थोड़ी और सिफारिश कर दूं ?

श्री बालकवि बैरागी : तो मैं तो हमारे सारे बचकानपन की, पागलपन की, नावाकफियत की, कानून नहीं जानने की, कानून बनाते समय क्या स्थितियां होती हैं, उसको नहीं जानने की, इन सारी नादानियों की आपसे माफी चाहता हूं और अपने नेता को मुबारकबाद देता हूं कि आपके नेतृत्व में हम लोग यहां तक आए, बहुत-बहुत मेरी बधाइयां।

मैंने आठ पंक्तियां लिखी हैं, ज्यों ही मुझे लगा कि अब कुछ न कुछ होने वाला है। यहां आपको तो कुछ होने वाला होता है और मुझे वह हो जाता है। हमें कुछ थोड़ा अफसोस है कि हमारे कुछ लोग ऐसे थे, जिन्हें हम बहुत पसन्द करते थे, यहां से विदा हो गए, चले गए। हमसे बाहर अभी भी पूछ रहे थे, अभी सदन के बाहर पूछ रहे थे कि आज तो शायद आधी रात को आप भी हमारे साथ आ जाएंगे लेकिन तब तक राजीव जी और भगत जी ने ऐसा पैगाम भेज दिया कि बूटा सिंह जी ने सब गड़बड़ कर दिया, सब ठीक हो गया। बेहतर कुल मिलाकर ठीक हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको बहुत शुक्रिया, आपके सचिवालय को शुक्रिया। पार्टी और हमारे नेता यह सब काम करते रहेंगे, यह कहा तो करते हैं कि यह रस्म अदाई नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि यह रस्म अदाई भी है, हम सब सारी चीज को जानते हैं और जम्हूरियत में, प्रजातन्त्र में यह जरूरी भी है। हम सबको शुक्रिया अदा करते हैं।

मैंने आठ पंक्तियां लिखी हैं और वह मैं पढ़ रहा हूं। मेरी खुशकिस्मती है कि राजीव जी आ गए। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इन पंक्तियों को पढ़ रहा हूं :

"प्रजातन्त्र के प्रबल पुण्य ने हमको यहां बिठाया,
पांच वर्ष तक हमने अपना पूजा धर्म निभाया।..."

पूजा भावना से हमने काम किया, हमारे मन में कोई खोट नहीं था।

"प्रजातन्त्र के प्रबल पुण्य ने हमको यहां बिठाया।
पांच बरस तक हमने अपना पूजा धर्म निभाया॥
जो कुछ जनता ने सौंपा था, वह है उसकी थाती।
उसका उसको दे हिसाब, कुर्सी है आती-जाती॥
गांधी-नेहरू के वारिस हम, हम खुद की शक्ति टटोलें।
घर-घर, आंगन-आंगन जाकर, भारत की जय बोलें॥
जनता पर है हमें भरोसा, जनता की जय होगी।
नेता है राजीव हमारा, यह जय निश्चय होगी॥

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोगों ने चुनौती भरी चर्चा की साम्प्रदायिकता के खिलाफ। उस गांधी जी की बहुत याद आ रही थी और हमें 40 बरस बाद फिर से गांधी जी मिल गए हैं, जिसके नेतृत्व में पूरे तरीके से मुकाबला करके विजयी होंगे। सारा देश उनके साथ है। इसको मैं अपने एक विचार के रूप में प्रकट कर रहा हूं :

चल रहे हैं राजीव गांधी, गांधी की राह पर,
चलो हम भी चलें, देश का निर्माण करें।
राष्ट्रीय एकता के लिए,
धर्म-निरपेक्षता के लिए,
सब धर्मों की एकता के लिए,
गरीबी दूर करने, बेरोजगारी मिटाने,
हर हाथों को काम, मुंह में अल्लाह-ईश्वर का नाम,
हम एक रहेंगे, बाबरी-मस्जिद या राम मन्दिर के
नाम पर हम नहीं लड़ेंगे।
हमने देखा है भारत को टूटते,
हमने देखा है भाई-भाई को बिछुड़ते,
हमने देखा है द्रौपदी का चीर हरण,
हमने देखा है सम्बीर का तड़फन,
हमने देखा है ईसा का सूली पर चढ़ना,
हमने देखा है सुकरात का जहर पीना,
हमने देखा है गांधी का गोली से मरना,
सत्य अहिंसा के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए,
और आज चालीस वर्षों बाद फिर देख रहे हैं,
गांधी को उसी राह पर चलते।
चलो हम भी चलें, देश का निर्माण करें।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, आज शायद मेरी भी यह आखिरी स्पीच

हो । कौन जाने अगली बार हम में से कितने आयेंगे ।···(व्यवधान)···आज के इस अवसर पर···

एक माननीय सदस्य : पुनर्जन्म होगा आपका ।···(व्यवधान)···

श्री उत्तम राठौड़ : मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं । इसलिए कि इस देश के 70 फीसदी काश्तकार जो हैं, उनके साथ आपने न्याय करने की पूरी कोशिश की है । उनके नुमाइन्दों को आपने बोलने का मौका दिया, अपने विचार रखने का मौका दिया, इसलिए भी हम आपके आभारी हैं । डिप्टी स्पीकर महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, उनके भी हम अत्यन्त आभारी हैं, उन्होंने क्योंकि पिछड़े हुए, दबे हुए, गिरे हुए दलित लोगों के बारे में यहां बोलने का मौका दिया और उन बैकवर्ड लोगों को भी यहां बोलने का मौका दिया । इसके लिए भी मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं । हाल ही में उनकी शादी हुई है । इसके बावजूद भी वे हाउस में बहुत ज्यादा वक्त बैठते थे । मैं नहीं जानता हूं कि ऐसे नौजवान को इतना दूर रख कर हमें खुशी नहीं हुई, लेकिन मजबूर थे ।

मैं इस वक्त अपोजीशन के श्री माधव रेड्डी, दंडवते जी, इन्द्रजीत जी गुप्ता और बाकी सभी लोग जो यहां पर हाजिर नहीं हैं, प्रो० सौज, बनातवाला जी तो मेरे बम्बई में भी साथी रहे हैं—सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं । बनातवाला जी ने सही फरमाया कि ऐसे बहुत से वक्त आए, जब हम लोगों की झड़पें हो गईं । भाइयो, ये जो झड़पें हुई हैं, इसमें कुछ अच्छा निकालने के लिए हुई हैं और इसीलिए आज हम बोल रहे हैं । मैं इस वक्त सभी मंत्री गणों को भी शुक्रिया अदा करता हूं । अमुमन मेरी उनसे बहुत ज्यादा झड़पें होती थीं, हाउस के अन्दर भी और बाहर भी । वह किसी के ऊपर व्यंजना करने के लिए नहीं होती थीं । मुझे मेरे दिल का जो विचार था, वह उनके सामने रखना था और मेरी जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ हासिल करना था । अगर ऐसा जाने-अनजाने में कुछ हो गया है, तो मैं उनसे माफी चाहूंगा और उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ।

इस सदन के नेता पंत प्रधान जी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने सही ढंग से हम सब लोगों का रहबरी की । जब हमसे गलती हुई, उन्होंने हमको टोका भी, लेकिन आज मैं यहां आपके सामने कह रहा हूं कि जब हम भारी अक्सरियत से चुनकर आए और काफी वोटों से चुनकर आए तो इन्हीं राजीव गांधी जी ने पहली सभा में यह कहा था कि अब की बार अपोजीशन कमजोर है, कम लोग हैं, आपको पूरी आजादी है बोलने की क्योंकि आप अवाम के सवाल यहां पर उठाते हैं न कि अपने, इसलिए हम कुछ बोल पाए, मेरे जैसे लोग भी कुछ बोल पाए, वह ताकत हमको जिस आदमी ने दी, जिस हस्ती ने दी, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं ।

वाच एण्ड वार्ड, जो पुलिस ऊपर खड़ी रहती है तमाम रात ठंड में, बरसात में हमारी रक्षा कर रही है, रिपोर्टिंग ब्रांच जो रात में 4 बजे तक रिपोर्टिंग करती है, काश्यप साहब, आपका स्टाफ, आप सभी का मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं ।

जैसे बनातवाला साहब ने यहां कहा कि देश महान है । यह सब होते हुए भी आज हम पिछली बातें भूल रहे हैं । शायद इसी चीज को बहुत दिन पहले अल्लामां इकबाल ने देखा था, इसीलिए उन्होंने कहा था—

ईरानी मिस्र रोमां, सब मिट गए जहां से,
फिर भी अभी है बाकी हिन्दोस्तां हमारा,
सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि बीमारी के कारण इस बार इस सत्र में मैं नहीं बोल पाया। मैं इतिहास की नजर से देखता हूं। अशोक महान पहले सम्राट थे जिन्होंने हिन्दुस्तान को एक किया। उनका चिह्न धर्मचक्र है जो हमारा राष्ट्रीय चिह्न है। उनका सारनाथ का निशान सिंह स्तम्भ हमारी सरकार का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय परम्परा को कायम रखा। सन्देश भगवान बुद्ध का लिया, वेदों और पुराणों के बाद, लेकिन भारतीय परम्परा एक रही। पुनर्वसु नक्षत्र पर सभी पशु-पक्षियों की बलि बन्द कर दी गई। ऐसा क्यों हुआ। मैंने खोजने की कोशिश की। जब इन्दिरा जी ने एन्वायर्नमेंट कमेटी का उद्घाटन किया तब मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है ? यूनिवर्सिटी से, बौद्ध धर्म के आचार्यों से, स्कालर्स से पूछा लेकिन पता नहीं लगा। कुछ थोड़ा-सा अपना ज्ञान भी था, सीमित-सा रहा। राधा कुमुद मुकर्जी की एनशेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, अशोका पर उनकी किताब पढ़ी तो पता लगा कि भारतीय सम्राट मनु स्मृति के समय से अपने जन्म दिवस पर किसी प्रकार की बलि का निषेध करते थे। समय बदल गया सिद्धांत बदल गए, सीमाएं बदल गई, सेनाएं हट गईं, लेकिन वह परम्परा जो उनके पहले के सम्राटों ने रखी थी वह चलती रही। अशोक ने उसको कायम रखा और भगवान बुद्ध का वह संदेश प्रसारित रखा जब एक गणराज्य ने दूसरे छोटे से गणराज्य पर हमला किया न वैशाली पर जो हमारे देश का पहला गणराज्य है जो बिहार में है, लोगों ने सोचा क्या किया जाए, भगवान बुद्ध के पास गए। बुद्ध देश की आत्मा को जानते थे, विश्व की आत्मा को जानते थे, प्राणिमात्र ब्रह्माण्ड को जानते थे, उन्होंने कहा जहां पर हमला किया गया था, उन ग्रामवासियों से पूछा, क्या तुम्हारी सभा होती है, उन्होंने कहा, हां होती है, उसमें वृद्धों का सम्मान होता है, हां होता है, क्या सभी फैसले आपस में सलाह मशविरे से होते हैं, हां होते हैं, तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि संसार का बड़े से बड़ा राजा तुमको पराजित नहीं कर सकता और वही हुआ। संसार के बड़े राज्य धूल में मिल गये पर भगवान बुद्ध के जीवन की यह घटना कायम रही, हमारी लोकसभा की परंपरा आज भी कायम है। नाम अनेक पर भावना एक।

एकम सद विप्रा, बहुधा वदन्ति।

नाम चाहे कुछ भी ले लीजिए, महात्मा गांधी ने उस प्रथा को आगे बढ़ाया, जवाहरलाल जी ने उसको अपने पसीने से सींचा, इंदिरा जी ने उसको अपने खून से सींचा और राजीव जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो हिंदी और संस्कृत की बातें हुईं, अंग्रेजी में शैली ने ठीक कहा है—

"द वन रीमेन्स, द मैनी चैंज एंड पास,
हैवन्स लाइट फॉरएवर साइन्स,
अर्थस् शैडोस फ्लाई,
लाइफ लाइक ए डोम्ड मल्टी-कलर्ड ग्लास,
स्टेन्स द व्हाइट रेडिएन्स ऑफ इटर्निटी।"

पी० बी० शैली (1792-1822)

यह शैली ने कहा, यह कविता सारी बात को कहती है। भारत की आत्मा एक है, परम्परा एक है, चाहे हम पीर की समाधि पर जाएं, चाहे भगवान बुद्ध को प्रणाम करें, चाहे विष्णु मन्दिर या गिरजाघर में जाएं, चाहे गुरुद्वारे जाएं या मुल्ला की अजान हो, हम सब एक हैं और इस परंपरा को जिस संस्था ने अपनाया वह इंडियन नेशनल कांग्रेस है और उसके नेता राजीव गांधी हैं। हमारी आशा यह है कि यह चिंतन आगे भी चलेगा और इससे दुनिया को एक नया रास्ता मिलेगा। अध्यक्ष

महोदय मैं आपका आभारी हूं कि मुझे पैनल आप चेयरमैन में सम्मिलित करके अपने लोक सभा के इस आसन पर बैठने का अवसर दिया। मैं प्रधाममंत्री जी का आभारी हूं कि उनके द्वारा चेयरमैन कमेटी आन गवर्नमेंट एश्योरेंस बनने के बाद में थोड़ा बहुत काम कर पाया, मैंबर के रूप में नेहरू जी के साथ पांचवीं लोक सभा में आया था और जब वे यहां नहीं थे तो मैं शिमला में था। आज भी उनके साथ हूं, इंदिरा जी का साथ रहा है और अब राजीव जी का साथ है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) अध्यक्ष जी, एक जूनियर मैम्बर होने के बाद भी आपने दो-चार बार कहने का मौका दिया है। संसद हमारे लोकतंत्र का मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर है। जब इन्दिरा जी का देहान्त हो गया था तब काफी आदमियों ने सोचा था कि राजीव जी की लीडरशिप में जो आठवीं लोक सभा है, वह क्या करेगी। ये लोग सारे बच्चे हैं, सारे जूनियर आदमी हैं, कैसे देश की स्टैबिलिटी रहेगी। पंजाब में जो खालिस्तान की आवाज थी, वह जरूर कुछ कम हुई है और इसी प्रकार अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा में जो डिस्टरबैंस था, वह राजीव जी के खत्म हुआ है। पमारे देश की एकता और अखंडता की जो परम्परा है, वह राजीव जी के नेतृत्व में आठवीं लोक सभा का सबसे बड़ा एचीवमेंट है। हम लोगों को पोलिटिकल आजादी तो मिली लेकिन इकोनोमिक आजादी हम लोगों को नहीं मिली थी। लेकिन आठवीं लोक सभा में नगरपालिका बिल, जवाहर रोजगार योजना, पंचायत बिल, 18 वर्ष के लोगों को मताधिकार का अधिकार, एस० सी० एस० टी० को बहुत सारे फायदे, एजुकेशन पालिसी, महिलाओं की प्रगति सबंधी बिल, ऐसे बहुत सारे रेवोल्युश्नरी बिल इस लोक सभा में पास हुए हैं। यह हमारे देश के लिए और संसद के लिए बहुत बड़ा एचीवमेंट है। यह हमारा इकोनोमिक फ्रीडम मूवमेंट है। अपोजिशन पार्टीज के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन हम लोग जो नए सदस्य हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते थे। हमारी पार्टी ने 20 सूत्री प्रोग्राम इकोनोमिक अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने पिछले पांच बरस में एक ही प्रोग्राम चलाया कि राजीव जी को हटाओ। राजीव जी तो नहीं हटे लेकिन वे खुद ही हटकर चले गए। जब हम लोग आए थे तो कुछ, भी नहीं जानते थे, लेकिन आपने हम लोगों की बहुत मदद की है। हमेशा आपकी तरफ से मुझे आशीर्वाद मिला है और हमारे नेता राजीव जी तथा संसदीय कार्य मंत्री जी ने हम लोगों की बहुत मदद की है। लोक सभा के सेक्रेटरी जनरल और लोक सभा के हरेक स्टाफ ने हम लोगों की बहुत मदद की है। इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। मैं कोई शेरो-शायरी नहीं करती लेकिन एक छोटा-सा शेर सुनाना चाहती हूं—

"रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं,
मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं।"

हमारे देश की जनता को कोई मोहब्बत है तो कांग्रेस पार्टी से है। मुझे विश्वास है कि इस सदन में कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं रहेगा। हमारी कांग्रेस पार्टी पावर में आयेगी और हमारी परम्परा की रक्षा करेगी।

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत से सदस्यों की बातें सुनी हैं। मैं यह सोच रहा था कि संभवतः हम एक सत्र और बुलाते, किन्तु किसी न किसी कारण से सदस्यों ने कुछ निश्चय कर लिया है। इन पांच वर्षों के दौरान जो कुछ भी उपलब्धियां हुई हैं उसके लिए मैं आपको तथा सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

जब मैं पांच वर्ष पूर्व की बात सोचता हूं, जब हमने पहली बार चुनावों की घोषणा की, उस समय देश की क्या स्थिति थी, इंदिरा जी की हत्या के बाद हम किन परिस्थितियों से गुजरे और आज के राष्ट्र पर नजर डालने पर मैं देखता हूं कि यहां क्या-क्या हुआ है, क्या परिवर्तन आए हैं, तब और आज में क्या अन्तर है तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे गर्व इस बात पर महसूस नहीं होता कि सरकार ने या हमने कुछ कार्य किया है अपितु मुझे जनता द्वारा किए गए कार्यों पर गर्व महसूस होता है। हम संभवतः यहां कुछ निदेश ही दे पाए हैं किन्तु इस अवधि के दौरान जितना भी विकास और प्रगति हुई है उसका वास्तविक बोझ हमारा जनता ने ही उठाया है। हम किसी भी क्षेत्र को ले लें, चाहे देश की एकता और अखंडना हो या देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास का क्षेत्र हो अथवा निर्धनों के उत्थान की बात हो, चाहे धर्म-निरतेक्षता, समाजवाद और हमारे लोकतन्त्र को बनाए रखने के कुछ मूल सिद्धांतों की बात हो, इन पांच वर्षों के दौरान राष्ट्र की जो भी उपलब्धियां रही हैं, मुझे उन पर गर्व है।

यदि हम अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और सार्वभौमिक विकास में भारत के योगदान पर नजर डालें तो पाएंगे कि भारत ते इन वर्षों के दौरान जो भी उपलब्धि की है, कह गर्व योग्य है। इसके लिए मैं भारत की जनता को उनके उन प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो आज यहां हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मैं भारत की उस जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके प्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटकर तथा जो पद उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने उन्हें सौंपा था, उससे भागकर यहां संसद में उपस्थित न रहने का निर्णय लिया है।

साथ ही इस पद पर बैठे हुए मैं हर समय उन लोगों का स्मरण करता हूं जो मुझसे पहले इस पद पर आसीन थे—मुझे पंडित जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी का स्मरण हो आता है और मैं देखता हूं कि इस अवधि के दौरान हमने काफी कुछ किया है, और पांच वर्ष पूर्व अर्थात् हमारे यहां आने से पूर्व उन्होंने जो कार्य किए थे उन्हीं के परिणामस्वरूप हम इतना कुछ कर पाए हैं। उन्होंने जो कुछ किया हमने उसमें वृद्धि की है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, हम उसी पर आगे बढ़े हैं और इसी कारण हम आज इतनी उपलब्धि कर पाए हैं। मुझे केवल भूतपूर्व प्रधानमन्त्रियों को ही धन्यवाद नहीं देना है। हमें सचमुच गांधी और उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखना है। उन्हीं सिद्धांतों ने इन पांच वर्षों के दौरान हमारा मार्गदर्शन किया है।

मुझे इस बात पर भी अधिक गर्व महसूस होता है कि इन वर्षों के दौरान हमने गांधी जी के सिद्धांतों का अपने देश से बाहर प्रसार किया है। हमने इन सिद्धांतों का मजाक उड़ाने वाले देशों के लोगों को भी इन सिद्धांतों के विषय में सोचने और उन पर यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि आज सभ्यता और मानवता हेतु यही वास्तविक मार्ग है।

यदि मुझसे संसद की एक उपलब्धि के बारे में पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि निर्धनता दूर करने, उन विधेयकों को पारित करने के अलावा जिसने हमारी जनता को भ्रष्टाचार मिटाने और सत्ता के दलालों को हटाने तथा शोषण करने वालों को हटाने के अधिकार मिलेंगे, उन कई विधेयकों के अलावा जो हमने कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए यहां पारित किए हैं, वह विधेयक जो हमने महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने, उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए पारित किया है, वे विधेयक जो हमने अपने निर्वाचन प्रक्रिया को बदलने, लोकतन्त्र को मजबूत बनाने के लिए पारित किए हैं, के अलावा संसद के अन्य बहुत से कार्य किए हैं। मैं तो कहूंगा कि इस संसद की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय सभ्यता को दुनिया में फैलाना और उन देशों के काफी संख्या में ऐसे लोगों द्वारा इसे

स्वीकार करना है जिनका हमारे सिद्धांतों में विश्वास भी नहीं है। हम केवल भारत में ही निर्धनता और शोषण समाप्त करने के लिए नहीं अपितु समूचे विश्व से निर्धनता और शोषण समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इन वर्षों के दौरान हमने विश्व की विचारधारा को भी बदल दिया है। पहली बार महाशक्तियों की गुटबन्दी टूटने लगी है। पुरानी पद्धति से नये अन्तर्राष्ट्रीय लोकतन्त्र का उदय हो रहा है। इसका श्रेय मैं स्वयं लेना नहीं चाहता हूं। इसका श्रेय गांधी जी को जाता है जिन्होंने इस बारे में आवाज उठाई, इसका श्रेय पंडित जी को जाता है जिन्होंने हमारा पथ प्रदर्शन किया, इसका श्रेय जाता है शास्त्री जी और इंदिरा जी को जिन्होंने इस पद पर आसीन होकर हमारा इस दिशा में पथ प्रदर्शन किया। हमने केवल उन्हीं के पद-चिह्नों का अनुसरण किया है और हम इस दिशा में थोड़ा आगे इसलिए बढ़ पाए हैं क्योंकि उन्होंने हमें इतनी आगे तक राह दिखाई थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज 10 साल हो गये, थोड़ा-सा वक्त और आने को है, पूरे 10 साल हो जायेंगे, जब आपने मुझे इस कुर्सी पर बैठाया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, न मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि मैं कभी लोक सभा का अध्यक्ष बनूं या कोई भी स्पीकर बनूंगा। पता नहीं, इंदिरा जी ने कैसा सोचा था। मुझसे 10 साल पहले उन्होंने पूछा था, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, 14 जनवरी, 1980 को, कि बलराम जी, क्या आपने कानून पढ़ा है? मैंने कहा, मैडम, मैं तो उस गली से भी नहीं निकला। तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, गली न सही, लेकिन खेत तो फिरे हो। आपको स्पीकर बनाना है। उस दिन से आज तक मैंने आप सबका विश्वास प्राप्त किया है। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द हीं हैं। मैं बहुत आभारी हूं। लीडर ऑफ दि हाउस यहां बैठे हैं, मुझे इनका सहयोग मिला है। इंदिरा जी दिवंगत आत्मा की ओर से मुझे पूरा सहयोग मिला था और मुझे यह कहते हुए कतई भी शंका नहीं है कि मेरे काम में किसी प्रकार, किसी आदमी ने, किसी साथी ने कभी बाधा डालने की चेष्टा नहीं की, रुकावट नहीं डाली। मुझे अपने कार्यक्षेत्र में बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ था कि जो मैं उचित समझूं और जो उचित है, वह करूं। आप सबने सहयोग दिया, हमारी गाड़ी चली। मुझे मान है। मतभेद भी हुए, कुछ हो-हंगामा भी हुआ और जैसा भगत जी कह रहे थे कि उन्हें इस बात का मान है कि इस आठवीं लोकसभा ने ठीक उसी तरह से काम किया, उन्हीं सिद्धांतों को ऊपर रखते हुए, नीचे नहीं किया, मैं उनसे सहमत हूं इस बात में कि जानकारी में, सूझ-बूझ में, पढ़ाई में, यह हमारी सभा सबसे आगे है।

यह हो सकता है कि कुछ थोड़ी बातें भावावेश में आकर के, कुछ कुर्सी की ललक में आ करके हम भूल गए हों और ज्यादा ऊंची आवाज में बोले हों, कुछ आपस में ज्यादा गरमागरमी हुई हो, तो उसको कम करने के लिए, मैंने बार-बार कोशिश भी की है, विनती भी की है, अपील भी की है, बाहर भी और अन्दर भी। हमारी जो पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई, जो स्पीकर्स एनुअल कान्फरेन्सी होती है, उनके माध्यम से भी बड़ी कोशिश की है कि हम उन उसूलों पर चलें, जो हमने स्वयं बनाए हैं और वह जरूरी है क्योंकि यह जो पौधा लगाया हुआ है प्रजातन्त्र का और सबसे बड़ा जो दरख्त आपने यहां लगाया है, इसका हरा रहना, इसका फलना-फूलना जरूरी है और उसके लिए हम सबको चेष्टा करनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने कही है और उसके लिए आपने बहुत सहायता दी है।

यहां कुछ भाइयों ने कभी महसूस किया होगा, लेकिन एक बात मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं कि जब मैं इस कुर्सी पर बैठता हूं और अन्दर बैठता हूं, तो एक बात का ध्यान आता है, जो इस तरफ

की बात है, मैं कांग्रेस का सदस्य हूं और रहा हूं, लेकिन जब मैं यहां बैठता हूं, तो सिर्फ यहां बैठता हूं। उसमें फिर कोई और चीज नहीं रहती है। मुझे इस बात का पता है, मैं इस बात को करता रहा हूं। किसी ने मुझे इसमें दखल नहीं दिया है। लेकिन इनके अलावा मैंने विचार किया है, हर तरीके से, उस मुद्दे पर सोचने की कोशिश की है सारी राय लेने की कोशिश की है, कौन-सी राय कहां बैठती है, हर अच्छे आदमी से सलाह की है, हर अच्छी पुस्तक से जोकि इसको कंसर्न करती है, राय लेने की कोशिश की है और फिर मैंने असली नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की है। हो सकता है अपनी गलतफहमियों में या किसी तरीके से वे समझते हों कि पक्षपात हुआ हो, लेकिन दिमाग और दिल में कभी यह नहीं आया, क्योंकि मैं अगर ऐसा करता, तो मैं कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान कर सकता था क्योंकि जिस आदमी के प्रति जिम्मेदारी समझी जाती है, उसके ऊपर यह भी तो है कि वह पार्टी का ध्यान रखे, लेकिन मैंने पार्टी-बाजी से ऊपर रहकर काम किया है, हिसाब से काम किया है। कोशिश की है भगवान ने मुझे जो शक्ति दी है उसके अनुसार काम करने की या आप लोगों ने जो विश्वास मुझे दिया है वह कभी टूटे नहीं, उसको ऊपर रखने के लिए हमेशा तत्परता के काम किया है। यह मेरी इच्छा है, यह मैं बता देना चाहता हूं। जैसा आपने कहा, नाराज हुए, ये सब स्वार्थ की बातें थीं, क्यों हुईं; यह मैं जानता हूं, कुछ तो ज्यादा भी बढ़ गई हैं। जो लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ शक्ति उनके पास आई, उस शक्ति का दुरुपयोग भी करके इस चीज को करना चाहा। लेकिन मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है। मैं महात्मा जी का चेला हूं, उनका नाम लेवा हूं, जवाहर लाल जी का अनुयाई हूं, प्रजातन्त्र में विश्वास रखता हूं, तो एक बात जानता हूं कि क्षमा सबसे बड़ी ऊंची चीज है। भूल जाइए, जो किसी ने किया है, हमारा दिल साफ है, अन्दर झांक कर देखें जब अपनी नजर में गिर जाएंगे तब गिरेंगे। दूसरों की नजरों से मत देखो अपनी नजरों से आप को देखो। इस बात को मैंने सोचने और समझने की कोशिश है।

आप सबको मेरा बहुत-बहुत शुक्रिया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप आगे बढ़ते रहिए। हमारे देश की गाड़ी चलाते रहिए। जो आने वाली स्थिति है, उस पर मुझे बहुत भारी भरोसा है। जैसा आप सबने कहा एक ऐसा उज्ज्वल भविष्य है। मैं बाहर गया हूं, आपने मुझे हक बार भेजा है। सारी दुनिया में, हर बड़े से बड़े देश में और बढ़िया से बढ़िया जगह मैं आपकी नुमाइन्दगी करने गया हूं और मुझे इस बात का बड़ा मान है और मुझे कितना फख्र होता है जब लोग आपकी तरफ देखते हैं, तो एक नया जजबा पाते हैं। मुझे यह कहते हुए कभी संकोच नहीं हुआ और वे कहते हुए कभी थके नहीं। अब भी जब मैं गया, तो उन्होंने यही कहा कि इस भारतवर्ष के 80 करोड़ आदमी हैं और इन लोगों ने एक ऐसा अजूबा करके दिखाया है दुनिया में कि प्रजातन्त्र किस तरीके से कायम है, कितनी तरक्की आपने इन सालों में की है। यह एक मिसाल है दुनिया के सामने कि आपने 9 परसेन्ट तरक्की की है। दुनिया के किसी भी देश में इस डिकेड में इतनी तरक्की कभी नहीं हुई। आपने वह तरक्की की है। आपने भूख को भगा दिया है। आपके अन्न के भण्डार भरे हुए हैं। आप तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं। एक नया जोश है, एक नया खरोश है। यह मुझे पता है। मुझे एक शेर याद आ रहा है—

"बादे मुखालिफ से न घबरा ऐ औकाग
ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए
तू शाहीन है काम है परवाज तेरा
तेरे लिए आसमां और भी हैं।"

तो हमारे लिए तो और कुछ बढ़ने के लिए और निशाने हैं जिन पर आगे बढ़ना है। जो इम्तिहान

आ रहा हैं, इस इम्तिहान में लोग जानते हैं कि क्या करना है। लोगों को पता है हिन्दुस्तान एक है, इसको एक रखना है, इसके दिल और दिमाग पर एक छाप छोड़नी है कि हमें तरक्की करनी है, और उसके लिए जरूरी है प्रजातन्त्र का कायम रहना, कौमुनल फोर्सेज को दबाकर रखना, भाई-चारा कायम रहना। एक बात वह जानते हैं कि कोमुनलिज्म और डैमोक्रेसी साथ-साथ नहीं रह सकते, वायोलैंस और डैमोक्रेसी एक साथ नहीं चल सकते, यह एक-दूसरे के घातक हैं। इसलिए हमें एक चीज और याद रखनी है कि डैमोक्रेसी रहनी चाहिए, प्रजातन्त्र रहना चाहिए। उसके लिए सारी फोर्सेस को हराकर हमें आगे बढ़ना है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

मेरे साथी डिप्टी स्पीकर साहब, ये भी मेरे तरीके से नये-नये आये थे और आते ही इन्हें आपने डिप्टी स्पीकर बना दिया। आते ही इनकी शादी करा दी, डबल काम करवा दिये। यह नई चीज है। आपने रिकार्ड पर रिकार्ड कायम किए, ना इनको एक दिन बतौर आर्डिनरी मेंबर के यहां बैठने दिया और ना मुझे एक दिन बतौर आर्डिनरी मेंबर के यहां बैठने दिया। सबकी मेहरवानी है, इसके लिए आपको शुक्रिया।

मेरे सैक्रेट्री जनरल हैं, इनके सारे मेरे सहयोगी जो यहां कर्मचारी हैं, मेरा मार्शल और उसके साथी, मेरे जो स्टाफ में यहां काम करते हैं, ऊपर और नीचे काम करते हैं, सारे सैक्रेटैरिएट में काम करते है, आपकी रक्षा का भार उनके जिम्मे है, उन सबने जितनी अनथक कोशिश की है काम करने में जितनी सहायता दी है, उन सबका शुक्रिया मैं किस तरह अदा करूं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वह हमारे दिल की गहराइयों से समझें कि हम किस तरह से तहे-दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहता लेकिन हमने जो कार्यवाही की है इन 5 सालों में, वह सब हमारे पास लिखी हुई है। मैं ज्यादा वक्त आपका इसमें नहीं लेना चाहता, वह आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को मैं सैक्रेटरी जनरल को देता हूं, वह इन सबको रिकार्ड में डाल देंगे। आप सब देख लेना, बहुत कुछ किया है।

एक माननीय सदस्य : इन्हें प्रेस का सर्कुलेट कर दें।

अध्यक्ष महोदय : सर्कुलेट कर देते हैं। क्योंकि रिकार्ड बहुत बड़ा है। इतनी अपील आपसे और है, इतनी नयी योजनाएं दी हैं आपने, एक नया इतिहास कायम किया है, एक नया मोड़ इस प्रजातन्त्र को दिया है, नीचे तक पहुंचा दिया है, जहां जड़ थी वहां पहुंचा दिया है। जितना कुछ आपने किया है, उसके लिए आप सबको मुबारक।

आप आगे बढ़ते जाइए। दुनिया देख रही है कि हिन्दुस्तान तरक्की की राह पर कामजन है, हमारी आगे बढ़ने की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। आप फिर आइए, फिर मिलेंगे दिसम्बर के बाद मिलेंगे। सबको मेरी शुभ-कामनाएं।

यह दो बार जन्म लेने की बात आपने कही, आप बार-बार जन्म लेते रहिए, मुबारक हो आपको, बहुत-बहुत शुक्रिया।

कल आपने किसानों के लिए कहा था, उसके लिए आपका शुक्रिया। क्योंकि यह एक ऐसा कदम है जो खाई को मिटा देगा, एक अच्छी हमवार सड़क बन जाएगी और इंसान अपने तरीके से बैठकर यह समझेगा कि मैं इस हिंदुस्तान का वासी हूं जिसको बराबर के सबके साथ हकूक मिलते हैं, तरक्की मिलती है, शिक्षा मिलती है और भविष्य हमारा उज्ज्वल है।

बहुत-बहुत धन्यवाद आपका व सब लोगों का। जय हिन्द।

[अनुवाद]

मैं घोषणा करता हूं कि सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

9.25 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-53